

Frequency : *Two Issue per Year*
Subject : *Multidisciplinary Subjects*
Language : *Multiple Language*
Format of Publication : *Print Journal*
ISSN No. : 3107-9644

INDIAN JOURNAL OF HISTORY CULTURE & ARCHAEOLOGY

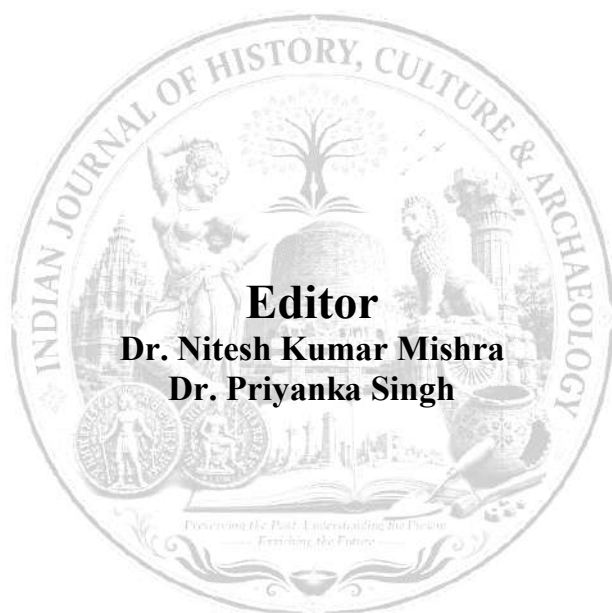
Peer Reviewed and Refereed Research Journal

Volume II

No. 1

January-June

2026



Editor

Dr. Nitesh Kumar Mishra

Dr. Priyanka Singh

Publisher

K.R. PUBLISHERS AND DISTRIBUTORS

Varanasi-221005 (Uttar Pradesh)

Indian Journal of History Culture & Archaeology
Peer Reviewed and Refereed Research Journal

© Publisher

June, 2026

ISSN No. : 3107-9644

Contact US

Editor:

Dr. Nitesh Kumar Mishra

*Associate Professor, Department of AIHC & Archaeology, Pt.
Ravishankar Shukla University, Raipur (CG)*

Dr. Priyanka Singh

*Assistant Professor, Department of AIHC & Archaeology, BHU,
Varanasi (UP)*

Publisher and Printer- K.R. Publishers and Distributors

Address- Baba Shopping Complex, Lanka, Varanasi-221005, UP

Contact No. 7753977775

Email ID : editor.ijhca@gmail.com

Articles in this journal do not reflect the view of policies of the Editors or the Publishers. Respective authors are responsible for the originality of their view/opinions expressed in their articles.

EDITORIAL NOTE

It gives me immense pleasure to present Volume II, Number 1 (January–June 2026) of the *Indian Journal of History Culture & Archaeology*. This issue continues our commitment to promoting high-quality scholarly research in the fields of history, archaeology, culture, heritage studies, and related interdisciplinary domains.

The present volume brings together a diverse collection of research articles that explore significant historical, archaeological, cultural, social, and economic themes. The contributions range from studies on Kushan art and iconography, ecological history, archaeological discoveries, religious traditions, inscriptions, tourism, and regional development to broader discussions on historiography, cultural heritage, and socio-economic transformations. Such diversity reflects the journal's objective of encouraging innovative and interdisciplinary approaches to understanding the past and its relevance to contemporary society.

We are grateful to all authors for entrusting us with their valuable research and to the reviewers whose scholarly insights and constructive suggestions have helped maintain the academic quality of this publication. Their dedication to rigorous research and intellectual excellence remains central to the success of this journal.

The Editorial Board also extends sincere appreciation to our readers, researchers, academicians, and students whose continued support inspires us to strengthen this platform for historical and cultural scholarship. We hope that the articles published in this issue will stimulate further research, critical reflection, and meaningful academic dialogue.

We welcome future submissions that contribute to the advancement of historical knowledge and interdisciplinary scholarship, fostering a deeper understanding of India's rich cultural heritage within regional, national, and global contexts.

Editor

Indian Journal of History Culture & Archaeology

Aim and Scope of the Journal

The Indian Journal of History Culture & Archaeology is a peer-reviewed print publication dedicated to the advancement of scholarly research in history and its allied disciplines. The journal serves as a prestigious platform for historians, researchers, academicians, and practitioners to publish original studies, critical analyses, and interdisciplinary works that deepen the understanding of historical ideas, events, and interpretations.

By fostering intellectual dialogue, comparative perspectives, and innovative approaches, the journal seeks to broaden the horizons of historical inquiry within Indian, regional, and global contexts.

The journal aims to:

- Promote high-quality academic research in all branches of historical study.
- Encourage interdisciplinary perspectives linking history with other social sciences and humanities.
- Facilitate scholarly exchange and dialogue among national and international historians.
- Contribute to the understanding of India's cultural and historical evolution within a global framework.

The Indian Journal of History Culture & Archaeology welcomes original research articles, review essays, book reviews, and scholarly discussions related to a wide range of historical themes and methodologies.

The areas of interest include, but are not limited to:

- Ancient, Medieval, and Modern Indian History
- World History and Comparative Historical Studies
- Cultural, Social, and Economic History
- Political and Intellectual History
- Archaeology, Epigraphy, and Heritage Studies
- Historiography and Historical Methodology
- Interdisciplinary Studies connecting History with Literature, Sociology, Geography, Anthropology, and Political Science

The journal particularly encourages submissions that utilize new sources, adopt innovative methodologies, or engage in cross-disciplinary approaches to illuminate various aspects of India's past within a global and comparative perspective.

EDITORIAL BOARD

Prof. Suman Sharma

Ex. Principal, Lady Shri Ram College for women, University of Delhi
Email-principal@isrcollege.org

Prof. Sanat Kumar Sharma

Professor, Dept. of Sociological Studies, Central University of South Bihar
Email-sanatkumar@sub.ac.in
Institutional Profile Link :
[Faculty - Central University of South Bihar, Gaya, Bihar](#)

Prof. Pravin Kumar Mishra

Professor, Dept. of History, Guru Ghasidas University, Bilaspur, CG
Email-pravinmishra2010@gmail.com
Institutional Profile Link :
[Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur](#)

Dr. D.P. Sharma

Ex. Director, Bharat Kala Bhavan, BHU, Varanasi

Prof. Akhilesh Kumar

Professor, Dept. of French Studies, BHU, Varanasi
Email-akhilesh17@bhu.ac.in
Institutional Profile Link :
[Faculty Profile - Banaras Hindu University, Varanasi, India.](#)

Dr. Jyoti Sharma

Assistant Professor, Dept. of German Studies, BHU, Varanasi
Email-drjyotisharma7@bhu.ac.in
Institutional Profile Link :
[Faculty Profile - Banaras Hindu University, Varanasi, India.](#)

Dr.Sachin Kumar Tiwary

Assistant Professor, Dept. of AIHC& Archaeology, BHU, Varanasi
Email-sachintiwary@bhu.ac.in
Institutional Profile Link :
[Faculty Profile - Banaras Hindu University, Varanasi, India.](#)

Dr.Abhay Kumar

Assistant Professor, Dept. of AIHC& Archaeology, BHU, Varanasi
[Email-abhay17@bhu.ac.in](#)
Institutional Profile Link :
[Faculty Profile - Banaras Hindu University, Varanasi, India.](#)

Dr.Amit Kumar Upadhyay

Assistant Professor, Dept. of AIHC& Archaeology, BHU, Varanasi

Email- amitupadhyay@bhu.ac.in

Institutional Profile Link :

[Faculty Profile - Banaras Hindu University, Varanasi, India.](#)

Dr. Preeti Singh

Assistant Professor, Department of Political Science, Vasanta College for women, Rajghat Fort, Varanasi

Email- polscience_preetisingh@vasantakfi.ac.in

Institutional Profile Link :

<https://www.vasantakfi.ac.in/academics/faculty/social-sciences>

Dr. Subhash Meena

Assistant Professor, Department of Psychology, University of Delhi, Delhi

Email- smeena@psychology.du.ac.in

Dr. Brihaspati Bhattacharya

Assistant Professor, Department of Sanskrit, Vasanta College for Women, Rajghat Fort, Varanasi

Email- sanskrit_brihaspatibhattacharya@vasantakfi.ac.in

Institutional Profile Link :

<https://www.vasantakfi.ac.in/academics/faculty/arts>

Dr. Rajiv Kumar Jaiswal

Assistant Professor, Department of AIHC & Archaeology, Vasanta College for women, Rajghat Fort, Varanasi,

Email- aihc_rajivjaiswal@vasantakfi.ac.in

Institutional Profile Link : *Post- Understanding the Past
Creating the Future*

<https://www.vasantakfi.ac.in/academics/faculty/arts>

Md. Ashikuzzaman Khan Kiron

Assistant Professor, Department of Pali and Buddhist Studies
Department of Pali and Buddhist Studies, University of Dhaka,
Bangladesh

Email- kiron@du.ac.bd

Institutional Profile Link :

https://www.du.ac.bd/index.php/body/faculty_details/PBS/218

Content

- ❖ **Ardoxsho (Kushan Goddess) or Middle Aged Woman: Iconographic study of Kushan Terracotta Figurine unearthed From Mandoli-A Multicultural Archaeological site of Delhi** 1-15
Ankit Chanchal
- ❖ **Ecological History of the Endangered Tribe of Dhimal (Colonial and Post-colonial period)** 16-25
Dr. Bhaskar Roy
- ❖ **The Saintly Queen Ahilyabai Holkar: An Icon of Benevolence, Administration and Cultural Revival** 26-50
Dr. Keshav Patel
Dr. Shabeena Shaikh
Dr. Ram Sarik Gupta
- ❖ **Crop Diversification and Rural Development in India** 51-58
Dr. Archana Sethi
Dr. Sunil Kumeti
Dr. Gaurav Jain
- ❖ **Growth and Structure of Chhattisgarh Economy: Challenges and Future Directions** 59-74
Dr. Sunil kumar Kumeti
Dr. Archana Sethi
Hitesh Rathore
- ❖ **Republican Asylums: The French Influence on Indian Independence (1905–1947)** 75-86
Sawan Kumar Singh
Mohd Ahmad
- ❖ **Newly Discovered Archaeological Remains in Banguwan Village of Jhansi District** 87-96
Satyam Dubey
Dr. Shiva Kant Tripathi

❖ मध्यक्षेत्र में बौद्ध धर्म का उद्भव एवं विकास	डॉ. शिशिर कान्त त्रिपाठी	97-107
❖ छत्तीसगढ़ में पर्यटन और आर्थिक विकास	डॉ. अर्चना सेठी तुकेश्वरी	108-112
❖ कनिष्क कालीन खरोष्ठी अभिलेखों की विषयवस्तु एवं ऐतिहासिक महत्व	चन्दन कुमार	113-121
❖ शक-क्षत्रप अभिलेख : विषयवस्तु एवं उपादानगत वर्गीकरण	डॉ. डॉली पटवा	122-135
❖ कुर्कीहार से प्राप्त बौद्ध देवी प्रतिमालेख (वसुंधरा, चुंडा एवं तारा के विशेष संदर्भ में)	रूमी कुमारी पाण्डेय	136-147
❖ प्राचीन भारत में दान परंपरा एवं छत्तीसगढ़ का महापर्व छेरछेरा	डॉ. महेन्द्र कुमार सारवा	148-156
❖ अजन्ता की चित्रकला : एक अध्ययन	डॉ० अजेन्द्र प्रताप राय	157-161
❖ प्राचीन भारत में जल प्रबन्धन (सुदर्शन झील के विशेष संदर्भ में)	डॉ० मनोज कुमार सिंह	162-167
❖ किसान आंदोलन 1932 (भरवारी) के स्वतंत्रता सेनानी	डॉ० संजय कुमार	168-179
❖ मध्य गंगा घाटी की प्रागैतिहासिक जीवन - पद्धतियों की व्याख्या में नृवंशविज्ञान के निहितार्थ	श्वेता कुमारी	180-190
❖ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं प्रवासी श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा	अशोक कुमार देवांगन	191-195
❖ राम जन्मभूमि विवाद के पटाक्षेप में प्राचीन ग्रंथों की प्रमाणिकता - जगद्गुरु रामभद्राचार्य जी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के विशेष संदर्भ में	शुभम डॉ. महेंद्र कुमार सारवा	196-203
❖ दलित उत्थान की गांधीवादी अवधारणा	डॉ अंजू सिंह	204-211
❖ पूर्व-मध्ययुगीन-उत्तरवर्ती चरण में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति : एक विश्लेषण	मोहम्मद आकिब	212-222

❖ कोरबा के प्रमुख चित्रित शैलाश्रय सुअरलोट का
पुरातात्विक विश्लेषण

डॉ. नितेश कुमार मिश्र 223-228
डॉ. भाग्यश्री दीवान
डॉ. ढालसिंह देवांगन
हरिसिंग क्षत्रिय





Ardoxsho (Kushan Goddess) or Middle Aged Woman: Iconographic study of Kushan Terracotta Figurine unearthed From Mandoli-A Multicultural Archaeological site of Delhi

Ankit Chanchal

*PhD Scholar, School of Heritage Research and Management,
Ambedkar University, Delhi*

Abstract

The Kushan terracotta art from the first to third century CE is a vital artistic and cultural heritage that sheds light on the religious customs, social diversity attire, ornamentation and aesthetic expressions such as music, dance, and gestures of early historic north India. Influenced by changing social connections and varying political power, these terracottas exhibit unique stylistic and technological phases, with significant innovations like hollow molding and the earliest depictions of seated human figures in terracotta art. Kushan miniatures typically portray human figures, mainly female deities, attendants, and domestic women in both seated and standing positions, highlighting themes of femininity, fertility, devotion, and everyday life. Their iconography represents a unique blend of central Asian, Hellenistic, and native Indian tradition of moulding. Beyond their artistic value, these miniatures provide crucial evidence for reconstructing the urban settings and socio-religious dynamics of the Kushan period. This paper explores a seated terracotta figurine found in the Kushan-period at Mandoli, a Multicultural archaeological site located in East Delhi that has been a continuous settlement from the Late Harappan period to the Gupta period, excavated by the Delhi State Archaeology Department. The study is focused on a primary objective: identifying whether the figurine depicts an ordinary middle-aged woman as characterized by many scholars or the Kushan goddess Ardoxsho. Additionally the paper aims to enhance the interpretive framework for examining gender issues, ritual practices and symbolic representations within the terracotta tradition of the Kushan Period. The final section highlights the

methodological issues surrounding the collection, classification and documentation of minor and broken objects.

Keywords : *Iconography, Figurine, Ardoxsho, Goddess, Bactrian, Iranian, Ornamentation, Posture, Mandoli*

Introduction: Kushan Artistic Representations Conceptual Frameworks, Visual Idioms, and Sources

The clay art of the Kushan period occupies a unique place in art studies. The terracottas represent an intriguing phase because of two reasons. First, Kushan artists disregarded the previous developments of the Mauryans and the Sungas. The artists, instead of advancing artistically, indulged in a trend of artistic decadence, which has been termed as crude workmanship. Secondly, Kushan artists introduced some new approaches and methods in terracotta production. As evident from the specimens obtained from the Gangetic plain and the Gandhara region, lithic art gained more attention than terracotta; sculpting in stone was quite refined and brought intense aesthetic pleasure. On the other hand, terracotta art is quite differently treated. It was anticipated that terracotta art during the Kushan period would continue to evolve in the same manner as it had during the Mauryan and Sunga periods, following the fully developed phase of the Sunga period. However, surprisingly, there was a reversal, with a decline toward a cruder style. Why the breakdown occurred during the Kushan period is a matter of study. Why did the artists decide to use stone as a more sophisticated creative expression medium rather than advancing terracotta? Addressing this issue, V. S. Agrawala provides a compelling rationale for this phenomenon. He stated, "Crude style in this period may have been due to the influx of wild tribes from Scythia in Ser-India, with their crude art canons" (Agrawala 1937: 63). Parallel to how this new cultural interaction shaped art, the evolution of clay art thrived on new forms due to shifts and progress in economic considerations.

S.K. Srivastava offers a similar idea in support of Agrawala's standpoint, but he also emphasises the demand of terracottas by natives. He stated, "The emergence of the Kushan tribe on the Indian political scene and the demand for their likeness in clay by the Indian people, in a limited period, might have forced

the artists to pay less attention to their perfections. It is also possible that the Kushan artists, being influenced by the contemporary lithic art, tried to imitate it in clay, creating thereby the crude figurines. Due to the huge demand for a new variety of objects, the artists could not get enough time to prepare clay properly, and they have unhesitatingly used a coarse type of clay." As a result of this, crudeness in clay art appeared (Srivastava 1996: 42-143). New cultural interaction between the native community and the Kushans shaped art; the evolution of clay art thrived on new forms due to shifts and progress in economic considerations.

Devangana Desai emphasises the demand as a relevant consideration; according to her, new inventions endured to be incorporated due to the rising demand, resulting in crudeness. She stated that "the appearance of a large number of crude and coarse terracottas during the Kushan period poses a problem to the social historian of art, as this was a period of great prosperity. Perhaps Kushan potters were sometimes preoccupied with the baking of bricks, tiles, and pots at the expense of terracottas. The experimentation required in the creation of the new images emerging in this period could also account for some of the more crudely made forms, and when potters had to meet the large demand for terracottas, they may have paid more attention to quantity than to quality" (Desai 1986: 39).

R.C. Sharma writes that the artists of the Kushan period have depicted their acquaintance with these wild tribes. He stated, "It may further be presumed that the potters of the age captured the wild, barbarous, and crude-looking foreigners in their products" (Sharma 2001:97). While discussing the foreign features of Kushan terracottas, Marghbandhu pointed out that, along with these terracottas, other objects of foreign origin of an unusual type might have been found. However, in the absence of such material anywhere else in India and in the Ganga Valley, the propositions of foreign influence remain mere conjecture (Marga Bandhu 1987: 420).

Vidula Jaiswal divided Kushan human figurines into two categories based on the specimens recovered at the Khairadih excavation: Kushan stylistic forms and non-stylistic forms. In her opinion, these foreign influences belong to the Kushan stylistic

category. She discussed the following characteristics of these stylised forms: larger specimens; differences in modelling skills between the two forms, with the archaic forms being distinct; and, finally, new and unique themes and postures. (Jayaswal 1991: 53-54)

All of the aforementioned perspectives offered different angles on the various factors that shaped Kushan terracotta art, enabling us to comprehend that while there was demand, which led to some technical flaws, there was also foreign influence, leading us to observe certain novel experiments in facial features that are not indigenous. This study explores a figurine that is aesthetically significant, one which is titled as *Headless female figurine sitting on a Mooda* (fig.1) is particularly noteworthy due to its form, function and iconography.

Terracotta Female Figurine from Mandoli

Mandoli is situated to the east of the Yamuna River near Nand Nagri, Delhi, approximately 14 km from Delhi Railway Station along the Delhi-Ghaziabad highway. The site was initially explored in 1980 by D.V. Sharma of the Archaeological Survey of India, who recovered Late Harappan pottery fragments there. Subsequently, B.S. Rajendra Babu from the state archaeological department carried out a thorough exploration and proposed that the site held significant archaeological potential. This led to two official excavations during the 1987-88 and 1988-89 field seasons. Although parts of the site were occupied by modern developments such as temples, cemeteries, and other structures, and it is now located within a densely urbanized area, the excavations revealed that the cultural sequence at Mandoli spans from the Late Harappan and Painted Grey Ware periods through to the Gupta period. Based on the artifacts found at Mandoli Mound, the excavator identified six distinct cultural phases.

- Period I: Late Harappan
- Period II: Painted Grey Ware
- Period III: Black Slip Ware
- Period IV: Sunga
- Period-V: Kushan
- Period VI: Gupta

Excavator posits that Mandoli was a thriving town in Period V, a time associated with the Kushans. This prosperity is evidenced by the structures and antiquities recovered from this level and other periods as well. A total of six female terracotta figurines were retrieved during the excavation; out of the six, four belong to the Kushan period, and the rest belong to periods III and IV. The study explores One pertinent figurine from period V. Although all of these figurines have aesthetic importance, this specific one (fig.1) stands out especially because of its design, purpose, and symbolism. The next section will describe its details and materialism of the figurine.

The figurine: A Woman Sitting on Moda

The right breast and hands of the figurine were fractured and missing, while a perforation was noted on the left breast. Additionally, the hands and palms displayed stylized grooving. A neckband with a groove pattern was also present. The figurine is shown seated with bent knees, and both feet, which are parted, resting on the ground. Jayaswal believes that this Kushana seated pose has generally been labelled as Bhadrasana (Jayaswal 57). The figurine torso is hollow but has solid hands and legs. The excavator described the artifact as a figurine seated on a moda; however, the line drawing included in the report depicts a hollow figurine. At first glance, it appears that this figurine is integrally attached to a pottery handle, reference of such Figurines can be made to the figurine discovered in Naurangabad, Haryana, where figurines affixed to the handles of Surai vessels from the Sunga period have been found. But noteworthy is that this particular specimen is crafted with pedestals, indicating that it is a freestanding three-dimensional figurine, similar to a specimen (a female terracotta figure seated on a stool with elaborate ornamentation) recovered from Kheradih in Ballia district, Uttar Pradesh (IA 1982-1983, Mukherjee 1990: 273). A hollow female figure from Taxila and Ahichhatra has been found. An additional feature not mentioned in the report is a slight depression on the right hand of the figurine, which may have served a functional purpose. This feature appears to be a decorative pattern or may hold some functional and ritual significance, which remains unknown.



Source: XLI & Fig-45 (Babu, 2024:102)

Discussion: Iconographic and Contextual Interpretations

The excavator of Mandoli initially categorized this site into four distinct periods in his earlier writings, consolidating the Sunga-Kushan material within the fourth period (Babu 1996-2006). However, in his subsequent comprehensive report, he delineated the site into six periods, with the Kushan period specifically designated as the fifth period, encompassing all the aforementioned terracottas (Babu 2024). This figurine and its characteristics are more or less similar to the figurines that have been found at different sites such as Atranjekhera, Ahichhatra, Ghosi, Khairadih the Ganga, Yamuna, and Sarasvati River valleys. There is wide acceptance that figurines should be viewed as multifaceted objects that require interpretation rather than merely description. However, the visual and emotional appeal of early historical figures is crucial for their comprehension. A comprehensive study of the figurine seeks to understand their diverse contexts and functions in society. However, detailed descriptive recordings may allow us to perceive objects from a new angle and perspective. Similarly, examining the context is essential. If we properly record and analyze the context, we may determine why a certain form was created, why technology was practiced, and how important that technology was. Is that a religious object? Is that item relevant to day-to-day living? Is that

object something else? To comprehend all of these aspects, context is indispensable. Contextual documentation reveals various new dimensions of even minor objects.

The artistic expression of the Kushan period is vividly illustrated by the figurine unearthed at Mandoli, providing valuable insights into the material culture of the period, including the adornments, postures, and expressions that were prevalent. This terracotta, titled *Woman Sitting on a Stool*, is significant, as it is one of the best representatives of hollow figurines reported so far from the period. This suggests two interpretations: either women are objectified as decorative miniature accessories or made for special performance and utility purposes by keeping their enduring position in religious and artistic representation in Kushan society. However, this interpretation in itself remains inadequate for a comprehensive understanding of its precise significance; a detailed examination of the iconographic elements is therefore essential and will be undertaken in the subsequent discussion. In our opinion, this terracotta challenges the Kushan period's crudeness and roughness because it exhibits magnificent artistry and exquisite craftsmanship.

The terracotta artifact in question raises the issue of whether the protrusion (which is described as cuplike by Jayawal in the case of the Khairadih seated male figurine and as a bowl in the case of the female figurine (Jayaswal 1991:57 & 66)) in her left hand indicates her status as a goddess. Is the projection we are seeing a Kalash or Purnakumbha? (A pot typically held by a goddess). In general criterion a significant amount of jewelry is required to classify a figurine as a goddess; in this case, it complicates our ability to definitively identify her as a goddess. This observation highlights the importance of ornamentation, as several mother goddesses, such as Vasudhara, reported from Mathura and Ahichchhatra from the same cultural strata, were heavily adorned. The torso of the Vasudhara figure yielded from Mathura provides sufficient details on the deity's characteristics, attire, and decorations; she may have a purnakumbha in her right hand, and the scarf and fish that are tied with a cord are being held in the left hand. To demonstrate that this figurine does not represent a mother goddess, we present another example of a male figurine from Khairadih that is nearly comparable. However, the

presence of a male specimen with similar features and characteristics does not negate the figurine's potential divinity. This observation, however, prompts a new inquiry: Is this idol a Yakshi? The criteria for identifying any figurine as a Yakshi include ornamentation, posture, and demeanor, where it again falls short of the ideal. The figurine under discussion does not possess any of these features. The figure is relatively simple with minimal ornamentation. Returning to the posture, various lithic and clay sculptures of male and females related to divinity from various Kushans provide ample examples of *Bhadrāsana* (a royal posture). In the lightly embellished seated posture of the Mandoli female, *Bhadrāsana* is replaced by a less formal seated position. The loose-hanging legs and overall composition are more relaxed and natural than those of the *Bhadrāsana* models. It is a vital mention in the context of Kushan, as it is well documented that the Kushan period was characterized by significant urbanization, leading to a high demand for terracotta figures in Nagarika households. As a result, both mother goddesses and common women from this period might have been shown adorned with intricate jewelry. In Jasywal observations, emphasize that such figurine portrays a middle-aged woman; she is not young due to the absence of a face, minimal ornamentation, and the scarcity of similar specimens from specific contexts.

We shall now proceed to identify the precise visual representation in question and undertake a more rigorous iconographic analysis, situating it within its material, stylistic, and symbolic contexts in order to elucidate its underlying meanings and cultural significance. Bhuvana Vikrama has presented a notably productive analysis of these seated terracotta figurines. He attracted our attention to the very important point that these figurines are an Indianized equivalent of Kushan goddess Ardoxsho. Vikrama described these figures by citing Huntington as he stated that “this pot-based female image, characterized by a rigidly upright posture, the left hand holding a cup, and the right grasping a banana-shaped object, warrants particular attention (Vikrama, 2013: 66).

Now questions arise who's this Ardoxsho and how these foreign deity came into Indian cultural and artistic domain. As we know that these particular figurines belong to the Kushan Period,

and kushan were an intermediary force that facilitated religious, cultural, and artistic contacts between Central Asia, Iran, and the Indian subcontinent, the Kushan played a significant role. The Kushan pantheon, which featured gods with Iranian, Hellenistic, and Indian roots is among the most fascinating illustrations of this cultural interplay. Among these figures, Ardokhsho is particularly noteworthy as a goddess whose symbolism and characteristics demonstrate a complex evolution, transitioning from an abstract Iranian notion of fortune to a concrete, anthropomorphic goddess deeply rooted in South Asian religious traditions. Let first examine who was the Ardoxsho, she is Bactrian-Iranian deity of Abundance and Prosperity and also considers as a local divinity, mentioned of her found in Manichaean Persian text M 2. The local character of Ardoxsho is confirmed by the place-name Bagarda, mentioned by Ptolemy (VI. 18.5) in the description of the Paropamisadae (Harmatta et al., 1996: 317). Ardoxsho can be identified with the Avestan goddess Ardivi who, according to the *Ardivisūr Yašt* bestows the highest royal power over all lands to her worshippers. (Harmatta, 1960: 198, as cited in Harmatta et al., 1994). In the Kushan Empire's religious and artistic momentarily, Ardokhsho occupies a significant position. Originating from an Iranian idea of fortune and prosperity, Ardokhsho gradually integrated into the South Asian religious context, experiencing significant changes in both iconography and meaning (Rosenfield 1967). The depictions of Ardokhsho are most consistently and thoroughly recorded on Kushan coins, particularly from the reigns of Kanishka I and his successors. On these coins, Ardokhsho is illustrated as a female figure standing, either viewed from the front or at a three-quarter angle, frequently holding a cornucopia, which unmistakably represents abundance and prosperity (Rosenfield 1967).

The iconographic elements associated with Ardokhsho in Kushan art exhibit remarkable consistency. Prominent features include the cornucopia, which stands for prosperity and abundance; flowing drapery that reflects Hellenistic artistic styles; and a frontal stance that conveys both divine authority and approachability. In certain terracotta and sculptural depictions, Ardokhsho is portrayed seated, a position that deeply connects with Indian goddess traditions linked to fertility and auspiciousness in domestic life. This seated representation

anticipates the later iconography of South Asian goddesses and marks the onset of their Indianization (Huntington 1985). Ardoxsho is also associated with representation of tutelary couples, often labelled as Pharro and Ardoxsho or Pāñcika-Hārīti (and later transformed into Śrī-Lakṣmī's). Doris Meth Srinivasan has shown the process of transformation from Ardoxsho to Śrī-Lakṣmī's, she stated that "Conversely, Śrī-Lakṣmī attracted those foreign attributes which resonated well with her nature; foremost is the cornucopia carried by Ardoxsho and Tyche (Srinivasan 2010: 86). Srinivasan points out that "as result of the north-western assimilation process is that transitional figures develop – sometimes showing more of Śrī-Lakṣmī's qualities, sometimes more of Ardoxsho's. Such a transitional figure can hold both a lotus and a cornucopia; specific identity depends on additional factors.(Srinivasan, 2010:86). Migration and Conquest shaped and impacted the religious and artistic delight of Kushan in this vast geography, as Di Castro emphasizes that emblems such as crowns and horns, which are traditionally associated with divine authority and cosmic strength in the contexts of Iran and Central Asia, were not only preserved but also reinterpreted when related to female deities like Ardoxsho. He subtly endorses the perspective that Ardoxsho acted as a mediating figure, linking the imperial Kushan ideology with regional religious sentiments. The symbols associated with her conveyed ideas of legitimacy, prosperity, and divine approval, closely aligning her with the notion of Kushan kingship, as evidenced by numismatic and sculptural artifacts. Castro stated that "the convergence of factors such as migrations, conquests, and trade contacts contributed to the transmission of symbols and the consequential appropriation and transformation in religious imagery"(Di Castro 2017:25). He further suggested that "around the fourth century CE Ardoksho became the model used on Gupta coins which depicted Lakṣmī with cornucopia, either standing, or sitting on a throne, or a lion" (Di Castro 2017:43).

Vikrama described these figures by citing Huntington as he stated that "this pot-based female image, characterized by a rigidly upright posture, the left hand holding a cup, and the right grasping a banana-shaped object, warrants particular attention. According to his interpretation, this specific configuration of iconographic elements suggests an indigenous conceptual parallel to the kushan

Goddess Ardoxsho of the Greco-Bactrian and Gandharan artistic milieu. The comparison is especially compelling given the symbolic associations of prosperity, abundance, and auspiciousness that are embedded in both visual traditions. Vikrama's observation contributes to ongoing discussions regarding cross-cultural artistic transmissions and the localization of foreign iconographic motifs within early historic Indian terracotta art. (Vikrama, 2013: 66). Bachhofer posited that these small figures represented Iranian deities worshiped as a response by the Kushans to the dominant religious influence from India, illustrated by the Pāñcika-Hāriti groups, suggesting that the Kushans favored their own deities of prosperity. This is undoubtedly the primary example where images on Kushan coins can be directly associated with numerous religious sculptures. J.M. Rosenfield has argued that Bachhofer's claim regarding the Kushan preference for these deities is undermined by various factors: firstly, there is substantial evidence showcasing the Kushans' active identification with Indian Pāñcika specifically; secondly, a figure that resembles PHARRO appears as Kubera-Vaiśravaṇa, the leader of the Four Guardian Kings, in a scene depicting the donation of four bowls to the Buddha, which was unknown during Bachhofer's time. Instead of being solely worshipped by the Kushans, it is more probable that PHARRO and ARDOXSHO were influenced by the syncretic environment of that era and associated with their Indian counterparts.

Based on their research on the Ghosi terracotta, Rai & Others proposed that approximately 80% of the fragmented terracotta figurines from Ghosi appear to be of the goddess Ardoxsho. It is a question worth considering that if so many terracotta figurines were found within a 3x3 meter area of an 86-acre archaeological site during a chance discovery, how many more might be present throughout the entire site? This raises the question of their purpose. As it is known that most of these figurines represent the goddess Ardoxsho, it is clear that people from other sects must have opposed the original form of this Greek goddess, and these figurines were collected and thrown into this particular spot. As we know, after the Kushan period, the Gupta period generally supported all contemporary sects, primarily patronizing Vaishnavism and Shaivism. Therefore, it is possible

that with the changing power dynamics, the religious customs and deities of the previously established foreign dynasty were also altered to some extent, and these terracotta figurines are a possible result of this (Rai et.al 2018, 176).

Although this figurine exhibits a certain formal deviations from previously documented representation of Ardoxsho from the site of Gangetic valley, however its overall morphology and iconographic attributes remains consistently with the identified visual repertoire mainly depiction on numismatic evidence of early and late kushan kings. Owing to its fragmented condition, a definitive identification is difficult. Nevertheless when assessed in conjunction with associated archaeological evidence most notably numismatic evidence of various regions and belonging to the reign of different kings and other materials unearthed from the Kushan level of Mandoli and other sites of revealing Kushan strata. The analysis of the present terracotta figure further underscores the methodological necessity of exercising highlighted attention to the immediate Spatial context of unearthing during the course of excavations. Particular emphasis should be paid to the close proximity of find spots and systematic and thorough collection of all associated fragmented elements and material encountered in around the depositional matrix, later at interpretation stage such fragments, though often overlooked due to their incomplete and disinfected nature, may subsequently offer a critical and crucial basis for the accurate identification, reconstruction and iconographic study of object. For instance in personal communication Dr. Vikrama informed he found various disarticulated pieces during the Ahichchhatra excavation in association of terracotta figurines, including fragments recognizable as a cornucopia, parts of a crown, and a hand. The discovery of these minor and broken, yet diagnostically important items emphasizes the interpretive significance of fragmentary materials and underscores the necessity of careful contextual documentation during field investigations.

Reference

- Agrawala, V.S., 1937, "Terracottas from Ghosi", Journal of the U. P. Historical Society Vol. IX.
- Agrawala, V.S., 1947-48, "The Terracotta Figurines of Ahichchhatra", Ancient India, No. 4.
- Babu, B.S.R., 1994-95, "Excavation of Bhogarh" Puratattva, Journal of Archaeological Society of India Volume 25.
- Babu, B.S.R., 1996, "Mandoli A Late Harappan Settlement in Delhi" in Spectrum of Indian Culture (Professor S.B. Deo Felicitation) edited by C. Margabandhu and K.S.Ramachandran, Delhi: Agam Kala Prakashan.
- Babu, B.S.R., 2024, Mandoli-Proto-Historic and Early Historic Site in East Delhi, Delhi: Department of Archaeology, Government of NCT.
- Bala, Annu and Rajpal, 2016, "Sungakalin Marnamurtiya: Haryana ke Sandarbha me ek Adhiyan" Review of Research, Vol. 8, Issue 3.
- Banerji, Arundhati, 2020, "Terracottas (from the Earliest Times to C. AD 1300)" Sculpture Painting Terracotta, Performing Arts and Architecture, edited by Dilip Kumar Chakrabarti, Vivekananda International Foundation, Delhi: Aryan Books International.
- Dhavlikar, M.K., 1977, Masterpiece of Indian Terracottas, Rusi Jal Taraporevala.
- Desai, Devangana, 1986, "The Social Milieu of Ancient Indian Terracottas, 600 B.C. – 600 A.D." in From Indian Earth, 4000 years of Terracotta Art, Catalogue of the India Exhibition at the Brooklyn Museum, (edited by A. G. Poster), New York: Brooklyn Museum.
- Desai, Devangana, 1983, "Terracottas and Urban Culture of Ancient India (circa 600 B.C.– A.D. 600)", Proceedings of the Indian History Congress.
- Dasgupta. C.C., 1961, Origin and Evolution of Indian Clay Sculpture, Calcutta: Culcutta University Press.
- Di Castro, A. A. (2017). Crowns, horns and goddesses: Appropriation of symbols in Gandhāra and beyond. In J. B.

- Bapat & I. Mabbett (Eds.), *Conceiving the goddess: Transformation and appropriation in Indic religions* (Chap. 2). Monash University Publishing.
- Ghosh, Baishali, 2003, "Technique, Time and Form in Ancient Indian Terracotta Sculptures", *Towards New Art History Studies in Indian an Essays presented (honour of Prof. Ratan Parimoo)*, edited by Shivaji K Panikkar, New Delhi: D.K. Printworld (P) Ltd.
- Harmatta, J. (Ed.). (1994). *History of civilizations of Central Asia* (Vol. 2, The development of sedentary and nomadic civilizations: 700 B.C. to A.D. 250). UNESCO Publishing.
- Huntington, J.C., *A visual survey of the Bactro-Gandharan goddess Ardox[ch]sho and related images* [PowerPoint slides]. The Huntington Archive, The Ohio State University. <https://huntingtonarchive.org>
- Indian Archaeological Review-1982-1983*, Archaeological Survey of India.
- Jayaswal, Vidula, 1991, *Kushana Clay Art of Ganga Plains: A Case Study of Human Forms From Khairadih*, Delhi: Agam Kala Prakashan.
- Kala, S.C., 1950, *Terracotta Figurines From Kauśāmbi*, Allahabad: The Municipal Museum, Allahabad.
- Lesure, Richard G., 2011, *Interpreting Ancient Figurines: Context, Comparison, and Prehistoric Art*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Margabandhu, C., 1987, "Kushana Terracottas from Ganga Valley-A Chronological and Cultural Study of the So-called Foreign Ethnic Types", *Kusumanjali: New Interpretation of Indian Art and Culture*, C. Sivaramamurti Commemoration Volume Vol. II, edited by M.S Nagaraja Rao, Delhi: Agam kala Prakashan.
- Mukherjee, Samir Kumar, 1999, "Terracotta Figurines of the Kushāṇa Period in the Gangetic Valley: A Study Based on Stratigraphic Evidence from Excavation", *Historical Archaeology of India: A Dialogue Between Archaeologist and Historians* edited by Amita Ray and Samir Mukherjee, New Delhi: Books & Books.

- Kramrisch, Stell 1939, “Indian Terracottas”, Journal of The Indian Society of Oriental Art.
- Rosenfield, J. M. (1967). The dynastic arts of the Kushans. University of California Press.
- Rai, U., Kumar, A., & Tiwari, S. K. (2018). घोसी : कुषाणकालीन मृण्मूर्तियों का देवी अर्दोक्षो से तादात्म्य [Ghosi: Identification of Kushan terracotta figurines with the goddess Ardoksho]. In A. K. Sharma & P. K. Singh (Eds.), *Purāmanthana (Current advances in Indian archaeology)* (No. 9). B.R. Publishing Corporation.
- Srivastava, S.K., 1996, Terracotta Art in Northern India, Delhi, Parimal Publications.
- Sharma, R.C., 2001, “Early North Indian Terracottas”, Indian Museum Bulletin, Kolkata
- Srinivasan, D. M. (2010). Śrī-Lakṣmī in early art: Incorporating the north-western evidence. *South Asian Studies*, 26(1), 77–95. <https://doi.org/10.1080/02666030.2010.486108>
- Sharma, D.P., 2022, South Asian Terracottas Through the Ages: Sunga, Kushan, Satavahana Period (c. 185 B.C. 200 B.C.), Delhi: B.R. Publishing Corporation.
- Vikrama. (2013). Expression of Art at Ahichhatra: Panchala Maha Utsav—A tribute to the rich cultural heritage of auspicious Panchala Deśa and its brave princess Draupadī: A report of the proceedings of programs from 15–19 December 2013 at Dilli Haat and India International Center

Ecological History of the Endangered Tribe of *Dhimal* (Colonial and Post-colonial period)

Dr. Bhaskar Roy

Assistant Professor in Ancient Indian and World History, West Bengal Education Service, Group-A, Presently posted as Assistant Professor, Department of History, Bidhannagar College, EB-2, Sector-I, Salt Lake City, Kolkata-700064, Govt. of West Bengal.

Abstract:

The scarcity of historical resources is a major challenge in writing the environmental or ecological history of the Dhimals, an indigenous tribe living in Nepal, Bengal and Assam since ancient times. Ancient Indian mythological stories, regional literature, archaeological resources and other socio-religious references do not mention the Dhimals. The British began to study and write about this tribe for administrative purposes. These studies remain the primary historical sources for understanding the identity and history of the Dhimals, despite producing some exaggerated and controversial views of the community. After Independence, several scholars have studied the Dhimal society and culture from various perspectives, revealing the socio-religious aspects of the Dhimals. This paper focuses on the importance of ecology in Dhimal society and on why the Dhimals depend more on traditional beliefs and natural resources than on modern technologies or projects launched by the authorities. Identity, ecological history, and the impact of conservatism on the acceptance of modern or new ideas by the Dhimals are also discussed. The author of this paper has also visited several habitats and interacted with some Dhimal people to collect information.

Keywords: *Dhimal, Identity, Ecology, Endangered.*

“They are intelligent, docile, free from all hard or obstructive prejudices, honest and truthful in deed and word, steady and industrious in their own way of life; but apt to be mutable and idle when first placed in novel situations, and to resist injunctions, injudiciously urged, with dogged obstinacy.”

B. H. Hodgson.¹

The above statement by B. H. Hodgson, a British officer, in 1847 CE, reveals the two-fold characteristics of the Dhimals, who have been living in Nepal, Bengal and Assam since ancient times. First is social reputation, and the other is a '*novel situation*'. B. H. Hodgson, based on the opinion of Major Jenkins, Commissioner of Assam, mentions that the people of Dhimals were free from '*arrogance, revenge, cruelty and fierce*', which were not suitable criteria for employing Dhimals in the military or any other adventurous activities provided by the British-Indian Government during the colonial period.² Although some British officials claimed that the Dhimals were unfit for any adventurous activity, they were experts at living in adverse agro-climatic and ecological conditions, with a great respect for nature and the environment. The intense relationship with nature had blossomed in the lives of the Dhimals.

The Dhimals have been living in Bengal, Assam and Nepal since ancient times. Still, they are now found at Hatighisa and Maniram Gram Panchayet, under the Naxalbari Police Station of the Darjeeling district in West Bengal. The Dhimals are also found sporadically in various parts of the Dooars, and some of them have merged with the non-Dhimal society or have been unable to maintain their identity, culture, and beliefs. Although the Dhimals lived in this region since ancient times, their history and culture were first officially recorded by the British. Even the records of the Islamic period and ancient Indian literature do not mention the culture and history of the Dhimals. The scarcity of historical sources from early medieval times has been a significant challenge for scholars in writing the history of the Dhimals. Some British scholars and officials, such as Francis Hamilton Buchanan, Hodgson, Dalton, Risley and O'Malley, have been pioneers in unveiling *Dhimal* history. Although their research yielded exaggerated and controversial views, these assessments are the most reliable for studying the identity and history of the Dhimals because they closely observed *Dhimal* culture and society during colonial rule for administrative purposes. After independence, various scholars, including Suniti Kumar Chatterji, Rishikesh Raj Regmi, Mrityunjay Maitra, Ichhimuddin Sarkar, Ashok Gangopadhyay, Subir Biswas, Sekhar Bandyopadhyay, Tarapada Bandyopadhyay and Biswajit Roy, have studied *Dhimal* society

and culture from different perspectives. As this indigenous tribe has been scattered across Bengal, Nepal and Assam, these studies have also revealed several distinct regional characteristics of their society, culture and history. Their survival skills are closely associated with nature and the environment, revealing an intense and prominent relationship with all ecological resources.

Linguistic, ethnological and anthropological studies have revealed the multifaceted character of the *Dhimal*, elucidating their socio-cultural identity and the evolution of society. Suniti Kumar Chatterji, based on linguistic analysis, mentions that the *Dhimal* language belongs to the Tibeto-Burman group, especially the eastern ‘*pronominalised*’ Himalayan dialect of the Tibeto-Burman.³ Biswajit Roy, based on his field studies, argued that the name *Dhimal* was given to them by their neighbouring tribe, the Meches. The term *Dhimal* originated from the *Mech* term *Daimalao*. In the *Mech* language, the word *Daimalao* is a combination of three *Mech* words: *Dai* (water), *Ma* (large water reservoir) and *Lao* (clean). It indicates that the Dhimals have established their residential settlements near large freshwater bodies, such as rivers, ponds and other natural water bodies.⁴ Rishikeshab Raj Regmi, in his book ‘*The Dhimals: Miraculous Migrants of the Himal*’, uses the term ‘*Himal*’ to refer to the *Dhimal* habitats that develop in the Himalayan Dooars. Regmi categorically uses *Himal* to understand the Dhimals, which means that both the words, *Himal* and *Dhimal*, denote the same meaning.⁵ John King mentions that the root of *Dhimal* derives from the Sanskrit-based term *Himal*, meaning ‘*place of snow*’, and *Dhekokpa*. According to Nepalese mythology, *Dhekokpa* was the ancestor of the Dhimals who lived in the lowlands. The word *Dhemal* or *Dhimal* is composed of the two words *Dhe* (the first part of the word *Dhekokpa*) and *mal* (the last part of the word *Himal*).⁶

Hodgson mentions that ‘*the Dhimals, who seem fast passing away as a separate race, and whose numbers do not now exceed 15,000 souls, are at present confined to that portion of the Saul forest, lying between the Konki and the Dhorla or Torsha, mixed with the Bodo, but in separate villages and without intermarriage.*’⁷ Francis Hamilton, in his book *An Account of the Kingdom of Nepal*, mentions that the *Mech* and Dhimals were

living in the eastern part of Kamarupa or Rangpur.⁸ The Dhimals have been residing in various parts of this region since ancient times, and their habitat is now confined to a few areas in Nepal and India (Hatighisa and Patiram Gram Panchayat of Darjeeling District), where they are constantly striving to preserve their beliefs and traditions.⁹ The author of this paper has also visited some *Dhimal* territories and interacted with many *Dhimal* to collect information.

The Dhimals preferred to settle in various corners of the extensive territory from Assam to Nepal, which is ecologically rich and easily accessible. Rivers, ponds, lakes, mountains, valleys, abandoned fruit or vegetables, a variety of domestic or wild animals, and vast cultivable lands are the principal requirements for their settlement. According to the records, this semi-nomadic tribe lived in a particular region for two to four years for agricultural purposes and then left the area to allow natural fertility to restore. They built their houses from bamboo, wood, grass and other forest materials and did not have proper doors or windows. Sometimes their huts did not protect them from heavy rain, scorching heat and wild animals. However, this clan-based tribe lived in groups to protect against natural hazards and to maintain their traditions and beliefs.

The religion of the Dhimals is closely associated with nature and the environment. Hodgson explains that the religion of the *Dhimal* is '*the religion of Nature*' or '*the natural religion of Man*'. It defines two characteristics of the *Dhimal* religion. First, they worshipped various elements of nature to protect their society and culture. Their religious rituals and festivals were developed to appease the deities and protect society from evil spirits and natural calamities. Second, religion is for people, '*no sanctions to barbarian rites, nor does it hamper the commerce of life with tedious, inane ceremonial observations*'.¹⁰ The religious rites and rituals of the *Dhimal* included offerings, sacrifices and prayers. These rituals and modes of worship were developed to appease the almighty and to obtain the gods' blessing to protect people, animals, crops and society from drought, the wrath of diseases, murrain, blight or the ravages of jungle animals. The offering consisted of milk, honey, rice, eggs, flowers, fruits, ducks, pigeons, etc. *Dhimal* society believes that all diseases are

attributed to supernatural powers. The pain is the outcome of the sins as punishment. In the *Dhimal* society, the post of exorcist controller is called *Ojha*, who deals not only with mantras but also with more than thirteen leaves and various food grains. Hodgson mentions thirteen deities, such as *Pochima or Warang, Timai or Berang, Lakhim, Konoksiri, Menchi, Chima, Danto, Chadung, Aphoi, Biphoi, Andheman (Aphun), Tatopatia (Baphun)* and *Shuti*.¹¹ The Dhimals celebrated certain festivals related to nature and the environment with great respect and honour. In December and January, the cotton harvest was ready, and the religious ceremony associated with it was called *Harijata*. The second important festival, *Gavi Puja*, is celebrated in July-August. Although *Gavi* means cow, the festival is associated with paddy cultivation and crop harvesting from the land. The third festival is the *Pashima Paka*, celebrated in October in coastal regions along any river to protect society from cholera and other heinous diseases. All these festivals have elemental deities sacred to agricultural work. Dhimals do not believe in classification and caste systems. Anyone from their community can be ordained as a religious saint and is known as a *Dhami*.¹² However, the society of Dhimals, based on their marriage system, is divided into three classes: *Agnia, Laater* and *Dungia*. Inter-caste marriage is extremely prohibited among all these castes. The *Agnia* Dhimals are superior to the other two classes.¹³

After forty years of Hodgson, H.H. Risley observed that the gradual influence of Bengali or Hindu culture had been distinctly noticeable among the Dhimals, which had a dual impact on the social development and evolution of the Dhimals. *Dhimal* society had been gradually adopting the customs and rituals of Hinduism and following the worship of *Gopal Thakur* (a form of lord *Krishna*), *Chaitanya, Nityananda, Salagramashila, Tulsi*, etc. (Table-I), which added a new cultural wing to the *Dhimal* society and enabled the *Dhimal* people to adapt with several new ideas, customs and beliefs during the colonial and post-colonial period. This influence had a ruinous effect on many traditional customs and beliefs of the Dhimals. After forty years, the popular river deities noted by Hodgson had lost their popularity due to several new deities, such as *Kali, Bisahari, Manasa, Bura Thakur, Mahamai*, and several divine figures of Hinduism. Some deities of

neighbouring communities had been incorporated into the religious fold of the *Dhimai* society (Table-I).¹⁴

Table-I

Gods and Goddesses, Especially Related to Nature and the Environment		Principal Religious Celebration, Especially Related to Nature and the Environment
Gods & Goddesses before the influences of Hindu	The Hindu deities or adopted deities in the religious fold of the Dhimals	• In December-January, the cotton harvest is ready and the religious ceremony associated with it is called Harijata. • The second important festival called Gavi Puja is celebrated in the month of July-August. Although Gavi means cow, this festival is associated with paddy cultivation and harvesting of paddy from the land. • The third festival is the Pashima Paka celebrated in October in coastal regions of any river to protect the society from cholera and other heinous diseases. • All these festivals have elemental deities sacred to agricultural work.
• Pochima: Dharala River (father of the gods). • Timai or Timang: Tista River (mother of the gods). • Lakhim: Mahananda River (sister of Timai). • Chima: Kosi River (sister of Timai). • Konakchiri: feeder of Konki River. • Kangkai: river Konki. • Menchi: river Mechi. • Sonasi: Soran river. • Bonasi: The Boas or Doars. • Dhulpi: Dubelly River. • Chadung: The Rajah or king (son of Timai). • Aphoi: The Rajah or King (son of Timai). • Biphoi: The Rajah or King (son of Timai). • Aphum: The Rajah or King (son of Timai). • Kaphum: The Rajah or King (son of Timai). • Baphum: The Rajah or King (son of Timai).	Kamakhya, Laxmi, Yama, Kuber, Durga, Kali, Gopal Thakur (a form of lord Krishna), Chaitanya, Nityananda, Salagramashila, Tulsi, Bisahari, Manasa, Bura Thakur, Mahamai, etc.	

• Shuti: The Rajah or King (son of Timai). • Tairung & Turung: Sons of Biphoi. • All wives of the 7 sons of Timai are treated as deities. They are: Hili Mahadoi, Khunchi Mahadoi, Khili Mahadoi, Airi Mahadoi, Birti Mahadoi, Nilo Mahadoi, Kalo Mahadoi. • Bela: the Sun. Tali: the Moon. • Bhagoi: the Earth. • Singo: the god of forest. • Ra Ko Dir: the mountain god. • Chambochiri: the Champamati River. • Davai Chiri: a river. • Phul Chiri: a river. • Raval Chiri: a river etc. • Sasung: Spirits or sickness, death or other calamities, etc.		
---	--	--

In his 1847 CE observations, Hodgson notes that this was a period of economic transition among the Dhimals, as they shifted from a nomadic or hunter-gatherer life to an agricultural community, passing through what he calls the '*agricultural grade of social progress*'. However, they did not completely change their cultivation practices; instead, Hodgson describes them as semi-nomadic cultivators.¹⁵ They changed their agricultural plots every two years and cultivated this land for four to six years. They left the land for some years to allow natural fertility to recover. They also cleared forest land for cultivation.¹⁶ About the agriculture of the Dhimals, Major Jenkins mentions that '*they are a remarkably fine peasantry and have superior cultivation of the permanent kind*'.¹⁷ H. H. Risley mentions that the *jhum* cultivation or the semi-nomadic life of the Dhimals was '*curtailed by the development of forest conservancy*' and was actively engaged in cultivation using the plough. Agriculture, fishing and cattle rearing became their principal professions.¹⁸

Both men and women are actively engaged in various economic activities. As agriculture is the main pillar of the economy, most of the males are experts in agriculture and its

related activities. Besides household activities, women are also experts in spinning, weaving, and dyeing cloth. The principal tools are the axe for cutting forest trees, the bill or bill-hook for cutting wood and digging the earth, the spade for digging, and the dipole for sowing seeds. The axe is called *Duphe*, a bill or bill-hook is called *Ghongoi*, and the spade is called *Kodal* by the Dhimals (Table-II). While the Bengali months *Chaitra*, *Baisakh* and *Jyestha* are used for preparing and sowing, *Sraban*, *Bhadra*, *Aswin* and *Kartik* are exclusively used for harvesting crops from the land.

Table-II

Dhimals Settlements Found from Ancient Times	Dhimals Settlements Found at Present	Principal Professions	Crops	Agricultural Tools	Basic Features of their Household life
Different corners of Bengal, Assam and Nepal Doars.	Hatighisa and Patiram Gram Panchayet of Darjeeling District of West Bengal and a few areas in Nepal.	Agriculture, Hunting, Fishing, Spinning, Weaving etc.	Louka (bottle gourd), Khira (cucumber), Karela (bitter gourd), Sem (beans), Mattar (peas), Bengan (brinjal), Chichinga (snake gourd), Yam (barely), haldi (turmeric), Adrak (ginger), Red Peppers, Marwa (a kind of barley), Kulthi (a pulse or beulidal), Urid (a pulse or Urad dal, Tori or Sarsun or Til (mustard seed), etc.	Duphe (an Axe), Ghongoi (bill or bill-hook), Kodal (spade), Dhumsi (a dibble) etc.	• They eat the flesh of cow, goats, ducks, pigeons, hens, water tortoises, mongooses, porcupines, hares, wild hogs, wild buffaloes, and all sorts of fishes etc. • The Dhimals are experts in making liquor by rice, millet and other natural ingredients. • Dhimals were free from 'arrogance, revenge, cruelty and fierce'. • 'They are void of all violence towards their own people or towards their neighbours, and though very shy of strangers, are tractable and pleasant when got at, if kindly and cheerfully drawn out'.

The *Dhimal* people live a simple life, welcoming outsiders into their territory and prioritising the preservation of their

traditions and beliefs. The *Dhimal* community was divided into various categories due to the influence of non-*Dhimal* people, leading to cultural diversity. According to H. H. Risley, '*they have no traditions of their own, and look upon themselves as the original inhabitants of the tract of country where they are now settled*'.¹⁹ Hodgson mentions that they lived in the forest and its surrounding areas, with sixty to forty houses, and constantly shifted their habitats for economic reasons. Another officer of the village was *Gra* or *Mondal*, who fixed the tax after assessing their income. *Choudhuri* was another *Dhimal* officer responsible for collecting the village's revenue and serving as the King's representative. All these Choudhuries served under the King of Sikkim until 1850 CE, but British India took charge of all these *Dhimal* villages during the colonial period.²⁰

The Dhimals are an endangered tribe in India whose intense relationship with nature and the environment depicts the various dimensions and features of the ecological history of this region. Although the ecological history, especially the importance and impact of the ecology in the *Dhimal* society, is still not studied or evaluated, this study reveals both the ecological entity of the *Dhimal* society and enables the future generation to be aware of the environmental balance of this territory, which guided the course of the sustainable development and helped to avoid several natural hazards, as it is the earthquake, heavy rainfall, flood-prone zone etc.

References:

1. Hodgson, B. H., (1847). *Essay the First on the Kocch, Bodo and Dhimal Tribes*, Baptist Mission Press, Calcutta, pp.190-91.
2. Hodgson, B. H., op.cit., p.191
3. Chatterji, Suniti Kumar, (2018). *Kirata-Jana-Krti*, The Asiatic Society, Kolkata, p.22.
4. Biswajit Roy, (2015). *Dhimal Bhasa o Sahitya: Ekti Samikhya* (Bengali), A Thesis Submitted to the University of North Bengal for the Degree of Doctor of Philosophy (Arts), p.11.
5. Regmi, Rishikeshab Raj, (1991). *The Dhimals: Miraculous Migrants of Himat: An Anthropological Study of a Nepalese Ethnic Group*, Nirala Publications, New Delhi, p.145.

6. King, John, (1994). *Picking up Where Hodgson Left Off: Further Notes on Dhimal*, Linguistic of the Tibeto-Burman Area, Volume 17.2-Fall, p.121, fn.
7. Hodgson, B. H., *op.cit.*, p.151.
8. Buchanan, Francis Hamilton, (1819). *An Account of the Kingdom of Nepal*, Archibald Constable and Company, London, p.119.
9. Biswas, Subir, (2008). *The Dhimals-A Little Known Tribal Group of Sub-Himalayan West Bengal: Historical Perspectives*, Stud Tribes Tribals, 6(2):117-121(2008), pp.117-121.
10. Hodgson, B. H., *op.cit.*, pp.161-162.
11. *Ibid*, pp.170-171.
12. *Ibid*, p.171; Gangopadhyay, Ashok, (2003). *Uttarbango Parichoy* (Bengali), Granthtirtha, Kolkata, p.83.
13. Risley, H.H., (1891). *The Tribes and Castes of Bengal, Vol.I*, The Bengal Secretariat press, Calcutta, p.225.
14. Risley, H.H., *op.cit.*, p.227.
15. Hodgson, B. H., *op.cit.*, p.154.
16. *Ibid*.
17. Hodgson, B. H., *op.cit.*, p.156.
18. Risley, H.H., *op.cit.*, p.228.
19. *Ibid*, p.225.
20. Hodgson, B. H., *op.cit.*, pp.158-159; Gangopadhyay, Ashok, *op.cit.*, p.83.

The Sainly Queen Ahilyabai Holkar: An Icon of Benevolence, Administration and Cultural Revival

Dr. Keshav Patel

*Assistant Professor, Department of Journalism, Kalindi College,
University of Delhi, Bharat*

Dr. Shabeena Shaikh

*Assistant Professor, Department of History, Deshbandhu college,
University of Delhi, Bharat*

Dr. Ram Sarik Gupta

*Assistant Professor, Department of History, Kalindi College,
University of Delhi, Bharat*

Abstract

Queen Ahilyabai Holkar (1725–1795), a distinguished ruler of Malwa in the 18th century, is celebrated for her exemplary leadership, characterized by wisdom, justice, and spirituality (Sen, 2006). Her reign marked a pivotal era of governance, cultural restoration, and social reform. This research article explores her visionary leadership, focusing on her administrative acumen, her contributions to India's architectural and cultural heritage, and her unwavering commitment to the welfare of her people. Through a detailed examination of historical texts and scholarly analyses, this study highlights how Ahilyabai Holkar effectively bridged governance and spirituality, establishing herself as a legendary ruler whose legacy continues to resonate in Indian history.

Her transformative leadership, which combined justice, social welfare, and cultural renaissance, contributed significantly to the region's political stability and prosperity. As a patron of architecture and the arts, Ahilyabai initiated the construction of numerous temples and public works, thereby revitalizing the cultural landscape of Malwa. This research delves into her

multifaceted contributions, emphasizing her role as a pioneering figure in administration, benevolence, and cultural revival.

Furthermore, this article examines the enduring influence of Ahilyabai's leadership model, which not only enhanced the economic stability of her kingdom but also inspired future generations of rulers to prioritize the welfare of their subjects and embrace cultural patronage. Her legacy serves as a powerful testament to the impact of compassionate leadership, illustrating how the integration of culture, spirituality, and governance can lead to holistic development within a society. Additionally, Ahilyabai Holkar's commitment to education and the arts further strengthened her position as a transformative leader who fostered an environment where knowledge and creativity thrived.

The objective of this study is to explore the unique synthesis of governance, culture, and spirituality in Ahilyabai Holkar's leadership, offering valuable insights into the potential of empathetic and culturally engaged governance in contemporary societies. This research aims to illuminate her lasting impact and to provide a framework for modern leaders seeking to integrate cultural and social welfare into their governance models.

Keywords- *Ahilyabai Holkar, benevolence, administration, cultural revival, Holkar Dynasty.*

Introduction

The history of India is rich with leaders whose resilience, foresight, and compassion have left an indelible mark on the nation's cultural and political landscape. Among these exceptional figures, Ahilyabai Holkar stands out as an embodiment of moral integrity and administrative prowess. Her reign, which spanned the 18th century, witnessed the transformation of Malwa into a prosperous and culturally vibrant region (Sen, 2006). Ahilyabai's ascension to power came under complex and challenging circumstances, yet she not only navigated these obstacles but also led with unparalleled vision and wisdom (Snodgrass, 2019).

What makes Ahilyabai's governance particularly remarkable is that it transcended mere transactional leadership. She viewed rulership as a moral duty, deeply rooted in the principles of dharma, which guided her actions and

decisions(Snodgrass, 2019). As a ruler, she upheld justice and social welfare as core tenets of her administration. Furthermore, her reign fostered an environment that allowed the arts, architecture, and spirituality to flourish, contributing to a cultural renaissance that revitalized Malwa. Her patronage of temples, educational institutions, and public works cemented her legacy as a beacon of benevolent governance and cultural revival.

This study aims to offer a comprehensive understanding of Ahilyabai Holkar's leadership by delving into several key aspects of her rule. Drawing from historical texts and scholarly analyses(Javlekar, 2002), the research will explore how Ahilyabai's leadership was not simply an exercise in political administration but a holistic approach to governance that integrated cultural, social, and spiritual dimensions. The examination will also highlight her role as a pioneering female ruler who defied conventional gender roles and led with wisdom, compassion, and foresight, leaving a profound and enduring influence on her time and on subsequent generations of leaders.

By analyzing Ahilyabai's transformative leadership, this study seeks to uncover the nuanced and multifaceted contributions of the "Saintly Queen" of Malwa, whose legacy serves as a testament to the power of kind-hearted, culturally attuned, and morally grounded leadership. The exploration of her reign offers helpful guidance into how such a model of governance can continue to inspire leaders in present times, demonstrating the potential of munificent rule to create lasting societal progress and harmony.

Early Life and Path to Power

Ahilyabai Holkar, born in 1725 in the small village of Chonde, Maharashtra(Nagrle, 1979), came into the world within a family of modest means. Despite the prevalent societal constraints on women during the 18th century, her father, Mankoji Sindhia, was progressive in his approach to her upbringing. He recognized the importance of education for his daughter(Nagrle, 1979), ensuring that Ahilyabai received a thorough education that was rare for women of her time. Along with basic literacy, her education was steeped in moral and spiritual teachings, forming a strong foundation for the character and leadership qualities she

would later exhibit. Moreover, her exposure to the governance of her region, through interactions with local leaders and public affairs, played a pivotal role in shaping her understanding of administration(Nagrle, 1979).

Ahilyabai's marriage to Khande-Rao Holkar, the son of Malhar Rao Holkar(Belli Bose, 2016), a prominent Maratha leader, was a turning point that introduced her to the intricacies of statecraft. Malhar Rao, recognizing her sharp intellect and keen political insight, took it upon himself to mentor her in matters of governance. This early exposure to political and administrative affairs provided her with the tools to navigate the complexities of leadership. However, her path to power was neither simple nor assured. Tragedy struck when her husband, son, and father-in-law all passed away within a short period, leaving her as the sole surviving member of the Holkar family(Aranha, 2017).

Despite the overwhelming personal losses and the formidable challenges ahead, Ahilyabai did not falter. The death of her male relatives opened a vacuum of power that others sought to fill, and political opposition mounted against her. However, Ahilyabai's resilience and strategic acumen came to the fore. Rather than succumbing to political pressures or external opposition, she displayed an extraordinary combination of wisdom, diplomacy, and fortitude. With the crucial support of Peshwa Madhav Rao, who recognized her capabilities as a leader, she managed to secure her position as the ruler of Malwa. Peshwa Madhav Rao's endorsement played a significant role in legitimizing her reign, given the patriarchal nature of the Maratha empire at the time(Sarkar, 2024).

Ahilyabai's rise to power is a testament to her exceptional resilience and leadership abilities in the face of gender biases and political intrigue. In an era where women were seldom allowed to wield authority, she defied societal norms and demonstrated that effective leadership was not defined by gender but by wisdom, moral integrity, and strength of character. Her ability to navigate the complexities of her time—balancing internal political pressures with the demands of governance—proved her worth as a ruler. Ahilyabai's ascension was not based on force but on her

unparalleled intelligence, steadfastness, and ability to command respect from allies and adversaries alike.

Visionary Governance

Ahilyabai Holkar's governance in the 18th century was a shining example of enlightened leadership, characterized by principles of fairness, transparency, and inclusivity. Her reign, which began in the mid-18th century after assuming power in 1767, was a transformative period for the Malwa region, which was then facing political instability and economic decline following the death of her husband, Khande Rao Holkar (Pandit, 2024). Despite these challenges, Ahilyabai's leadership not only stabilized the region but also elevated it to become a model of ethical and effective administration (Patwadkar, 2024).

One of the key aspects of her governance was her steadfast commitment to fairness and justice. Ahilyabai was known for her impartiality in dealing with both her subjects and the nobility. She instituted a system where grievances could be addressed directly by the ruler, bypassing the traditional bureaucratic structures, which often led to corruption and inefficiency. She established a transparent judicial system that ensured the people could seek redress and that justice was dispensed without fear or favor. Ahilyabai's personal involvement in court cases was highly regarded—she was known to be an empathetic listener, often solving disputes with wisdom and fairness.

For instance, it is documented that Ahilyabai would personally listen to the pleas of the common people and would give her decisions based on the merits of the case, rather than social status or wealth. She established regular "Janata Darbars" (public courts) (Candraśekhara, 2024), where her subjects could meet her directly to voice concerns, thereby breaking the traditional barriers that often marginalized the voices of the common folk. Such practices were revolutionary at the time, demonstrating a commitment to a people-centered form of governance (Kidwai, 2021).

Ahilyabai also prioritized the economic development of her kingdom. Under her leadership, Malwa witnessed a significant period of economic revival. She encouraged agricultural growth by implementing policies that supported farmers, such as reducing

land taxes and offering loans for agricultural projects(Kottewar, 2024). The Malwa region, once known for its agricultural stagnation, saw an increase in production, especially of cash crops like cotton, which were important for trade. Her administrative reforms helped in streamlining tax collection and ensuring that resources were used efficiently, leading to increased revenue that was reinvested into public welfare.

The queen also took steps to encourage trade and commerce, revitalizing markets and improving infrastructure. She is credited with building roads, fortifying cities, and improving the connectivity of her kingdom. This was important in a period where the Malwa region had experienced a decline in trade and commerce due to the ongoing political volatility. By improving infrastructure, she facilitated the movement of goods, thus reviving local markets and trade routes(Kottewar, 2024).

Ahilyabai's inclusivity was another defining feature of her governance. She actively promoted religious tolerance and sought to maintain peace among the diverse communities living in Malwa. Despite being a devout Hindu, she supported various religious institutions across faiths, making her a figure respected by people of different religious communities. She contributed to the building of not only Hindu temples but also mosques, gurudwaras, and other religious sites. Her patronage extended to artists and artisans from different backgrounds, enabling a cultural renaissance in the region(Mishra, 2024).

One of the most notable examples of her inclusivity was her support for the Jain community. Malwa, a region with a significant Jain population, saw a resurgence in the construction of Jain temples and institutions during her reign. She herself is said to have made significant contributions to the construction and maintenance of several Jain temples, including the famous Kanch Mandir in Indore(Singh, 2016).

Her governance was also marked by her active role in restoring the cultural and architectural heritage of India. As a patron of the arts, she funded the construction of several temples, including the famous Mahakaleshwar temple in Ujjain, which became a prominent pilgrimage site. Additionally, she encouraged the construction of public works such as tanks, wells, resthouses

and roads, which served the common people and improved the region's infrastructure.

Ahilyabai's commitment to the welfare of her subjects was evident in the social reforms she initiated. She encouraged education and the arts, providing financial support to scholars and artists, which helped create a flourishing cultural environment. She also took steps to improve the status of women in society, although within the social constraints of the time. She advocated for the education of girls and is credited with encouraging the establishment of schools in her kingdom, which was a progressive step for women's empowerment during that era.

Ahilyabai's reign also stood out for its diplomatic achievements. She successfully navigated the labyrinthine political landscape of 18th-century India, marked by shifting alliances, threats from the Marathas' rivals, and the rise of the British colonial presence (Mishra, 2024). Her diplomatic acumen was demonstrated when she was able to maintain Malwa's independence while forming strategic alliances with the Maratha Peshwas and other regional powers. She also played a key role in the Maratha Confederacy, strengthening the unity of the Maratha forces while ensuring Malwa's political and economic interests were safeguarded.

Ahilyabai's leadership was not based on brute force but on acumen, patience, and the ethical grounding of her decisions. She demonstrated that governance is not solely about the exercise of power, but about serving the people with fairness and compassion. Her reign was characterized by a holistic approach to governance—one that balanced economic prosperity, cultural revival, religious tolerance, and social welfare. This integrated model of governance, which prioritized the well-being of the people and embraced inclusivity, left an indelible mark on Malwa and the broader Indian history. Ahilyabai Holkar's visionary leadership stands as a model of how moral, inclusive, and compassionate governance can create a prosperous, harmonious, and just society.

Judicial Reforms

Ahilyabai Holkar's approach to governance was grounded in the belief that justice was the cornerstone of any prosperous

society. Her judicial reforms were a testament to her commitment to fairness, accessibility, and inclusivity in a time when most kingdoms were governed by rulers who prioritized power over justice. Ahilyabai understood the importance of a just and transparent judicial system in fostering peace, security, and social stability. She placed great emphasis on ensuring that the judicial process was accessible to everyone, regardless of their social status, caste, or religion(Nagrle, 1979).

One of the most notable aspects of her judicial reforms was the creation of a transparent, accessible court system where all people—regardless of their social background—could seek justice. Unlike many contemporary rulers, who maintained a hierarchical, exclusionary approach to law and order, Ahilyabai's courts were open to people from all walks of life. The lower classes, including peasants and labourers, were encouraged to present their grievances directly to her, ensuring that justice was not an exclusive privilege of the elite or the nobility. This was particularly revolutionary in a time when the poor often had little access to justice (Nagrle, 1979).

Ahilyabai's courts, particularly her "Janata Darbars" (public hearings), became a hallmark of her governance(Candraśekhara, 2024). These were gatherings where common people could meet the queen in person and present their complaints. The personal involvement of the queen in these proceedings was significant—Ahilyabai would listen to each case herself, offering judgments that were rooted in fairness and a deep understanding of dharma (moral duty). Her willingness to hear grievances personally and make decisions without the interference of intermediaries greatly enhanced her reputation as a ruler who was genuinely invested in her people's welfare(Nagrle, 1979).

She paid particular attention to cases involving women and marginalized communities, groups that were often excluded from the judicial process during that period. In a patriarchal society where women's rights were severely restricted, Ahilyabai implemented measures that protected women's interests, whether in matters of property rights, inheritance, or marital disputes. For instance, she ensured that women were not deprived of their rightful share in inheritance, a common practice in many parts of

India at the time. Women who were victims of domestic abuse or exploitation found in Ahilyabai a strong advocate who sought to protect their rights and dignity(Sonawane, 2024).

In one notable case, Ahilyabai intervened to ensure justice for a woman whose family property was being wrongfully claimed by her male relatives. She not only upheld the woman's claim but also ensured that the inheritance laws were strictly enforced in favour of the rightful heir. Her court was not only a place for adjudicating disputes but also a space for upholding the principles of gender equality, albeit within the cultural constraints of the era.

Ahilyabai's reforms extended to the marginalized sections of society as well. She issued orders to protect the rights of lower-caste individuals, who were often treated unjustly in the judicial systems of other kingdoms(Candraśekhara, 2024). Her courts took special efforts to ensure that lower-caste people had the opportunity to present their cases and that their grievances were addressed with fairness. In doing so, Ahilyabai promoted social justice, challenging the deeply ingrained caste-based discrimination that characterized much of the social order at the time. Her progressive stance on social issues and her open-door policy made her court a symbol of hope for those who had been systematically oppressed(Candraśekhara, 2024).

Moreover, Ahilyabai's dedication to justice was not limited to her direct involvement in court cases. She took steps to ensure that her ministers and officials were well-versed in the principles of justice and equity. She implemented a rigorous process for appointing judges and administrators who shared her commitment to fairness and ethical governance. To avoid corruption and bias, she established a set of strict protocols for judicial conduct and ensured that any cases of misconduct were dealt with swiftly. These protocols helped maintain public trust in the legal system and reinforced the idea that no one was above the law.

Ahilyabai's reputation as a fair and just ruler spread far beyond the borders of her kingdom. It is recorded that people from neighbouring regions often travelled to Malwa to seek justice in her courts. Even her adversaries respected her for her fairness. In fact, her role as a just and impartial ruler earned her the admiration of even the Maratha Peshwa, Madhav Rao, who saw in her a model

of leadership based on righteousness and equity. Her fairness and transparency in administration allowed her to forge lasting alliances with other regional powers, as her word was trusted and respected by both allies and adversaries.

One significant example of her reputation for justice can be seen in her dealings with the British East India Company. Though Ahilyabai was cautious about the growing influence of the British in India, she maintained a diplomatic relationship with them based on mutual respect and fairness. Her dealings with the British were marked by pragmatism, and she never compromised on the sovereignty or the rights of her people. Her ability to navigate these multifaceted political relationships without losing sight of justice or the interests of her subjects was a demonstration of her wisdom and diplomatic acumen.

Ahilyabai's judicial reforms were not merely symbolic gestures but had a profound impact on the governance of her kingdom. By ensuring that justice was accessible to all, including women, lower-caste individuals, and marginalized communities, she created a system that was fair, just, and rooted in the principles of sanatan dharma. This commitment to justice helped foster a sense of security and equality among her subjects, which in turn contributed to the overall prosperity and stability of her kingdom. Ahilyabai's judicial system was an essential element of her broader vision of governance—a vision in which fairness, inclusivity, and moral integrity were the pillars of effective leadership (Kibe, 1939; Nagrale, 1979).

Her legacy as a just ruler has endured throughout history, and her judicial reforms remain a testament to her belief in the rule of law as the cornerstone of governance. Ahilyabai Holkar's commitment to justice and her innovative approach to judicial reform set her apart as one of India's most exemplary rulers (Kibe, 1939; Nagrale, 1979).

Economic Policies

Ahilyabai Holkar's economic policies were characterized by her understanding of the crucial relationship between administration and economic prosperity. As a ruler deeply concerned with the well-being of her subjects, she implemented comprehensive reforms that contributed to both agricultural and

commercial development in the Malwa region. Her economic vision was grounded in the belief that a prosperous economy was key to maintaining political stability, social peace, and cultural vibrancy. By prioritizing agriculture, trade, and infrastructure, she set the foundations for long-term economic growth that benefited all sections of her society.

1. **Tax Reforms :** Ahilyabai's tax reforms were both pragmatic and compassionate, designed to alleviate the burden on the agrarian community while ensuring the state's financial stability. The Malwa region, primarily agricultural, relied heavily on the productivity of its farmers to sustain the economy. Ahilyabai understood that overburdening farmers with excessive taxes could lead to economic decline, so she implemented tax policies that were both fair and reasonable (Kibe, 1939).

One of her major reforms involved reducing the tax burden on farmers, especially during times of drought or crop failure. Historical records suggest that Ahilyabai set lower tax rates during periods of poor harvests, understanding that farmers could not bear heavy taxation in such times. This policy not only alleviated economic distress but also helped maintain social harmony, as farmers remained productive and committed to agriculture (Nagrале, 1979).

Additionally, Ahilyabai streamlined the tax collection system by reducing the role of intermediaries and ensuring that taxes were collected directly from the producers. This reform was intended to reduce corruption and inefficiency in the tax system, thereby ensuring that the taxes collected were used more effectively for the welfare of her subjects (Kibe, 1939). The tax reforms promoted agricultural expansion, leading to greater food security and, consequently, the growth of Malwa's economy.

2. **Trade Promotion:** Ahilyabai also understood the importance of trade and commerce in fostering economic prosperity. During her reign, Malwa became a hub for commercial activities, largely due to her proactive efforts to promote both domestic and international trade. Recognizing that a flourishing trade network was essential for her kingdom's

wealth, she took significant steps to ensure that trade routes were secured and maintained (Nagrle, 1979).

Ahilyabai's policy of safeguarding trade routes included the construction and fortification of roads that linked Malwa with other key regions of India. By ensuring the safety of merchants and travellers, she boosted the flow of goods across the region. In addition, she encouraged the export of Malwa's goods, especially textiles, food grains, and handicrafts, which were in high demand across India. Malwa's cities, such as Indore and Maheshwar, became bustling commercial centers, attracting merchants from various parts of the country (Kibe, 1939).

She also ensured that markets were well-organized and properly regulated. Her support for artisans and craftsmen was instrumental in the growth of local industries, and this, in turn, contributed to the development of a robust export sector. According to historical records, during her reign, Malwa's textile industry flourished, and its fabrics were highly sought after in markets beyond India (Nagrle, 1979). Ahilyabai's efforts in promoting trade not only enhanced the economic standing of her kingdom but also helped integrate Malwa into larger regional and global trade networks.

3. Infrastructure Development: The economic prosperity of a region is often tied to the strength of its infrastructure, and Ahilyabai made significant investments in this area. Infrastructure development under her rule was strategic, focusing on roads, markets, and public works that would facilitate smoother trade, better communication, and enhanced connectivity within her kingdom.

Ahilyabai invested in building and maintaining a comprehensive network of roads that connected her kingdom's major towns and cities, as well as trade routes that extended beyond her territories. These roads not only facilitated the easy movement of goods but also ensured that troops could be quickly mobilized in times of conflict, ensuring both commercial and military stability (Kibe, 1939).

Additionally, she established well-planned marketplaces and trading hubs, particularly in Indore and Maheshwar, where goods could be exchanged and merchants could conduct business

in a regulated environment. These markets became centres of commerce, attracting people from all parts of India. Ahilyabai also focused on the development of port cities such as Maheshwar, situated on the banks of the Narmada River, which became vital for trade, particularly in the export of textiles and other goods (Nagrle, 1979).

The queen also commissioned the construction of public works such as wells, temples, and rest houses, which served as both social and commercial centres. These public works improved the quality of life for her people while also contributing to economic activity. The maintenance of infrastructure in her kingdom is often regarded as one of the most successful aspects of her reign, providing a lasting legacy that contributed to the stability and prosperity of Malwa for generations (Kibe, 1939).

Ahilyabai Holkar's economic policies demonstrate her foresight and practical governance. Her approach to tax reform, trade promotion, and infrastructure development created an economic environment where agriculture thrived, trade flourished, and public works supported both social and economic welfare. Through these initiatives, she not only stabilized Malwa's economy but also contributed to its growth, making it a model of prosperity during her reign. By balancing the needs of the agricultural sector with the demands of commerce and infrastructure, Ahilyabai's economic policies were instrumental in ensuring long-term stability and prosperity for her kingdom (Kibe, 1939; Nagrle, 1979).

Her legacy as an economic reformer is a testament to the importance of thoughtful and inclusive policies in achieving sustainable growth, and her reign serves as an example for contemporary policymakers seeking to balance economic development with social justice.

Administrative Efficiency

Ahilyabai Holkar's administrative efficiency was a cornerstone of her successful governance. She carefully structured her administration to ensure that both military and civil affairs were managed effectively. By delegating authority and relying on trusted advisors, she was able to oversee a vast and composite kingdom while ensuring that day-to-day affairs ran smoothly. This

efficient delegation system not only maximized the performance of her government but also fostered a sense of trust and loyalty among her subjects and officials.

1. **Strategic Delegation and Military Leadership:** One of the key features of Ahilyabai's administration was her strategic delegation of responsibilities, particularly in military affairs. Ahilyabai, while an astute military strategist herself, recognized the importance of focusing on civil administration and public welfare. To handle military operations, she relied heavily on her trusted general, Tukoji Rao Holkar, who played a pivotal role in ensuring the security of the kingdom (Sharma, 2021). Tukoji Rao's military prowess was crucial in defending Malwa from external threats, particularly from the Maratha Confederacy and other regional powers. His ability to lead effectively allowed Ahilyabai to devote her energies to strengthening the civil structure of her kingdom, ensuring that the welfare of her people remained a top priority.

Ahilyabai's approach to military leadership was not only one of delegation but also of training and preparedness. She emphasized the importance of a well-trained and disciplined military, and Tukoji Rao worked diligently to implement these policies. This division of labor enabled Ahilyabai to focus on broader administrative and economic issues while maintaining a strong defense system for her kingdom (Sharma, 2021).

2. **Civil Administration and Public Welfare :** Ahilyabai's focus on civil administration was integral to her success as a ruler. She believed in the importance of a fair and efficient system of governance, one that prioritized the welfare of her people. To this end, she established a network of officers who were responsible for overseeing different aspects of her kingdom, including revenue collection, public works, law enforcement, and the welfare of marginalized communities. This decentralized structure allowed her to manage a large and diverse region effectively.

Under Ahilyabai's leadership, Malwa experienced substantial improvements in infrastructure, agriculture, and social welfare. She personally monitored the progress of public welfare programs, such as the construction of roads, wells, and temples. In particular,

her commitment to maintaining roads and communication networks within her territories facilitated the free movement of goods and people, which was essential for economic prosperity (Rani, 2020).

3. Council of Advisors and Meritocracy: Ahilyabai's administration was also marked by her belief in meritocracy. She established a council of advisors consisting of experienced and competent individuals who were selected based on their skills, knowledge, and dedication to the kingdom rather than their social standing or lineage. This commitment to meritocracy ensured that the most qualified individuals were placed in positions of power and responsibility, which contributed to the efficiency of her administration.

Her council of advisors was instrumental in shaping policy decisions. The advisors were responsible for guiding Ahilyabai on issues ranging from military strategy to economic reforms and legal matters. Their diverse expertise allowed for well-rounded decision-making that took into account the various needs of her subjects. The advisors also acted as intermediaries between Ahilyabai and the people, ensuring that grievances were addressed and that the policies of the administration were implemented effectively (Singh, 2020).

4. Accountability and Loyalty: One of the key features of Ahilyabai's administration was her emphasis on accountability. She ensured that her officers were held to high standards of honesty and efficiency. Officers who demonstrated competence and loyalty were rewarded, while those who failed to meet expectations were removed from their positions. This system of accountability fostered a sense of loyalty among her officers, who were dedicated to ensuring the well-being of the kingdom and its people.

The loyalty of her officers was critical to the success of her governance. Ahilyabai's officers, including her military commanders and civil administrators, shared a deep respect for her leadership and were committed to her vision of a prosperous and just kingdom. This loyalty was not born out of fear but rather from the queen's ability to inspire those around her through her wisdom, fairness, and dedication to her people (Singh, 2020). Her

leadership style promoted a sense of unity and collaboration among her officials, who worked together to achieve common goals.

Ahilyabai Holkar's administrative efficiency was the result of her strategic delegation of responsibilities, her focus on merit-based appointments, and her commitment to maintaining a high standard of accountability. By relying on trusted leaders like Tukoji Rao Holkar in military matters and establishing a council of advisors to guide her decisions, she ensured that her kingdom was governed effectively and justly. Ahilyabai's commitment to efficient governance, coupled with her focus on the welfare of her people, contributed significantly to the prosperity and stability of Malwa during her reign. Her legacy as a ruler who prioritized both administrative excellence and public welfare continues to serve as an example of good governance in India's history (Sharma, 2021; Singh, 2020; Rani, 2020).

Cultural and Religious Contributions

Ahilyabai Holkar's reign is deeply associated with the resurgence and preservation of India's cultural and spiritual heritage. Known for her remarkable efforts to restore temples and revive religious traditions, her actions represented not only a revival of sanatan dharma but also a reaffirmation of India's identity during a time when religious sites had been threatened by invasions and neglect. Ahilyabai Holkar's cultural contributions are unparalleled in their scale and significance, helping to shape the spiritual landscape of India.

1. Temple Restoration

Ahilyabai Holkar's restoration projects were symbolic of her deep respect for India's religious traditions and her role in preserving the nation's spiritual heritage. Her patronage of temple restoration helped re-establish these spiritual centres as beacons of Hindu faith and cultural pride.

- **Kashi Vishwanath Temple, Varanasi:** One of the most significant projects under Ahilyabai's rule was the reconstruction of the sanctum sanctorum of the Kashi Vishwanath Temple in Varanasi, one of Hinduism's holiest sites. The temple had been destroyed during previous invasions, and its reconstruction was an emblematic act of

devotion and cultural revival. Ahilyabai's efforts ensured that Varanasi remained a thriving pilgrimage centre (Chitnis, 2018). The restored temple became a focal point for Hindu religious practices and drew devotees from all corners of India and beyond.

- **Somnath Temple, Gujarat:** Ahilyabai's restoration of the Somnath Temple in Gujarat was another monumental project. Somnath had been destroyed by Mahmud of Ghazni in the 11th century and had remained in a state of neglect for centuries. Ahilyabai took the initiative to rebuild this sacred structure, ensuring that it was restored to its former glory. This restoration was not only a religious act but also a statement of resilience against centuries of cultural destruction (Pathak, 2020). The Somnath Temple became a symbol of India's enduring religious spirit.
- **Maheshwar Temples, Madhya Pradesh:** The town of Maheshwar, located on the banks of the Narmada River, became an important religious and cultural centre under Ahilyabai's patronage. She commissioned the construction of several temples dedicated to Lord Shiva and Lord Vishnu. These temples, built in the classical Maratha style, attracted pilgrims and devotees, contributing significantly to the cultural and spiritual landscape of the region (Soni, 2021). The temples also played a central role in the cultural identity of the Holkar dynasty.
- **Omkareshwar Temple, Madhya Pradesh:** Another of Ahilyabai's significant contributions was to the Omkareshwar Temple, one of the twelve Jyotirlingas. She renovated and enhanced this sacred site, ensuring that it continued to serve as an important centre of pilgrimage for Hindus (Sharma, 2022). Her preservation efforts were instrumental in maintaining the religious and cultural integrity of the region.
- **Temples in Ayodhya and Mathura:** Ahilyabai's devotion extended to the rebuilding of temples in other historically significant cities like Ayodhya and Mathura, both of which are central to Hindu religious beliefs. Her efforts helped restore these sites as places of worship and cultural pride,

strengthening the Hindu identity and devotion across the country (Kibe, 1939).

2. Pilgrimage Infrastructure

Beyond the restoration of temples, Ahilyabai Holkar made significant contributions to pilgrimage infrastructure, facilitating access to religious sites for devotees. Her initiatives aimed to enhance the experience of pilgrims and ensure their safety and comfort, especially in challenging terrains.

- **Kedarnath Route:** The construction of roads and shelters leading to the Kedarnath shrine in the Himalayan region is one of Ahilyabai's most notable infrastructure projects. Kedarnath, a major pilgrimage site dedicated to Lord Shiva, was difficult to access due to the challenging geographical conditions. Ahilyabai's construction of a road system and other infrastructure made the pilgrimage easier for devotees, facilitating spiritual journeys (Nagrle, 1979). This initiative was instrumental in reviving the Kedarnath pilgrimage and ensuring its continued importance as a sacred site.
- **Ghats along the Ganga in Varanasi:** Ahilyabai's construction of ghats along the Ganga, particularly the Manikarnika Ghat, greatly enhanced the spiritual experience for devotees. These ghats served as sites for ritual baths, cremations, and various religious ceremonies, and they helped make Varanasi more accessible to pilgrims (Sharma, 2021).

3. Patronage of Arts

Ahilyabai Holkar's support for the arts and culture helped elevate the spiritual and artistic landscape of India during the 18th century. Her court became a thriving hub of artistic and cultural activity, attracting scholars, poets, musicians, and artists from across India.

- **Literature and Religious Texts:** Ahilyabai's patronage of literature was integral in the preservation of religious texts and cultural traditions. She sponsored scholars and poets, ensuring that knowledge was disseminated and preserved for future generations. Her support for literature extended beyond religious texts, also fostering the growth of regional literature and cultural works (Soni, 2021).

- **Temple Carvings and Sculptures:** The temples she commissioned were not only architectural masterpieces but also featured intricate carvings and sculptures that showcased the artistic excellence of the time. These works of art were not only symbolic of the religious devotion but also of the cultural revival that occurred under her leadership. The sculptures depicted various deities, mythological scenes, and historical events, blending religious and artistic themes seamlessly (Kibe, 1939).

4. Philanthropy and Social Welfare

Ahilyabai's philanthropic endeavours were equally important in shaping the welfare of her people. She was deeply committed to the well-being of her subjects, especially the marginalized and disenfranchised communities.

- **Social Welfare Initiatives:** Ahilyabai established various charitable institutions, including orphanages, rest houses for pilgrims, and hospitals. Her compassion for the poor and needy was evident in her efforts to provide for their basic needs. She also promoted social reforms that included the protection of women and the empowerment of marginalized groups (Pathak, 2020).
- **Support for the Marginalized:** Her commitment to social welfare was especially visible in her attention to the needs of women. In a patriarchal society, Ahilyabai's efforts to improve the lives of women—especially widows and those from lower castes—were groundbreaking (Sharma, 2022). She is remembered for her efforts to promote education and support women's rights, providing them with opportunities for self-improvement and economic independence.

Ahilyabai Holkar's cultural and religious contributions were monumental, leaving a lasting legacy in India's spiritual and artistic history. Through her patronage of temple restoration, construction of pilgrimage infrastructure, support for the arts, and commitment to social welfare, Ahilyabai helped shape the cultural fabric of 18th-century India. Her reign not only revived religious sites but also promoted cultural and spiritual harmony, fostering an environment where faith, art, and social welfare flourished. Her legacy as a compassionate and visionary ruler continues to inspire generations, proving the profound impact of benevolent leadership

on cultural and religious preservation (Chitnis, 2018; Sharma, 2022).

Charitable Works

Ahilyabai Holkar's philanthropic efforts were far-reaching, embodying her deep concern for the welfare of her people. Her reign saw the establishment of several key charitable initiatives that were particularly progressive for her time, contributing to the holistic development of her kingdom.

1. Education: Ahilyabai's commitment to education marked a pivotal shift in the social fabric of Malwa. She recognized that education was a cornerstone for progress and actively promoted it, particularly among girls. Ahilyabai's patronage helped establish schools in various parts of her kingdom, creating opportunities for children, especially young girls, to receive an education. This was a significant departure from the norms of 18th-century India, where girls were often excluded from formal education (Soni, 2021). The establishment of these schools not only advanced literacy but also helped foster intellectual growth, promoting a sense of equality and empowerment among the people.

2. Healthcare: Ahilyabai's contributions to public health were equally impactful. Understanding the importance of healthcare in maintaining the well-being of her people, she established hospitals and dispensaries across Malwa. These institutions provided medical care to those who could not afford it, especially the poor and vulnerable. The healthcare infrastructure was developed with the aim of improving the overall quality of life, ensuring that even remote areas had access to basic medical services (Sharma, 2021). Ahilyabai's support for public health was particularly evident during outbreaks of disease, when her government organized medical relief efforts to combat illness and alleviate suffering.

3. Food Distribution: During times of famine and natural calamities, Ahilyabai demonstrated exceptional leadership by organizing food distribution networks to ensure that her subjects did not go hungry. Her administration took decisive actions to provide sustenance during difficult periods, ensuring that the people of Malwa had access to food. She also managed to create granaries that acted as reserves during famines, thus mitigating the effects of agricultural distress. These actions helped in stabilizing

the social and economic structure of the kingdom, especially during times of crisis (Chitnis, 2018).

Water Management

Ahilyabai Holkar's forward-thinking policies extended to water management, an area of immense importance for both agriculture and daily life. In a region where water scarcity was a persistent issue, Ahilyabai's leadership in this domain contributed to the long-term sustainability of Malwa.

Ahilyabai built numerous wells, stepwells, and reservoirs across her kingdom, significantly improving access to water. These water bodies not only helped in irrigating agricultural lands but also served as vital sources of drinking water for the population. One of her most notable projects was the construction of the Pushkarini, a series of sacred tanks located near temples. These tanks were not only symbolic of her devotion but also served practical purposes, providing water for local communities and pilgrims. Another important water-related project was the Narmada Kund at Amarkantak, which became a critical resource for the surrounding area. These initiatives reflected Ahilyabai's strategic foresight, as they addressed both immediate needs and ensured sustainable water access for future generations (Nagrle, 1979).

Empowerment of Women

Ahilyabai Holkar's leadership was groundbreaking in its emphasis on the empowerment of women. Ahilyabai not only ruled with wisdom but also trained and led an army of women. This initiative was highly unconventional and exemplified her belief in the potential of women to contribute to society, especially in leadership roles. Her decision to train women soldiers helped strengthen the defence capabilities of her kingdom and reinforced the idea that leadership was not confined to gender. This was a powerful message, challenging existing gender stereotypes and promoting the idea that women were equally capable of leadership and combat roles (Soni, 2021). Ahilyabai's actions laid the groundwork for later generations of women to engage more fully in public life, both in governance and in social spheres.

Leadership in Crisis

Ahilyabai's strategic acumen was showcased during times of crisis, particularly when her rule was threatened. A notable example of her leadership during a political crisis was when the Maratha noble Raghoba attempted to challenge her reign. In response to this threat, Ahilyabai raised a women-led army and deployed her forces strategically. This bold move not only deterred further aggression but also cemented her reputation as a leader who could navigate complex political situations with resilience and resourcefulness. Her ability to lead in times of adversity demonstrated her courage and her capacity to turn crises into opportunities (Nagrle, 1979).

Additionally, Ahilyabai's diplomatic skills were instrumental in maintaining peace with neighbouring states. Through negotiation and effective conflict resolution, she ensured that her kingdom remained stable and that territorial disputes were resolved without resorting to violence. This diplomacy reinforced her image as a just and effective ruler, committed to peace and the welfare of her subjects.

Legacy and Historical Impact

Ahilyabai's legacy as a ruler who combined deep spiritual devotion with exceptional administrative skills continues to be celebrated. Scholars and leaders across the world have lauded her for her vision, strength, and humility. The British historian Sir John Malcolm described her as "a female without vanity, a ruler without intolerance," emphasizing her rare combination of humility and strength. This recognition underscores her stature as one of India's most remarkable female rulers, whose leadership transcended gender expectations (Nagrle, 1979).

Her legacy is honored in various forms, including statues, memorials, and academic studies. Many of the temples, ghats, and infrastructure projects she initiated continue to stand as symbols of her vision and commitment. These monuments serve not only as physical testaments to her leadership but also as enduring symbols of cultural, religious, and social revitalization under her reign (Kibe, 1939).

Furthermore, Ahilyabai's impact extends beyond her immediate rule. Her contributions to governance, education, social welfare,

and women's empowerment have had a lasting influence on subsequent generations of leaders. She remains an enduring figure in the history of India, and her policies continue to inspire discussions on effective, compassionate, and inclusive leadership in the modern world (Pathak, 2020).

Conclusion

The reign of Ahilyabai Holkar stands as a beacon of exemplary leadership, transcending not only the challenges of her time but also the constraints imposed by societal norms, particularly gender biases. Her leadership was marked by an exceptional blend of wisdom, compassion, and administrative brilliance. Through her unparalleled governance, Ahilyabai transformed the Malwa region from a period of political instability and cultural decline into a flourishing hub of prosperity, spirituality, and cultural renaissance. This profound transformation was not limited to the material and economic aspects of governance but also extended to the social and cultural spheres, where her contributions continue to be revered and studied even today.

Ahilyabai's reign exemplified a commitment to justice, equality, transparency, fairness and inclusivity, ensuring that her subjects, regardless of caste, creed, or gender, had access to justice and opportunities for advancement. Her efforts to establish accessible judicial systems, promote trade and agricultural prosperity, and manage resources efficiently laid the foundation for a resilient and self-sustaining economy. Perhaps one of the most profound aspects of Ahilyabai's leadership was her cultural and religious contributions. Her restoration and construction of temples, as well as the development of pilgrimage infrastructure, played a pivotal role in preserving India's religious and cultural heritage. These actions were more than just acts of piety—they were strategic decisions that nurtured a sense of national identity, spiritual unity, and pride among her people. Her philanthropic efforts, particularly in the areas of education, healthcare, and food distribution, were revolutionary for their time. Moreover, Ahilyabai's empowerment of women was a transformative aspect of her leadership. By leading a women's army and defying gender conventions of her time, she challenged the status quo and

redefined the role of women in governance and military affairs. Ahilyabai's leadership during political crises further underscored her strategic acumen, courage, and diplomatic skill. In conclusion, Ahilyabai Holkar's reign transcended the limitations of her time, and her legacy offers invaluable lessons on the transformative power of inclusive, compassionate, and strategic leadership.

Reference

- Aranha, J. (2017). *The Untold Story of the Brave Maratha Warrior Queen Ahilyabai Holkar!*
<https://thebetterindia.com/119761/queen-ahilyabai-holkar-maratha/>
- Belli Bose, Melia. (2016). *Women, gender and art in Asia, c. 1500-1900.*
https://books.google.com/books/about/Women_Gender_and_Art_in_Asia_c_1500_1900.html?id=xy0rDwAAQBAJ
- Candraśekhara, M. (2024). *Yugandharā Ahilyābāi Holkara : Devī Ahilyābāi Holkara keprerakajīvana para kendritāaitihāsikaupanyāsa.* 183.
<https://www.barnesandnoble.com/w/yugandhara-ahilyabai-holkar-historical-novel-focusing-on-the-inspiring-life-of-devi-ahilya-bai-holkar-mamta-chandrasekhar/1146768878>
- Javlekar, A. (2002). *Lokmata Ahilyabai: Lokmata Ahilyabai: Arvind Javlekar's Account of an Inspirational Queen and Philanthropist.* Prabhat Prakashan.
[https://books.google.co.in/books?id=voYn9a1EBkIC&dq=Ahilya bai+Holkar%27s+leadership+by+delving+into+several+key+aspects+of+her+rule.+Drawing+from+historical+texts+and+scholarly+analyses&lr=&source=gbs_navlinks_s](https://books.google.co.in/books?id=voYn9a1EBkIC&dq=Ahilya+bai+Holkar%27s+leadership+by+delving+into+several+key+aspects+of+her+rule.+Drawing+from+historical+texts+and+scholarly+analyses&lr=&source=gbs_navlinks_s)
- Kidwai, R. (2021). *HOUSE OF SCINDIAS a saga of power, politics and intrigue.* ROLI BOOKS.
https://books.google.com/books/about/The_House_of_Scindias_A_Saga_of_Power_Po.html?id=ZTcyEAAAQBAJ
- Kottewar, L. (2024). *Contribution of Ahilyabai Holkar in social and economic development of women.* www.ijfmr.com
- Mishra, R. (2024). *Ahilyabai Holkar: A Legacy of Empowerment and Inclusivity - Chintan.* Chintan.
<https://chintan.indiafoundation.in/articles/ahilyabai-holkar-a-legacy-of-empowerment-and-inclusivity/>

- Nagrle, N. N. (1979). AHILYABAI AND HER BENEVOLENT ADMINISTRATION on JSTOR. *Proceedings of the Indian History Congress*, 40. <https://www.jstor.org/stable/44142013>
- Pandit, S. D. (2024). *Ahilyabai Holkar: Reformer, cultural patron and a leader - The Sunday Guardian Live*. Sunday Guardian. https://sundayguardianlive.com/opinion/ahilyabai-holkar-reformer-cultural-patron-and-a-leader?utm_source=chatgpt.com
- Patwadkar, D. (2024). *Ahilyabai Holkar: The Guardian Of Indic Civilization by Deepali Patwadkar, Paperback | Barnes & Noble®*. Notion Press. https://www.barnesandnoble.com/w/ahilyabai-holkar-deepali-patwadkar/1146719318?utm_source=chatgpt.com
- Sarkar, Tanika. (2024). *Religion and Women in India : Gender, Faith, and Politics, 1780s-1980s*. https://books.google.com/books/about/Religion_and_Women_in_India.html?id=aKQCEQAAQBAJ
- Sen, S. N. (2006). *History Modern India*. 248. <http://books.google.com/books?id=ga-pmgxsWwoC>
- Singh, V. (2016). THE BUILDINGS OF THE HOLKAR STATE. “*UdgamVigyati*” – *The Origin of Knowledge*, 5, 2455–2488. https://www.researchgate.net/publication/317637499_THE_BUILDINGS_OF_THE_HOLKAR_STATE
- Snodgrass, M. E. (2019). Women’s Art of the British Empire - Mary Ellen Snodgrass - Google Books. In *Rowman & Littlefield*. Rowman & Littlefield. [https://books.google.co.in/books?id=PCGwDwAAQBAJ&dq=Queen+Ahilyabai+Holkar+\(1725%E2%80%931795\),+a+distinguishe+d+ruler+of+Malwa+in+the+18th+century,+is+celebrated+for+her+exemplary+leadership,+characterized+by+wisdom,+justice,+and+spirituality&lr=&source=gbs_navlinks_s](https://books.google.co.in/books?id=PCGwDwAAQBAJ&dq=Queen+Ahilyabai+Holkar+(1725%E2%80%931795),+a+distinguishe+d+ruler+of+Malwa+in+the+18th+century,+is+celebrated+for+her+exemplary+leadership,+characterized+by+wisdom,+justice,+and+spirituality&lr=&source=gbs_navlinks_s)
- Sonawane, V. (2024). Towering woman,Holkar, LokmataAhilyabai. *Year*, 4. <https://forms.gle/XWQ19k9xC1CyNr6e7>

Crop Diversification and Rural Development in India

Dr. Archana Sethi

*Associate Professor, Guest SoS. in Economics, Economics
Department Pt.R.S.U. Raipur Pt. R.S.U. Raipur, Govt. College
Gandai*

Dr. Sunil Kumeti

*Associate Professor, SoS.in Economics, Economics Department
Pt.R.S.U. Raipur Pt. R.S.U. Raipur, Govt. College Gandai*

Dr. Gaurav Jain

*Assistant Professor, Economics Department Pt.R.S.U. Raipur Pt.
R.S.U. Raipur, Govt. College Gandai*

Abstract

*Agriculture continues to be the backbone of rural economies in developing countries like India, providing livelihood to a majority of the population. However, excessive dependence on a few traditional crops such as rice and wheat has led to problems like declining soil fertility, groundwater depletion, low farm incomes, and increased vulnerability to climate change. In this context, **crop diversification** has emerged as a crucial strategy for achieving **sustainable rural development**. Crop diversification refers to the shift from mono-cropping systems to the cultivation of a wider range of crops including pulses, oilseeds, fruits, vegetables, fodder crops, and high-value commercial crops. This paper examines the concept of crop diversification, its determinants, patterns, and its role in promoting rural development. The study highlights how diversification contributes to income generation, employment creation, poverty reduction, food and nutritional security, and environmental sustainability. It also discusses challenges in adopting crop diversification and suggests policy measures to strengthen its role in rural development. The paper concludes that crop diversification is not*

merely an agricultural strategy but a comprehensive rural development tool essential for inclusive and sustainable growth.

Keywords: *Crop Diversification, Rural Development, Farmers Income, Employment*

1. Introduction

Rural development is a multidimensional concept encompassing economic growth, social justice, poverty alleviation, employment generation, and improvement in the quality of life of rural people. Since agriculture is the primary occupation in rural areas, the performance of the agricultural sector plays a decisive role in determining the pace and pattern of rural development. Traditionally, Indian agriculture has been characterized by the dominance of food grains, especially rice and wheat. The Green Revolution, though successful in achieving food self-sufficiency, encouraged monoculture and intensive farming practices. Over time, this led to several problems such as stagnation of productivity, ecological imbalance, declining farm profitability, and regional disparities. In India, agriculture is the main source of livelihood for more than half of the rural population. Traditional agricultural practices, dominated by food grains such as rice and wheat, have resulted in stagnation of productivity, depletion of natural resources, and declining profitability.

Crop diversification refers to a shift from mono-cropping to a diversified cropping pattern involving cereals, pulses, oilseeds, fruits, vegetables, and allied agricultural activities. It is increasingly recognized as a strategy to enhance rural income, generate employment, ensure food security, and promote environmental sustainability.

In this background, crop diversification has been increasingly recognized as an effective strategy to rejuvenate agriculture and promote rural development. By diversifying crops, farmers can reduce risks, increase income, improve soil health, and create employment opportunities in allied activities such as horticulture, dairy, fisheries, and agro-processing.

2. Objectives of the Study

The main objectives of this study are:

1. To explain the concept and meaning of crop diversification.
2. To analyze the need and importance of crop diversification in agriculture.
3. To examine the role of crop diversification in rural development.
4. To study the economic, social, and environmental impacts of crop diversification.
5. To examine the relationship between crop diversification and rural development.
6. To identify the challenges in implementing crop diversification.
7. To suggest policy measures for promoting crop diversification for sustainable rural development.

3. Research Methodology

3.1 Research Design

The study adopts a **descriptive and analytical research design**.

3.2 Sources of Data

The study is based on **secondary data**, collected from Economic Survey of India, Ministry of Agriculture reports, FAO publications, NABARD and RBI reports, Research journals and books.

4. Concept and Meaning of Crop Diversification

Crop diversification refers to the practice of cultivating a variety of crops instead of relying on a single crop or a narrow range of crops. It involves a shift from traditional, low-value crops to high-value crops or a combination of multiple crops within a farming system.

Forms of Crop Diversification

1. **Horizontal Diversification** – Growing a variety of crops simultaneously or sequentially on the same land.
2. **Vertical Diversification** – Integration of agriculture with allied activities such as dairy farming, poultry, fisheries, sericulture, and agro-processing.

3. **Market-led Diversification** – Shifting towards crops with higher market demand and profitability such as fruits, vegetables, flowers, and spices.

Crop diversification is closely linked with crop rotation, mixed cropping, intercropping, and integrated farming systems.

5. Need for Crop Diversification

The need for crop diversification arises from several economic, social, and environmental factors:

5.1 Economic Reasons

- Declining profitability of traditional crops
- Rising cost of inputs like fertilizers, seeds, and irrigation
- Price volatility in agricultural markets
- Small and marginal landholdings requiring intensive income-generating options

5.2 Environmental Reasons

- Soil degradation due to mono-cropping
- Over-exploitation of groundwater resources
- Loss of biodiversity
- Climate change and increasing frequency of droughts and floods

5.3 Social Reasons

- Rural unemployment and underemployment
- Persistent rural poverty
- Nutritional deficiencies among rural populations

Thus, crop diversification is essential for making agriculture economically viable, environmentally sustainable, and socially inclusive.

6. Crop Diversification and Rural Development

Crop diversification plays a pivotal role in rural development by influencing various dimensions of rural life. Rural development is not limited to agricultural growth alone but includes improvement in income, employment, nutrition, education, health, and infrastructure.

The relationship between crop diversification and rural development can be understood through the following channels:

- Income enhancement
- Employment generation
- Poverty alleviation
- Food and nutritional security
- Environmental sustainability

7. Role of Crop Diversification in Rural Development

7.1 Increase in Farmers' Income

Diversification towards high-value crops such as fruits, vegetables, spices, medicinal plants, and cash crops significantly increases farmers' income per hectare. These crops often provide higher returns compared to traditional cereals. Multiple cropping systems also ensure income throughout the year, reducing farmers' dependence on a single harvest.

7.2 Employment Generation

Crop diversification promotes labour-intensive farming practices. Activities such as horticulture, floriculture, vegetable cultivation, dairy farming, and agro-processing create substantial employment opportunities in rural areas. This helps reduce seasonal unemployment and disguised unemployment in agriculture.

7.3 Poverty Reduction

By providing multiple sources of income and employment, crop diversification contributes to poverty reduction. Small and marginal farmers, landless labourers, and women benefit significantly from diversified farming systems and allied activities.

7.4 Food and Nutritional Security

Diversification towards pulses, fruits, vegetables, and millets enhances food diversity and nutritional intake. This is particularly important in rural areas where malnutrition, anemia, and protein deficiency are widespread.

7.5 Development of Allied Sectors

Crop diversification encourages the growth of allied sectors such as dairy, fisheries, poultry, beekeeping, and

sericulture. These activities strengthen the rural economy and reduce excessive dependence on crop farming alone.

7.6 Environmental Sustainability

Diversified cropping systems improve soil fertility, reduce pest and disease incidence, and promote efficient use of water resources. Crop rotation and mixed cropping enhance ecological balance and reduce the need for chemical inputs.

8. Findings of the Study

1. Crop diversification significantly increases farmers' income.
2. Diversified agriculture generates more rural employment.
3. Crop diversification reduces rural poverty and income inequality.
4. It improves food and nutritional security.

Crop diversification ensures environmental sustainability

9. Crop Diversification in India: An Overview

In India, crop diversification has gained momentum in recent decades, particularly in states facing agricultural distress. Regions such as Punjab and Haryana are gradually shifting from wheat-rice monoculture to vegetables, fruits, and maize. Southern states have diversified into horticulture and plantation crops, while eastern states are promoting pulses and oilseeds.

Government initiatives like:

- National Horticulture Mission
- Rashtriya Krishi Vikas Yojana
- Paramparagat Krishi Vikas Yojana
- Crop insurance schemes have supported diversification efforts.

10. Challenges in Crop Diversification

Despite its benefits, crop diversification faces several challenges:

1. Lack of Irrigation and Infrastructure
2. Market Uncertainty and Price Fluctuations
3. Inadequate Storage and Processing Facilities
4. Limited Access to Credit and Insurance
5. Lack of Technical Knowledge and Training

6. Risk Aversion among Small Farmers

These constraints often discourage farmers from shifting away from traditional crops.

11. Policy Measures to Promote Crop Diversification

To strengthen the role of crop diversification in rural development, the following measures are essential:

1. Expansion of irrigation and water-saving technologies
2. Assured markets and price support for diversified crops
3. Investment in cold storage, warehousing, and processing units
4. Strengthening agricultural extension services
5. Promotion of farmer-producer organizations (FPOs)
6. Encouraging climate-resilient and sustainable farming practice

12. Conclusion

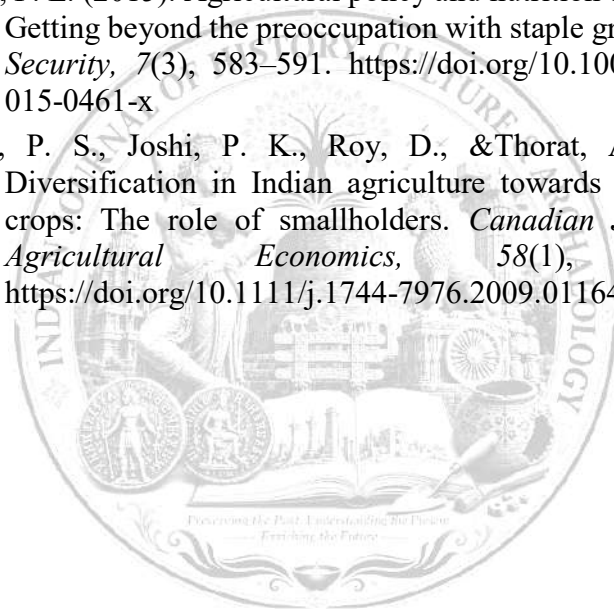
Crop diversification is a powerful instrument for achieving sustainable rural development. It enhances agricultural resilience, increases farmers' income, generates employment, ensures nutritional security, and protects the environment. In the face of climate change, resource constraints, and growing rural distress, diversification offers a viable pathway for transforming rural economies

However, the success of crop diversification depends on supportive policies, institutional frameworks, infrastructure development, and farmer awareness. A holistic approach integrating agriculture with allied activities, markets, and rural institutions is necessary to realize the full potential of crop diversification. Therefore, crop diversification should be treated not merely as an agricultural strategy but as a comprehensive rural development policy for inclusive and sustainable growth.

References

- Government of India. (2022). *Economic Survey of India 2021–22*. Ministry of Finance, Government of India.
- Government of India. (2021). *Agricultural statistics at a glance*. Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare.
- Food and Agriculture Organization. (2018). *Crop diversification and rural development*. FAO.

- Food and Agriculture Organization. (2020). *The state of food and agriculture*. FAO.
- NITI Aayog. (2017). *Doubling farmers' income: Rationale, strategy, prospects and action plan*. Government of India.
- National Bank for Agriculture and Rural Development. (2020). *Annual report*. NABARD.
- World Bank. (2019). *Agriculture for development*. World Bank Publications.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development* (13th ed.). Pearson Education.
- Pingali, P. L. (2015). Agricultural policy and nutrition outcomes – Getting beyond the preoccupation with staple grains. *Food Security*, 7(3), 583–591. <https://doi.org/10.1007/s12571-015-0461-x>
- Birthal, P. S., Joshi, P. K., Roy, D., & Thorat, A. (2010). Diversification in Indian agriculture towards high-value crops: The role of smallholders. *Canadian Journal of Agricultural Economics*, 58(1), 61–91. <https://doi.org/10.1111/j.1744-7976.2009.01164.x>.



Growth and Structure of Chhattisgarh Economy: Challenges and Future Directions

Dr. Sunil kumar Kumeti

*Associate Professor, Pt.R.S.U.RaipurPt.R.S.U.Raipur Late
.Daran Bai TaramGovt.College, Gurur*

Dr. Archana Sethi

*Associate Professor, Pt.R.S.U.RaipurPt.R.S.U.Raipur Late
.Daran Bai TaramGovt.College, Gurur*

Hitesh Rathore

*Assistant Professor (Guest) Pt.R.S.U.RaipurPt.R.S.U.Raipur
Late. Daran Bai TaramGovt.College, Gurur*

Abstract

Chhattisgarh, formed in 2000, is one of India's most resource-rich and rapidly developing states. Over the years, the state has expanded from a predominantly agrarian and forest-based economy to a more diversified structure driven by **mining, power generation, industry, services, and improved agriculture**. The availability of coal, iron ore, bauxite, and limestone has made Chhattisgarh a major hub for **steel, cement, and energy production**, while urban centers like Raipur, Bilaspur, and Bhilai have emerged as service-sector growth poles. Agriculture continues to play a crucial role, employing a majority of the population. Known as the "**Rice Bowl of India**," the state heavily depends on paddy cultivation, although diversification into horticulture and fisheries is increasing. Despite progress, agricultural productivity remains constrained by low irrigation coverage and dependence on monsoon rainfall. The primary sector is further strengthened by forestry and minor forest produce, which support the livelihoods of tribal communities. The secondary sector has witnessed rapid growth, particularly in mineral-based industries, thermal power plants, and construction. Meanwhile, the tertiary sector—comprising education, health, finance,

transportation, and tourism—is steadily expanding due to rising urbanization and improved connectivity.

However, the state faces significant challenges: **regional disparities**, especially in tribal and Naxal-affected districts; **environmental degradation** due to mining; **limited crop diversification**; and heavy dependence on mineral-based industries. Human development indicators, including health and education outcomes, require improvement, and youth migration continues due to limited high-skill employment opportunities. For the future, Chhattisgarh must focus on **agricultural modernization, industrial diversification, MSME promotion, eco-friendly mining, renewable energy, and skills development**. Strengthening tourism, digital services, and tribal entrepreneurship will be crucial for inclusive and sustainable growth. With strategic planning and balanced development, Chhattisgarh can transition from a resource-driven to a **knowledge-based and innovation-driven economy** in the coming years.

Key Words : Growth, Challenges, Opportunities, diversification, production.

1. Introduction

Chhattisgarh, carved out of Madhya Pradesh on 1 November 2000, is one of India's youngest and most resource-rich states. The state is endowed with vast mineral reserves, extensive forest cover, fertile agricultural lands, and a culturally diverse population. Over the last two and a half decades, it has established itself as an important economic center in Central India, especially due to its contributions to steel, power, cement, and mineral production. The state has also evolved in terms of administrative efficiency, infrastructure development, poverty reduction, and improvements in human development indicators.

Despite its economic potential, Chhattisgarh faces challenges related to regional imbalances, limited diversification, agricultural vulnerability, environmental degradation, and socio-economic disparities, especially in its tribal-dominated regions. Understanding the growth trajectory, economic structure, existing

barriers, and future opportunities is crucial for policy formulation and sustainable development planning.

Objectives of the Study

- 1.To analyze the growth performance of the Chhattisgarh economy since its formation with reference to GSDP trends.
- 2.To examine the structural composition of the state economy in terms of primary, secondary, and tertiary sectors.
- 3.To assess the sector-wise contribution of agriculture, industry, and services to employment and income generation in Chhattisgarh.
- 4.To identify the major challenges faced by the Chhattisgarh economy such as regional imbalance, poverty, unemployment, infrastructure gaps, and resource dependence.
- 5.To evaluate the impact of industrialization, mining, and forest-based activities on economic growth and sustainability.
- 6.To study the role of government policies and development programs in shaping economic growth.
- 7.To suggest future directions and policy measures for achieving inclusive and sustainable economic development in Chhattisgarh.

Research Methodology

1. Nature of the Study

The present study is **descriptive and analytical** in nature. It focuses on analyzing economic trends, structural changes, and developmental challenges of the Chhattisgarh economy.

2. Sources of Data

The study is based mainly on **secondary data**, collected from the following sources:

- Directorate of Economics and Statistics, Government of Chhattisgarh
- Economic Survey of Chhattisgarh
- Ministry of Statistics and Programme Implementation (MOSPI)
- Reserve Bank of India (RBI) reports
- Census of India
- NITI Aayog publications

- Research articles, journals, books, and reports
- Government policy documents and planning commission reports

2. Historical Background and Economic Evolution

2.1 Pre-2000 Economic Context

Before gaining statehood, the region now known as Chhattisgarh was historically underdeveloped despite being rich in natural resources. Key characteristics of the pre-2000 economy included:

- Heavy dependence on agriculture and forest-based livelihoods
- Limited industrialization except Bhilai Steel Plant and a few mining clusters
- Poor infrastructure—roads, irrigation, electricity, health, and education
- Lack of political attention as a backward region within a larger state
- Limited market access and connectivity

The people of the region demanded statehood primarily to leverage its resources for regional upliftment.

2.2 Economic Vision Post-State Formation

After 2000, successive governments focused on:

- Industrialization and mining expansion
- Connectivity and infrastructure improvement
- Agricultural reforms such as MSP for paddy
- Rural development, PDS reforms, and poverty alleviation
- Energy production and power surplus generation

This transition shifted the economy from an agrarian and forest-based structure to a more diversified industrial economy.

3. Growth of the Chhattisgarh Economy

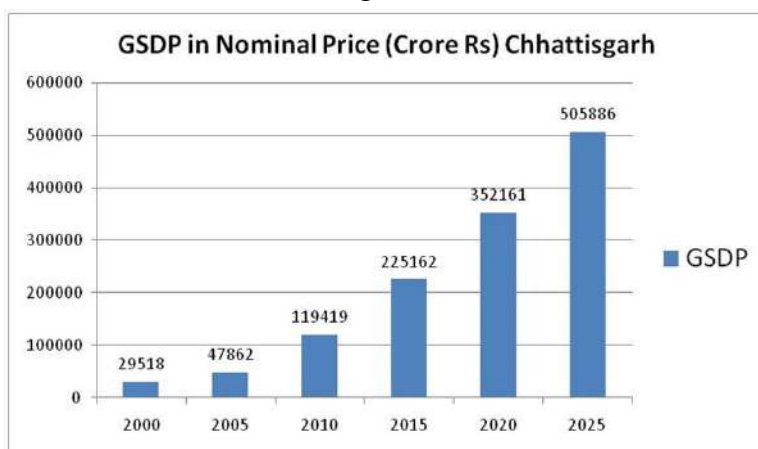
The economic growth of Chhattisgarh can be understood through trends in GSDP, per capita income, sectoral performance, and structural transformation.

3.1 GSDP Growth Trends

Since state formation:

- Chhattisgarh has consistently recorded higher-than-national-average growth during several years.
- Industrial and mining activities have significantly contributed to GSDP expansion.
- In the early 2000s, GSDP growth averaged between 8–10%, driven by reforms and investment inflows.
- Even during national slowdowns, the state's performance remained relatively stable due to its mineral-based industries and continuous construction activities.

Digram 1



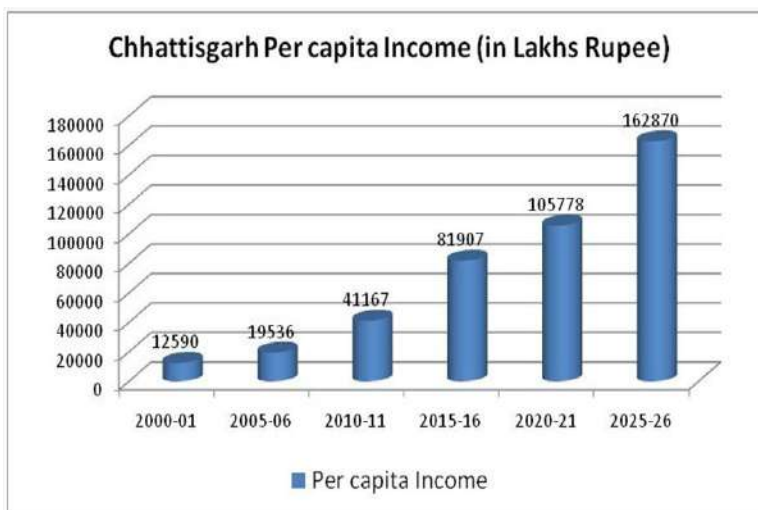
Source: **Government of Chhattisgarh. (2025).** *Budget Documents*. Department of Finance, Government of Chhattisgarh.

Digram 1 At nominal prices, Chhattisgarh's GSDP has risen gradually from ₹29,518 crore in 2000 to an estimated ₹5,05,886 crore in 2025. The notable increases, particularly between 2005 and 2010 and 2010 and 2015, are a result of growing public investment, fast industrialization, and the expansion of the mining and energy industry.

3.2 Per Capita Income and Economic Well-Being

- Chhattisgarh's per capita income has grown steadily, though regional disparities remain high.
- Urban centers such as Raipur, Durg-Bhilai, Bilaspur, Korba, Raigarh, and Janjgir-Champa show high incomes, whereas tribal districts lag significantly.

Digram 2



Source: **Government of Chhattisgarh. (2025).***Budget Documents*. Department of Finance, Government of Chhattisgarh
Income growth has been assisted by industrial employment, power production, and mining royalties.

Digram 2 we can see the per capita income has been steadily rising, rising from ₹12,590 in 2000 to an expected ₹1,62,870 in 2025–2026. (Bhaskar, 2025). This increase, which is fueled by industrial growth, mineral-based activities, and the expansion of the services sector, indicates an improvement in average economic well-being and productivity levels. (Jain & Sethi 2025)

3.3 Industrial Expansion

Industrial growth has been the strongest driver of economic development. Key highlights:

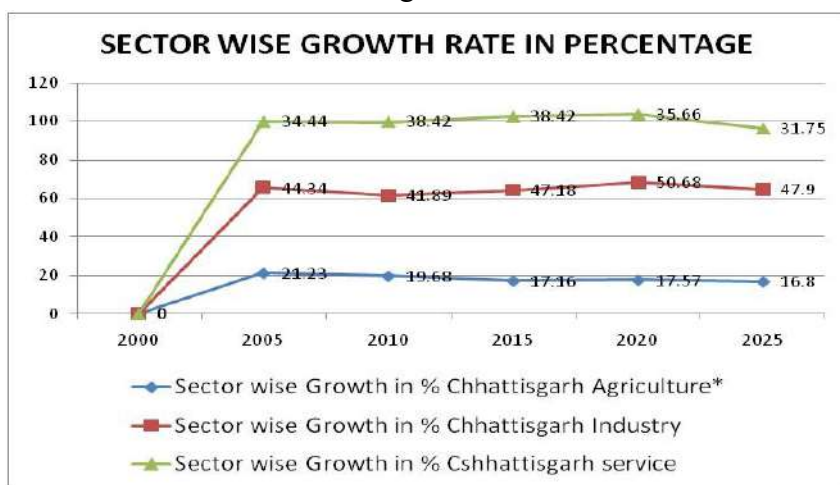
- Chhattisgarh is one of India's leading producers of coal, iron ore, steel, aluminum, and cement.
- Power production capacity has increased sharply, making the state one of India's power surplus producers.
- Industrial areas like Bhilai, Korba, Raigarh, Siltara, Urla, Tilda, and Rawabhata have emerged as manufacturing hubs.

3.4 Agriculture and Rural Growth

Agriculture remains central to livelihoods, employing over 50-60% of the population. Key developments:

- Chhattisgarh has earned the title “Rice Bowl of India” due to high paddy production.
- Introduction of MSP, procurement centers, and farmer welfare schemes have strengthened rural earnings.
- Yet, the sector remains rain-dependent, leading to variability in production.

Digram 3



Source: **Government of Chhattisgarh. (2025). Budget Documents.** Department of Finance, Government of Chhattisgarh.

Digram 3 show above the economy of Chhattisgarh is gradually shifting away from agriculture and toward industry and services. From 21.23% in 2005 to a predicted 16.80% in 2025, agriculture's contribution has gradually decreased, reflecting slower primary sector development as well as growing mechanization and structural change. With over 40% of growth regularly coming from the industrial sector, it continues to be the state economy's largest contributor. Its share reached a peak of 50.68% in 2020, indicating the state's ongoing growth in its major industries of manufacturing, energy generation, and mining. From 34.44% in 2005 to a predicted 35.30% in 2025, the services sector has grown moderately but steadily. This implies that public

services, trade, transportation, communication, and finance will develop gradually. (Jain & Sethi 2025)

3.5 Growth in Services Sector

The service sector is gradually expanding due to:

- Urbanization
- Transport and communication development
- Banking and financial services expansion
- Rise of education and healthcare institutions
- Tourism in regions like Bastar, Sirpur, and Chitrakote Falls

The sector shows immense potential for future growth.

4. Structure of the Chhattisgarh Economy

The structure of an economy refers to the relative contribution of primary, secondary, and tertiary sectors. Chhattisgarh's economic structure has evolved significantly since 2000.

4.1 Primary Sector

The primary sector includes agriculture, forestry, and mining.

Agriculture

- Dominated by paddy, with limited diversification.
- Rain-fed farming is common.
- Low irrigation coverage, though slowly improving.
- Small and marginal farmers form the majority.
- Horticulture, fisheries, and livestock sectors are growing but still underdeveloped.

Forestry

- With nearly 44% forest cover, forestry is crucial, especially for tribal regions.
- Collection of tendu leaves, minor forest produce (MFP), honey, and medicinal plants provides seasonal livelihood.
- Van DhanVikasKendras are promoting tribal entrepreneurship.

Mining

- Chhattisgarh is a mineral powerhouse with reserves of:
 - Coal (Korba, Raigarh, Surguja)

- Iron ore (Dantewada, Bastar, Kanker)
- Bauxite (Mainpat, Keshkal)
- Limestone, dolomite
- Mining contributes heavily to state revenue but also creates environmental and social challenges.

4.2 Secondary Sector

The secondary sector includes manufacturing, industries, electricity, gas, water supply, and construction.

Industrial Manufacturing

- Steel and iron plants (Bhilai, Raipur, Raigarh)
- Cement industries (Balodabazar, Durg, Raipur)
- Power plants and aluminum industries
- Large MSME base in engineering, fabrication, rice mills, and handicrafts

The secondary sector plays a decisive role in employment and GSDP growth.

Energy Sector

- Chhattisgarh generates large quantities of thermal power due to coal availability.
- Growing solar potential in tribal regions and northern plains.

Construction

- One of the fastest-growing industries due to road development, bridges, irrigation canals, and urban expansion.

4.3 Tertiary Sector

The tertiary or service sector contributes significantly to the state's modern economy. It includes:

- Trade and commerce
- Transport and logistics
- Education and health services
- Financial services
- Tourism and hospitality
- Real estate

- ICT and communication services

Major cities like Raipur, Bhilai, and Bilaspur are becoming service-sector-driven growth centers.

5. Major Challenges Facing Chhattisgarh Economy

Even though Chhattisgarh has experienced significant growth, it faces deeply rooted challenges that impact inclusive development.

5.1 Agricultural Challenges

1. Dependence on Monsoon
 - Over 70% of agriculture is rain-fed.
 - Irrigation expansion is urgent.
2. Low Productivity
 - Traditional farming practices
 - Limited mechanization
 - Poor soil health in some regions
3. Lack of Crop Diversification
 - Heavy dependence on paddy affects farmer income stability.
4. Limited Market Access
 - Poor rural connectivity in tribal regions
 - Lack of proper cold storage and processing units

5.2 Industrial and Economic Challenges

1. Over-dependence on Mineral-Based Industries
 - Makes the economy vulnerable to global price fluctuations.
 - Less focus on diversification into high-value industries.
2. Low Value Addition
 - Mining produces raw materials, but processing industries are inadequate.
3. Infrastructure Gaps
 - Need for better logistics, industrial parks, and transport linkages.
4. Slow Growth of MSMEs

- Limited access to credit
- Low technology adoption
- Competition from large industries

5.3 Environmental and Sustainability Issues

1. Deforestation due to mining
 - Biodiversity loss
 - Soil and water contamination
2. Air Pollution in Industrial Belts
 - Korba and Bhilai among most polluted regions
3. Climate Change Impact
 - Erratic rainfall patterns
 - Affecting agriculture and water availability
4. Waste Management Issues
 - Especially in urban areas due to rapid urbanization

5.4 Regional and Social Disparities

1. Tribal and Forest Regions Lagged Behind
 - Bastar division shows low socio-economic indicators.
2. Education and Health Gaps
 - Insufficient infrastructure in remote districts
3. Urban-Rural Divide
 - Economic opportunities concentrated in few cities
4. Naxalism
 - Hampers development in certain pockets
 - Discourages private investment in affected regions

5.5 Issues in Human Development

1. Low Skill Levels
 - Mismatch between education and industry requirements
2. Migration of Youth
 - Movement to other states due to limited local jobs
3. Healthcare Challenges

- Shortage of specialists, infrastructure gaps in remote areas
- 4. Gender Inequalities
 - Low female labor force participation outside agriculture

6. Future Directions for Chhattisgarh's Economy

To address these challenges and unlock future growth, the state needs a multi-dimensional strategy.

6.1 Strengthening Agriculture and Rural Economy

1. Expand Irrigation Coverage
 - Use of micro-irrigation
 - Canal modernization
 - Check dams and water harvesting structures
2. Crop Diversification
 - Promotion of millets, pulses, oilseeds, and horticulture
 - Encourage agroforestry
3. Post-Harvest Infrastructure
 - Cold chains
 - Warehouses
 - Food processing units
4. Strengthening FPOs and Cooperatives
 - Enable farmers to gain better market access
5. Technological Adoption
 - Soil health cards
 - Mobile-based advisory services
 - Mechanization for small farmers through shared equipment centers

6.2 Industrial Diversification and Modernization

1. Develop Manufacturing Clusters
 - Textiles, pharmaceuticals, machinery, and engineering goods
2. Boost MSMEs

- Simplify regulations
- Provide technology and credit support
- Develop industrial estates in every district
- 3. Value Addition in Mining
 - Encourage steel manufacturing, aluminum processing, and mineral-based industries locally
- 4. Strengthen Power Sector Efficiency
 - Promote renewable energy (solar, biomass, small hydro)
- 5. Logistics and Connectivity Development
 - Warehousing, freight corridors, multimodal logistics hubs

6.3 Promoting Services Sector and Knowledge Economy

- 1. IT and Digital Economy
 - Establish IT parks in Raipur and Bilaspur
 - Encourage startups and innovation hubs
- 2. Education and Skill Development
 - Industry-linked vocational training
 - Modernize higher education institutions
- 3. Health Services Expansion
 - Establish medical colleges, telemedicine services
- 4. Tourism Development
 - Eco-tourism in Bastar
 - Heritage circuits (Sirpur, Danteshwari temple)
 - Waterfall tourism (Chitrakote, Tirathgarh)

6.4 Sustainable Development and Environmental Protection

- 1. Eco-Friendly Mining
 - Strict monitoring and regulation
 - Rehabilitation of mined areas
- 2. Afforestation Programs
 - Use of native species
 - Involving local communities
- 3. Climate-Resilient Agriculture

- Promote millets and climate-resistant crops
- Water management practices
- 4. Urban Sustainability
 - Waste management systems
 - Green buildings and public transport

6.5 Tribal Development and Inclusive Growth

1. Education and Skill Training for Tribal Youth
 - Residential schools
 - Technical and vocational training centers
2. Forest-Based Livelihood Promotion
 - Value addition in MFP (tendu leaves, tamarind, mahua)
 - Market linkages through Van Dhan Kendras
3. Infrastructure Development in Remote Areas
 - Roads, telecom, electricity, internet connectivity
4. Promotion of Tribal Handicrafts and Culture
 - Support for bell metal craft, terracotta, dokra art

6.6 Governance, Policy Innovation, and Investment Promotion

1. Ease of Doing Business Reforms
 - Single-window system
 - Digitization of permissions
2. Attracting Foreign and Domestic Investment
 - Industrial corridors and SEZ development
3. Strengthening Local Government Institutions
 - Empower panchayats and urban bodies
4. Data-Driven Governance
 - Use of GIS, AI, and analytics for planning and monitoring

7. Conclusion

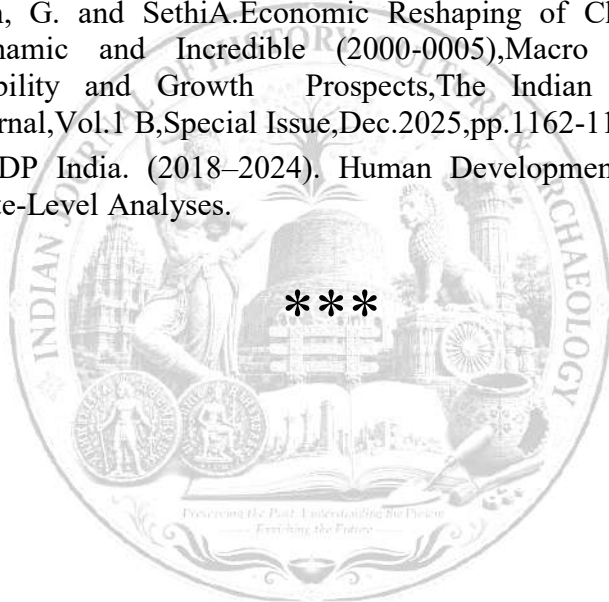
Chhattisgarh stands at a crucial juncture in its economic development journey. Over the past two decades, it has made significant progress through industrial expansion, resource utilization, agricultural reforms, and improvements in

infrastructure. The state's strong mineral base, growing power generation capacity, and expanding service sector present opportunities for long-term growth. However, challenges related to agricultural vulnerability, environmental degradation, socio-economic disparities, inadequate infrastructure, and limited human development must be addressed through comprehensive and inclusive strategies. Sustainable mining, diversification of industries, modernization of agriculture, expansion of services, and investment in human capital are essential for future progress. If Chhattisgarh adopts forward-looking policies and ensures equitable development across regions, it has the potential to transform from a resource-driven economy to a knowledge-based, innovation-driven, and inclusive economy over the next decade.

References

1. Government of Chhattisgarh. (Various Years). Economic Survey of Chhattisgarh. Directorate of Economics & Statistics, Raipur.
2. Government of India. (Various Years). State Finances: A Study of Budgets. Reserve Bank of India (RBI).
3. Planning Commission / NITI Aayog. (2001–2024). State Development Reports and Indicators. New Delhi.
4. Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI). (2011–2024). State Domestic Product and Sectoral Data. Government of India.
5. Chhattisgarh Industrial Development Corporation (CSIDC). Annual Reports and Industrial Policy Documents.
6. Census of India (2001, 2011). Primary Census Abstract and District-level Indicators.
7. Central Electricity Authority (CEA). (Various Years). Report on Power Generation in Chhattisgarh.
8. Ministry of Mines, Government of India. (2015–2024). Indian Mineral Yearbook: Chhattisgarh Chapters.
9. National Sample Survey Office (NSSO). (Various Rounds). Consumption and Employment Indicators for Chhattisgarh.
10. World Bank. (2020). India State-Level Public Expenditure Review: Chhattisgarh Case Studies.

11. Sharma, R. & Rao, S. (2019). "Industrialization and Economic Transformation in Chhattisgarh." *Indian Journal of Regional Development and Planning*.
12. Patel, L. (2021). "Mining, Environment and Socio-economic Impacts in Chhattisgarh." *Journal of Sustainable Development Studies*.
13. Verma, A. (2020). "Agricultural Growth and Challenges in Chhattisgarh." *Agricultural Economics Research Review*.
14. Tiwari, D. & Singh, P. (2022). "Regional Imbalances and Human Development in Chhattisgarh." *Journal of Social and Economic Studies*.
15. Jain, G. and Sethi A. Economic Reshaping of Chhattisgarh Dynamic and Incredible (2000-0005), Macro Economic Stability and Growth Prospects, The Indian Economic Journal, Vol.1 B, Special Issue, Dec.2025, pp.1162-1164.
16. UNDP India. (2018–2024). *Human Development Reports: State-Level Analyses*.



Republican Asylums: The French Influence on Indian Independence (1905–1947)

Sawan Kumar Singh

*Department of Foreign Languages, Aligarh Muslim University,
Aligarh, India*

Mohd Ahmad

*Department of Foreign Languages, Aligarh Muslim University,
Aligarh, India*

Abstract

The historiography of Indian decolonisation often centres on a British-Indian binary, marginalising the significance of France's colonial presence. This paper re-evaluates the French établissements, specifically Pondichéry and Chandernagore, as 'Republican Asylums' that provided vital legal and ideological alternatives to the British Raj. By exploiting the structural immunity of French sovereignty and the 'political offence exception' in extradition law, these enclaves served as logistical 'safe-zones' for revolutionary figures like Sri Aurobindo and Subramania Bharati. Beyond physical sanctuary, the research explores how the French republican triad of Liberté, Égalité, Fraternité offered a radical, secular counter-narrative to British imperial liberalism. Through an analysis of the diplomatic and intelligence-led friction between British and French administrators, this study argues that these territories were not mere colonial vestiges outposts but active hubs for the movement. Ultimately, the French enclaves sustained the militant and intellectual diversity of the Indian struggle, challenging British hegemony through the strategic application of international law and revolutionary philosophy between 1905 and 1947.

Keywords: French India, Extraterritoriality, Transnational History, Republicanism, Third Republic, Political Asylum, Decolonisation, Revolutionary Nationalism, Anglo-French Relations.

Introduction: Beyond the British Binary

The cartography of colonial South Asia is often visualised as a solid block of British imperial red a 'pink map' suggesting a totalising administrative and legal uniformity across the subcontinent. Yet, this visual simplicity ignores the strategic 'blue spots' of the French établissements. Which functioned as critical legal gaps within the British Raj. The établissements français dans l'Inde consisted of five small and separate settlements which had been in French possession since the eighteenth century. While the five enclaves Pondichéry, Chandernagore, Karikal, Mahé, and Yanaon were geographically minute, their political significance was disproportionately vast. From the 1905 Partition of Bengal to the eventual British withdrawal in 1947, these territories served as 'Republican Asylums,' a term that encapsulates both a physical refuge from the British police and an ideological laboratory for radical nationalist thought. As argued by Yechury (2015), these enclaves were not merely passive colonial vestiges but 'spaces of imagination' where the friction between British surveillance and French legal sovereignty created a persistent diplomatic crisis for the Raj.

This paper investigates the dual nature of these asylums. On a physical level, it explores how the French legal doctrine of droit d'asile (right of asylum) protected revolutionaries like Sri Aurobindo and Subramania Bharati, who fled British warrants to find safety under the French flag (Heehs, 2008). The structural immunity of these enclaves transformed them into logistical hubs for the revolutionary underground, within these borders, prohibited literature could be printed and militant strategies forged away from the gaze of the Criminal Intelligence Department (Yechury, 2015).

Indeed, British authorities officially identified these French territories as a major hole in imperial security, with the Government of India (1918) noting that the inability of British police to cross these borders allowed revolutionary conspiracies to mature without intervention.

On an intellectual level, this study interrogates the mix of French Republicanism and Indian Nationalism. Unlike the British system, which emphasised gradualist, constitutional reform within

a monarchical framework, the French Third Republic was built upon the radical, secular traditions of 1789. The revolutionary triad of Liberté, Égalité, Fraternité provided Indian nationalists with a powerful vocabulary to challenge British legitimacy (Ramaswamy, 1997). By examining the friction between British intelligence and French colonial officials, this paper argues that the path to 1947 was not a purely Anglo-Indian struggle, but a transnational phenomenon fostered within the sovereign defiance of the French enclaves.

Spatial Sovereignty: The Geopolitical Map of Resistance

The strategic utility of French India for the nationalist cause was fundamentally rooted in its geographic fragmentation. Unlike the contiguous British Raj, the établissements français comprised five widely dispersed enclaves: Pondichéry and Karikal on the Coromandel Coast, Mahé on the Malabar Coast, Yanaon on the Andhra coast, and Chandernagore in the heart of Bengal. This non-contiguous colonial structure created, what historians describe as a 'geographic anomaly' pockets of French sovereignty functioning as extraterritorial islands within a British sea (Yechury, 2015). For the revolutionary underground, these were not merely colonial vestiges but strategic "blind spots" where the British police's power of arrest was legally nullified. This 'jurisdictional patchwork' was reinforced by the Treaty of Paris (1815), which, by prohibiting French military fortifications, forced the French administration to assert its power through hyper-vigilant legal autonomy.

While all five enclaves played roles in the movement, Pondichéry and Chandernagore emerged as the primary theatres of dissent due to their proximity to revolutionary hotbeds. Chandernagore, located a mere 20 miles north of Calcutta, was uniquely positioned to influence the radical politics of Bengal allowing revolutionaries to maintain a presence in the capital of British India while remaining outside its legal jurisdiction. Pondichéry, the administrative capital, offered a robust urban infrastructure and maritime connections that made it the ideal refuge for high-profile political exiles like Sri Aurobindo and Subramania Bharati (Heehs, 2008). As Silvestri (2019) observes, the French administration, governed by the Ministry of Colonies

in Paris, often prioritised its own sovereign pride over British security concerns, refusing to allow British 'policing' or unauthorised surveillance within these boundaries.

The year 1905 changed everything transforming these enclaves from quiet trading posts into revolutionary hubs. The Partition of Bengal radicalised a generation of nationalists who viewed 'prayer and petition' politics as futile, leading to a shift toward Swadeshi and militant resistance. The Swadeshi movement, which had its genesis in the anti-partition agitation in Bengal, soon developed into a broad-based struggle for the attainment of Swaraj. This radicalisation was met with immediate British repression through the Seditious Meetings Act and the Press Act, necessitating the search for 'safe zones' where political activity could continue unhindered (Sarkar, 1973). According to the Government of India (1918), Chandernagore became a strategic hub for revolutionary logistics and the production of militant materials. The open borders meant that a revolutionary could effectively 'exit' the British Empire by simply crossing a street, a geographic reality that fundamentally altered the tactical landscape of the struggle.

The Legal Wall: Jurisdiction, Extradition, and the Right of Asylum

The survival of the Indian revolutionary underground in French India was not merely a product of geographical proximity; it was the direct result of a complex legal architecture that transformed the enclaves into zones of judicial immunity. Following the Napoleonic Wars, the Treaty of Paris (1815) restored these settlements to France but imposed severe military restrictions, prohibiting the stationing of troops (Miles, 1995). Ironically, the restrictions placed on French military power compelled the administration to defend its authority through legal and administrative channels instead. Unable to assert sovereignty by force, French officials became especially protective of their judicial independence, carefully guarding the boundaries of their jurisdiction. In doing so, they produced spaces in which British authority effectively ceased to operate zones where the legal reach of the Crown no longer applied (Legg, 2014).

The 1876 Treaty and the 'Political Offense' Exception

The primary legal shield for nationalists was the Anglo-French Extradition Treaty of 1876, which governed the surrender of fugitives between Britain and France. This treaty reflected a crucial principle derived from liberal European legal traditions: the 'political offense exception,' under which extradition could be refused if the alleged crime was deemed political rather than criminal in nature (Clark, Coudert, & Mack, 1909). The principle of dual criminality requires that the act for which extradition is sought must be a crime according to the laws of both the requesting and the requested state. For the British Criminal Investigation Department (CID), this situation resulted in a persistent and deeply frustrating impasse. Acts that the British classified as 'sedition' or 'waging war against the King' were interpreted by French magistrates as political acts protected under the right of asylum. Under the principle of 'dual criminality,' since sedition essentially a criticism of the monarch had no equivalent in the laws of the French Republic, extradition was legally impossible (Silvestri, 2019).

Legal Impasse: The 1910 Warrant and the French Refusal

This architecture was fundamentally tested in 1910 following a British warrant for the arrest of Aurobindo Ghose (Sri Aurobindo) for a 'seditious' article published in the journal *Karmayogin*. When Ghose fled to Pondichéry, the British authorities pressured the French administration to surrender him, arguing that his 'sedition' constituted a criminal threat to imperial stability. The French Governor, however refused to comply, maintaining that writing against a foreign government constituted a political act rather than an extraditable criminal offence, a position consistent with French law and the principles underpinning the Anglo-French Extradition Treaty of 1876 (Heehs, 2008).

This refusal set a precedent that shielded hundreds of other activists. By 1912, the British CID had to resort to a 'cordon system' placing spies and police at every road exiting Pondichéry because they had no legal authority to enter. This hardening of the 'Legal Wall' effectively turned the enclave into a 'safe-zone' where intellectual resistance could be codified into militant action

(Yechury, 2015). The French insistence on their judicial independence meant that as long as an Indian revolutionary remained within the French ‘blue spots,’ they were beyond the reach of British law.

The Pondichéry Hub: A Sanctuary for the ‘Extremist’ Vanguard

While the British Raj effectively crushed the leadership of the Swadeshi movement through the repressive Criminal Law Amendment Act of 1908, the arrival of Sri Aurobindo Ghose in Pondichéry in April 1910 signalled the birth of a permanent revolutionary ‘command centre’ beyond British reach (Heehs, 2008). Aurobindo’s transition from a radical political leader to a spiritual philosopher did not immediately pacify British anxieties; rather, the British Criminal Investigation Department (CID) viewed his ‘spiritual retreat’ as a sophisticated cover for a militant cell (Silvestri, 2019). Alongside figures like Subramania Bharati, the revolutionary poet who had fled Madras in 1908 and V.V.S. Aiyar, Pondichéry became a site where the intellectual and the militant converged. These figures were not merely hiding; they were utilising the distinct sovereignty of the enclave to maintain a pulse of resistance. The territory functioned as a ‘waiting room’ for revolution, where political strategies were debated in the safety of private residences that were legally off-limits to British agents without difficult extradition protocols (Yechury, 2015).

Chandernagore and the Subversive Pipeline of the North

If Pondichéry was the intellectual heart of the movement, Chandernagore was its armory. Located only 30 kilometres from Calcutta, this tiny French enclave was geographically inseparable from the hotbed of Bengali nationalism, yet legally a world away. Its primary significance lay in its role as a transit point for the illegal arms trade and the manufacturing of explosives. Because British police could not cross the ‘green line’ into French territory without a long, bureaucratic request for cooperation, Chandernagore became the primary sanctuary for members of the Anushilan Samiti and the Jugantar groups (Sarkar, 1983). Investigations into the Alipore Bomb Case revealed that the conspirators relied heavily on the enclave for the storage of chemicals and the concealment of fugitives. This ‘Chandernagore

connection' effectively neutralised the geographic advantage of the British capital at Calcutta, creating a persistent, proximal threat that the British could monitor but rarely touch due to the 'jurisdictional ambiguity' of the border (Yechury, 2015).

The Press in Exile: Smuggling the Banned Word

The most potent weapon sustained by the French enclaves was the printed word. Under the British Press Act of 1910, nationalist newspapers in the Raj were subject to heavy securities and summary closures. In response, the revolutionary press migrated to Pondichéry to exploit the liberal press laws of the French Third Republic (Legg, 2014). From the safety of French soil, Subramania Bharati published *India*, a weekly journal that utilised the French triad of *Liberté, Égalité, Fraternité* to critique British autocracy. These publications, along with journals like *Bala Bharata* and the *Karmayogin*, were printed on French presses and then smuggled across the unsecured borders into the Madras Presidency and Bengal. British attempts to intercept these 'seditious' materials at the post office often resulted in diplomatic friction, as French administrators viewed such interceptions as a violation of international postal conventions (Silvestri, 2019). This 'logistics of the word' ensured that even when leaders were in exile, their ideologies remained actively disruptive within the British heartland.

The French Triad as a Radical Political Vocabulary

Whereas the British Raj framed political participation in terms of subject hood and incremental constitutional reform, the French presence in India introduced the radical vocabulary of the French Revolution: *Liberté, Égalité, Fraternité*. The Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, passed by France's National Constituent Assembly in 1789, defined a set of individual and collective rights of all of the estates of the realm as universal. For Indian nationalists, this was not merely a foreign slogan but a potent counter-narrative to British imperial liberalism, which often prioritised 'order and good government' over individual liberty. The political culture of the *établissements français* was legally grounded in the republican universalism of the Third Republic, which, unlike the British system, theoretically offered the possibility of full citizenship (Heehs, 2008). This ideological

distinction provided Indian revolutionaries with a framework to articulate demands that went beyond the 'colonial self-government' advocated by the moderate wing of the Congress. By leveraging the language of French republicanism, dissidents like Sri Aurobindo could frame the Indian struggle not just as a regional grievance, but as a universal fight for human rights, aligning Indian independence with the broader trajectory of global democratic revolutions (Fischer- Tiné, 2014).

Secularism (Laïcité) and the Civic National Identity

Beyond political slogans, the French administration's adherence to laïcité (secularism) offered a distinct model for governance that contrasted sharply with the British strategy of communal representation. In the British territories, the partition of Bengal (1905) and the introduction of separate electorates (1909) had deeply communalised the political landscape. In contrast, the French enclaves operated under a legal code that officially disregarded religious affiliation in public administration (Yechury, 2015). This secular environment provided a unique intellectual space for Indian dissidents could imagine a nation defined by civic nationalism rather than religious identity. The exposure to French legal codes, which emphasised the state's neutrality, shaped the political thinking of exiles who sought to articulate a modern Indian nationalism capable of overcoming the communal divisions reinforced by the British strategy of 'divide and rule' (Sarkar, 1983).

Cross-Colonial Solidarity and Transnational Anti-Imperialism

The French enclaves served as a critical node in a transnational network of anti-imperialism, connecting Indian revolutionaries with European radicalism. The 'Republican Asylum' allowed for a degree of interaction with French socialists and anti-colonial thinkers that was impossible within the censored environment of British India. This connection was operationalised through the renouçants, Indians who had renounced personal law to become French citizens creating a unique political class that could lobby directly in the French National Assembly (Legg, 2014). Furthermore, the safety of Pondichéry facilitated communication with global centres of Indian resistance, such as

Shyamji Krishnavarma's India House in London. By exploiting the diplomatic tensions between Britain and France, Indian nationalists transformed these enclaves into international stages where the legitimacy of British rule was challenged before a global audience, utilising French soil as a megaphone for the cause of Swaraj (Silvestri, 2019).

The Imperial Cold War: Surveillance, Friction, and the Limits of Diplomacy

The coexistence of British and French territories on the Indian subcontinent created a unique 'Imperial Cold War,' where the shared European interests of the Entente Cordiale were frequently undermined by local colonial rivalries and the concerns over internal security. As the French enclaves became established sanctuaries for militants, the British Raj responded by implementing a 'cordon sanitaire' a physical and economic blockade (Silvestri, 2019) designed to isolate the enclaves from the rest of India. This cordon consisted of a dense network of police outposts and customs houses stationed at every exit point of Pondichéry and Chandernagore. According to Silvestri (2019), the British Criminal Investigation Department (CID) maintained a permanent presence on the borders, carefully recording the movements of those entering and leaving French territory. This surveillance was not merely passive; it involved the systematic harassment of anyone suspected of carrying seditious literature or maintaining links with the revolutionary cells inside.

The British objective was to make the cost of residency in French India so high through economic strangulation and constant monitoring that the revolutionaries would be forced to leave or face internal pressure from the local French-Indian population.

Inside the enclaves, a 'spy vs spy' dynamic emerged as the CID attempted to bypass French sovereignty through covert operations. Denied the legal right to arrest dissidents, the British relied on a vast network of informants and undercover agents to infiltrate the revolutionary circles. These operations frequently led to significant diplomatic friction. For instance, in 1912, British agents were implicated in several failed attempts to kidnap or disappear revolutionaries like Sri Aurobindo and Subramania Bharati (Heehs, 2008). When the French colonial police

discovered British agents operating without authorisation within Pondichéry, the local administration viewed it as a direct affront to French national honour. Yechury (2015) notes that French governors often protected Indian dissidents not out of genuine sympathy for their cause, but as a performance of sovereignty to repel British encroachment. This resulted in a paradoxical environment where the French police themselves representatives of a colonial power found themselves protecting anti-colonial revolutionaries from the agents of a rival empire.

The tension between the two powers was further complicated by the broader geopolitical landscape in Europe. While London and Paris were allies against Germany, the 'Indian Question' remained a point of constant diplomatic stalemate. The British government frequently pressured the French Ministry of Foreign Affairs to hand over 'anarchists' in exchange for concessions in other colonial theatres, such as North Africa or the New Hebrides (Silvestri, 2019). However, the French Republican tradition of *droit d'asile* (right of asylum) and the specific legal codes governing the *établissements français* made such transfers difficult to execute without a formal trial. The French were unwilling to set a precedent that would allow the British to dictate legal policy within French borders. Consequently, these territories remained 'transnational leaks' in the British imperial system until 1947, demonstrating that even at the height of European imperial cooperation, the specific legalities of sovereign enclaves provided essential fissures for the survival of the Indian independence movement.

Conclusion: The Legacy of the French Connection

The role of the *établissements français* in the Indian independence movement demonstrates that decolonisation was not a simple binary struggle between the British Raj and Indian nationalists, but a complex, transnational phenomenon facilitated by the 'spatial anomalies' of empire. By functioning as 'Republican Asylums,' Pondichéry and Chandernagore provided the revolutionary underground with more than just physical safety; they offered a sophisticated legal shield grounded in the 'political offence exception' and the principle of dual criminality (Silvestri, 2019; Yechury, 2015). This structural immunity allowed the

militant and intellectual diversity of the struggle to survive the most repressive periods of British surveillance. Furthermore, the ideological infusion of the French triad—Liberté, Égalité, Fraternité—and the model of laïcité provided a radical, secular alternative to British imperial liberalism, helping to shape the modern civic identity of the emerging Indian nation (Heehs, 2008).

The legacy of this 'French Connection' extended beyond the British withdrawal in 1947. The distinctive political consciousness that emerged within the French enclaves shaped the terms of their incorporation into the Indian Union, a process completed in 1954 and marked by persistent demands for the preservation of local cultural and legal traditions. The integration of the French settlements into the Indian Union was a unique chapter in the history of Indian independence, involving prolonged diplomatic negotiations between Paris and New Delhi. Ultimately, these territories were not passive remnant of a fading French influence, but active, transnational spaces that helped sustain currents of radical nationalism. Recognising the enclaves as 'Republican Asylums' necessitates a re-evaluation of the geography of Indian freedom, acknowledging that the path to Swaraj was paved not only in the streets of Calcutta and Bombay but also in the sovereign ruptures of the French enclaves.

References

- Clark, J. R., Coudert, F. R., & Mack, J. W. (1909). The nature and definition of political offense in international extradition. In *Proceedings of the American Society of International Law for 1909* (pp. 95–165). American Society of International Law.
- Fischer-Tiné, H. (2014). *Shyamji Krishnavarma: Sanskrit, sociology, and anti-imperialism*. Routledge.
- Government of India. (1918). *Report of the Sedition Committee, 1918*. Superintendent Government Printing.
- Heehs, P. (2008). *The lives of Sri Aurobindo*. Columbia University Press.
- Legg, S. (2014). *Prostitution and the ends of empire: Scale, governmentalities, and interwar India*. Duke University Press.

- Miles, W. F. S. (1995). *Imperial burdens: Countercolonialism in former French India*. Lynne Rienner Publishers.
- Ramaswamy, S. (1997). *Passions of the tongue: Language devotion in Tamil India, 1891–1970*. University of California Press.
- Sarkar, S. (1973). *The Swadeshi movement in Bengal, 1903–1908*. People's Publishing House. Sarkar, S. (1983). *Modern India, 1885–1947*. Macmillan.
- Silvestri, M. (2019). Policing “Bengali terrorism” in India and the world: Imperial intelligence and revolutionary nationalism, 1905–1939. Palgrave Macmillan.
- Yechury, A. (2015). Imagining India, decolonizing L’Inde Française, c. 1947–1954. *The Historical Journal*, 58(4), 1141–1165. <https://doi.org/10.1017/S0018246X14000727>



Newly Discovered Archaeological Remains in Banguwan Village of Jhansi District

Satyam Dubey

Research Scholar, Department of Ancient Indian History, Culture
and Archaeology, Indira Gandhi National Tribal University,
Amarkantak, Madhya Pradesh

Dr. Shiva Kant Tripathi

Research Supervisor (Associate Professor), Department of
Ancient Indian History, Culture and Archaeology, Indira Gandhi
National Tribal University Amarkantak, Madhya Pradesh

Abstract

Banguwan village is located in the Jhansi district of Uttar Pradesh, approximately 20 km from the district headquarters on the Jhansi-Baruasagar Road. Notably, the Banguwan region has been of immense archaeological importance, with remains from the Stone Age to the historical period coming to light from time to time. Archaeological remains are scattered throughout the area. For years, this region has remained neglected. It is hoped that, in the coming days, archaeologists will pay special attention to this area, study the ancient remains here, and conserve them. The main objective of this research paper is to highlight the archaeological remains in the area and raise awareness among local people of their heritage and ancient wealth. Based on the archaeological remains obtained through this research paper, the ancient cultural life has been studied, allowing for an understanding of their religious, economic, and political background. This research paper is based on the historical research methodology of social science.

Keywords: *Archaeological Remains, Culture, Cultural life, Ancient Art, Chandela Period, Shivalinga, Bundelkhand.*

Introduction

Banguwan village (25° 23' North latitude and 78° 41' East longitude) falls under the Jhansi district and is located approximately 20 km from the district headquarters on the Jhansi-

Baruasagar road. Banguwan village is of great archaeological importance because it is located in the Bundelkhand region of Uttar Pradesh. Bundelkhand is the part of India that has the distinction of being the country's central or heartland. This region has been a playground for humanity not only in the protohistoric period but also in the prehistoric period. Banguwan village is not far from Lalitpur, near which hand axes and cleavers from the Paleolithic period have been found during excavations. It is noteworthy that the Banguwan area has been of immense archaeological importance, with remains spanning the prehistoric to the historical periods continually coming to light, making this region a focal point for archaeologists. Numerous prehistoric tools have been recovered from Banguwan, including choppers and chopping tools, Core tools, flakes, and blades.¹ Stone tools similar to those found at Bangawa have also been recovered from Lahchura village.²

Banguwan village falls under Bundelkhand. Bundelkhand is a region in India where people of all three religions – Hinduism, Jainism, and Buddhism – have resided since ancient times, as evidenced by the ancient archaeological remains found there. The religiously tolerant rulers of various historical periods who governed this vast region of Bundelkhand, while mostly adopting Hinduism themselves and making it the state religion, also granted religious tolerance to Jainism and Buddhism. This led to the construction of numerous Hindu and Jain temples, along with large Buddhist stupas such as Sanchi and Bharhut, whose inner and outer walls were adorned with countless lifelike, artistic and captivating images of Hindu deities and Jain Tirthankaras. These images can still be seen in surviving temples and their ruins, as well as in museums in the Bundelkhand region. Among these museums, the Rani Mahal Museum and the State Museum (Jhansi, Uttar Pradesh), the Chanderi Museum (Shivpuri, Madhya Pradesh), Siron Khurd (Lalitpur, Uttar Pradesh), and the world-famous Khajuraho Museum are particularly noteworthy.³ The Sculpture of Vishnu's Vamana avatar, made of sandstone and measuring 98x56x22 cm (length x width x thickness), in the Rani Mahal Museum is particularly remarkable. This is a four-armed Sculpture of Vamana in a standing posture. This sculpture was found in the village of Chandpur, in the Lalitpur district of Uttar Pradesh.⁴

Based on Gupta-period temples, inscriptions and coins found in Bundelkhand, this provides a comprehensive analysis of their importance during the Gupta period and their place in Indian cultural heritage.⁵

An inscription of Samudragupta has been found at Eran, and along with it, an inscription of Budhagupta has also been found at Eran, on a pillar between the Varaha temple and the Vishnu temple, bearing an inscription of Budhagupta dated 484 CE. This inscription is solid evidence of Gupta rule in the Bundelkhand region.⁶ In Chandpur-Jahazpur in the Lalitpur district, there is a group of three Jain temples, of which Temple No. 2 is in good condition. The sanctum and mandapa of this temple are intact, and its entrance faces south and is very small, approximately 3 feet long and 3 feet wide.⁷ In the Bundeli dialect, it is called Bhonvra.⁸ The entrance to the sanctum is extremely small, requiring one to bend down to enter. Above the entrance to the sanctum, an image of a goddess seated on a throne holds a child in her lap. To the left of the goddess, two male figures are also carved, seated on the throne. Inside the sanctum, there is a colossal Sculpture of Shantinatha in the Kayotsarga posture, approximately 15 feet tall, which is magnificent and attractive. In the center of the pedestal, besides a pair of deer, there are a pair of lions, and on either side, a Tirthankara engrossed in meditation is depicted. On the slab to the right, in the center, there are two attractive images of Tirthankaras in the Kayotsarga posture, and below them is a Kalpavriksha (wish-fulfilling tree), the central figure of which has been destroyed, but around it, figures of a man and a woman are depicted in a graceful posture.⁹ In front of its sanctum, there is a mandapa with four pillars. This suggests that this temple was built in the Panchayatana style. An inscription of Bhanugupta has been found, dating to the Gupta era (510 CE). It was inscribed on a small pillar which was later transformed into the form of a Shiva Lingam. It bears the date of Gupta Samvat 191, Shravana Krishna Saptami. The Sati pillar mentions the self-immolation of the wife of Goparaja, the commander of the Gupta ruler Bhanugupta.¹⁰ Dr. S. K. Dubey has conducted extensive research in this field and has also assisted me in dating the artifacts mentioned in this research. He has done excellent work on the social and economic systems depicted in ancient Indian art, particularly during the Shunga-

Satavahana period, which is extremely important for the study of ancient art.¹¹

Newly Discovered Archaeological Remains

Recently, remains of Medieval temples, Ancient Shivalinga, Hanuman Sculptures, Sati stones, and numerous other Archaeological remains have come to light here. Among these ancient remains, the Shivalinga and fragments of temple architecture are located near an ancient well, and at some point, the local people used these temple remains to reconstruct the well and its steps. At a short distance from here, a Hanuman idol and other relics were found under a tree in a field.

Ancient Shiva Lingam (Latitude - 25°22'52" Longitude - 78°40'54")

This is a rectangular Shiva Lingam made of sandstone. The length of the lingam part of this Shiva Lingam is 50 cm and its diameter is 40 cm. The base of the lingam is octagonal, with each side measuring 6 cm. The length of the base (argha) of the Shivling is 1.5 meters and its width is 1.3 meters. All these relics are located on the edge of a field in the middle of the village. Many broken fragments are also lying near the Shiva Lingam, and an ancient well is situated about 20 meters behind it.



**Figure 1. Medieval Octagonal Shiva Lingam
Stone Pillars (Latitude - 25°22'52" Longitude - 78°40'54")**

In the referenced area, near the Shiva Lingam, numerous remains of ancient temples are scattered, among which pillars and other parts of the temple architecture are particularly noteworthy.

Some of the pillars have been described along with their dimensions. Pillars No. 1 and No. 2 are of almost the same size, measuring 3 meters in length, 9 cm in width, and 8 cm in thickness. Pillar No. 1 is unadorned, while one side of Pillar No. 2 is decorated. Pillar No. 3 is approximately 1.5 meters long, 6 cm thick, and 6 cm wide. This pillar is more ornate than the other two pillars and may have been part of the sanctum sanctorum of an ancient temple.



Figure 2. Stone Pillar 1



Figure 3. Stone Pillar 2



Figure 4. Stone Pillar 3

Remains of other parts of the temple architecture (Latitude - 25°22'52" Longitude - 78°40'54")

Near the said Shiva Lingam, numerous fragments of temple architecture are scattered. Among these remains are the Kirtimukha, parts of the temple's platform, floral motifs, and

decorated areas featuring miniature Kirtimukhas. All these fragments are shown in Figures 4 to 9.



Figure 5.
Kirtimukha



Figure 6. Decorated
past of temple



Figure 7. Platform
part



Figure 8. Decorated parts of platform



Figure 9. Past of Temple

Well Reconstructed with ancient Stone pillars (Latitude- 25°22'52" Longitude- 78°40'54")

Behind the said Shiva Lingam, there is an ancient well. This well is probably contemporary with the temple remains. At some point, the local people used the temple pillars and other fragments found there to reinforce the well's structure. These are still visible today. Numerous pillars were used in its construction,

displaying various types of ornamentation, including intricate floral designs.



**Figure 10. Well Reconstructed with Stone Pillars
Hanuman Sculpture (Latitude - 25°23'04" Longitude - 78°40'53")**

A Stone Sculpture of Lord Hanuman was also found under a tree in a field on the path leading to the hill in the village. This Sculpture is made of the same rough granite stone found in the referenced area. Its size is approximately 1 meter in length and 40 cm in width, and the thickness is 10 cm. The Sculpture is not in good condition.



**Figure No. 11 - Hanuman Sculpture
Sati Stone (Latitude - 25°23'04" Longitude - 78°40'53")**

Sati stone is situated behind the Hanuman Sculpture. The measurement of this sati stone is 20 cm long and 15 cm wide. This sati stone depicts a couple holding hands, but it differs slightly from those found in this area by lacking the moon, sun, and handprints. Local people installed this Sati stone on a modern plaster platform.



**Figure No. 12 – Sati Stone
Platform made of ancient bricks and other remains (Latitude
- 25°23'04" Longitude - 78°40'53")**

This platform was built behind the Hanuman Sculpture and the Sati stone by using large-sized ancient bricks. The size of one brick is 12 cm in length, 8 cm in width, and 4 cm in thickness, as seen in **Figure 13**. The entire surface area of this platform (Figure 14) is 1.5 x 1 meters. A stone object, like a small votive stupa or Temple part made of sandstone, was placed on this platform. This votive stupa-like structure is shown in **Figure 15**.



Figure 14. Brick Platform



Figure 13. Brick size



**Figure No. 15 Small Votive
Stupa or Temple part**

Remains of ancient Sculptures found on the hill (Latitude - 25°23'04" Longitude - 78°40'53")



Figure 16.



Figure 17.

Conclusion

After studying the architectural style of the Shiva Lingam and the remains of the ancient temple located in the center of the village, and considering the suggestions of senior archaeologists working in this region, it appears that this temple was probably constructed during the reign of the Chandela rulers. It is noteworthy that this region was a major center of artistic activity under the Chandela rulers, who, through their efforts, commissioned numerous temples and sculptures related to Shaivism, Vaishnavism, and Jainism. This temple was likely built in the same period, and it now stands in a completely dilapidated state. Among these ancient remains, the Shiva Lingam, pillars, fragmented Sculptures, and other parts of the temple architecture are particularly noteworthy. They reveal the artistic sensibilities of the Chandela rulers and the artists of that time. This area has remained neglected for many years. It is hoped that in the coming days, the Archaeological Survey of India, the State Archaeology

Department, or some other organization will pay attention to this area and make efforts to preserve and conserve the existing remains, thereby safeguarding our ancient heritage and the artistic legacy of the artists for future generations.

References:

1. Pant, P.C. (1982), Prehistoric Uttar Pradesh, Agam Kala Prakashan, Delhi, pp 45-47,
2. Same pp 32,39
3. Verma, Dr. Mahendra, (2005), Sculpture of Bundelkhand, Bharatiya Kala Prakashan, Delhi, p.1
4. Tripathi, S. K. and Dubey, Satyam, (2025), Iconographical Study of Vamana Avatar Sculpture: A Socio-Cultural Study, Collection of Rani Mahal Museum, Jhansi (Research Paper), Indian Journal of Anthropology, Volume 11, June 2025, DOI: /10.21088ijra.2454.9118.11125.4
5. Dubey, Satyam, (2023), Bundelkhand me Gupta Kaleen Virasat ko Udghatit karne bale Puratattavik Avshesh, (Research Paper), Bhairavi, Mithilanchal Sangeet Parishad, Darbhanga, 2023, pp. 56-53, ISSN 5217-0975
6. Fleet, J. F., (1974), Indian Inscriptions Collection, Volume 3, Translator Mishra, Girijashankar Prasad, Rajasthan Hindi Granth Academy, Jaipur, pp. 119-117
7. Tripathi, S. K. and Dubey, Satyam, (2024), Jain Temples of Lalitpur, Indian Journal of Anthropology (Research Paper), Volume 10 Number 2, July – December 2024, DOI: <http://dx.doi.org/10.21088/ijra.2454.9118.10224.8>
8. Verma, Mahendra, (1992), Chandelkaleen Kala aur Sanskriti, Ramanand Vidhya Bhawan, Delhi p. 36
9. Tripathi, S. K. and Dubey, Satyam, (2024), Jain Temples of Lalitpur, Indian Journal of Anthropology (Research Paper), Volume 10 Number 2, July–December 2024, DOI: <http://dx.doi.org/10.21088/ijra.2454.9118.10224.8>
10. Fleet, J. F. (1974), Indian Inscriptions Collection, Volume 3, Translator Mishra, Girijashankar Prasad, Rajasthan Hindi Granth Academy, Jaipur, pp. 119-117
11. Dubey, S.K., (1997), Sunga-Satvahana Kala me Nirupit Samajik evam Arthik Vyavastha (Thesis), Barkatullah University, Bhopal, pp 236-41

मध्यक्षेत्र में बौद्ध धर्म का उद्भव एवं विकास

डॉ. शिशिर कान्त त्रिपाठी

सहायक प्राध्यापक, प्राचीन इतिहास विभाग, शासकीय लाहिड़ी स्नाकोत्तर महाविद्यालय,
चिरमिरी, छत्तीसगढ़

सारांशिका

मध्यक्षेत्र छठीं शताब्दी ई.पू. में सोलह महाजनपदों में से अवन्ति महाजनपद शक्तिशाली जनपदों में एक था। महात्मा बुद्ध के आविर्भाव के समय से ही मध्यक्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रवेश हो चुका था। ई.पू. छठीं शताब्दी से लेकर तेरहवीं शताब्दी तक के विभिन्न शासकों के संरक्षण एवं उन्नयन में यहाँ अन्य धर्मों के साथ-साथ बौद्ध धर्म का भी विकास हुआ। अवन्ति जनपद मध्यप्रदेश के मालवा एवं सीमापवर्ती क्षेत्र में फैला था। प्रमुखतः इस जनपद के दो भाग थे। उत्तरी अवन्ति और दक्षिणी अवन्ति। उत्तरी अवन्ति के राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी अवन्ति की राजधानी महिष्मती थी। ये दोनों सीमाओं को विन्ध्यांचल पर्वत विभाजित करता था। मौर्यकालीन मध्यक्षेत्र बौद्ध धर्म की दृष्टि से समृद्ध कहा जा सकता है। यहाँ पर राजकुमार अशोक अपने पिता बिन्दुसार के समय ग्यारह वर्ष तक अवन्ति का राज्यपाल रहा था। पाटलिपुत्र से उज्जयिनी के राजमार्ग में विदिशा नगरी स्थित थी। दीपवंश, महावंश के अनुसार अशोक उज्जयिनी जाते समय विदिशा रुका। वहाँ उसने विदिशा के श्रेष्ठी की पुत्री देवी से विवाह किया था। कालान्तर में इसी देवी से अशोक महेन्द्र एवं संघमित्रा पुत्री का जन्म हुआ था। भारत अन्य क्षेत्रों में पूर्व मध्यकाल के इतिहास में जहाँ बौद्ध धर्म को विलुप्त बताया गया है, वहीं मध्यक्षेत्र में यह समृद्ध परम्परा दिखाई देती है। इस काल के बौद्ध आचार्य, परमार्थ, उपगुप्त, उपशून्य तथा अन्य आचार्यों ने केवल भारत ही नहीं वरन चीन जैसे देशों में जाकर मध्यक्षेत्र का नाम रोशन किया। साथ ही मध्यक्षेत्र के साँची, सतधारा, सोनारी, आँधेर, धमनार, कोलवी, पोलाडोंगर, खेजड़ियाभोप, बाघ, सारू-मारू अनेक स्थानों में बड़ी तादाद में बौद्ध भिक्षुओं के लिए चैत्य, स्तूप और विहार बनवाये गये। मध्यक्षेत्र प्राचीन काल से ही बौद्ध धर्म का केन्द्र रहा है। यहाँ पर यत्र-तत्र उतार चढ़ाव जरूर आये लेकिन महत्त्व कम नहीं हुआ उसे अनेक रूपों में पूजकर पूज्यनीय बनाया और जनमानस ने उस परम्परा को बनाये रखा। प्रत्येक कालों में बौद्ध धर्म अपनी मानवीय परम्परा को लिये हुए नैतिक मूल्यों का पालन करते हुए बना हुआ है। जिसकी प्रासांगिकता आज भी अधिक दिखाई देती है।

मूल शब्द: बौद्ध धर्म, मध्यक्षेत्र, उज्जयिनी, शिक्षा, मथुरा शैली, गांधार शैली, महायान, हीनयान।

बौद्ध धर्म की उत्पत्ति आकस्मिक नहीं बल्कि वैदिक युग की समाप्ति से लेकर छठीं शताब्दी ई.पू. तक के मध्य नूतन पुरातन विश्वासों और विचारों के अन्वेषण का प्रतिफल था। इस समय वेद एवं शास्त्रों के नाम पर कठोर कर्मकाण्ड व्यवहार में थे, वर्ण व्यवस्था कठोरता की ओर अग्रसर थी। वास्तव में वेद व अन्य शास्त्रों की गलत व्याख्या और निरर्थक कर्मकाण्डों पर जोर समाज में मात्र कुछ लोग अपने लाभ के लिए दे रहे थे समुदाय का एक भाग सम्पूर्ण समाज पर येन केन प्रकारेण अपनी श्रेष्ठता साबित करना चाहता था। परिणामस्वरूप भारतीय समाज भटकाव भरे रास्ते

पर चला गया जिससे आज (वर्तमान) तक छुटकारा नहीं मिल सका है। समाज छुआ-छूत, ऊँच-नीच जैसी कुरीतियों और पाखण्डी प्रथाओं से ग्रस्त हो चुका था। परिणामस्वरूप बौद्ध धर्म के उदय से काफी पूर्व से ही समाज के भीतर कुछ विचारक इस तरह की पाखण्डी मान्यताओं को चुनौती देने लगे थे।¹ यज्ञीय विधि-विधानों और कर्मकाण्डों के विरुद्ध प्रतिक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी।² फलस्वरूप समाज के अनेक विचारवान् लोग वैदिक शास्त्रों से ही घृणा करने लगे।³ अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए नए-नए पथों ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। इसमें प्रमुख रूप से बौद्ध धर्म का स्वरूप सामने आया जो देश-विदेश में फैला। जिसका प्रभाव मध्यक्षेत्र पर भी पड़ा।⁴

मध्यक्षेत्र और उसकी राजधानी उज्जयिनी प्राचीन काल से ही एक प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थली रही है। ई.पू. छठीं शताब्दी से लेकर तेरहवीं शताब्दी तक के विभिन्न शासकों के संरक्षण एवं उन्नयन में यहाँ अन्य धर्मों के साथ-साथ बौद्ध धर्म का भी विकास हुआ।⁵ यहाँ पर छठीं शताब्दी ई.पू. में सोलह महाजनपदों में से अवन्ति महाजनपद शक्तिशाली जनपदों में एक था। महात्मा बुद्ध के आविर्भाव के समय से ही मध्यक्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रवेश हो चुका था। अवन्ति जनपद मध्यप्रदेश के मालवा एवं सीमापवर्ती क्षेत्र में फैला था। प्रमुखतः इस जनपद के दो भाग थे। उत्तरी अवन्ति और दक्षिणी अवन्ति। उत्तरी अवन्ति के राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी अवन्ति की राजधानी महिष्मती थी। ये दोनों सीमाओं को विन्ध्यांचल पर्वत विभाजित करता था।⁶ महात्मा बुद्ध के समय भारत में चार महाजनपद अत्यन्त समृद्ध व शक्तिशाली थे जो निरन्तर अपने साम्राज्य विस्तार के लिए प्रयत्नशील थे। यह महाजनपद अवन्ति, वत्स, कोशल व मगध थे। अवन्ति महाजनपद मध्यक्षेत्र में स्थित था। महात्मा बुद्ध के आगमन के उल्लेख नहीं मिलते किन्तु उन्होंने सदैव शिष्यों को सद्धर्म के प्रचार के लिए प्रोत्साहित किया था।

छठीं शताब्दी ई.पू. में अवन्ति महाजनपद का शासक चण्डप्रद्योत था जो एक शक्तिशाली शासक था। उसके काल में ही अवन्ति जनपद में बौद्ध धर्म का आविर्भाव हो गया था। उनके राजपुरोहित आर्य महाकात्यायन ने अवन्ति प्रदेश में बौद्ध धर्म की नींव डाली। उल्लेख है कि जब महात्मा बुद्ध अपने उपदेशों से ख्याति प्राप्त कर चुके थे। उनके उपदेशों को सुनने के लिए राजा से लेकर जनसामान्य तक के लोग आते थे। इसी ख्याति को सुनकर चण्डप्रद्योत ने महाकात्यायन को महात्मा बुद्ध के पास श्रावस्ती भेजा कि वे उनके ज्ञान से लाभान्वित होना चाहते हैं।

महाकात्यायन ने वहाँ जाकर तथागत बुद्ध से अवन्ति चलने के लिए निवेदन किया लेकिन स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण तथागत ने यह कहा कि मैं जो चाहता हूँ उससे आप भलीभाँति परिचित हो चुके हैं इसलिए मेरी बात को आप राजा तक पहुँचाने में सामर्थ्य है। महाकात्यायन ने यहाँ आकर राजा चण्डप्रद्योत को महात्मा बुद्ध के उपदेशों को भलीभाँति तरीके से कहा जिससे महाराज प्रभावित होकर बौद्ध धर्म हेतु प्रचार-प्रसार में सहयोग प्रदान किया। महाकात्यायन स्वयं महात्मा बुद्ध के शिष्य हो चुके थे। उन्होंने अवन्ति क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार-प्रसार शुरू कर दिया। इन्हीं से प्रभावित होकर चण्डप्रद्योत की महिषी गोपाल माता देवी ने उज्जयिनी के कांचनवन उद्यान में एक विहार का निर्माण करवाया।⁷ जहाँ रहकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। अतएव अवन्ति महाजनपद में महात्मा बुद्ध के जीवनकाल से ही बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव दिखाई देता है। बौद्ध भिक्षु-भिक्षुणियों एवं प्रचारकों में अनेक का संबंध अवन्ति से था इनमें अभय कुमार, इसिदासी, इसिदत्त, सोणकुटिकण, उदान, धम्मपाल आदि प्रमुख थे।

उज्जयिनी, साँची, सतधारा, पानगुडारिया सतधारा, दशपुर आदि क्षेत्रों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार-प्रसार हुआ। उज्जयिनी के कुररघर एक प्रसिद्ध बौद्ध केन्द्र बना यहाँ पर काली व कात्यायनी नामक उपासिका यहाँ की निवासिनी थी। यहाँ पर महाकात्यायन भी निवास करते हुए बतलाये गये हैं।⁸ बेलुकण्ठ भी अवन्ति प्रदेश का नगर था यहाँ स्थविर, कुमारपुत्र और उनके एक साथी भिक्षु यहाँ के निवासी थे। एक बार सारिपुत्र मौदगल्यान यहाँ आये थे जहाँ नन्दमाता ने उनका सत्कार किया था।⁹ बौद्ध समाज में मध्यक्षेत्र उज्जयिनी के विद्वानों का सम्मानजनक स्थान था। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 100 वर्ष बाद कालाशोक के समय दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में आयोजित की गई। वैशाली की संगीति के बाद बौद्धों के कई भेद प्रकट हुए इनमें महासांधिक, स्थविरवादी एवं सर्वास्तिवादी प्रमुख थे। इनमें से स्थविरवादी कौशाम्बी से अवन्ति दक्षिणापथ के मार्ग पर सद्धर्म के प्रचार के लिए अग्रसर हुए जबकि महासांधिक मगध से आन्ध्रपथ की ओर तथा सर्वास्तिवादी मथुरा से उत्तरापथ की ओर बढ़े।¹⁰ इस प्रकार अपने क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का प्रचार-प्रसार किया। मध्य परिक्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार का श्रेय सर्वास्तिवादी को जाता है। उज्जयिनी के 88 अर्हतों ने भी भाग लिया था। इस प्रकार अवन्ति प्रदेश बौद्ध धर्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गया था।

मौर्यकालीन मध्यक्षेत्र बौद्ध धर्म की दृष्टि से समृद्ध कहा जा सकता है। यहाँ पर राजकुमार अशोक अपने पिता बिन्दुसार के समय ग्यारह वर्ष तक अवन्ति का राज्यपाल रहा था। पाटलिपुत्र से उज्जयिनी के राजमार्ग में विदिशा नगरी स्थित थी। दीपवंश, महावंश के अनुसार अशोक उज्जयिनी जाते समय विदिशा रुका। वहाँ उसने विदिशा के श्रेष्ठी की पुत्री देवी से विवाह किया था।¹¹ कालान्तर में इसी देवी से अशोक महेन्द्र एवं संघमित्रा पुत्री का जन्म हुआ था। जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार में सक्रिय योगदान दिया था। बौद्ध धर्म में सबसे बड़ा संरक्षण शासक अशोक ही था। कलिंग युद्ध के पश्चात् अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। उसने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाते हुए अपना शेष जीवन जनकल्याण के कार्यों एवं बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार में व्यतीत कर दिया।

चीनी यात्री फाह्यान के अनुसार अशोक ने धर्म के प्रचार हेतु चौरायसी हजार स्तूपों का निर्माण करवाया। मध्यक्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार में विशेष रुचि ली। यही कारण रहा कि साँची, सतधारा, सोनारी के आस-पास बौद्ध धर्म भलीभाँति पल्लवित रहा। साँची स्तम्भ लेख में अशोक बौद्ध भिक्षु-भिक्षुणियों को भेद के विरुद्ध चेतावनी देता है यहाँ अशोक की बौद्ध संघ को एकजुट रखने की सतत् प्रयास की पुष्टि करता है।

मौर्यकाल में बौद्ध धर्म के स्थापत्य एवं कलावशेषों के निर्माण में प्रशासन का महत्वपूर्ण योगदान तो रहा ही है लेकिन इससे आगे बढ़कर व्यापारी वर्ग, भिक्षु-भिक्षुणी तथा सामान्य नागरिकों का भी योगदान रहा है। साँची के स्तूप में तोरणद्वार तथा अन्य स्थानों में भी हमें निर्माण की प्रक्रिया दिखाई देती है।

मौर्यकाल तक बौद्धों में हीनयान परम्परा प्रचलित थी तथा बुद्ध की मूर्तियों का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। इसलिए अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रतीकों सिंह, वृषभ, हस्ति, अश्व, चक्र आदि का उत्कीर्णन स्तम्भों में करवाया। बौद्ध कल्पना में ये चार पशु अनवतप्त सरोवर के चार द्वारों के रक्षक हैं जहाँ से चार महानदियों का उद्गम है।¹² ये पशु संभवतः बुद्ध के जीवन की मुख्य घटनाओं के प्रतीक हैं। हस्ति बुद्ध के गर्भप्रवेश का वृषभ उनकी जन्मराशि का, सिंह शाक्य सिंह का तथा अश्व उनके

महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक है।¹³ अशोक ने यह स्तम्भ साम्राज्य की सीमा के उचित स्थानों पर एवं बुद्ध के जीवनकाल से संबंधित महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थापित किये। इनके अवशेष साँची, सोढंग आदि से प्राप्त हुए हैं। सोढंग से जो स्तम्भ प्राप्त हुआ है वह विक्रम विश्वविद्यालय के पुरातत्त्व संग्रहालय में संग्रहीत है। मौर्यवंश के पतन के बाद शुंग, कुषाण एवं गुप्तकाल में भी प्रभाव दिखाई देता है। शुंग शासक पुष्यमित्र ब्राह्मण धर्मानुयायी था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार ये बौद्ध विरोधी थे। किन्तु उनकी कलाकृतियाँ प्रमाणित करती हैं कि इनके समय बौद्ध धर्म का विकास हुआ। साँची, भरहुत के स्तूपों में इनके समय चारों ओर वेदिका बनाई गई है।¹⁴ भिक्षु निवास के लिये मध्यक्षेत्र और समीपवर्ती क्षेत्रों में बहुत से विहार बने थे।

दिव्यावदान और तारानाथ ने पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का घोर शत्रु तथा स्तूपों और विहारों का विध्वंसक बताया है। अशोक ने चौरासी हजार स्तूपों का निर्माण कर ख्याति प्राप्त की थी, पुष्यमित्र शुंग ने वहीं ख्याति चौरासी हजार स्तूपों को नष्ट कर अर्जित की। उसने पाटलिपुत्र के कुक्कुटाराम विहार को तीन बार नष्ट किया। स्तूपों और विहारों को नष्ट करता हुआ साकल (स्यालकोट) पहुँच गया। जहाँ उसने घोषणा की कि जो मुझे एक भिक्षु का सिर देगा उसे मैं सौ दीनार दूँगा।¹⁵ अतः इस प्रकार शुंग काल में ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ।

शुंग एवं कण्ववंश के कतिपय शासकों का भी येन केन प्रकारेण उज्जयिनी से सम्बन्ध था। शुंगों के काल में उज्जयिनी के अनेक धनपतियों ने साँची के स्तूप निर्माण में सहयोग दिया। साँची की सूची-वेष्टिनियों पर अंकित उज्जयिनी के दानदाताओं के नाम को इसके प्रमाण के रूप में उद्धृत किया जा सकता है। साँची और भरहुत के प्राप्त अभिलेखों में उज्जैन के लोगों का नामोल्लेख है, जिन्होंने बौद्ध धर्म हेतु दान दिया था। डॉ. ब्यूलर महोदय¹⁶ के अनुसार उज्जैन के निवासियों के दान विषयक पैंटीस लेख प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार का दान देना एक आश्चर्य जनक बात है, क्योंकि साँची उज्जैन से बहुत दूर है। ये दान शुंग-सातवाहन काल में दिए गये जब साँची स्तूप क्रमांक-1 के स्तूपों का तोरणद्वार तथा विहार का निर्माण हुआ था। कुरुरघर ग्राम के चालीस निवासियों द्वारा दानोल्लेख के बाद उज्जयिनी अपने दान देने में दूसरे क्रम में है। वस्तुतः इतनी बड़ी संख्या में दान देने का मानना यह हो सकता है कि अशोक के समय से ही विदिशा और उज्जयिनी का धार्मिक सम्बन्ध रहा है।

अभिलेखों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि अधिकतर दानी उज्जयिनी के बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियाँ, उपासक-उपासिकाएँ रहीं, जो किसी विशाल विहार से सम्बन्धित रहे। बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए अलग-अलग संघाराम रहे होंगे।¹⁷ साँची स्तूपों के लिए दिए दान से स्पष्ट होता है कि तत्कालीन समय में बौद्ध धम्म के मानने वाले धनिक रहे। उज्जयिनी नगर के चारों दिशाओं में चार विशाल स्तूपों का होना ज्ञात है, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि अशोक के समय यहाँ अनेकों बौद्ध विहारों, संघारामों का निर्माण हो चुका था। यहाँ के उपासकों के द्वारा बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म के विकास में सहयोग देने का उल्लेख है।

उज्जयिनी के विश्वदेव और उसकी पत्नि प्रज्ञावती मूला बौद्ध धम्म के उपासक थे, जिन्होंने साँची जाकर महास्तूप में दान दिया था।¹⁸ विश्वदेव का नाम भरहुत के अभिलेख में भी पाया गया है। लेकिन यह वही है या नहीं कहना कठिन है। फिर भी लेखों की अक्षर वाटिका की सामानता के आधार पर उज्जयिनी के वैश्यदेव को ही माना जा सकता है। जिसने साँची एवं भरहुत के स्तूप निर्माण में दान दिया था। निश्चित है कि यह बौद्ध देव एक धनी बौद्ध अनुयायी रहा होगा। भरहुत के लेख में

विश्वदेव को राजा की उपाधि से विभूषित किया गया है।¹⁹ जो एक समान पदवी कही गयी है। फिर भी शृंगयुगीन उज्जयिनी में बौद्ध धर्म कम दिखाई देता है, कारण कि ब्राह्मण धर्म का प्रभाव अधिक परिलक्षित है।

पुराणों से ज्ञात होता है कि शृंगों के पश्चात कण्ववंशीय राजाओं ने पैतालीस वर्षों तक राज्य किया। तत्पश्चात् सातवाहन शासकों का उज्जयिनी में शासन रहा है। आन्ध्र-सातवाहन (ई. पूर्व 100 से ई. सन् 50 तक) ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे। लेकिन तत्कालीन समय में बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण बौद्ध धर्म को भी महत्त्व देते थे। इसकी पुष्टि सिक्कों में उत्कीर्ण बौद्ध धम्म के प्रतीकों से होती है। डॉ. विसेन्ट् स्मिथ ने अपने कैटलॉग में एक मुद्रा का उल्लेख किया है जिसमें एक ओर वृषभ और दूसरी ओर उज्जैन चिन्ह के साथ बोधिवृक्ष है। उसके नीचे (ए) 'रूनमित' लिखा हुआ है।²⁰ पुराणों में दी गई वंशावली के अनुसार सातकर्णिक नामक राजा ने 18 वर्षों तक राज्य किया। नानाघाट अभिलेख में इसे दक्षिणापथपति शातकर्णिक कहा गया है।²¹ साँची महास्तूप की वेदिका शिलालेख में उल्लेखानुसार - राजा सिरि सातकर्णिक के समय वरिष्ठ अधिकारी 'वासिठिपुत आनन्द' द्वारा बौद्ध स्तूप साँची को दान देने का उल्लेख है। उसे आवेशिन कहा गया है। आवेशिन को शिल्पकार व कारीगरों का मुखिया कहा गया है जिसने अनेक बौद्ध विहारों को सहायता दी थी। इससे स्पष्ट होता है कि सातकर्णिक के राज्य में उसके बड़े अधिकारियों में बौद्ध धर्म मानने वाले थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म की सहायता की।

शृंगो-कण्वों के पतनशील शिथिल प्रशासकीय व्यवस्था ने उज्जैन में क्षेत्रीय शासन के उदय का भी अवसर दिया और गर्दभिल्ल वंश की स्थापना हुई। गर्दभिल्ल के पुत्र विक्रमादित्य ने अनेक प्रशासकीय मान्यताओं की स्थापना की और अपने पौरुष पराक्रम से न केवल उज्जयिनी को समृद्धि के प्रकर्ष पर पहुँचा दिया, वरन् राष्ट्रीय गौरव की स्थापना की और भारत भूमि से शकों को विस्थापित कर भारतीय राष्ट्रीय अस्मिता की प्रतिष्ठा की। इस प्रकार के शौर्यपूर्ण क्रियाकलाप के उपलक्ष्य में उसने 57 ईसा पूर्व में एक नूतन संवत्, जो क्रमशः कृत, मालव एवं विक्रम जैसे विविध नामों से प्रतिष्ठित हुआ, का प्रचलन किया।

मंदसौर के निकट स्थित अवलेश्वर (प्रतापगढ़) से प्राप्त स्तम्भ लेख²² तथा उज्जैन से उपलब्ध कतस उज्जयिनी (स) अभिलिखित मृण्मुद्रा से विक्रमादित्य का गर्दभिल्लपुत्र से समीकरण के प्रसंग में अभिनव प्रमाणों का संयोग हुआ है। वास्तव में कृत अथवा विक्रम संवत् के रूप में उज्जैन का भारत राष्ट्र को महत्त्वपूर्ण अवदान है। गर्दभिल्ल शासक का समय भी बौद्धधर्ममय रहा है। इस समय अनेक बौद्ध मठ एवं विहार निर्मित थे। विक्रमादित्य ने भी सभी धर्मों का आदर किया था। फिर भी बौद्ध धर्म का अपना एक महत्त्व रहा है।

प्रथम शताब्दी ई.पू. के कुषाणकालीन समय में बौद्ध धम्म स्पष्ट रूप से दो सम्प्रदायों में विभक्त हो गया था। एक हीनयानी सम्प्रदाय और दूसरा महायानी सम्प्रदाय। हीनयानी सम्प्रदाय में प्रतीकों को महत्त्व प्रदान किया तथा महायानी सम्प्रदाय से संबंधित बुद्ध और उनके बोधिसत्त्वों की प्रतिमाओं का निर्माण हुआ और बुद्ध को एक अवतारी पुरुष के रूप में परिकल्पित किया। समाज ने बड़ी ही साह्वयता से स्वीकार भी किया।

सम्राट अशोक की भाँति बौद्ध धर्म में होने वाले धार्मिक मतभेदों को दूर करने के लिए सम्राट कनिष्क ने भी कश्मीर के कुण्डलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीति बुलाई थी। जिसमें अवन्ति प्रदेश

के अनेक बौद्ध आचार्यों ने भाग लिया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध भिक्षुओं, बौद्ध दार्शनिकों द्वारा महायान सम्प्रदाय का उदय होने के पश्चात् ही बौद्ध धर्म ने एक नया रूप, नवीन जाग्रति, नई प्रेरणा और धर्म प्रचार की नई दिशा दिखाई। महायान शाखा में गान्धार मूर्तिकला और भगवान बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण इस कुषाण युग की एक विशेष देन है। इस का प्रभाव अवन्ति क्षेत्र पर भी पड़ा यहाँ पर भी इस काल में बोधिसत्व, बौद्ध मूर्तियों एवं बौद्ध विहारों का निर्माण हुआ।

सम्राट कनिष्क के शासन काल में होने वाली चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो शाखाओं में विभक्त हो गया।

1. हीनयान शाखा 2. महायान शाखा।

महायान इस समय तक बौद्ध मतानुयायियों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गयी थी। अनेक लोग इस धर्म में नवीन विचारों एवं भावनाओं के साथ प्रविष्ट हुये थे। अतः बौद्ध धर्म के प्राचीन स्वरूप में समयानुसार परिवर्तन लाना जरूरी था अतः इसमें सुधार की माँग होने लगी। इसके विपरीत कुछ रूढ़िवादी लोग बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों को ज्यों का त्यों बनाये रखना चाहते थे और वे लोग उसके स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन अथवा सुधार नहीं चाहते थे। ऐसे लोगों का सम्प्रदाय हीनयान कहा गया। हीनयान का शाब्दिक अर्थ है निम्न मार्ग। यह मार्ग केवल भिक्षुओं के लिये ही सम्भव था। बौद्ध धर्म का सुधारवादी सम्प्रदाय महायान कहा गया। महायान का अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग इसमें परसेवा तथा परोपकार पर विशेष बल दिया गया था। बुद्ध की मूर्ति के रूप में पूजा होने लगी यह मार्ग सर्वसाधारण के लिए सुलभ था। इसकी व्यापकता एवं उदारता को देखते हुए इसका महायान नाम सर्वथा उपयुक्त लगता है इसके द्वारा अधिक लोग मोक्ष प्राप्त कर सकते थे। इन दोनों सम्प्रदायों में निम्नलिखित मुख्य विभेद है-

1. हीनयान में महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था परन्तु महायान में उन्हें देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा प्रारम्भ हुई मोक्ष (निर्वाण) प्राप्त करने वाले वे व्यक्ति, जो मुक्ति के बाद भी मानव जाति को उसके दुःखों से छुटकारा दिलाने के लिए प्रयत्नशील रहते थे, बोधिसत्व कहे गये प्रत्येक व्यक्ति बोधिसत्व हो सकता है। निर्वाण में सभी मनुष्यों की सहायता करना बोधिसत्व का परम कर्तव्य है। उसमें करुणा तथा प्रज्ञा होती है। करुणा द्वारा वह जनसेवा करता है तथा प्रज्ञा से संसार का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करता है। बोधिसत्व को दस आदर्शों को प्राप्त करने का आदेश दिया गया है। इन्हें पारमिता कहा जाता है। पारमिताएँ वस्तुतः चारित्रिक पूर्णतायें है ये हैं दान, सहनशीलता, वीर्य, ध्यान, प्रज्ञा, उपाय, प्रणिधान बल, शक्ति तथा ज्ञान इन्हें दसशील कहा जाता है।

2. महायान में परसेवा तथा परोपकार पर बल दिया गया। इसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण है। इसके विपरीत हीनयान व्यक्तिवादी धर्म है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना चाहिए।

3. महायान आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करता है। महायान में मूर्ति-पूजा का भी विधान है तथा मोक्ष के लिए बुद्ध की कृपा आवश्यक मानी गयी है परन्तु हीनयान मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं रखता। महायान में भी तीर्थों को स्थान दिया गया।

4. हीनयान की साधना पद्धति अत्यन्त कठोर है तथा वह भिक्षु जीवन का हिमायती है। परन्तु महायान के सिद्धांत सरल एवं सर्वसाधारण के लिये सुलभ है। यह मुख्यतः गृहस्थ धर्म है जिसमें भिक्षुओं के साथ-साथ सामान्य उपासकों को भी महत्त्व दिया गया है।

5. हीनयान का आदर्श अर्हत पद को प्राप्त करना है जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण प्राप्त करते हैं उन्हें अर्हत कहा गया है। परन्तु निर्वाण के बाद उनका पुनर्जन्म नहीं होता। इसके विपरीत महायान का आदर्श बोधिसत्त्व है। बोधिसत्त्व मोक्ष प्राप्ति के बाद भी दूसरे प्राणियों की मुक्ति का निरन्तर प्रयास करते रहते हैं। महायान की महानता का रहस्य उसकी निःस्वार्थ सेवा तथा सहिष्णुता है।

उज्जयिनी क्षेत्र बौद्ध धर्म के हीनयान सम्प्रदाय से अधिक अभिप्रेरित रहा है। यहाँ पर अनेक बौद्ध स्तूप पाये गये हैं। जो तत्कालीन युग के बौद्धधर्म की जानकारी प्रस्तुत करते हैं। कनिष्क के शासन काल में कला के क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ गांधार शैली, मथुरा शैली।

मथुरा शैली की विशेषताएँ-

1. बुद्ध, बोधिसत्त्व तथा कुछ ब्राह्मण धर्म के देवी-देवताओं की मूर्तियों का पहली बार अंकन किया गया।
2. सफेद चित्तीदार लाल बलुए पत्थर का प्रयोग साथ झीने सलवटेंदार वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है।
3. प्रतिमाओं में आभूषणों का हल्कापन रहता है।
4. मानव आकृतियों में सुडौलता दिखाई जाती है।
5. कुछ मूर्तियों पर गांधार कला का प्रभाव परिलक्षित होता है।
6. बुद्ध तथा अन्य देव मूर्तियों में उनके अंगों की सुन्दरता के स्थान पर मुख की भाव-भंगिमाओं का स्पष्ट अंकन किया जाता है।

गांधार शैली की विशेषताएँ-

1. गांधार कला की मुख्य विषय-वस्तु बौद्ध धर्म है। यूनानी कलाकारों ने केवल बुद्ध, बोधिसत्त्व, जातक कथाएँ, बुद्ध जन्म, सम्बोधि, धर्मचक्रप्रवर्तन, महापरिनिर्वाण, बुद्धमाता मायादेवी, गौतमीप्रजापति, ब्रह्मा, शक्र, मार, कुबेर, यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि के अंकन किए। इनमें जैन तथा ब्राह्मण धर्म-सम्बन्धी किसी देवी या देवता का अंकन अत्यन्त विरल है।
2. गांधार क्षेत्र में भूरे रंग का स्लेटी पत्थर सर्वसुलभ था। तराशने के लिए यह मुलायम भी होता है। इसलिए गांधार कला में इसी पत्थर का प्रयोग किया गया था। कहीं-कहीं चूने और बालू को मिलाकर प्लास्टर (स्टको) से भी मूर्तियाँ बनाई गई थीं।
3. गांधार कला में मूर्तियों के शरीर और उनके वस्त्राभूषण यूनानी परम्परा से प्रभावित हैं जबकि उनके बैठने के आसन तथा मुद्राएँ भारतीय हैं। सलवटेंदार वस्त्र यूनानी कला की विशेषता है और ऐसे वस्त्र गांधार कला में बनाए गए बुद्ध, बोधिसत्त्व तथा मायादेवी की मूर्तियों पर देखे जा सकते हैं।
4. बुद्ध के शीश पर घुँघराले बाल तथा उनके मूँछें दिखाई गई थीं जबकि भारतीय परम्परा में प्रायः उनके मूँछें नहीं बनाई जाती थीं।
5. गांधार कला में शरीर को सुन्दर बलिष्ठ और आकर्षक बनाने पर अधिक जोर दिया गया था, किन्तु मूर्तियों के चेहरों पर भाव की शून्यता थी।

गुप्तोत्तर काल में बौद्ध धर्म का प्रभाव पूर्व की भाँति तो नहीं रहा लेकिन बुद्ध की मूर्तियों को अनेक रूपों में प्रदर्शित किया गया है। उज्जैन जो पूर्ववर्ती युगों में बौद्ध धर्म और शिक्षा का केन्द्र था गुप्तोत्तर काल में हास शुरू हो गया था। ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा विवरण में लिखा है कि यहाँ पर उन्होंने पचासों संघाराम देखे थे। जिनमें से तीन-चार को छोड़कर सभी उजड़ गए थे। लेकिन यहाँ का स्तूप अभी विद्यमान था और 300 से अधिक हीनयान व महायान के छात्र अध्ययन करते थे। इस काल में सार्वभौम सत्ता की समाप्ति के कारण स्थानीय सामन्तों व राजवंशों में छिड़ी सत्ता संघर्ष ने मध्यक्षेत्र में भी आस्थिरता का दौर आ गया। जिसका प्रभाव धर्म साहित्य एवं शिल्पकला पर भी पड़ा। इस समसामयिक परिप्रेक्ष्य में अहिंसा एवं शांति पर अवलंबित बौद्ध धर्म अप्रसांगिकता सा होता जा रहा था। इससे वैष्णव धर्म ने बौद्ध धर्म के प्रभाव को देखकर अपने दशावतार में बुद्ध को स्थान प्रदान किया। जिस कारण अनेक राजाओं का ध्यान वैष्णव धर्म की ओर पड़ा। बौद्ध धर्म के संरक्षण के लिये पर्याप्त महत्त्व नहीं दिया गया। फिर भी इस काल में बौद्ध धर्म उन्हीं क्षेत्रों में शक्तिशाली रूप में रहा जहाँ क्षेत्रीय शासकों ने महत्त्व दिया। जनमानस में बौद्ध धर्म आरम्भ में इसलिए लोकप्रिय हुआ था। वह तत्कालीन अन्य धर्मों से एक सरल मार्ग दिखा रहा था।

गुप्तकालीन पुरावशेषों में भी कायथा के उत्खनन से प्राप्त बुद्ध की गुप्तकालीन प्रतिमा महत्त्वपूर्ण कहीं जा सकती है।²³ गुप्तकाल में बौद्ध प्रतीकों में बुद्ध और बोधिसत्व की प्रतिमाओं का निर्माण महत्त्वपूर्ण कड़ी में दिखाई देता है। बाघ, धमनार, बिनायगा, पोलाडोंगर, कोलवी, उज्जैन, साँची, सतधारा, सोनारी आदि स्थानों से बौद्ध पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। जो इस काल के विकास की कहानी कहते हैं। गुप्तकालीन अभिलेखीय साक्ष्य भी बौद्ध धर्म की स्थिति के बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारी देते हैं। चन्द्रगुप्त द्वितीय के वर्ष 93 के साँची अभिलेख के अनुसार उसके राज कर्मचारी आम्रकार्दव द्वारा काकनादबोट में आर्यसंघ अर्थात् वहाँ स्थित विहार में निवास करने वाले भिक्षुओं के भोजन तथा प्रकाश व्यवस्था के निमित्त ईश्वर वासक नामक एक गाँव दान में दिया गया था।

गुप्तकालीन ग्रन्थ मृच्छकटिकम् से ज्ञात होता है कि उज्जयिनी में बौद्ध धर्म का अस्तित्व था और यहाँ पर अनेक बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। चीन के सम्राट वूती ने 539 ई. में भारत से बौद्ध पुस्तकों को लाने के लिये विद्वानों का एक दल भारत भेजा था। इस दल में उज्जैन के विद्वान बौद्ध भिक्षु परमार 546 ई. में चीन की राजधानी नैकिंग जाकर 20 वर्षों तक वहाँ रहे और महागुरु की उपाधि प्राप्त की और अनेक संस्कृत पाली ग्रन्थों का अनुवाद चीनी भाषा में किया। उज्जैन के अनेक आचार्य भी चीन गये। जिसमें से उपशून्य, नालंदशस, विनीत रुचि और अतिगुप्त प्रमुख थे। जिन्होंने चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार-प्रसार किया। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि मध्यक्षेत्र छठी-सातवीं शताब्दी ई. में बौद्ध धर्म का महत्त्वपूर्ण केन्द्र रहा है। मध्यक्षेत्र के बौद्धधर्म के विकास क्रम में गुप्तोत्तर काल में हीनयान शाखा अब तक लुप्त हो गयी थी। वज्रयान एवं कालचक्रयान का उदय प्रारम्भ हो चुका था। **वज्रयान-** पांचवी या छठी शताब्दी से बौद्ध धर्म के ऊपर तंत्र मंत्रों का प्रभाव बढ़ने लगा। जिनके फलस्वरूप वज्रयान नाम के नये सम्प्रदाय का जन्म हुआ। इसमें मंत्रों तथा तांत्रिक क्रियाओं द्वारा मोक्ष प्राप्त करने का विधान प्रस्तुत किया है। वर्तमान में भी तंत्र का प्रभाव है। 'वज्रयान' वज्र को एक अलौकिक तत्व के रूप में मानते हैं इसका तादात्म्य धर्म के साथ स्थापित किया गया है। वज्रयानियों की क्रियाएँ शाक्त मतावलम्बियों से मिलती जुलती हैं। इसमें तारा आदि देवियों को महत्त्व प्रदान

किया गया है। यह प्रतिपादित किया गया है कि रूप, शब्द, स्पर्श आदि योगों से बुद्ध की पूजा की जानी चाहिए। रागचर्या को सर्वोत्तम बताया गया है।

वज्रयान का सबसे अधिक विकास आठवीं शताब्दी में हुआ। इसके सिद्धान्त मंजूश्री मूलकल्प तथा गुह्य समाज नामक ग्रंथों में मिलती है। वज्रयान ने भारत के क्षेत्रों से बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। वज्रयान शाखा का विकास तिब्बत आदि देशों में प्रमुख रूप से हुआ साथ ही इस पंथ के प्रवर्तक पुरुषों को सिद्ध कहते हैं। वज्रयान में प्रसिद्ध चौरासी सिद्धों का वर्णन है। सिद्धों में सरहपा, शवरपा, लूङ्पा, पद्मवज्र, जालन्धरपा, अन्नगवज्र, इन्द्रभूति, लक्ष्मीकरा, लीलावज्र, दारिकापाद, सहयोगिनी चिन्ताविशेष प्रसिद्ध सिद्ध हुए हैं। वज्रयान शाखा में कई हिन्दू देवी-देवता को बौद्ध धर्म में प्रवेश मिल गया था। मात्र उनके नामों में परिवर्तन था वहीं ब्राह्मण धर्म में भी बुद्ध को नवें अवतार के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। बौद्ध विहारों व बौद्ध मठों के बौद्ध भिक्षु भी जनसामान्य के सम्मुख नवीन बौद्ध धर्म को आदर्श के रूप में प्रस्तुत कर पा रहे थे। इस काल में धर्मों में काफी सम्प्रदाय भी प्रबल हो चुके थे। जिसमें शैव, वैष्णव, शाक्त व जैन धर्म जनमानस तत्कालीन विविध धर्मों में भी विभक्त हो चला था। बौद्ध धर्म के बौद्ध आचार्यों की परम्परा तो दिखाई देती है लेकिन समकालीन अन्य धर्माचार्यों को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

कालचक्रयान- वज्रयान के पश्चात् नवीं-दसवीं सदी में कालचक्रयान नामक नवीन बौद्ध सम्प्रदाय का उदय हुआ। कालचक्रतंत्र और उसकी विमलप्रभा टीका इस सम्प्रदाय के आधार ग्रंथ है। दसवीं सदी में नारो-पा (नङ्पाद) ने विमलप्रभा से प्रभावित होकर सेकोदृशटीका का प्रणयन किया है। यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय के छह विख्यात द्वारपण्डितों में से थे। कहा जाता है कि मंजूश्री इसतंत्र के प्रवर्तक थे तथा सुचन्द्र विमलप्रभा के रचनाकार। कालचक्रयान दर्शन में 'कालचक्र' को परम देवता के रूप में माना गया। इसमें शून्यता और करुणा है, जो प्रज्ञात्मक शक्ति से संयुक्त है। कालचक्र में अद्वयतत्त्व की धारणा व्यक्त होती है, जिसे कालचक्र आदिबुद्ध कहा जाता है। इसमें मानव शरीर को ब्रह्माण्ड का प्रतीक माना गया। कार्य, प्राण और चित्त को शुद्ध करके निर्वाण प्राप्त करना इसका प्रमुख दर्शन है। इनमें शक्ति और शक्तिमान का समन्वय किया गया है तथा बुद्ध को दो प्रमुख लक्षण इंगित किये गए हैं-प्रज्ञा और करुणा। प्रज्ञा को सर्वज्ञाता की शक्ति स्वीकार किया गया है तथा करुणा को असीम दया, जो सभी प्राणियों को बुद्ध बनने के लिये उत्प्रेरित करती है। कालचक्रयान ने आदिबुद्ध की बौद्ध देवों के अधीश्वर अथवा मूलदेव के रूप में उद्घाटना की।

इसी प्रकार औलीकर वंश की भी बौद्ध धर्म में भूमिका रही। द्रव्यवर्धन औलीकर का उज्जयिनी पर अधिकार था पर जिस समय वर्मन शाखा का तथा बाद में वर्मन शाखा का वर्चस्व दाशेरक (दशपुर मंदसौर) क्षेत्र में था, उन्हीं दिनों जित्गु (जिष्णु) आदि राजाओं की मालव शाखा उज्जैन में राज्य करती रही।²⁴ निमाङ में उन दिनों कलचुरियों की एक शाखा विद्यमान थी ऐसी मान्यता मिराशी जी की है। यह वंश सुबन्धु के कारण ज्ञात है जिसने बाग के लयन विहार को तत्तदान दिया था, इन्हीं दिनों महेश्वर के दक्षिण में वलखेड़ या वलकवाड़ा अथवा बाग को यदी बलख माना जाए तो वहाँ के राजा भुलुण्ड तथा रुद्रसेन ने अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया था।

उज्जयिनी के बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियाँ समय के साथ अपने तांत्रिक प्रभाव में हो चले थे। यही कारण था कि छठवीं- सातवीं शताब्दी में दक्षिण का श्रीपर्वत व श्री धन्यकटक मन्त्र-तन्त्र के

लिए प्रसिद्ध था। मालती माधव के उद्धरण में विशेष बात यह है कि सौदामिनी एक बौद्ध भिक्षुणी थी, जो पद्मावती (मालवा) से श्री पर्वत पर तन्त्र-मन्त्र सीखने गयी थी।²⁵ श्रीपर्वत सिद्धों का स्थान था।

इसी प्रकार पुष्यभूति वंश के शासकों ने भी उज्जयिनी में राज्य किया। इस वंश की जानकारी महाकवि बाण ने अपने ग्रन्थ हर्षचरित में दी है। इस वंश की स्थापना पुष्यभूति ने की थी। हर्षचरित से प्रगट होता है कि सम्राट हर्षवर्धन भी पहले भगवान शंकर और सूर्य का उपासक था। बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण सम्राट हर्ष की दो छोटी-छोटी रचनाएँ अष्टमहाचैत्य संस्कृत स्तोट और सुप्रमास्तोत्र है। प्रथम स्तोत्र में वह बौद्धधर्म के चैत्यों की आराधना का पाँच श्लोकों में वर्णन किया गया है। द्वितीय स्तोत्र में चौबीस श्लोकों द्वारा भगवान् बुद्ध की स्तुति की गई है। अन्त में सम्राट हर्ष बौद्ध भक्त हो गया था और भक्ति भावना अपनी रचनाओं द्वारा प्रदर्शित करना ही उसने अपनी भक्ति मान ली थी। नागानन्द नाटक, सम्राट हर्ष का भगवान् बुद्ध के प्रति अनुराग और बोधिसत्व के रूप में जीमूतवाहन का परोपकार के लिए माता-पिता की सेवा को छोड़कर अपना जीवन तक बलिदान कर देना इसमें दिखाया गया है। सम्राट हर्षवर्धन आचार्य दिवाकर मित्र के उपकार एवं उनके त्यागमय जीवन और विद्वता से आकर्षित होकर बौद्ध धर्म की ओर प्रवृत्त हुआ और अपने हृदय की सच्ची भावनाओं को दोनों स्तोत्रों एवं नागानन्द नाटक द्वारा व्यक्त कर बौद्ध धर्म के प्रति अपनी अनन्य श्रद्धा को दिखाया है।

प्रसिद्ध चीनी यात्री और बौद्धधर्म जिज्ञासु ह्वेनसांग के प्रभाव में आने के कारण भी सम्राट हर्ष को बौद्ध धर्म के प्रति अधिक श्रद्धा उत्पन्न हुई।²⁶ हर्षवर्धन राज्यश्री के पति ग्रहवर्मा की मृत्यु, बड़े भाई राज्यवर्धन की मृत्यु और छोटी बहिन राज्यश्री के बन्दी होने पर कठोर यातना के समाचार सुनकर उसका हृदय करुणा और बहिन के स्नेह से द्रवीभूत हो गया था। वह उसकी खोज में चिन्तित मन विन्ध्यावटी में प्रविष्ट हुआ। यहाँ बौद्धाचार्य दिवाकर मित्र का आश्रम देखकर आश्चर्यचकित हुआ और कहा कि मैं ठीक ही स्थान में आ गया हूँ। उस युग में यह नालन्दा विश्वविद्यालय की भांति ही एक विशाल विद्या का केन्द्र था।

भारत के अन्य क्षेत्रों में पूर्व मध्यकाल के इतिहास में जहाँ बौद्ध धर्म को विलुप्त बताया गया है, वहीं मध्यक्षेत्र में इसकी समृद्ध परम्परा दिखाई देती है। इस काल के बौद्ध आचार्य, परमार्थ, उपगुप्त, उपशून्य तथा अन्य आचार्यों ने केवल भारत ही नहीं वरन् चीन जैसे देशों में जाकर मध्यक्षेत्र का नाम रोशन किया। साथ ही मध्यक्षेत्र के साँची, सतधारा, सोनारी, आँधर, धमनार, कोलवी, पोलाडोंगर, खेजड़ियाभोप, बाघ, सारू-मारू अनेक स्थानों में बड़ी तादाद में बौद्ध भिक्षुओं के लिए चैत्य, स्तूप और विहार बनवाये गये। इससे स्पष्ट होता है कि विवेच्य क्षेत्र में प्रतिहार, परमार शासकों ने बौद्ध धर्म के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये शासक सर्वधर्म के उन्नायक और संरक्षक कहे गये हैं। इस काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना रही कि बुद्ध को ब्राह्मण धर्म ने विष्णु का नवाँ अवतार घोषित कर महत्वपूर्ण स्थान दिया। निश्चय ही इसकी व्यापकता और समाज की आवश्यकता को देखते हुए स्थान प्राप्त हुआ।

अतः मध्यक्षेत्र प्राचीन काल से ही बौद्ध धर्म का केन्द्र रहा है। यहाँ पर यत्र-तत्र उतार चढ़ाव जरूर आये लेकिन महत्व कम नहीं हुआ उसे अनेक रूपों में पूजकर पूजनीय बनाया और जनमानस ने उस परम्परा को बनाये रखा। अतः प्रत्येक कालों में बौद्ध धर्म अपनी मानवीय परम्परा

को लिये हुए नैतिक मूल्यों का पालन करते हुए बना हुआ है। जिसकी प्रासांगिकता आज भी अधिक दिखाई देती है।

संदर्भ सूची-

- 1 श्रीवास्तव, के.सी., *प्राचीन भारत का इतिहास*, यूनाइटेड बुक डिपो, इलाहाबाद, 2001-02, पृ. 118
- 2 श्रीवास्तव, के.सी., *प्राचीन भारत का इतिहास*, यूनाइटेड बुक डिपो, इलाहाबाद, 2001-02, पृ. 104
- 3 *मज्झिम निकाय*, 3.118
- 4 *महावग्ग*, पृ. 86
- 5 *चुल्लवग्ग*, पृ. 374
- 6 चौधरी, हेमचन्द्र राय, *प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास*, इलाहाबाद, 1980, पृ. 112
- 7 उपाध्याय, भरत सिंह, *बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन*, प्रथम भाग, इलाहाबाद 2011, पृ. 232
- 8 उपाध्याय, भरत सिंह, *बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन*, प्रथम भाग, इलाहाबाद, 2011, पृ. 234
- 9 अंगुत्तर निकाय, भाग 4, पृ. 62
- 10 पाण्डेय, गोविन्द चन्द्र, *बौद्ध धर्म के विकास का इतिहास*, लखनऊ, 1990, पृ. 194
- 11 पाण्डेय, विमलचन्द्र, *प्राचीन भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास*, इलाहाबाद, 1988, पृ. 434
- 12 अग्रवाल, वासुदेव शरण, *भारतीय कला*, पृ. 114
- 13 पाण्डेय, ओम प्रकाश, *सारनाथ की कला*, वाराणसी, 2000, पृ. 59
- 14 श्रीवास्तव, के.सी., *प्राचीन भारत का इतिहास*, यूनाइटेड बुक डिपो, इलाहाबाद, 2001-02, पृ. 259
15. पाण्डेय, वी.के., *प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति*, शारदा प्रकाशन, इलाहाबाद, 2013, पृष्ठ, 288
16. ए. इ. भाग-5 पृष्ठ- 97
17. उज्जयिनी - *इतिहास तथा पुरातत्व*, "दीक्षित ब्रदर्स" शिवाजी नगर, पूना, 1968, पृष्ठ- 83
18. उज्जयिनी - *इतिहास तथा पुरातत्व*, "दीक्षित ब्रदर्स" शिवाजी नगर, पूना, 1968, पृष्ठ- 84, (उजेनिया सिदेवस पजावतिया मुलाया दानं, साँची स्तूप-क्र. 1 लेख व्यूलर)
19. उज्जयिनी - *इतिहास तथा पुरातत्व*, "दीक्षित ब्रदर्स" शिवाजी नगर, पूना, 1968, पृष्ठ- 84
20. *स्मिथ कंटलॉग*, फलक-20, (30) पृष्ठ- 154 (27)
21. *आर्कियोलॉजिकल सर्वे वेस्टर्न इण्डिया*, रिपोर्ट, भाग-5, पृष्ठ- 60, बाम्बे गजेटियर, 14 पुष्ठ-287, खण्ड- 16, पृष्ठ-661 आदि।
22. दुबे, जगन्नाथ एवं भगवती लाल राजपुरोहित, *अभिलेख संग्रह*, 2002, पृष्ठ 202
- 23 *इण्डियन आर्कियोलॉजी रिव्यू*, 1964-65 पृ. 18,19
24. *सिंहस्थ 80 स्मारिका* उज्जैन, शोध आलेख, उज्जयिनी, डॉ. वि. श्री. वाकणकर, पृष्ठ 9
25. सांस्कृत्यायन, राहुल, *पुरातत्व निबन्धावली*, किताब महल इलाहाबाद, दिल्ली 1958, पृष्ठ 114
26. धिल्डियाल, विवेक बन्धु, *प्राचीन राजवंश और बौद्ध धर्म*, पृष्ठ 398-99

छत्तीसगढ़ में पर्यटन और आर्थिक विकास

डॉ. अर्चना सेठी

सहप्राध्यापक, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., छत्तीसगढ़

तुलेश्वरी

शोधछात्रा, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., छत्तीसगढ़

सारांशिका

छत्तीसगढ़ एक प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं जनजातीय विविधता से संपन्न राज्य है, जिसका पर्यटन क्षेत्र हाल के वर्षों में तेजी से विकसित हो रहा है। राज्य सरकार ने पर्यटन को **आर्थिक विकास का एक प्रमुख स्तंभ** बनाने के लिए नीतिगत सुधार, अवसंरचना निवेश और सांस्कृतिक संवर्धन पर ध्यान केंद्रित किया है। इस शोध-पत्र में छत्तीसगढ़ के पर्यटन उद्योग की संरचना, आर्थिक योगदान, रोजगार सृजन, निवेश प्रवाह और सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। अध्ययन से पता चलता है कि पर्यटन न केवल राजस्व में वृद्धि कर रहा है बल्कि स्थानीय समुदायों के आय स्रोत और रोजगार की संभावनाओं को भी बढ़ा रहा है। हालांकि, बुनियादी ढांचे, जन जागरूकता और स्थायी विकास संबंधी चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं।

शब्दकुंजी: जनजातीय पर्यटन, आर्थिक विकास, पर्यटन नीति, आदिवासी क्षेत्रों, रोजगार सृजन

1. परिचय

छत्तीसगढ़, भारत का एक युवा राज्य, प्राकृतिक सुंदरता, वन्यजीवन, जलप्रपात, सांस्कृतिक पर्व और जनजातीय विरासत के लिए प्रसिद्ध है। पर्यटन उद्योग, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार सृजन तथा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य सरकार ने पर्यटन को **स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए विकास-उन्मुख क्षेत्र** के रूप में मान्यता दी है तथा निवेश और नीति-आधारित सुधारों के माध्यम से इसे सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। इस शोध-पत्र का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के पर्यटन क्षेत्र को उसकी आर्थिक भूमिका के संदर्भ में समझना है।

2. उद्देश्य

इस शोध पत्र के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं:

1. छत्तीसगढ़ के पर्यटन उद्योग के आर्थिक विकास में योगदान का आंकलन करना।
2. पर्यटन से रोजगार सृजन और निवेश के अवसरों का विश्लेषण करना।
3. पर्यटन नीति और बुनियादी ढांचे के प्रभाव का मूल्यांकन करना।
4. प्रदेश के पर्यटन विकास को प्रभावित करने वाली प्रमुख चुनौतियों और संभावनाओं की पहचान करना।

3. अनुसंधान पद्धति

इस अध्ययन के लिए **द्वितीयक डेटा** उपयोग किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार के पर्यटन विभाग की रिपोर्टें, राज्य वित्तीय आँकड़े, और निवेश प्रस्ताव डेटा **साहित्य समीक्षा** पर्यटन और आर्थिक विकास पर प्रकाशित शोध-पत्रों और लेखों का विश्लेषण शामिल हैं।

4. परिकल्पना

यह अध्ययन निम्न परिकल्पना पर आधारित है:- “छत्तीसगढ़ में पर्यटन उद्योग का विकास राज्य की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक योगदान करता है, विशेषकर रोजगार सृजन, स्थानीय आय में वृद्धि, और निवेश आकर्षित करने के माध्यम से।”

5. साहित्य समीक्षा

शोध से पता चलता है कि पर्यटन उद्योग राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय स्रोत है। यूरोप और दक्षिण एशिया के कई राज्यों में पर्यटन ने आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी तरह, छत्तीसगढ़ में पर्यटन विकास को राज्य की आर्थिक उन्नति के लिए “उभरता हुआ क्षेत्र” माना गया है। अध्ययन बताते हैं कि पर्यटन उद्योग के विस्तार से स्थानीय कला, संस्कृति और पारंपरिक शिल्प को संरक्षण मिल रहा है, जिससे जैविक विविधता और सांस्कृतिक विरासत को भी बढ़ावा मिलता है। पर्यटन के विकास एवं विस्तार से स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध होने के साथ-साथ उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। Tripathi, S. (2021) पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए लोगों को जागरूक करना आवश्यक है। गुरुपंच, कुबेर सिंह (2022) पर्यटन जम्मू कश्मीर राज्य के राजस्व प्राप्ति का प्रमुख स्रोत है, जो कि इस धरती पर स्वर्ग के समान है। Iqbal, J. (2021)

6. छत्तीसगढ़ में पर्यटन की वर्तमान स्थिति

अब तक पर्यटन गतिविधियाँ धीरे-धीरे बढ़ रही हैं, और राज्य में कुल **2.6 करोड़ से अधिक पर्यटक प्रवासन** दर्ज हुए हैं। पर्यटन ने जनजातीय हाथी कला, वन्यजीवन, जलप्रपात, पर्वतीय पर्यटन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त किया है। हाल के वर्षों में नक्सलवाद में कमी और सुरक्षा प्रबंधन से पर्यटन में और वृद्धि हुई है।

छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थल

6.1 चित्रकोट जलप्रपात

इसे “भारत का नियाग्रा” कहा जाता है। यह बस्तर क्षेत्र का प्रमुख आकर्षण है।
आर्थिक प्रभाव:

- होटल, गाइड, परिवहन सेवाओं में रोजगार
- स्थानीय हस्तशिल्प और जनजातीय उत्पादों की बिक्री

6.2 कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान

यह जैव-विविधता और ईको-टूरिज्म का प्रमुख केंद्र है।

आर्थिक प्रभाव:

- वन पर्यटन से स्थानीय जनजातियों की आय
- ईको-लॉज और होम-स्टे से रोजगार

6.3 बस्तर क्षेत्र

बस्तर की जनजातीय संस्कृति, दशहरा उत्सव और शिल्प विश्व-प्रसिद्ध हैं।
आर्थिक प्रभाव:

- सांस्कृतिक पर्यटन से हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा
- स्थानीय युवाओं को रोजगार

6.4 सिरपुर

प्राचीन बौद्ध और हिंदू मंदिरों के लिए प्रसिद्ध।

आर्थिक प्रभाव:

- धार्मिक पर्यटन से स्थानीय व्यापार में वृद्धि
- होटल, परिवहन और दुकानों को लाभ

6.5 डोंगरगढ़ – माँ बम्लेश्वरी मंदिर

धार्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र।

आर्थिक प्रभाव:

- तीर्थयात्रियों से स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत
- परिवहन और छोटे व्यापार का विकास

6.6 राजिम (Rajim – छत्तीसगढ़ का प्रयाग)

राजिम कुंभ और धार्मिक मेलों के लिए प्रसिद्ध।

आर्थिक प्रभाव:

- मेलों से अस्थायी और स्थायी रोजगार
- स्थानीय कृषि एवं हस्तशिल्प को बाजार

7. पर्यटन और आर्थिक विकास

7.1 रोजगार सृजन

पर्यटन से होटल, परिवहन, गाइड, हस्तशिल्प, होम-स्टे और फूड सेक्टर में रोजगार बढ़ा है। पर्यटन गतिविधियाँ स्थानीय स्तर पर रोजगार उत्पन्न कर रही हैं—गाइड सेवाएँ, होम-स्टे, होटलों, हस्तशिल्प, परिवहन आदि में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मित हो रहा है।

7.2 आय एवं राजस्व में वृद्धि

पर्यटन गतिविधियों से राज्य को कर राजस्व और स्थानीय निकायों को शुल्क प्राप्त होता है। राज्य की पर्यटन सेवा के लिये राजस्व व्यय में वृद्धि देखी गई है; 2025 में पर्यटन पर राजस्व व्यय ₹ 981.94 मिलियन तक पहुँच गया है, जो पिछले वर्षों से उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है।

7.3 ग्रामीण और सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था

पारंपरिक कला और शिल्प को पर्यटन से कमाई का मार्ग मिला है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सकारात्मक प्रभाव दिखता है।

7.4 क्षेत्रीय संतुलन

पर्यटन ने बस्तर और सरगुजा जैसे पिछड़े क्षेत्रों के विकास में योगदान दिया

9. सरकारी पहल और निवेश

9.1 निवेश प्रस्ताव एवं नीति समर्थन

छत्तीसगढ़ ने पर्यटन और संबंधित क्षेत्रों में ₹652 करोड़ से अधिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए हैं, और राज्य सरकार निवेश आकर्षित करने तथा रोजगार सृजन को प्राथमिकता दे रही है।

9.2 अवसंरचना और विकास कार्य

केंद्र की सहायता से राज्य में परियोजनाओं के लिए ₹147.66 करोड़ की स्वीकृति भी मिली है, जिसमें सांस्कृतिक केंद्रों और फिल्म सिटी की स्थापना शामिल है।

9.3 अंतर-राष्ट्रीय और घरेलू निवेश आकर्षण

पर्यटन और स्वास्थ्य, होम-स्टे हब, और विशेष आर्थिक ज़ोन जैसे क्षेत्रों को जोड़कर निवेश को बढ़ावा दिया गया है।

10. समस्याएँ और चुनौतियाँ

10.1 अवसंरचना की कमी: पर्यटन स्थलों तक परिवहन और आवास की समस्याएँ अभी भी मुख्य चुनौतियाँ हैं। पर्याप्त होटल और आवास सुविधाओं का अभाव।

10.2 जन जागरूकता की कमी: स्थानीय समुदायों के बीच पर्यटन की संभावनाओं के बारे में पर्याप्त जन जागरूकता नहीं है।

10.3 पर्यावरणीय चिंता: पर्यटन गतिविधियों के विस्तार से पर्यावरण संरक्षण एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है।

10.4 मुख्य निष्कर्ष

1. पर्यटन ने छत्तीसगढ़ में राजस्व और रोजगार दोनों की वृद्धि में योगदान दिया है।
2. निवेश प्रस्तावों ने पर्यटन विकास को और गति दी है।
3. पर्यटन उद्योग द्वारा स्थानीय कला और संस्कृति के संरक्षण तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सशक्तीकरण में सकारात्मक भूमिका है।
4. अवसंरचना—विशेषकर सड़क, परिवहन सेवा और आवास की कमी—मुख्य बाधा हैं।

11. Conclusion (निष्कर्ष)

छत्तीसगढ़ में पर्यटन—विशेषकर चित्रकोट, बस्तर, सिरपुर, डोंगरगढ़ और राजिम जैसे स्थलों—ने राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है। पर्यटन ने न केवल रोजगार और आय सृजन किया है, बल्कि जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण में भी योगदान दिया है। यदि सरकार द्वारा अवसंरचना, प्रचार और सतत पर्यटन पर विशेष ध्यान दिया जाए, तो पर्यटन छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास का एक स्थायी आधार बन सकता है।

References

- Pushpender & A. Rajshekhar. (2024). Problems and Prospects of Eco-Tourism in Chhattisgarh. *ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts*. Granthaalayah Publication
- Chhattisgarh Secures Over Six Thousand Crore in Investment Proposals. (2025). Travel and Tour World. *Travel and tour World*
- Chhattisgarh revenue expenditure on tourism. CEIC Data. *CEIC Data*

Chhattisgarh bags ₹3.1k cr investment proposals in health & tourism sectors.

(2025). *Business Standard*. Pratidin Rajdhani

सुगंध, अरूण कुमार. कुर्रे, डी. पी. एवं जोशी, वी. के. (2015). छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास में पर्यटन उद्योग का योगदान *International Journal of Reviews and Research in Social Sciences*, 3(4), 159-162.

सिंगोतिया, बलराम एवं धुर्वे, कविता (2013) मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था पर पर्यटन उद्योग का प्रभाव *Naveen Shodh Sansar (An International Refereed Resaearch Journal)*, ISSN 2320-8767, 137-140.

सिंह, सुरभि. (2021). भारत में धार्मिक पर्यटन-अतीत, वर्तमान और भविष्य. *International Journal of Hindi Resaearch*, 7(6), 18-24.

प्रिहार, डी. एस. एवं दीपक. (2020) पर्यटन में वैश्वीकरण के प्रयास व सकारात्मक प्रभाव: जनपद अल्मोड़ा के परिपेक्ष में. *दृष्टिकोण*, (12), 1366-1375.

मोनिका. (2019) भारतीय अर्थव्यवस्था में पर्यटनका योगदान. *Journal of Emerging Technologies and Innovative Resaearch*, 6(3), 401-404.



कनिष्क कालीन खरोष्ठी अभिलेखों की विषयवस्तु एवं ऐतिहासिक महत्व

चन्दन कुमार

शोध छात्र, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

सारांशिका:

प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में पुरालेखीय साक्ष्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अतीत में घटित अनेकों ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएँ जिनके विषय में साहित्य मौन है अभिलेख उनकी जानकारी का प्रमुख स्रोत हैं। कुषाण वंश के इतिहासकी जानकारी में अभिलेखों की महती भूमिका रही है। कुषाण खानाबदोश यूची जाति की एक शाखा थी जो हूणों के आक्रमण के पश्चात अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर पहली शती ई. के दौरान कुजुल कडफिसेस के नेतृत्व में भारत में प्रवेश किए। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कनिष्क था जिसके समय कुषाण साम्राज्य चरमोत्कर्ष पर था। उसका शासन काल भारतीय इतिहास में सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। कनिष्क का राज्य मध्य एशिया से लेकर उत्तर भारत तक फैला हुआ था। इस शोध पत्र का मूल उद्देश्य कनिष्क के शासन काल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग विशेषकर आधुनिक पाकिस्तान के पेशावर, बहावलपुर एवं रावलपिंडी से प्राप्त खरोष्ठी लिपि में उत्कीर्ण लेखों के ऐतिहासिक महत्व को स्पष्ट करने तथा अभिलेखीय स्रोत के आधार पर उसके शासन काल से सम्बन्धित समुचित जानकारी को उजागर करने का प्रयत्न किया गया है।

बीजशब्द : अभिलेख, यूचीजाति, हूणजाति, शकसंवत्, सर्वास्तिवाद, धातुमंजूषालेख, ताम्रपत्रलेख, स्तूप, यष्टि, सर्वास्तिवादी सम्प्रदाय इत्यादि।

शोध-विस्तार

प्राचीन भारत में कुषाण वंश का गौरव शाली इतिहास रहा है। कुषाण यूची जाति की एक शाखा थी जो चीन के पश्चिमी क्षेत्र (गोबी प्रदेश) में निवास करने वाली एक खाना बदोश जाति थी। उन्होंने हूण जाति के आक्रमण के पश्चात् अपने मूलनिवास स्थान को छोड़कर पहली शती ई. के दौरान कुजुल कडफिसेस के नेतृत्व में भारत में प्रवेश किया कनिष्क इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। वह एक कुशल प्रशासक, महान विजेता, साम्राज्य निर्माता तथा धर्मसहिष्णु शासक था। उसका साम्राज्य विस्तार उसके शासन काल के दौरान उत्कीर्ण करवाए गए अभिलेखों के आधार पर भारत के बाहर अफगानिस्तान, बैक्ट्रिया, काशगर, खोतान एवं यारकंदतक तथा भारत के अंदर पेशावर, माणिक्याला, (रावलपिंडी), सुइ-विहार (बहावलपुर), मथुरा, श्रावस्ती, कौशांबी एवं वाराणसी तक ना जाता है। उसके साम्राज्य की राजधानी पुरुषपुर (पेशावर) थी। कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि को लेकर विद्वानों में काफी मतभेद है। शकसंवत्तत्की शुरुआत 78ई. से प्रारंभ होती है जिसका संस्थापक कनिष्क को माना जाता है। टॉमस, रैप्सन, राखालदास बनर्जी तथा राय चौधरी आदि विद्वान 78 ई. को ही उसके राज्यारोहण की तिथि स्वीकार करते हैं।¹ अतः वर्तमान में

यही तिथि सर्वमान्य है। कनिष्क ने 78 ई. से लेकर लगभग 101 ई. के मध्य 23 वर्षों तक शासन किया। उसने सम्राट अशोक के समान ही बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। उसके शासन काल में ही चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर के कुण्डल वन में आयोजित हुई थी।

कनिष्क के शासनकाल के दौरान खरोष्ठी लिपि में उत्कीर्ण करवाए गए अभिलेख मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग प्राचीन गांधार, तक्षशिला एवं पुरुषपुर (पेशावर) से प्राप्त हुए हैं। उन अभिलेखों से उसके शासन सम्बन्धित गतिविधियों यथा शासन वर्ष, वंश, उपाधियाँ, धार्मिक दान, शासन क्षेत्र तथा सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। खरोष्ठी लिपि भारत की दूसरी प्राचीन लिपि है जिसे सफलतापूर्वक पढ़ा जा चुका है। इस लिपि को दाहिनी ओर से बाईं ओर को लिखा जाता था² आधुनिक पाकिस्तान के पेशावर, रावलपिंडी तथा बहावलपुर से प्राप्त कनिष्क कालीन खरोष्ठी लिपि में उत्कीर्ण 5 अभिलेख विशेष महत्व के हैं -

1. कनिष्क कालीन धातु मंजूषा लेख, वर्ष - 1 (78 ई.)³
2. कनिष्क प्रथम का सुइ-विहार ताम्रपत्र लेख, वर्ष - 11 (89 ई.)⁴
3. कनिष्क प्रथम का जेडा अभिलेख, वर्ष - 11 (89 ई.)⁵
4. कनिष्क प्रथम का माणिक्याला पाषाण अभिलेख, 7 वर्ष - 18 (96 ई.)⁶
5. कुर्रम ताम्र मंजूषा लेख, वर्ष - 21 (99 ई.)⁷

1 - कनिष्क कालीन धातु मंजूषा लेख, वर्ष - 1 (78 ई.)

कनिष्क कालीन यह धातु मंजूषा लेख वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर प्रांत में शाह-जी-की देरी के टीले से प्राप्त हुआ था। उस टीले पर स्थित कनिष्क के विशाल स्तूप की खोज सर्वप्रथम चीनी तीर्थ यात्रियों के विवरण के आधार पर कनिंघम तथा फाउचर ने किया था डॉ. स्पूनर्स ने सन् 1908-09 ई. में वहाँ उत्खनन करवाया जिससे उस स्थल की प्रमाणिकता और अधिक सिद्ध हो गई⁸ उत्खनन के दौरान स्तूप के एक कक्ष से मिश्र धातु से बनी एक मंजूषा मिली जिसके ढक्कन पर तीन आकृतियाँ बनी हैं जो बुद्ध, ब्रह्मा एवं इंद्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। ढक्कन की ऊपरी सतह पर एक अलंकरण है जिसमें एक पूर्णविकसित कमल की उत्कीर्ण पंखुडियाँ हैं। मंजूषा के ऊपरी भाग पर जो किनारा लगा है, उस पर हंसों का एक अलंकृत समूह बना हुआ है, जो कम उभार में है। मंजूषा का मुख्य भाग बुद्ध की तीन बैठी हुई आकृतियों से सुसज्जित है जिन्हें एक लंबी लहराती माला द्वारा सहारा दिया गया है तथा बीच-बीच में पूजा करने वाली आकृतियाँ हैं जो एक बड़े समूह पर समाप्त होती हैं। यह सूर्य और चंद्रमा के बीच खड़े राजा कनिष्क का प्रतिनिधित्व करती हैं।

मंजूषा पर उत्कीर्ण लेख की लिपि खरोष्ठी तथा भाषा प्राकृत है जिसे धातु मंजूषा पर बिंदुओं के रूप में अंकित किया गया है। ये बिंदु ढक्कन की ऊपरी सतह पर, ढक्कन के निचले किनारे पर उड़ते हुए हंसों के बीच तथा मंजूषा के मुख्य भाग को सजाने वाली आकृतियों के ऊपर और नीचे समतल स्थानों पर अंकित किया गया है।

मूलपाठ⁹

L 1.सं [1 म] [हरज*] स कनि (नि) [ष्कस*] इमन (न) ग (र) अर [इ]
[ध] ग (र) अ - र्यक

2. देयधर्मे सर्वसत्त्वन [म] (नम) हिदसुहर्थ [म] भवतु

3. दसअगिसल न (न) वकर्मिय [क*]ने(ने) ष्कसविहारेमहसेन(न) स सं - घरमे

4. अचर्यन(न) सर्वस्तिवतिन(न) प्रतिग्रहे

इस अभिलेख के अनुसार कनिष्क के प्रथम शासन वर्ष में कनिष्कपुर नगर में सर्वास्तिवादी आचार्यों की स्वीकृति के लिए कनिष्क विहार में यह धूपदानी अग्निशाला के निर्माण के अधीक्षक महा सेना तथा संघरक्षित द्वारा सभी प्राणियों के कल्याण और सुख के लिए धार्मिक दान किया गया। प्रारम्भ में अगिसल को यूनानी कलाकार माना गया था जिसके हस्ताक्षर हैं। उसने कनिष्क के स्तूपों के काम की देख रेख की थी परन्तु हाल ही में ताबूत की सफाई किये जाने से पता चला कि पुराने पाठ अगिसल की जगह अग्निशाला पढ़ा जाना ज्यादा तर्क संगत है जो विहार का भोजन कक्ष था। यह लेख ऐतिहासिक दृष्टि से इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे कनिष्क के शासन काल के प्रथम वर्ष में जारी किया गया था।

इस धातु मंजूषा लेख में कनिष्क कोमहाराजा कहा गया है जिसका मूल रूप खरोष्ठी लिपि तथा प्राकृत भाषा में दिया गया है -

खरोष्ठी लिपि	प्राकृत भाषा
𑀧𑀸𑀓𑀡𑀺𑀓	महरजस

2 – कनिष्क प्रथम का सुइ-विहार ताम्रपत्र लेख, वर्ष - 11 (89 ई.)

यह ताम्रपत्र लेख पाकिस्तान के बहावलपुर से लगभग 16 मील दक्षिण-पश्चिम में स्थित सुइ-विहार नामक एक स्तूप के ध्वंसावशेष से प्राप्त हुआ था। इसकी खोज रेव. जी. येट्सने 1869 ई. में किया था।¹⁰ इस ताम्र पत्र लेख की भाषा प्राकृत से प्रभावित संस्कृत तथा लिपिखरोष्ठी है जो कुल 4 पंक्तियों में उत्कीर्ण है। इसको डाउसन, बेली, होर्नले, भगवान लाल इन्द्र जी एवं एन. जी. मजूमदार द्वारा प्रकाशित करवाया गया था। यह लेख सम्भवतः वर्तमान में एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता में संग्रहीत है।

मूलपाठ¹¹

1. महरजस्यरजतिरजस्यदेवपुत्रस्य क [निष्कस्य]संव [त्स]रेएकदशे सं० १०

(+*) १ दइसिंकस्यमस [स्य]दिवसेअठविशेदि २० (+*) ४ (+*) ४

2. [अ]त्रदिवसेभिक्षुस्यनगदतस्य ध [र्म] - कथिस्यअचर्यदमत्रत - शिष्यस्य
अचर्य-भवे-प्रशिष्यस्ययठिअरोपयतइह द [म]ने

3. विहरस्वमिणिउपसिक [व]लनंदि [कु]टिबिनिबलजय-मत च इमंयठि –
प्रतिठनंठप [इ]चंअनुपरिवरंददरिं (।*)सर्वसत्त्वं

4. हित-सुखयभवतु(॥*)

यह बौद्ध धर्म से सम्बन्धित एक स्मृति परक अभिलेख है जो ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसमें कनिष्क को महरजस्यरजतिरजस्यदेवपुत्रस्य अर्थात् महाराजाराजाधिराज देव पुत्र कहा गया है। यह लेख उसके शासन के 11 वें वर्ष वैशिक मास के 28 वें दिन उत्कीर्ण करवाया गया था। वैशिक एक यूनानी मास का नाम है जो ज्येष्ठ और आषाढ़ में पड़ता है। इस लेख से पता चलता है कि बलनन्दिन की कुटुम्बिनी (भार्या) तथा बल जय की माता उपासिका विहार स्वामिनी ने भिक्षु नागदत्त जो आचार्य भव के प्रशिष्य तथा आचार्य दमत्रात के शिष्य थे, उनकी मृत्यु के उपरान्त स्मृति

में यष्टि (लाट, स्तम्भ) दमन में स्थापित करवाया था। कदाचित् सम्भव है कि सुई विहार, जहां से यह अभिलेख प्राप्त हुआ है उसका ही प्राचीन नाम दमन रहा हो। इस लेख से इस बात की भी पुष्टि होती है कि उस समय तक धार्मिक शिक्षा के लिए आचार्यों की परम्परा प्रारम्भ हो चुकी थी। इस ताम्रपत्र लेख में कनिष्क को महरजस्य, रजतिरजस्य एवं देव पुत्रस्य कहा गया है जिसका मूल रूप खरोष्ठी लिपि तथा प्राकृत भाषा में नीचे दिया गया है -

खरोष्ठी लिपि	प्राकृत भाषा
𑀲𑀸𑀓𑀔𑀔	महरजस्य
𑀲𑀸𑀓𑀔𑀔𑀔	रजतिरजस्य
𑀲𑀸𑀓𑀔𑀔	देवपुत्रस्य

3 – कनिष्क प्रथम का जेडा अभिलेख, वर्ष - 11 (89 ई.)

इस अभिलेख को सर्वप्रथम आई. लोएन्थल ने आधुनिक पाकिस्तान के रावलपिण्डी जिले में उण्ड के पास जेडा नामक गाँव के प्रवेश द्वार से प्राप्त किया था।¹² यह अभिलेख एक पाषाण खण्ड पर उत्कीर्ण है जो कुछ स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गया है। जिस पाषाण खण्ड पर लेख उत्कीर्ण है उसकी पहचान कनिंघम ने क्वार्टज पत्थर से की है। इस अभिलेख में कुल तीन पंक्तियाँ हैं जिसकी भाषा संस्कृत से प्रभावित प्राकृत तथा लिपि खरोष्ठी है। सेनार्ट के अनुसार सम्भवतः पंक्ति एक तथा दो अधूरी है। कनिंघम, सेनार्ट, बोयर और कोनोव ने इस अभिलेख का संपादन किया तथा ई. थॉमस, बुहलर, बनर्जी, लुडर्स और मजूमदार ने इसके काल निर्धारण और व्याख्या से सम्बन्धित टिप्पणियों को प्रकाशित करवाया था। वर्तमान में इस अभिलेख को लाहौर संग्रहालय में संग्रहीत किया गया है।

मूलपाठ¹³

1. सं १० (+ *) १ अषडसमससदि २० उतर-फगुणेइशेक्षुणमि
2. खदे(जे ?) कुए [वेरो] डसमईकसकणिष्कसरजमि [तोय] द च भुइ
दणमुखहिपेअधिअस स [वस्ति] वदतिवधसपु [ज ?] नेलिअक-
3. स क्ष [त्र ?] पसउप [क] चअ म [दु] (1 *) कतदणअनुग्र [हेण] [बुध]
स संघमित्र-रजस (11 *)

यह अभिलेख भी धार्मिक दान विशेषकर बौद्ध धर्म के सर्वास्तिवादी सम्प्रदाय से सम्बन्धित है। अभिलेख में वर्णित तिथि के अनुसार इसे कनिष्क के 11वें शासन वर्ष में आषाढ़ महीने के 20वें दिन उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में एक कुआँ खुदवाए जाने तथा पानी के स्रोत के विषय में जानकारी देता है। यह दान संघमित्रराज की कृपा से क्षत्रपलियक के सम्मान में उसकी माँ के हित के लिए दिया गया था। इस अभिलेख से कनिष्क द्वारा सिंध पर अधिकार की भी पुष्टि होती है।

इस अभिलेख में क्षत्रपस उपाधि (कुषाण शासकों के अधीन प्रान्तीय शासक) तथा हिन्दू माह आषाढ़ का भी उल्लेख हुआ है जिसका मूल रूप खरोष्ठी लिपि तथा प्राकृत भाषा में नीचे दिया गया है-

खरोष्ठी लिपि	प्राकृत भाषा
𑀲𑀸𑀓𑀔𑀔	क्षत्रपस

4 – कनिष्क प्रथम का माणिक्याला पाषाण लेख, वर्ष - 18 (96 ई.)

माणिक्याला आधुनिक पाकिस्तान के रावलपिण्डी जिले में स्थित एक गाँव है जहाँ पर एक बड़े स्तूप तथा अनेक छोटे-छोटे स्तूपों एवं विहारों का ध्वंसावशेष है। जनरल कोर्ट ने 1834 ई. में यहाँ के एक छोटे स्तूप का उत्खनन करवाया था। उत्खनन के दौरान 10 फीट नीचे एक विशाल प्रस्तर मिला जिसके निचले हिस्से पर खरोष्ठी लिपि एवं प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण 12 पंक्तियों का यह लेख प्राप्त हुआ था। इसे एम. सेनार्ट ने एक प्रतिकृति के साथ जर्नल एशियाटिक, 1896 ई., पेरिस में तथा लुडर्स ने जर्नल ऑफ दि रॉयल एशियाटिक सोसायटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एण्ड आयरलैण्ड, 1909 ई. में सम्पादित करवाया था।¹⁴

मूलपाठ¹⁵

A : 1. सं १० (+ *) ४ (+ *) ४ [B : कर्तियसमस (स *) दिवसे २०]

[एत्र] पुर्वएमहरजसकणे —

2. प्क [स्य] गुषण-वशसंवर्धकलल

3. दडणयगोवेशपशिसक्षत्रपस

4. होरगु [तों] स तसअपनगेविहरे

5. होरमूर्तोएत्रणणभगव-बुद्ध-क्षुव

6. [प्र] तिस्तवयतिसहतए [न] वेशपशिणखुदेचिए [न]

C : 7. बुरितेण च विहरकर [वह] एण

8. संवेण च परिवरेणसध (! *) एतेनकु —

9. शलमुलेनबुधेहि च ष [व] एहि [च]

D : 10. समंसदभवतु

E : 11. भ्रतरस्वरबुधिसअग्रप [डि] अशए

F : 12. सधबुधिलेननवकर्मिणेण (! ! *)

इस अभिलेख से भगवान बुद्ध के स्तूपों के निर्माण से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेख में उत्कीर्ण तिथि के अनुसार इसकी स्थापना महाराज कनिष्क के 18वें राजत्व काल में कार्तिक मास के 20वें दिन किया गया। यह अभिलेख इसलिए भी ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें वर्णित स्तूपों का निर्माण एक विदेशी व्यक्ति द्वारा अपने भाई संभवतः होरमूर्त के पुण्य लाभ के लिए करवाया गया था। इससे यह विदित होता है कि विदेशी व्यक्ति भी बौद्ध धर्म से प्रभावित हुए एवं उन्होंने इस धर्म को अपना संरक्षण भी प्रदान किया।

इस अभिलेख में कनिष्क को महरजस कहा गया है इसके अतिरिक्त क्षत्रपस उपाधि (कुषाण शासकों के अधीन प्रान्तीय शासक) तथा हिन्दू माह कार्तिक का भी उल्लेख प्राप्त होता है जिसका मूल रूप खरोष्ठी लिपि तथा प्राकृत भाषा में नीचे दिया गया है -

खरोष्ठी लिपि	प्राकृत भाषा
१४५२०	महरजस
१५२४	क्षत्रपस

5 – कुरम ताम्र मंजूषा लेख, वर्ष - 21 (99 ई.)

इस अभिलेख के प्राप्ति स्थल को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। पं० वी० नरेश अय्यर को 1917 ई. में पेशावर के समीप खान साहबमियांवसी-उद्दीन ने सर्व प्रथम इस मंजूषा लेख के विषय में जानकारी दी जिसे उन्होंने एपिग्राफिया इण्डिका, खण्ड-18 (1925-26 ई.) में प्रकाशित करवाया।¹⁶ पुनः इसका व्यवस्थित अनुवाद कॉर्पस इन्सक्रिप्शनम इण्डिकेरम, खण्ड-2 (i) में प्रकाशित हुआ।¹⁷ यहाँ से प्राप्त मंजूषा अच्छी अवस्था में है जिसके चारों ओर चार पंक्तियों में लेख उत्कीर्ण है, जिस पर हर्मिका और छतरियाँ हैं। इसकी भाषा प्राकृत तथा लिपि खरोष्ठी है।

मूलपाठ¹⁸

1. (A) [सं २० (+ *) १ सस] स अवदुनकसदि २० इ [शे] क्षुनंमि (B) श्वेद्वर्म
यश-पुत्रतनु [व] कंमिरंजंमि (C) [नव-विह*] रंमिअचर्यनसर्वस्तिवदनपरि -
(D) [ग्रहं] मिथुबंमिभग्रवतसशक्य-मुनिस
2. (A) शरिरप्रदिठवेदि (I*) यथबुतभग्रवद (B) अविज-प्रचग्रसंकंरंसंकर-प्रचग्र
विजन (C) [वि] त्रन-प्रचग्रनम-रुवनमरुव-प्रचग्रषड् [य] - (D) [दन] षड्यदन
-प्रचग्रफषपष-प्रचग्र
3. (A) वेदनवेदन-प्रचग्रतण्ण-प्रचग्रउवदन (B) उवदन- प्रचग्रभवभव-प्रचग्रजदि
जदि-प्रच [ग्र] (C) जर-मर [न] शोग्रपरिदेव-दुख - दोर्मनस्त-उपग्रस (I*)
(D) [एवं] [अस] केवलसदुख-कंधससंमुदभवदि (I*)
4. (D) सर्व-सत्त्वनपुयएअख च प्रतिच-संमुपते (I*) (A) लिखिदमहिफतिएन
सर्वसत्त्वनपुयए (II *)

इस लेख को कनिष्क के 21वें शासन वर्ष के अवदुन का महीने के 20वें दिन उत्कीर्ण करवाया गया था। इसका मूल उद्देश्य यश के पुत्र श्वेद वर्मा द्वारा सर्वास्तिवादी शिक्षकों की स्वीकृति से एक स्तूप में भगवान शाक्य मुनि के पवित्र शरीर अवशेषों को स्थापित करवाना था। तत्पश्चात् प्रतीत्य-समुत्पाद के पाठ का अनुलोम भाग आता है। इसे भगवान बुद्ध ने बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात् प्रकट किया था जिसमें वर्णित है कि “मोह के संबंध में संस्कार, संस्कारों से चेतना, चेतना से नाम और रूप, नाम और रूप से छः इंद्रियाँ, छः इंद्रियों से स्पर्श, स्पर्श से संवेदना, संवेदना से प्यास, प्यास से आसक्ति, आसक्ति से जीवन, जीवन से जन्म, जन्म से क्षय, मृत्यु, दुख, विलाप, पीड़ा, निराशा, हताशा। इस प्रकार सभी प्राणियों के सम्मान के लिए दुख के इस पूरे समूह की उत्पत्ति होती है और यह प्रतीत्य-समुत्पाद महिपातिया द्वारा सभी प्राणियों के सम्मान के लिए लिखा गया है।” लेख इसी प्रार्थना से समाप्त होता है।

इस प्रकार इन अभिलेखों से कनिष्क के शासन सम्बन्धी महत्वपूर्ण पहलुओं यथा शासन वर्ष, शासन क्षेत्र, तिथियांकन पद्धति, उपाधियाँ, प्रान्तीय अधिकारियों तथा दान एवं धार्मिक कार्यों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। कनिष्क कालीन प्रथम मंजूषा लेख तथा माणिक्याला पाषाण लेख में कनिष्क को महरजस कहा गया है परन्तु सुइ-विहार लेख में उसकी उपाधि महरजस्य, रजतिरजस्य एवं देव पुत्रस्य प्राप्त होता है। देव पुत्र की उपाधि कनिष्क द्वारा चीनी सम्राटों के अनुकरण पर धारण किया गया था। जेडा तथा माणिक्याला पाषाण लेख में तत्कालीन प्रान्तीय शासकों के नाम मिलते हैं जिनकी उपाधि क्षत्रपस ज्ञात होती है। धार्मिक दृष्टि से इन अभिलेखों

से विदित होता है कि कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म के सर्वास्तिवादी सम्प्रदाय को राजाश्रय प्राप्त था। जेड एवं माणिक्याला अभिलेखों में हिन्दू महीनों आषाढ़ एवं कार्तिक माह का उल्लेख प्राप्त होता है जो कि भारतीय दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

संदर्भ ग्रंथ-सूची

1. पाण्डेय, विमलचन्द्र, 2008, प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास, सेन्ट्रल पब्लिशिंग हाउस, इलाहाबाद, पृ० - 427
2. मुले, गुणाकार, 2003, अक्षर कथा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, पटियाला हाउस, नई दिल्ली, पृ० - 220
3. कॉर्पस इन्सक्रिप्शनम इण्डिकेरम, खण्ड- 2 (i), पृ० - 135-137
4. वही पृ० - 138-141
5. वही पृ० - 142-145
6. वही पृ० - 145-150
7. वही पृ० - 152-155
8. वही पृ० - 135
9. वही पृ० - 137
10. वही पृ० - 138
11. गोयल, श्रीराम, 1982, प्राचीन भारतीय अभिलेख संग्रह, खण्ड- 1, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, पृ० -243
12. कॉर्पस इन्सक्रिप्शनम इण्डिकेरम, खण्ड- 2 (i), पृ० - 142
13. गोयल, श्रीराम, 1982, प्राचीन भारतीय अभिलेख संग्रह, खण्ड- 1, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, पृ० -242
14. कॉर्पस इन्सक्रिप्शनम इण्डिकेरम, खण्ड- 2 (i), पृ० - 145
15. सरकार, दिनेश चंद्र, 1942, सिलेक्ट इन्सक्रिप्शनस्, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, पृ० - 138-39
16. एपिग्राफिया इण्डिका, खण्ड-18 (1925-26), पृ०- 16-19
17. कॉर्पस इन्सक्रिप्शनम इण्डिकेरम, खण्ड- 2 (i), 1969, पृ० -152-55
18. गोयल, श्रीराम, 1982, प्राचीन भारतीय अभिलेख संग्रह, खण्ड-1, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, पृ० -247

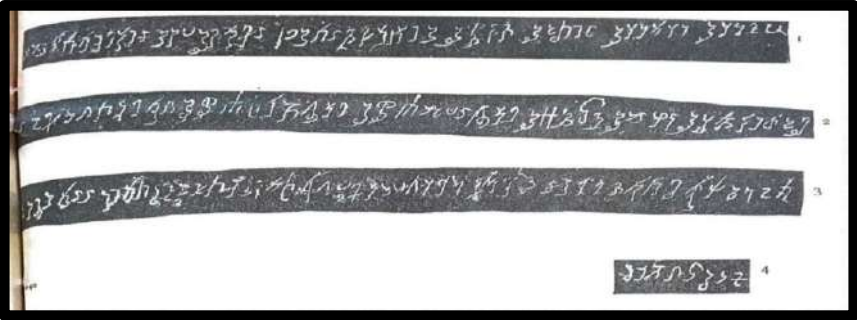
कनिष्क कालीन प्रमुख खरोष्टी अभिलेख					
क्र. सं.	अभिलेख	प्राप्ति स्थल	वर्ष/तिथि		संदर्भ
			संवत्	ई. सन्	
1	कनिष्क कालीन धातु मंजूषा अभिलेख	पेशावर, पाकिस्तान	शक वर्ष- 1	78 ई.	कॉर्पस इन्सक्रिप्शनम इण्डिकेरम, भाग- 2 (i), पृ० - 135-137
2	सुइ-विहार ताम्रपत्र लेख, वर्ष- 11 (89 ई.)	बहावलपुर, पाकिस्तान	शक वर्ष- 11	89 ई.	कॉर्पस इन्सक्रिप्शनम इण्डिकेरम, भाग- 2 (i), पृ० - 138-141

3	जेडा अभिलेख, वर्ष-11 (89 ई.)	रावलपिंडी, पाकिस्तान	शक वर्ष- 11	89 ई.	कॉर्पस इन्सक्रिप्शनम इण्डिकेरम, भाग- 2 (i), पृ0 – 142-145
4	माणिक्याला पाषाण अभिलेख, वर्ष-18 (96 ई.)	रावलपिंडी, पाकिस्तान	शक वर्ष- 18	96 ई.	कॉर्पस इन्सक्रिप्शनम इण्डिकेरम, भाग- 2 (i), पृ0 – 145-150
5	कुर्रम ताम्रमंजूषा लेख, वर्ष-21 (99 ई.)	पेशावर, पाकिस्तान	शक वर्ष- 21	99 ई.	कॉर्पस इन्सक्रिप्शनम इण्डिकेरम, भाग- 2 (i), पृ0 – 152-155

कनिष्क कालीन धातु मंजूषा अभिलेख



कनिष्क प्रथम का सुइ-विहार ताम्रपत्र लेख



कनिष्क प्रथम का जेडा अभिलेख



कनिष्क प्रथम का माणिक्याला पाषाण अभिलेख



कुर्रम ताम्रमंजूषा लेख



शक-क्षत्रप अभिलेख : विषयवस्तु एवं उपादानगत वर्गीकरण

डॉ० डॉली पटवा

पोस्ट डॉक्टरल फेलो, प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

सारांशिका:

भारतीय इतिहास की संरचना में अभिलेखिक साक्ष्यों का महत्त्व सर्वविदित है। अभिलेखों से तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं कलात्मक इत्यादि क्रियाकलापों का परिज्ञान होता है। शक-क्षत्रप शासकों की जानकारी के मुख्य स्रोत उनके अभिलेख एवं मुद्रालेख हैं। शकों के चारो शाखाओं के शासकों के द्वारा अभिलेख जारी किये गए जो तक्षशिला, मथुरा, महाराष्ट्र, उज्जैनी एवं गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों से मिलते हैं। इनके अभिलेख एपिग्राफियाइण्डिका, इण्डियन एण्टिक्वेरी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ वेस्टर्न इण्डिया, कार्पस इस्क्रिप्शनम् इन्डिकैरम्, सेलेक्ट इस्क्रिप्शन्स तथा ल्यूडर्स सूची के विभिन्न खण्डों में प्रकाशित किये गए हैं। इनके अभिलेखों को प्रकाशित करने का श्रेय कनिंघम, भगवानलाल इन्द्रजी, सेनार्ट, व्यूहर, रैप्सन, भण्डारकर आदि विद्वानों को प्राप्त है। प्रस्तुत शोध पत्र में मैंने शक-क्षत्रप कालीन अभिलेखों को मुख्यतः विषयवस्तु एवं उपादान के आधार पर वर्गीकृत करने का प्रयास किया है।

बीज शब्द : शक-क्षत्रप, अभिलेख, राजकीय, दानात्मक, प्रस्तर खण्ड, भाषा-लिपि

शोध-विस्तार :

भारतीय इतिहास विभिन्न राजवंशों के शौर्यपूर्ण उपलब्धियों एवं तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का दर्पण है तथा इन गतिविधियों के सम्यक् विवेचन में अभिलेखीय साक्ष्य सर्वाधिक विश्वसनीय एवं प्रामाणिक स्रोत है। मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात् भारत का पश्चिमोत्तर भाग बाह्य आक्रमणकारियों का केन्द्र बिन्दु बन गया फलस्वरूप समय-समय पर बाह्य आक्रमणकारी भारत आये और यहाँ अपना प्रभुत्व स्थापित किया जिसमें शक-क्षत्रप उल्लेखनीय है। शक-क्षत्रप शासकों की जानकारी के मुख्य स्रोत उनके अभिलेख हैं। साधारणतया अभिलेखीय सामाग्री को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है- 1. राजकीय या आधिकारिक 2. लौकिक या वैयक्तिक। स्मृतिचंद्रिका¹ में भी अभिलेखों के ये दो प्रकार वर्णित हैं। शक-क्षत्रप राजवंश के अभिलेखों का वर्गीकरण राजकीय एवं व्यक्तिगत लेखों के अंतर्गत किया जा सकता है। इनके राजकीय लेख शासक, राजमहिषी, जमाता, आमात्य, मंत्री, सेनापति, महारथि, जलाशयाधीक्षक आदि के द्वारा उत्कीर्ण कराए गए हैं। शक शासकों के राजकीय अभिलेख के अंतर्गत पतिक का तक्षशिला ताम्रपत्र लेख, मथुरा सिंह स्तम्भशीर्ष अभिलेख, उषवदत्त का नासिक, कार्ले एवं जुन्नारगुहा लेख, दक्षमित्रा का नासिक गुहालेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ लेख, रुद्रसिंह प्रथम कालीन गुदाशिलालेख, श्रीधरवर्मा का कानखेड़ा पाषाण लेख उल्लेखनीय है।

लौकिक लेख जनसामान्य से सम्बन्धित हैं जिनमें जैन श्रमणिका, व्यापारी, कुटुंबी, बौद्ध भिक्षु की शिष्या, उपासक, गृहपति, बड़ई आदि सम्मिलित थे। शककालीन व्यक्तिगत अभिलेख मथुरा, अन्धौ, दौलतपुर, मेवासा, एरण, गोनियासार से प्राप्त हुये हैं। इनकी विषयवस्तु प्रायः निर्माण

कार्य, प्रतिमा दान, धर्मदाय, स्तम्भ अथवा आयागपट्टप्रतिस्थापना से सम्बन्धित है। शक-क्षत्रप अभिलेखों को आधार उपादान एवं वर्ण्य विषय के आधार पर विभिन्न वर्गों एवं उपवर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। शक शासकों ने अभिलेखों के उत्कीर्णन के लिए प्रायः पाषाणखण्ड, धातु, मिट्टी तथा लकड़ी के स्तम्भ, पट्टिकाएं, तश्तरियाँ, पात्र तथा अन्य वस्तुओं का उपयोग किया है।

शक-क्षत्रप कालीन अभिलेखों का उपादानगत वर्गीकरण

उपादान के आधार पर वर्गीकरण		विषयवस्तु के आधार पर वर्गीकरण
1. प्रस्तर	2. धातु	
शिलालेख स्तम्भलेख गुहालेख आयागपट्ट लेख प्रतिमा लेख स्तूप लेख	ताम्रपत्र लेख	बौद्ध अस्थि स्थापना सम्बन्धि लेख दानात्मक लेख समर्पणात्मक लेख प्रशंसात्मक लेख संस्मारक लेख

पाषाण लेख :

प्रारम्भिक युग से ही पाषाण का प्रयोग लेख उत्कीर्णन के लिए होता था। प्राकमौर्ययुग से लेकर लगभग बारहवीं शताब्दी तक अभिलेख उत्कीर्णन के लिए अनेक रूपों में पाषाण का प्रयोग भारत के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से प्राप्त होता है। अभिलेखों के आधार उपादान के रूप में प्रस्तर का प्रयोग उसके स्थायित्व के कारण किया जाता था। मौर्य सम्राट अशोक अपने लेखों में निर्देश दिया है कि उसने अपने आदेशों को प्रस्तर पर इसलिए उत्कीर्ण कराया कि वे चिर स्थायी रह सकें।² अभिलेख उत्कीर्णन हेतु माध्यम के रूप में प्रस्तर का निम्नलिखित रूपों में प्रयोग हुआ है-

1. पाषाण खण्ड लेख
2. स्तम्भ लेख
3. गुहालेख
4. आयागपट्टलेख
5. प्रतिमा लेख
6. स्तूप लेख

पाषाणखण्ड लेख:

पाषाणखण्ड लेख ऐसे लेख हैं जो प्रायः शिलाओं अथवा चट्टानों पर काटकर उत्कीर्ण किये जाते हैं। अशोक के वृहत् एवं लघु शिलालेख इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। मौर्योत्तर काल में शक-क्षत्रप शासकों ने लेख उत्कीर्णन हेतु प्रस्तर का प्रयोग किया। शक-क्षत्रपों का प्रथम शिलाखण्ड लेख मैरा अभिलेख वर्ष 58³ तीन खण्डों पर उत्कीर्ण है। दामिजद का शहदौर लेख⁴ तथा शिवरक्षित का शहदौरलेख⁵ भी शिलापट्टों पर उत्कीर्ण हैं। मथुरा के शक क्षत्रपों के अधिकांश अभिलेख पाषाण लेख हैं। इनके शिलाखण्ड लेख मथुरा के विभिन्न स्थानों जैसे मोरा, कंकाली टीला, गरु घाट, गिरिधर टीला इत्यादि स्थानों से प्रतिवेदित हैं। महाराष्ट्र के क्षत्रपों के अभिलेख प्रायः गुहालेख के रूप में उत्कीर्ण हैं। उज्जैनी के शकों के पाषाण लेख में रुद्रदामन प्रथमकालीन खावड़ालेख⁶ रुद्रदामन का

जूनागढ़ लेख⁷, प्रथम रुद्रसिंह कालीन गुन्दा शिलालेख⁸, जयदामन कालीन जूनागढ़ शिलालेख⁹, प्रथम रुद्रसेनकालीन गढ़ा शिलालेख¹⁰, विजयसेन कालीन राजकोट लेख¹¹, श्रीधरवर्मा का कानखेड़ा पाषाण लेख¹², महाक्षत्रप रुद्रसिंह प्रथम का गोनियासारप्रस्तर अभिलेख¹³ उल्लेखनीय है।

स्तम्भ लेख :

प्रस्तर का दूसरा रूप स्तम्भ है जिस पर लेख उत्कीर्ण करने की प्रथा ईसा पूर्व सदियों से भारत में दिखाई पड़ती है। यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने अपने धार्मिक भावना को व्यक्त करने के लिए भिलसा (प्राचीन विदिशा) में स्तम्भ पर लेख अंकित करवाया था। शकशासकों का प्रथम स्तम्भलेख राजवुल के शासनकाल का मथुरा सिंह स्तम्भशीर्ष अभिलेख¹⁴ है। इस स्तम्भ पर लेख अत्यन्त अव्यवस्थित ढंग से लिखा हुआ है। विद्वानों ने इसको कई खण्डों में व्यवस्थित कर उद्घाटित करने का प्रयास किया है। दूसरा स्तम्भलेख श्रीधरवर्मा का एरण पाषाण स्तम्भलेख¹⁵ है जो मध्यप्रदेश के सागर जिले में स्थित एरण नामक स्थान से प्राप्त हुआ है।

स्तम्भों का वर्गीकरण कई रूपों में किया जा सकता है जैसे- ध्वज स्तम्भ, जयस्तम्भ (किसी विजेता की प्रशस्ति से युक्त), कीर्ति स्तम्भ (ऐसे व्यक्ति की प्रशस्ति से युक्त जिसने यशप्राप्ति के लिए कोई पवित्र कार्य सम्पन्न किया हो), स्मारकीय स्तम्भ आदि। स्मारकीय स्तम्भ भारत के दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में अधिक संख्या में प्राप्त होते हैं। ऐसे स्तम्भों की स्थापना किसी व्यक्ति के मृत सम्बन्धि के सम्मान में की जाती थी। ऐसे अनेक अभिलेख ईसा की प्रारम्भिक सदियों में मिले हैं। अभिलेखों में इसके लिए यष्टि शब्द प्रयुक्त है। शक-क्षत्रप शासकों के अनेक यष्टि लेख प्राप्त होते हैं। कार्दमक क्षत्रपों ने अपने शासनकाल में कई यष्टिलेख उत्कीर्ण कराये। ये यष्टि लेख पुत्र, पिता, भाई, बहन, पत्नी, मित्र आदि के स्मरणार्थ स्थापित की गईं। चष्टन कालीन अन्धौ यष्टिलेख वर्ष 11¹⁶ में पालितक के पुत्र मधुकान के पुत्रों द्वारा यष्टि स्थापना का उल्लेख है। अन्धौ यष्टिलेख वर्ष 52 में¹⁷ सिंहलदत्त के पुत्र मदन ने अपने भाई ज्येष्ठवीरा, भाई ऋषभदेव एवं पत्नी यशोदत्ता के याद में स्मारक स्वरूप स्थापित किया गया। इसके अतिरिक्त चष्टनकालीन दौलतपुरयष्टिलेख¹⁸ वर्ष 6, रुद्रदामनप्रथम कालीन खावड़ा लेख¹⁹, प्रथम रुद्रसिंहप्रथम कालीन गढ़ायष्टिलेख²⁰, रुद्रसेन प्रथम का अन्धौ यष्टिलेख²¹ तथा मूलवासरयष्टि लेख²², भर्तृदामन का मेवासा यष्टिलेख²³ भी स्मृतिपरक लेख हैं जो कि व्यक्ति विशेष के सम्मान में मृत्युपरांत स्थापित किये गए।

गुहालेख:

चतुर्दिश भिक्षु संघों के वर्षावास तथा सामान्य बौद्ध भिक्षुओं के निवास एवं पूजा अर्चना के लिए पर्वतों को काटकर गुहा निर्मित करने की परम्परा प्राचीन काल से दिखायी देती है। बौद्ध भिक्षुओं को गुहादान देने की परम्परा मौर्य काल से ही प्राप्त होने लगती है किन्तु बाद में शक-क्षत्रप काल में बौद्ध संघ के प्रति गुहादान का व्यापक प्रचलन हुआ। सह्याद्री (पश्चिमी घाट) में बौद्ध गुहाओं की संख्या अधिक है। नासिक, एलोरा, अजंता, भाजा, कार्ले, कन्हेरी की गुहायें भिक्षुओं के निवास के निमित्त किये गये। पर्वतों को काटकर गुफायें उत्खनित करने की परम्परा का प्रारम्भ मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ। अशोक और उसके पुत्र दशरथ ने बिहार में गया के निकट आजीवक सन्यासियों के लिए सात गुफायें खुदवाईं।

शक शासकों के अनेक गुहालेख प्राप्त हुए हैं जो नासिक, जुन्नर, कार्ले, कन्हेरी, नाणेघाट की गुहा-दीवारों पर उत्कीर्ण हैं। नासिक, जुन्नर, कार्ले की गुहाओं में क्षत्रप नहपान के जमाता उषवदत्त

के कई लेख उत्कीर्ण मिले हैं जिसमें गुहा निर्माण करने वाले व्यक्ति का नाम लिपिबद्ध नहीं है किन्तु लेख में दान का वर्णन मिलता है। शक-क्षत्रप नहपान के जमाता उषवदत्त का लेख नासिक, कार्ले तथा जुन्नार एवं उसकी पुत्री दक्षमित्रा का लेख नासिक गुहा से प्राप्त होता है।

आयागपट्ट लेख :

आयागपट्टजैन धर्म से सम्बन्धित प्रस्तरपट्ट है जिस पर तीर्थंकर की मूर्ति तथा अष्टमंगलिकप्रतीकों का अंकन मिलता है। मथुरा के कंकाली टीला से जैन आयागपट्ट मिले हैं जिनमें कुछ पर लेख उत्कीर्ण हैं तथा कुछ लेखरहित हैं। अभिलेख में इसे आयागपट्ट अथवा शिलापट्ट कहा गया है। अर्हत पूजा हेतु इसकी स्थापना जैन उपासकों अथवा श्रमण-श्रमणियों द्वारा समय-समय पर किया गया। मथुरा के कंकाली टीला से शोडासकालीन एक आयागपट्ट लेख²⁴ मिला है जिसमें आयागपट्ट के लिए आर्यवती शब्द का प्रयोग किया गया है। इस लेख का उद्देश्य जैन श्राविका द्वारा आयागपट्ट की स्थापना का उल्लेख करना है। इसके अतिरिक्त यहाँ से कई शककालीन व्यक्तिगत लेख प्राप्त हुए हैं जिसमें शिवयशा²⁵, शिमित्रा²⁶, कालवाल²⁷, कौशिकी पुत्र सिंहनन्ददिक²⁸ के द्वारा आयागपट्ट की स्थापना का संदर्भ मिलता है।

स्तूप :

किसी पात्र में शरीरावशेष को रखकर उस पर अंडाकार या अर्द्धवृत्ताकार ढांचा तैयार किया जाता था जो सामान्यतः स्तूप कहा गया है। मौर्य सम्राट अशोक ने बुद्ध के शरीरावशेष पर अनेक स्तूप का निर्माण करवाया जिसका उल्लेख चीनी यात्रियों ने भी किया है। स्तूप के भीतर एक विशेष पात्र में बुद्ध के शरीर अवशेष को स्थापित करने की परम्परा थी। कभी-कभी उस अस्थिवशेष पात्र के ढकन एवं अन्य भाग पर भी लेख उत्कीर्ण मिलता है। ऐसे लेखों में पिपरहवा का पात्र लेख सर्वाधिक प्राचीन है जिसमें शाक्य बुद्ध के अस्थि अवशेषों को स्थापित करने का उल्लेख है। गुजरात के देवनीमोरी नामक स्थान से एक बड़े स्तूप में से एक ऊँचा प्रस्तर का करंडक मिला है जिस पर शक शासक रुद्रसेन कालीन लेख²⁹ उत्कीर्ण है जिसमें अग्निवर्मन और सुदर्शन नामक भिक्षुओं द्वारा स्तूप स्थापना का उल्लेख है।

प्रतिमा लेख :

प्रतिमा लेख प्रायः व्यक्तिगत दानात्मक लेख हैं। प्रस्तर प्रतिमाओं के पादपीठों अथवा आसन चौकी पर लेख उत्कीर्ण हैं। मथुरा से शककालीन कुछ व्यक्तिगत प्रतिमालेख प्राप्त हुए हैं जिसमें सामान्य जन द्वारा जैन अथवा बौद्ध प्रतिमा प्रतिष्ठापना का उल्लेख है यथा— मथुरा के गरु घाट के कुएँ से प्राप्त बौद्ध प्रस्तरखण्ड लेख³⁰, कंकाली टीला जैन प्रतिमा लेख³¹, कटरा टीला से प्राप्त बौद्ध प्रतिमा लेख³² आदि प्रमुख हैं।

ताम्र लेख :

धातु की पट्टिकाओं पर लेख उत्कीर्ण करने की परम्परा प्राचीन रही है। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य एवं विष्णु स्मृति में ताम्रपत्र निर्मित करने एवं उस पर लेख उत्कीर्ण करने का उल्लेख प्राप्त होता है। धातु की पट्टिकाओं पर उत्कीर्ण प्राचीन लेखों में सोहगौरा ताम्रपट्ट उल्लेखनीय है। शक शासकों का केवल एक ताम्रपत्र लेख प्राप्त होता है जो पतिक का तक्षशिला ताम्रपत्र वर्ष 78 है। यह ताम्र पत्रचुख्स के क्षत्रपकुसुलक के पुत्र महादानपतिपतिक ने उत्कीर्ण करवाया।

लेखों के प्रतिपाद्य विषय के आधार पर शक क्षत्रपों के अभिलेखों का वर्गीकरण अधोलिखित शीर्षक के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है –

1. बौद्ध अस्थि-स्थापना सम्बन्धिलेख
2. दानात्मक लेख
3. समर्पणात्मक लेख
4. प्रशंसात्मक लेख
5. संस्मारक लेख

बौद्ध अस्थि-स्थापना सम्बन्धि लेख :

बौद्ध अस्थि स्थापना सम्बन्धी प्रारम्भिक अभिलेखों में पिपरहवा बौद्ध कलश लेख उल्लेखनीय है जिसमें बुद्ध की अस्थि मंजूषा के समर्पण का उल्लेख है। शक शासक मोग के शासनकाल का पतिक का तक्षशिला अभिलेख भी इसी श्रेणी में परिगणित है। इसमें पतिक द्वारा भगवान शाक्य मुनि के अस्थि अवशेष को प्रतिष्ठापित करने का उल्लेख है। मथुरा सिंह स्तम्भशीर्ष अभिलेख में महाक्षत्रप राजवुल की अग्रमहिषी द्वारा अपने संबंधियों के सहयोग से स्तूप में भगवान शाक्यमुनि के देहावशेष की स्थापना का विवरण अभिलिखित है। रुद्रसेन के शासनकाल के देवनीमोरी लेख में भगवान बुद्ध के शरीरावयव से युक्त पत्थर का करंडक सेनपुत्र वराह द्वारा भूमि में स्थापित करने का वर्णन है।

दानात्मक लेख:

प्राचीन काल में गृहस्थ के लिए यज्ञ करना और दान देना आवश्यक माना जाता था इसलिए राजा और सामान्य जन सभी की दान आदि कर्म में रुचि थी तथा उसे प्रस्तर अथवा ताम्रपट्टों पर उत्कीर्ण करवाकर चिरस्थायी रखने का प्रयास किया। भारतीय धर्मशास्त्रों में जनसामान्य के कल्याण के लिए किये जाने वाले कार्यों को पूर्वदान कहा गया है। धर्मशास्त्र के अनुसार पूर्वकर्म के अंतर्गत गहरे कूप, तड़ाग, आराम, वाटिका, अन्नदान तथा मंदिरों आदि के प्रबंध मिलते हैं।³³ मान्यता थी कि जो व्यक्ति इस प्रकार के निर्माण कार्य करता था, उसके सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते थे और उसे इस संसार से मुक्ति मिल जाती थी। इसीलिए भारतीय परंपरा में प्राचीनकाल से ही इस प्रकार के लोक कल्याण हेतु पूर्वदान तथा उनसे अर्जित पुण्य प्राप्त करने की परम्परा समाज में प्रचलित थी जिसका अनुसरण विदेशी शासकों ने भी किया।

शक शासकों के अभिलेखों में सामान्य जन के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किये गए अनेक निर्माण कार्यों एवं दानों का उल्लेख मिलता है जैसे-चतुर्दिक् भिक्षु संघों के वर्षावास के लिए गुहा एवं विहार निर्माण, भिक्षुओं के विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अक्षयनीवि का दान, ब्राह्मणों के लिए सत्र की व्यवस्था, उनकी कन्याओं का विवाह करवाना, विभिन्न प्रकार के जलाशयों जैसे- कूप, तड़ाग, पुष्करिणी आदि का निर्माण तथा स्वर्ण, अन्न, भूमि, ग्राम, गाय का दान इत्यादि। चतुर्दिक् भिक्षु संघों के वर्षावास तथा सामान्य बौद्ध भिक्षुओं के निवास एवं पूजा अर्चना के लिए पर्वतों को काटकर गुहा निर्मित करने का उल्लेख शक शासकों के अभिलेखों में मिलता है।

समर्पणात्मक अभिलेख:

समर्पणात्मक अभिलेखों की विषयवस्तु पूजापरक धार्मिक क्रियाकलापों अथवा धार्मिक उद्देश्य हेतु किये गए निर्माण कार्यों से सम्बन्धित होता है। समर्पणात्मक लेखों में मूर्ति- प्रतिष्ठा, मंदिर,

कूप, बावड़ी निर्माण हेतु निवेदित समर्पण का उल्लेख प्राप्त होता है। पतिक का तक्षशिला अभिलेख इसी श्रेणी में परिगणित है। इसमें पतिक द्वारा भगवान शाक्य मुनि के अस्थि अवशेष पर स्तूप एवं संधाराम प्रतिष्ठित करने तथा उपाध्याय रोहिणीमित्र के साथ, जो इस संधाराम का नवकर्मिक था पूजा करने का उल्लेख मिलता है। मथुरा सिंह स्तम्भशीर्ष अभिलेख में महाक्षत्र पराजुल की अग्रमहिषी ने अपने संबंधियों के सहयोग से बुद्ध के अवशेष पर स्तूप का निर्माण कराया था। शोडास के वर्ष 72 का मथुरा आयागपट्ट लेख में जैन भिक्षु शिष्या अमोहिनी ने अर्हत पूजा के लिए आर्यवती (आयागपट्ट) स्थापित किया। शोडास कालीन मोरा पाषाण लेख में वृष्णियों के पूज्य पंचवीरों की प्रतिमायें तोषा के द्वारा पाषाण निर्मित देवगृह में स्थापित की गई।

मथुरा से शककालीन अनेक व्यक्तिगत लेख प्राप्त होते हैं जिसमें प्रतिमा, आयागपट्ट एवं स्तूप की स्थापना का उल्लेख है यथा- कंकाली टीला जैन पाषाण लेख में ओखरिका, उझतिका, ओखा, सिरिका तथा शिवादिन के द्वारा अर्हत महावीर की प्रतिमा की स्थापना का उल्लेख है। इसी प्रकार सर्कुलर रोड माउन्ड से प्राप्त बौद्ध प्रतिमा लेख एवं गरु घाट कुएँ से प्राप्त बौद्ध प्रस्तरखण्ड लेख में बोधिसत्व की प्रतिमा की स्थापना का विवरण मिलता है। गनेसरा टीला प्रस्तर लेख में क्षहरातक्षत्रप घटक के किसी महिला सम्बन्धि के द्वारा स्तूप के निर्माण का उल्लेख है। कंकाली टीला जैन तोरण लेख में जयसेन की स्त्री शिष्या धर्मघोषा के उपहार से मंदिर के निर्माण का संदर्भ है। कंकाली टीला जैन आयागपट्ट लेख में नर्तक फागुयश की पत्नी शिवयशाद्वारा अर्हत की पूजा के लिए आयागपट्ट तथा दो अन्य जैन प्रस्तरखण्ड लेख में अर्हत् वर्धमान एवं अर्हत् महावीर के मंगलाचरण के उपरांत आयागपट्ट की स्थापना का विवरण अभिलिखित है। अर्हतों की पूजा के लिए गोतिपुत्र इंद्रपाल के द्वारा प्रतिमा के भेंट का उल्लेख कंकाली टीला जैन प्रतिमा लेख में मिलता है। कटरा टीले से प्राप्त बोधिसत्व प्रतिमा लेख में सभी संवेदनशील प्राणियों की खुशी एवं कल्याण के लिए बुद्धरक्षित की माता अमोघदासी के द्वारा अपने ही विहार में बोधिसत्व की प्रतिमा की स्थापना का उल्लेख है। शक शासक रुद्रसेन के समय का देवनीमोरी से प्राप्त करंडक लेख में अग्निवर्मन और सुदर्शन नामक भिक्षुओं द्वारा महाविहार के समीप महास्तूप स्थापित किया गया। भगवान बुद्ध के शरीरावयव से युक्त पत्थर का करंडक सेनपुत्र वराह ने यहाँ के फर्शवाली भूमि में स्थापित किया गया। इस करंडक का निर्माण भगवान बुद्ध की कृपा की आकांक्षा रखने वाले तथा धर्म एवं संघ की वृद्धि के लिए महासेन भिक्षु ने किया।

प्रशंस्यात्मक अभिलेख :

ऐतिहासिक दृष्टि से प्रशंस्यात्मक अभिलेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रशंस्यात्मक अभिलेखों की विषयवस्तु सम्बन्धित शासक के वंश, वंशक्रम, उपाधियाँ, व्यक्तिगत अभिरुचि, शासन व्यवस्था, चारित्रिक विशेषताएँ, साहित्यिक अभिरुचि इत्यादि को उद्घाटित करता है। शक कालीन प्रशंस्यात्मक लेखों में उषवदत्त का नासिक गुहा लेख एवं रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख उल्लेखनीय है। रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का उल्लेख के साथ-साथ रुद्रदामन के राजनीतिक उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है।

संस्मारक अभिलेख:

इस प्रकार के अभिलेख वीर पुरुष के जीवन घटनाओं, जन्म अथवा वीरगति का उल्लेख करता है। शक क्षत्रपों के शासनकाल में जनसामान्य द्वारा अपने भाई, बहन, पत्नी, पुत्र, पिता, मित्र,

स्वामी आदि के स्मरणार्थ अनेक स्मारक शिला स्थापित किया गया जिसमें चष्टन कालीन अन्धौ यष्टि लेख में चष्टन के 11 वे वर्ष पालितक के पुत्र मधुकान के पुत्र ने स्मारक शिला स्थापित की। चष्टन और रुद्रदामन के समय के यष्टिलेख वर्ष 52 में चार यष्टियां (स्मारक शिला) स्थापित करने का उल्लेख है जिसमें तीन यष्टियाँ औपशति गोत्रीय सिहिलदत्त के पुत्र मदन ने क्रम से अपनी बहन ज्येष्ठवीरा, अपने भाई ऋषभदेव और अपनी पत्नी यशोदत्ता के स्मरणार्थ स्थापित की थी। चौथी यष्टि औपशति गोत्रीय श्रामणेश्रेष्ठदत्त ने अपने पुत्र ऋषभदत्त के स्मरणार्थ स्थापित की थी। प्रथम रुद्रदामन कालीन खावड़ा लेख में शत्रुसंह के पुत्र श्रामणेश गोत्रीय की यष्टि उसके पुत्र धनदेव ने स्थापित की। प्रथम रुद्रसिंह कालीन बाद से प्राप्त यष्टि लेख अत्यंत भग्न स्थिति में होने के कारण इस यष्टि का अर्थ लगाना असंभव है। रुद्रसेन प्रथम कालीन यष्टि लेख में आभीर पुत्र की यष्टि पुत्र दूषेनिकगोत्रीय नंदक के हाथ स्थापित की गई। प्रथम रुद्रसेन के मूलवासर यष्टि लेख में वाणिजक नामक किसी पुरुष के पुत्र ने अपने मित्र के लिए अपने प्राण समर्पित किये थे, उसके स्मरणार्थ यह शिलायष्टि स्थापित की। प्रथम रुद्रसेन के गढ़ा से प्राप्त शिलालेख में मानस गोत्रीय प्रताशक के पुत्र खरपत्थ का स्मारक उसके भाइयों ने स्थापित किया। भर्तृदामन कालीन मेवासा यष्टि लेख में श्वगन के प्रपौत्र और वय के पुत्र आभीर हरिहोवक गोत्रीय वसुराक जो गुगन का दौहित्र ने अपने स्वामी राज्येश्वर की यष्टि बनवाई। चष्टन कालीन दौलतपुर यष्टि लेख में जैत्रक के पौत्र और वराहदेव के पुत्र ईश्वरदेव नामक आभीर द्वारा एक गोत्रयष्टि के स्थापित किये जाने का उल्लेख है। रुद्रसिंह प्रथम के गोनियासर प्रस्तर अभिलेख में रुद्रदत्तवरीसेन और इत्रता के द्वारा पिता और भाई की स्मृति में लेख यष्टि की स्थापना का उल्लेख है। सातवाहन नरेश वाशिष्ठीपुत्रपुलुमावि का वनवासी से प्राप्त लेख में उल्लिखित है कि उसकी पटरानी का छाया प्रस्तर वनवासी में बिठाया था। इसी प्रकार विदर्भ के पौनी से रुपिअम्म का छायास्तम्भ लेख प्राप्त हुआ है।

भाषा – लिपि :

प्राचीनतम भारतीय अभिलेख प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण है। मौर्य सम्राट अशोक के काल में प्राकृत भाषा का प्रचलन था। अशोक के पश्चात् अभिलेखों में प्राकृत भाषा के साथ-साथ संस्कृत भाषा का प्रयोग प्रारम्भ हुआ। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में लिखे गए अभिलेखों की भाषा यद्यपि साहित्यिक प्राकृत है तथापि उस पर संस्कृत का स्पष्ट छाप दिखाई पड़ता है। पश्चिमोत्तर भारत के शकों के अभिलेखों में प्राकृत भाषा ही प्रयुक्त की गयी थी। महाराष्ट्र और उज्जयिनी के शकों के काल में राजकीय प्रलेखों की भाषा में परिवर्तन हुआ। अब इनकी भाषा प्राकृत न रहकर संस्कृत मिश्रित प्राकृत का रूप धारण करने लगी। क्षत्रप नहपान के प्रारम्भिक लेख प्राकृत में है किन्तु बाद में वे संस्कृत मिश्रित प्राकृत हो जाती हैं। इनके अभिलेखों के अध्ययन से ऐसा लगता है कि प्राकृत को संस्कृत मिश्रित करने की परम्परा चल पड़ी थी। चष्टन वंश ने संस्कृत को काफी प्रोत्साहित किया तथा राजकीय लेखों में इसका प्रयोग किया। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिख गया। क्षत्रपों के काल में विशेषकर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में प्राकृत भाषा का स्थान धीरे-धीरे संस्कृत भाषा ले रही थी।

शक-क्षत्रप अभिलेखों में खरोष्ठी एवं ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। पश्चिमोत्तर भारत के शकों के लेखों में खरोष्ठी लिपि प्रयुक्त है किन्तु जैसे-जैसे शकों का प्रसार भारत के भीतरी भागों में हुआ वैसे-वैसे इनकी लिपि एवं भाषा में परिवर्तन आना प्रारम्भ हो गया तथा अभिलेख में ब्राह्मी लिपि का

प्रयोग किया जाने लगा। यद्यपि खरोष्ठी लिपि में उत्कीर्ण मथुरा सिंह शीर्षक अभिलेख इसका अपवाद है। शक-क्षत्रप काल में ब्राह्मी लिपि में स्थानीय विभेद दृष्टिगत् होता है। अक्षरों के आकार-प्रकार एवं बनावट में भी विभिन्नता परिलक्षित होती है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में लेखन कला के क्षेत्र में कतकटी कलम के प्रयोग से कतिपय नवीन परिवर्तन ब्राह्मी लिपि में दृष्टिगत् होता है। माना जाता है कि सर्वप्रथम मथुरा के शक-क्षत्रपों ने इसका प्रयोग किया। मथुरा के शक-क्षत्रपों के साथ-साथ पश्चिमी क्षत्रप ने भी इसका प्रयोग किया।

इस प्रकार शक-क्षत्रपों के शासनकाल में अभिलेखों की संख्या में वृद्धि एवं विषयवस्तु में विविधता दृष्ट्य है। अभिलेख शासक वर्ग से लेकर सामान्य जन एवं भिक्षु-भिक्षुणियों द्वारा भी उत्कीर्ण कराए गये। ब्राह्मी लिपि में अक्षरों के आकार-प्रकार में भी परिवर्तन हुआ जिसका कारण नयी लेखनी का प्रयोग एवं कुछ हद तक लेखक की व्यक्तिगत अभिरुचि भी था। इस काल में बाह्य जातियों के आगमन एवं भारतीय समाज में उनके विलोपन से वर्णसंकर जातियों में वृद्धि हुयी। कन्या, पत्नी, माता के अतिरिक्त विवेच्य युग में नारी के अन्य रूप दासी, वेश्या, श्रमणी, भिक्षुणी दृष्ट्य है। स्त्रियाँ आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हुयी दिखायी देती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :

1. व्यवहार, 1/14, लौकिक राजकीयचलेख्यंविद्याद्विलक्षणम्।
2. सरकार, डी0 सी0, 1942, सेलेक्ट इस्क्रिप्शन्स, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, पृ0 18
3. कोनों, स्टेन, 1929, कार्पस इस्क्रिप्शानम् इन्डिकेरम्, खण्ड -2, भाग-1, पृ0 11
4. वही, पृ0 15
5. वही, पृ0 16-17
6. शास्त्री, एच0 जी, जर्नल ऑफ द ओरिएण्टल इस्टिट्यूट, खण्ड -11, पृ0 237-238
7. सरकार, डी0 सी0, 1942, सेलेक्ट इस्क्रिप्शन्स, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, पृ0 175
8. वही, पृ0 181-182
9. वही, पृ0 183
10. वही, पृ0 185-186
11. जमींदार, संबोधि, खण्ड -3, पृ0 751
12. मिराशी, वी0 वी0, कार्पस इस्क्रिप्शान्स् इन्डिकेरम्, खण्ड -4, पृ0 13
13. इण्डियन एपिग्राफी, भाग-42, पृ0 121-125
14. कोनों स्टेन, कार्पस इस्क्रिप्शानम् इन्डिकेरम्, खण्ड -2, पृ0 34-39
15. वही, भाग-4, पृ0 609-610
16. गोखले शोभना, जर्नल ऑफ एन्शियन्ट इण्डियन सोसाइटी, खण्ड -2, पृ0 104-111
17. एपिग्राफिया इण्डिका, खण्ड -16, पृ0 23-25
18. गोखले शोभना, पूर्वोद्धृत, खण्ड -18, पृ0 237
19. शास्त्री, एच0 जी0, पूर्वोद्धृत, खण्ड-11, पृ0 237-238
20. जमींदार, संबोधि, खण्ड-3, पृ0 75
21. वही, पृ0 46

22. ल्यूडर्स की सूची, क्रमांक- 962
23. जर्नल ऑफ दि रायल एशियाटिक सोसाइटी, पृ0 106
24. एपिग्राफिया इण्डिका, खण्ड -2, पृ0 199
25. वही, खण्ड -2, पृ0 200
26. वही, खण्ड -1, पृ0 396
27. वही, खण्ड -2, पृ0 200
28. वही, खण्ड -2, पृ0 207
29. जर्नल ऑफ ओरियण्टल इंस्टिट्यूट, खण्ड -12, पृ0 174
30. एपिग्राफिया इण्डिका, खण्ड -19, पृ0 67
31. वही, खण्ड -2, पृ0 199,201
32. ल्यूडर्स की सूची, क्रमांक-125
33. काणे, पी0 वी0, 1963, धर्मशास्त्र का इतिहास, खण्ड -1, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ, पृ0 450

शक-क्षत्रप अभिलेखों के प्राप्ति-स्थल



मथुरा सिंह स्तम्भशीर्ष लेख



देवनीमोरी पाषाण मंजूषा लेख



शक शासकों के अभिलेखों की तालिका

क्र मां क	अभिलेख	प्रासि्थान	उपादान	राजकीय/ व्यक्तिगत	भाषा	लि पि	संदर्भसूची-ग्रंथ-
1	पतिक का तक्षशिला अभिलेख	तक्षशिला	ताम्रपत्र लेख	राजकीय	प्राकृत	खरो ष्टी	एपि0 इ0, खण्ड-4, पृ0 55
2	मेरा अभिलेख वर्ष 58	झेतम	शिला लेख	खण्डित	प्राकृत	खरो ष्टी	का0 इ0 इ0, भाग-2, पृ0 11
3	दामिजद का शहदौर लेख	शहदौर	शिला लेख	राजकीय	प्राकृत	खरो ष्टी	का0 इ0 इ0, भाग-2, पृ0 13- 16
4	शिवरक्षित का शहदौर अभिलेख	शहदौर	शिला लेख	व्यक्तिगत	प्राकृत	खरो ष्टी	का0 इ0 इ0, पृ0 16- 17
4	मथुरा सिंह स्तम्भशीर्ष अभिलेख	मथुरा	स्तम्भ लेख	राजकीय	प्राकृत	खरो ष्टी	का0 इ0 इ0, भाग-2, पृ0 34- 39
5	मथुरा आयागपट्ट लेख	मथुरा	आयागपट्ट लेख	व्यक्तिगत	प्राकृत	खरो ष्टी	स0 इ0, भाग-1, पृ0 120- 121
6	शोडासकालीन मथुरा पाषाण लेख- 1	मथुरा	शिला लेख	राजकीय	प्राकृत से प्रभावित संस्कृत	ब्राह्मी	स0 इ0, भाग-9, पृ0 121
7	शोडासकालीन मथुरा पाषाण लेख- 2	मथुरा	शिला लेख	व्यक्तिगत	प्राकृत से प्रभावित संस्कृत	ब्राह्मी	एपि0 इ0, खण्ड-24, पृ0 208
8	राजवुल के पुत्र का मोरा पाषाण लेख	मथुरा	शिला लेख	व्यक्तिगत	प्राकृत मिश्रित संस्कृत	ब्राह्मी	एपि0 इ0, खण्ड-24, पृ0 149
9	जुन्नर की गुहा में नहपान के समय का लेख	जुन्नर	गुहा लेख	राजकीय	प्राकृत	ब्राह्मी	ल्यूडर्स सूची, क्रमांक-1174
10	उषवदत्त का नासिक गुहा लेख (वर्ष 41, 42, 45)	नासिक	गुहा लेख	राजकीय	प्राकृत	ब्राह्मी	ल्यूडर्स सूची, क्रमांक-1133
11	उषवदत्त का कार्ले गुहा लेख	कार्ले	गुहा लेख	राजकीय	प्राकृत	ब्राह्मी	ल्यूडर्स सूची, क्रमांक-1099
12	उषवदत्त का नासिक गुहा लेख	नासिक	गुहा लेख	राजकीय	प्राकृत	ब्राह्मी	एपि0 इ0, खण्ड-8, पृ0 75 और 87
13	दक्षमित्रा का नासिक गुहा लेख क्रमांक-1	नासिक	गुहा लेख	राजकीय	प्राकृत	ब्राह्मी	ल्यूडर्स सूची, क्रमांक-1134
14	दक्षमित्रा का नासिक लेख क्रमांक-2	नासिक	गुहा लेख	राजकीय	प्राकृत	ब्राह्मी	ल्यूडर्स सूची, क्रमांक-1132
15	नासिक की गुहा में उषवदत्त का लेख	नासिक	गुहा लेख	राजकीय	संस्कृत प्रभावित प्राकृत	ब्राह्मी	ल्यूडर्स सूची, क्रमांक-1131
16	चष्टन कालीन अंधौयष्टिलेख (वर्ष- 11)	कच्छ (अंधौ)	यष्टि लेख	व्यक्तिगत	प्राकृत	ब्राह्मी	जे० ए० आई० एच०, खण्ड- 2, पृ0 104-111

17	चट्टन कालीन दौलतपुरयष्टिलेख (6-वर्ष)	कच्छ दौलतपुर) (गाँव)	यष्टि लेख	व्यक्तिगत	प्राकृत	ब्राह्मी	जे० ओ० आई० खण्ड-18, पृ० 237
18	अंधौ में चट्टन और रुद्रदामन के समय का यष्टिलेख वर्ष) (52)	कच्छ	यष्टि लेख	व्यक्तिगत	प्राकृत	ब्राह्मी	एपि० इ०, खण्ड-16, पृ० 19- 25
19	खावड़ा का प्रथम रुद्रदामन के काल का लेख (63 वर्ष)	कच्छ	यष्टि लेख	व्यक्तिगत	प्राकृत मिश्रित संस्कृत	ब्राह्मी	जे० ओ० आई०, खण्ड-11, पृ० 237-138
20	जुनागढ़ का रुद्रदामन का लेख वर्ष 72	सौराष्ट्र	शिला लेख	राजकीय	संस्कृत	ब्राह्मी	एपि० इ०, खण्ड-8, पृ० 36- 49
21	जीवदामन प्रथम के काल का जुनागढ़ पाषाण लेख	सौराष्ट्र	शिला लेख	राजकीय	संस्कृत	ब्राह्मी	एपि० इ०, खण्ड-18, पृ० 339-341
22	रुद्रसिंह प्रथम कालीन गुंदा शिलालेख वर्ष) (103)	सौराष्ट्रगुंदा) (	शिला लेख	राजकीय	प्राकृत मिश्रित संस्कृत	ब्राह्मी	एपि० इ०, खण्ड-16, पृ० 233
23	रुद्रसिंह प्रथम के समय का बाढ़ से प्राप्त यष्टिलेख वर्ष) (110)	कच्छ	यष्टि लेख	व्यक्तिगत	प्राकृत	ब्राह्मी	संबोधि, खण्ड-3, पृ० 75
24	रुद्रसेन प्रथम का अंधौ यष्टि वर्ष) (114)	कच्छ	यष्टि लेख	व्यक्तिगत	प्राकृत मिश्रित संस्कृत	ब्राह्मी	संबोधि, खण्ड-3, पृ० 46
25	जुनागढ़ में जयदामन के पौत्र के समय का शिलालेख	सौराष्ट्र	शिला लेख	राजकीय	शुद्ध संस्कृत	ब्राह्मी	एपि० इ०, खण्ड-16, पृ० 239
26	मूलवासर का रुद्रसेन प्रथम के समय का यष्टिलेख वर्ष (122)	सौराष्ट्र	यष्टि लेख	व्यक्तिगत	शुद्ध संस्कृत	ब्राह्मी	ल्यूडर्स सूची, क्रमांक -962
27	रुद्रसेन प्रथम कालीन गढ़ा यष्टि लेख	सौराष्ट्र	यष्टि लेख	व्यक्तिगत	संस्कृत मिश्रित प्राकृत	ब्राह्मी	ल्यूडर्स सूची, क्रमांक -967
28	प्रथम रुद्रसेन का देवनीमोरी पाषाण - मंजूषा लेख	गुजरात	शिला लेख	व्यक्तिगत	प्राकृत	ब्राह्मी	जे०ओ०आई०, भाग-12, पृ० 174
29	विजयसेन के समय का राजकोट लेख (162 वर्ष)	राजकोट	शिला लेख	व्यक्तिगत	प्राकृत	ब्राह्मी	संबोधि, खण्ड-3, पृ० 75
30	भर्तृदामन का मेवासायष्टिलेख	कच्छ (मेवासा)	यष्टि लेख	व्यक्तिगत	अशुद्ध संस्कृत	ब्राह्मी	जे० आर० ए० एस०, पृ० 106
31	महाक्षत्रपरुद्रसिंह प्रथम का गोनियासरप्रस्तर अभिलेख	कच्छ	शिला लेख	व्यक्तिगत	प्राकृत	ब्राह्मी	इ० एपि०, भाग-42, पृ० 121- 125

32	श्रीधरवर्मा का कानखेड़ा पाषाण लेख	सांची कानाखेड़ा) (गाँव	शिला लेख	राजकीय	संस्कृत	ब्राह्मी	इ० एपि०, भाग-16, पृ० 230-233
33	श्रीधरवर्मा का एरण पाषाण-स्तम्भ लेख	मध्य प्रदेश के सागर जिले (एरण)	स्तम्भ लेख	राजकीय	संस्कृत	द्वितीय शताब्दी के उत्तरार्द्ध की ब्राह्मी	का० इ० इ०, 4, भाग-2, पृ० 609-610
34	गिरिधरपुर टीला प्रस्तर लेख वर्ष (ईस्वी 23) 270	मथुरा	प्रस्तर लेख	व्यक्तिगत	प्राकृत - संस्कृत	ब्राह्मी	ल्यूडर्स, मथुरा इस्क्रिप्शंस, पृ० 162-164
35	भरतपुर गेट बौद्ध पादपीठ लेख	मथुरा	प्रस्तर लेख	व्यक्तिगत	प्राकृत-संस्कृत	ब्राह्मी	ल्यूडर्स, मथुरा इस्क्रिप्शंस, पृ० 121
36	चौबारा टीला वेदिका स्तम्भ लेख	मथुरा	स्तम्भ लेख	व्यक्तिगत	प्राकृत-संस्कृत	ब्राह्मी	ल्यूडर्स, मथुरा इस्क्रिप्शंस, पृ० 55-57
37	सकुलर रोड टीला बौद्ध प्रतिमा लेख	मथुरा	प्रतिमा लेख	व्यक्तिगत	प्राकृत-संस्कृत	ब्राह्मी	ल्यूडर्स सूची, क्रमांक -88
38	गनेसरा द्वितीय टीला प्रस्तर लेख	मथुरा	प्रस्तर लेख	व्यक्तिगत	प्राकृत-संस्कृत	ब्राह्मी	ल्यूडर्स, मथुरा इस्क्रिप्शंस, पृ० 157-158
39	गऊघाट कृष्ण बौद्ध-प्रस्तर खण्ड लेख	मथुरा	प्रस्तर लेख	व्यक्तिगत	प्राकृत - संस्कृत	ब्राह्मी	एपि० इ०, खण्ड-19, पृ० 67
40	गिरिधरपुर टीला लिन्देल लेख	मथुरा	प्रस्तर लेख	व्यक्तिगत	प्राकृत-संस्कृत	ब्राह्मी	ल्यूडर्स, मथुरा इस्क्रिप्शंस, पृ० 162
41	कंकाली टीला प्रस्तर खण्ड लेख	मथुरा	प्रस्तर लेख	व्यक्तिगत	प्राकृत-संस्कृत	ब्राह्मी	एपि० इ०, खण्ड-2, पृ० 200
42	कंकाली टीला जैन प्रतिमा पादपीठ लेख	मथुरा	प्रस्तर लेख	व्यक्तिगत	प्राकृत-संस्कृत	ब्राह्मी	एपि० इ०, खण्ड-2, पृ० 201
43	कंकाली टीला जैन तोरण लेख	मथुरा	प्रस्तर लेख	व्यक्तिगत	प्राकृत-संस्कृत	ब्राह्मी	एपि० इ०, खण्ड-2, पृ० 199
44	कंकाली टीला जैन आयागपट्ट लेख	मथुरा	आयागपट्ट लेख	व्यक्तिगत	प्राकृत - संस्कृत	ब्राह्मी	ल्यूडर्स सूची, क्रमांक-100
44	कंकाली टीला जैन चित्र वल्लरी लेख	मथुरा	प्रस्तर लेख	व्यक्तिगत	प्राकृत-संस्कृत	ब्राह्मी	एपि० इ०, खण्ड-2, पृ० 200
45	कंकाली टीला जैन प्रस्तर खण्ड लेख	मथुरा	प्रस्तर लेख	व्यक्तिगत	प्राकृत-संस्कृत	ब्राह्मी	ल्यूडर्स सूची, क्रमांक-94
46	कंकाली टीला जैन प्रस्तर खण्ड लेख	मथुरा	प्रस्तर लेख	व्यक्तिगत	प्राकृत-संस्कृत	ब्राह्मी	ल्यूडर्स सूची, क्रमांक-103
46	कंकाली टीला जैन मूर्ति लेख	मथुरा	प्रस्तर लेख	व्यक्तिगत	प्राकृत-संस्कृत	ब्राह्मी	ल्यूडर्स सूची, क्रमांक-105
47	कंकाली टीला जैन प्रतिमा लेख	मथुरा	प्रतिमा लेख	व्यक्तिगत	प्राकृत-संस्कृत	ब्राह्मी	ल्यूडर्स सूची, क्रमांक-96
48	कंकाली टीला प्रस्तर लेख	मथुरा	प्रस्तर लेख	व्यक्तिगत	प्राकृत	ब्राह्मी	ल्यूडर्स सूची, क्रमांक-97
49	कटरा टीला बौद्ध प्रतिमा लेख	मथुरा	प्रतिमालेख	व्यक्तिगत	प्राकृत	ब्राह्मी	ल्यूडर्स सूची, क्रमांक-125

50	शोडास कालीन मथुरा खण्डितप्रस्तर लेख	मथुरा	प्रस्तर लेख	व्यक्तिगत	संस्कृत	ब्राह्मी	ल्यूडर्स, मथुरा इस्क्रिप्शंस, पृ0 203-204
51	मथुरा प्रस्तर खण्ड लेख	मथुरा	प्रस्तर लेख	व्यक्तिगत	संस्कृत- प्राकृत	ब्राह्मी	ल्यूडर्स, मथुरा इस्क्रिप्शंस, पृ0 111
52	नासिक से प्राप्त व्यक्तिगत लेख	नासिक	गुहा लेख	व्यक्तिगत	प्राकृत	ब्राह्मी	एपि0 इ0, खण्ड-8, पृ0 95, सं0 26
53	नासिक से प्राप्त व्यक्तिगत लेख	नासिक	गुहा लेख	व्यक्तिगत	प्राकृत	ब्राह्मी	एपि0 इ0, खण्ड-21, पृ0 88, सं0 15
54 55	जुन्नर से प्राप्त व्यक्तिगत लेख पौनी से प्राप्त रुपिअम्म का छायास्तम्भ लेख	जुन्नर मंडारा जिला	गुहालेख प्रस्तर लेख	व्यक्तिगत राजकीय	प्राकृत प्राकृत	ब्राह्मी ब्राह्मी	आई0 सी0 टी0 डब्ल्यू0 आई0, पृ0 96, सं0 4



कुर्कीहार से प्राप्त बौद्ध देवी प्रतिमालेख (वसुंधरा, चुंडा एवं तारा के विशेष संदर्भ में)

रूमी कुमारी पाण्डेय

शोध छात्रा, प्रा. भा. इ., सं. एवं पुरातत्त्व, विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

सारांशिका:

बिहार के गया जिले में स्थित कुर्कीहार पाल कालीन कांस्य एवं प्रस्तर मूर्तिकला का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। इस पुरास्थल से बृहद संख्या में जैन, बौद्ध एवं ब्राह्मण धर्म से सम्बन्धित प्रतिमायें प्राप्त हुई हैं। जिनमें से अधिकांश प्रतिमाओं पर लेख उत्कीर्ण है जिसके आधार पर इन्हें अभिलिखित प्रतिमाओं की संज्ञा दी जाती है। यहाँ से प्राप्त बौद्ध प्रतिमाओं में बौद्ध देवियों की प्रतिमाएं कलात्मक एवं अभिलेखीय दृष्टि से उत्कृष्ट कोटी की हैं जो पाल कालीन मूर्तिकला का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। बौद्ध देवी की इन प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण लेख सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक इतिहास के अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत करते हैं। कुर्कीहार से प्राप्त अभिलिखित प्रतिमाओं में बौद्ध देवी वसुंधरा, चुंडा एवं तारा का विशेष धार्मिक महत्व रहा है। इन प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण लेख अत्यन्त प्रासंगिक हैं जो तत्कालीन समाज में दान परम्परा, दानकर्ता की सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति तथा बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धान्तों के विषय में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। इसके अतिरिक्त ये प्रतिमालेख बौद्ध धर्म के तंत्रयान शाखा के विकासक्रम को समझने में अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। प्रारम्भिक बौद्ध प्रतिमाओं में देवियों को बुद्ध एवं बोधिसत्व के साथ उनकी सहचरी के रूप में दर्शाया जाता था। किन्तु पाल काल में बौद्ध देवियों की स्वतंत्र प्रतिमायें निर्मित होने लगी इससे यह स्पष्ट होता है कि आगामी काल में बौद्ध देवियां केवल सहचरी के रूप में नहीं अपितु स्वतंत्र शक्ति एवं प्रज्ञा के रूप में प्रतिष्ठित की गयी। प्रस्तुत शोधपत्र का मूल उद्देश्य कुर्कीहार से प्राप्त बौद्ध देवियों विशेषतः वसुंधरा, चुंडा एवं तारा की कुल 7 प्रतिमालेखों की विषयवस्तु तथा कलात्मक विशेषताओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना है।

बीज शब्द: कुर्कीहार, प्रतिमालेख, वज्रयान, स्तूप, चैत्य, कुकुटपादगिरी, वरद-मुद्रा, ललितासन, अर्धपर्यङ्कासन, प्रभामंडल, इत्यादि।

शोध-विस्तार

कुर्कीहार, बिहार के गया जिले के वजीरगंज प्रखण्ड से लगभग 4.8 किमी उत्तर-पूर्व में गया-नवादा मार्ग पर स्थित है। इसकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण यहाँ बृहत् स्तर पर बौद्ध अवशेषों का प्राप्त होना है। पुरातात्विक उत्खननों के परिणामस्वरूप बृहत् संख्या में बौद्ध प्रतिमाएँ, स्तूप एवं चैत्य प्रकाश में आए हैं, जो इस स्थल के दीर्घकालिक धार्मिक महत्व को प्रमाणित करते हैं। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में सर्वप्रथम एम. किट्टो ने इसे प्रकाश में लाया था। विद्वानों के द्वारा कुर्कीहार को 'कुकुटपादगिरी' नाम से अभिहित किया गया है। जिसका वर्णन चीनी यात्री फाहियान एवं ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत में भी मिलता है। कुकुटपादगिरी का अर्थ मुर्गे के पैर के आकार का पहाड़ है जो मगध क्षेत्र में स्थित था जिसकी पहचान मुरली, शोभनाथ तथा गुरपा पहाड़ी से की गयी है। वर्तमान में ये

सभी पहाड़ियाँ कुर्कीहार के आस-पास स्थित हैं। यह विवरण न केवल इस क्षेत्र की व्यापक स्थापत्य गतिविधियों की ओर संकेत करता है अपितु इसे बौद्ध धर्म से सम्बन्धित समृद्ध एवं विकसित केंद्र के रूप में भी स्थापित करता है।

कुर्कीहार से प्राप्त प्रस्तर एवं धातु की अभिलिखित प्रतिमाएं तत्कालीन बौद्ध कला, विशेषतः पालकालीन धातु प्रतिमा-निर्माण परंपरा का उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ से प्राप्त अभिलेखीय साक्ष्यों में पाल वंश के प्रमुख शासकों देवपाल, राज्यपाल एवं महिपाल का उल्लेख मिलता है, जिससे इस स्थल की पालकालीन सक्रियता की पुष्टि होती है। इन अभिलेखों में 'अपंक महाविहार' का भी संदर्भ प्राप्त होता है। यह विहार विशेष रूप से दक्षिण भारत से आने वाले बौद्ध यात्रियों एवं भिक्षुओं के मध्य अत्यंत लोकप्रिय था जो इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि कुर्कीहार केवल एक स्थानीय धार्मिक केंद्र ही नहीं वरन् अंतर-क्षेत्रीय बौद्ध तीर्थ एवं विहार समूहों का एक महत्वपूर्ण अंग भी था। बौद्ध धर्म में देवियों की उत्पत्ति महायान तथा वज्रयान परंपराओं से हुई है, जहां उन्हें करुणा, ज्ञान और प्रज्ञा का प्रतीक माना गया है। बौद्ध देवियों की प्रारम्भिक प्रतिमाओं का निर्माण छठी-सातवीं शती ई. से प्रारंभ हुआ। बौद्ध देवियों में पृथ्वी देवी वसुंधरा, चुंडा, तारा, प्रज्ञापारमिता, हरीति, पुंडेश्वरी, पैंसिका तथा अपराजिता प्रमुख हैं। कुर्कीहार से प्राप्त बौद्ध प्रतिमाओं में इन बौद्ध देवियों की प्रतिमाएँ भी सम्मिलित हैं। इन अभिलिखित प्रतिमाओं में प्रथम तीन (दो वसुंधरा तथा एक चुंडा) में पाल शासक राज्यपाल के शासन वर्ष की तिथि का अंकन मिलता है जबकि तारा की चार अभिलिखित प्रतिमाएँ तिथि रहित हैं परंतु लिपिगत विशेषताओं एवं प्रतिमा शास्त्रीय अध्ययन के आधार पर इनकी तिथि निर्धारित की गई है।

बौद्ध धर्म में वसुंधरा को बौद्ध देवता जंभल की पत्नी के रूप में मान्यता प्राप्त है जिनका उल्लेख वसुंधराधारिणी नामक बौद्ध ग्रंथ में मिलता है।¹ उन्हें पृथ्वी तथा धन की देवी माना गया है जो धन, संवृद्धि, प्रचुरता तथा उर्वरा की प्रतीक हैं। बौद्ध देवी चुंडा को वैरोचन (पंचध्यानी बुद्धों में से एक) से सम्बद्ध माना गया है। मंजुश्रीमूलकल्प में चुंडा को चंद्रा नाम से संबोधित किया गया है। पाल काल में देवी चुंडा को महत्वपूर्ण देवी के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त थी तथा उन्हें इस राजवंश की संरक्षिका माना जाता था। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार, पाल वंश के संस्थापक गोपाल प्रथम देवी चुंडा के उपासक थे। कारण्डव्यूह में उन्हें 77 करोड़ बुद्धों को उत्पन्न करने वाली माता के रूप में वर्णित किया गया है। प्रतिमाओं में देवी को चतुर्भुजी, अष्टभुजी एवं अष्टदशभुजी रूप में शांत भाव प्रदर्शित करते हुए दर्शाया गया है जो हाथों में कमल, पुस्तक, कमंडल, अक्षमाला तथा फल धारण करती हैं। देवी चुंडा सौम्य, शांत तथा ज्ञान एवं करुणा की मूर्त रूप मानी जाती हैं। बौद्ध धर्म में देवी तारा की उत्पत्ति संबंधी कई मत दिए गए हैं। एक मत के अनुसार तारा की उत्पत्ति अमिताभ की बाईं आँख से निकलने वाली नीली किरणपुंज से हुई है। दूसरे मत के अनुसार तारा की उत्पत्ति अवलोकितेश्वर की करुणा से संदर्भित किया जाता है।² प्रतिमा के रूप में तारा का साक्ष्य सर्वप्रथम नालंदा से प्राप्त हुआ है जो कि सातवीं शताब्दी ई. का है जिसमें तारा को अवलोकितेश्वर के साथ उनकी परिचारिका के रूप में दर्शायी गयी हैं। आर्यमंजुश्रीमूलकल्प में तारा का वर्णन इस रूप में मिलता है कि अवलोकितेश्वर की परिचारिका के रूप में सुनहरे तारा जिनके बाएं हाथ में नीलोत्पल तथा दाहिना हाथ वरद मुद्रा में होना चाहिए, तारा एक शैय्या पर विराजमान हैं व परम पूज्य अवलोकितेश्वर की ओर देख रही हो, ऐसा प्रतीत होता है कि किसी आदेश का पालन कर रही हों।³

महावैरोचन सूत्र में भी तारा को अवलोकितेश्वर की परिचारिका के रूप में वर्णित किया गया है। तारामूलकल्प में वर्णित है कि वज्रयान परंपरा में तारा उद्धारकर्ता के रूप में अष्टभय से सुरक्षित करती है। साधनमाला में 21 प्रकार की तारा का स्वरूप बताया गया है जिनमें हरी तारा, सफेद तारा, लाल तारा तथा पीली तारा प्रमुख मानी जाती हैं। कुर्कीहार से प्राप्त बौद्ध देवी वसुंधरा, चुंडा एवं तारा की सात अभिलिखित प्रतिमायें निम्न है-

1. वसुंधरा प्रतिमालेख (राज्यपाल के 31-32 वें शासन वर्ष)
2. द्वितीय वसुंधरा प्रतिमालेख (राज्यपाल के 31-32 वें शासन वर्ष)
3. चुंडा प्रतिमालेख (महिपाल प्रथम के 31वें शासन वर्ष)
4. तारा प्रतिमालेख (7-8 वीं शताब्दी)
5. तारा प्रतिमालेख (9 वीं शताब्दी)
6. तारा प्रतिमालेख (9 वीं शताब्दी)
7. तारा प्रतिमालेख (9वीं - 10वीं शताब्दी)

1 - वसुंधरा प्रतिमालेख

प्राप्ति स्थल - कुर्कीहार, बिहार

वर्तमान अवस्थिति - पटना संग्रहालय, बिहार

उपादान - धातु

लिपि - नागरी

भाषा - संस्कृत

तिथि - राज्यपाल के 31-32 वें शासन वर्ष

लेख⁴⁻¹

स्वस्तिश्री-राज्यपालदेव-राजे संवच्छर(संवतसरे)32 श्रीमद-अपंका=माहा-विमा-हारे गोपालहीनों(?)=भार्या (आ)वातु (?)क्या (आ:)देवधर्म कृतम सोपालोहोरा शथा (स्था)पतिपतितं वसुधा।

लेख⁵⁻²

सिद्धम श्री-राज्यपालदेव-राज [य*]ए संवच्छर(संवतसरे)32। श्रीमद-अपंका-माहा-विमा हारे(अ) वास्तव्य-गोपालहीनों(?)=भार्या (र्या)वातुकया देवधर्म कृतम गोपालोहोरा (स्था)पतिपतितं।

लेख⁶⁻³

स्वस्तिश्री- राज्यपाल-देव-राजे संवच्छर (संवतसरे)32। श्री-मदअपंकामाहाविहारे गोपालहीनोंभार्यावातुकया देवधर्म कृतम सोपालोहोरा स्थापतिपतितं वसुधा ।

बौद्ध परंपरा में देवी वसुंधरा को बौद्ध देवता जंभल की पत्नी के रूप में मान्यता प्राप्त है। दो भुजाओं वाली बौद्ध देवी को त्रिशूल पीठिका पर स्थित कमलासन पर ललितासन मुद्रा में आसीन दर्शाया गया है। देवी के बाएं हाथ में दंड है, जिसके चारों ओर चार सिरे बने हुए हैं तथा उनके चारों ओर एक पतली तार बंधी हुई है। दाहिना हाथ वरदमुद्रा में तथा दाहिनी ओर एक बालक का चित्रण है। बालक के बाएं हाथ में एक कटोरा है जिसमें मणि जैसा कोई पदार्थ है। दायें हाथ में कोई गोलाकार वस्तु है।

पिष्टीका के दायें किनारे पर दंडवत मुद्रा में एक मानव आकृति है। सिंहासन पर व्याल और हंस का चित्रण है।

कुर्किहार से प्राप्त वसुंधरा की यह अभिलिखित प्रतिमा पाल शासक **राज्यपाल** के 32वें राज्यवर्ष से संबद्ध है। इस पर उत्कीर्ण दानात्मक लघु लेख को बनर्जी, शास्त्री, पी. एल. गुप्ता तथा आर. के. चौधरी द्वारा प्रकाशित किया गया है। अनंत प्रसाद बनर्जी तथा पी. एल. गुप्ता के उद्घाटन में उल्लेखनीय भिन्नताएँ परिलक्षित होती हैं। अनंत प्रसाद बनर्जी अभिलेख का आरंभ 'स्वस्ति' मंगलसूचक चिह्नसे करते हैं तथा प्रतिमा के निर्माता (शिल्पी) का नाम **शोपालहोरा** बताते हैं। इसके विपरीत पी. एल. गुप्ता अभिलेख के प्रारंभ में सिद्धम् शब्द का पाठ प्रस्तावित करते हैं, जो दानात्मक अभिलेखों की पारंपरिक आरंभ-सूत्रिका है और शिल्पी का नाम **गोपालहोरा** पढ़ते हैं। इस प्रतिमा पर उत्कीर्ण लेख का आशय एक स्त्री दानकर्ता **वातुका** जो **गोपालहिनी** की पत्नी थी, द्वारा बौद्ध देवी वसुंधरा की प्रतिमा दान को अभिलेखित करना है। लेख में दंपति के निवास-स्थान **अपंक महाविहार** का उल्लेख है इससे यह स्पष्ट होता है कि दानकर्ता दंपति अपंक महाविहार के सामान्य (गृहस्थ) निवासी थे, जो संभवतः उसी विहार परिसर में निवास करते थे। इस लेख में अपंक महाविहार का उल्लेख इस तथ्य की पुष्टि करता है कि कुर्किहार पालशासकों के समय एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र था। इसके अतिरिक्त लेख से दानकर्ता तथा उसके पति की सामाजिक-धार्मिक संबद्धता स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है और यह कहा जा सकता है कि दोनों पति-पत्नी बौद्ध धर्म के गृहस्थ उपासक थे।

2 - द्वितीय वसुंधरा प्रतिमालेख

प्राप्ति स्थल – कुर्किहार, बिहार

वर्तमान अवस्थिति – पटना संग्रहालय, बिहार

उपादान – धातु

लिपि – नागरी

भाषा – संस्कृत

तिथि - राज्यपाल के 31-32 वें शासन वर्ष

लेख⁷- 1

स्वस्ति श्री-राजपालदेव-राजे संवच्छरे ३२ श्रीमद=अपंक=महाविहारे वास्तव्य-गोपालहीनों(?)=भार्या (आ) गौक्या देवधर्मम्॥ होरास्थापति-पतितम्

लेख⁸ – 2

सिद्धम् श्री- राजपालदेव-राज [य]ए संवच्छर(संवतसरे)32। श्रीमद- अपंका-माहा-विमाहारे(अ) गोपालहीनों(?)=भार्या (र्या)गौक्या देव-धर्मम्.....होरा-शथ(स्था) पति-पतितं।

लेख⁹- 3

स्वस्ति श्री राजपालदेव-राज्ये संवच्छरे 32 श्रीमदअपंका माहाविहारे वास्तव्य गोपालहीनों भार्या गौक्या देवधर्मम्.....होरास्थापतिपतितम्।

कुर्किहार से प्राप्त बौद्ध देवी वसुंधरा की यह द्वितीय प्रतिमा है जो कलात्मक दृष्टि से प्रथम वसुंधरा प्रतिमालेख के समान ही दृष्टिगत होता है। दोनों प्रतिमाओं के सूक्ष्म अवलोकन से अंतर यह प्राप्त होता है कि इस वसुंधरा प्रतिमालेख में देवी को आश्रय देने वाली स्थापत्य संरचना से युक्त पृष्ठ-

फलकका अधिकांश भाग खंडित अवस्था में प्राप्य है। यह अभिलिखित प्रतिमा पाल शासक राज्यपाल के शासनकाल के 32वें वर्ष में दान दिया गया था। इस पर उत्कीर्ण लेख भी उपरोक्त प्रतिमालेख के समान है जिसके पाठ को अनंत प्रसाद बनर्जी, पी. एल. गुप्ता तथा आर. के. चौधरी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। आर. के. चौधरी, अनंत प्रसाद बनर्जी पाठ में समानता है परंतु बनर्जी, शास्त्री और पी. एल. गुप्ता के पाठान्तरों के मध्य उल्लेखनीय भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। अनंत प्रसाद बनर्जी ने पाठ का आरम्भ 'स्वस्ति' मंगलसूचक चिह्न से किया है, जबकि पी. एल. गुप्ता इसको स्थान पर 'सिद्धम्' पढ़ते हैं।

वसुंधरा की यह प्रतिमा गोपालहिनो की पत्नी गौका द्वारा प्रदत्त पुण्यदान है। उल्लेखनीय बात यह है कि कुर्कहार से प्राप्त प्रथम वसुंधरा प्रतिमालेख जिसका वर्णन प्रारम्भ में किया गया है उसमें गोपालहिनो का उल्लेख वातूका के पति के रूप में किया गया है। इससे यह सम्भावना व्यक्त की जा सकती है कि गोपालहिनो की दो पत्नियाँ थी जिन्होंने राजपाल के 31वें एवं 32वें शासन-वर्ष में क्रमशः वसुंधरा की दो प्रतिमाओं का दान किया। इस लेख में भी उनके निवास-स्थान के रूप में अपंक महाविहार का उल्लेख है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि दानकर्ता दम्पति अपंक महाविहार के गृहस्थ (उपासक) निवासी थे। इसके अतिरिक्त धातु प्रतिमा के निर्माण कर्ता के रूप में शिल्पकार का नाम 'होरस्थपति' का उल्लेख किया गया है।

3 - चुंडा प्रतिमालेख

प्राप्ति स्थल – कुर्कहार, बिहार

वर्तमान अवस्थिति – पटना संग्रहालय, बिहार

उपादान – धातु

लिपि – नागरी

भाषा – संस्कृत

तिथि - महिपाल प्रथम के 31वें शासन वर्ष

लेख¹⁰ – 1

१. स्वस्ति श्रीमान महिपाल-देव-रा (ज्यसा *)

२. मवत ३१ सुवर्ण-कार-केसवस्स

३. स्य (?) देवधर्ममा।

लेख¹¹ – 2

१. सिद्धम स[र्*]ईमान- महि(ही)पालदेव-राज्ये संवत(वत) ३१ सुवर्णकार-
केसवसूत- देवधर्ममो= याः(मं*)।

लेख¹² – 3

१. स्वस्ति श्रीमान महिपाल-देव-राज्य स

२. मवत ३१ सुवर्ण-कार-केसवस्स

३. स्य देव धर्ममा।

इस प्रतिमालेख में बौद्ध देवी चुंडा को एक ऊँचे त्रिरथ पीठिका पर स्थित एकल कमलासन पर वज्रासन मुद्रा में आसीन दर्शाया गया है। देवी के चार भुजाओं में से निचली बाईं भुजा गोद में स्थित है जिसकी हथेली पर उथले पात्र रखा हुआ है। ऊपरी बाईं भुजा में कमल डंडल सुशोभित हैं। ऊपरी

दाईं भुजा में अक्षमाला है जबकि निचली दाईं भुजा वरदमुद्रा में है। तीन नेत्रों वाली यह देवी हार, कंगन, बाजूबंद मनकेदार कुंडल तथा मुकुट धारण की हैं। देवी के केश का अधिकांश भाग जूड़े के रूप में संयोजित है जबकि कुछ कुंडलित केश लट्टे कंधों पर लटकती हुई दिखाई देती हैं। देवी के आसन के दाहिने कोने में हाथ जोड़कर घुटने के बल बैठे हुए एक आकृति है जो संभवतः दाता की आकृति हो सकती है।

कुर्कहार (बिहार) से प्राप्त बौद्ध देवीचुण्डा की यह अभिलेखित प्रतिमा उस पर उत्कीर्ण लेख के अनुसार पाल कालीन शासक महिपालदेव प्रथम के राज्यकाल के 31वें वर्ष की है। इस संक्षिप्त अभिलेख का तीन पाठ क्रमशः ए. बनर्जी, शास्त्री, पी. एल. गुप्ता तथा आर. के. चौधरी द्वारा प्रकाशित किया गया है। इनके प्रकाशित पाठों के लिप्यांतरण में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य परिलक्षित होती हैं। आर. के. चौधरी द्वारा प्रस्तुत पाठ ए. बनर्जी एवं शास्त्री के पाठ से साम्यता रखती है यद्यपि पी. एल. गुप्ता के पाठ से मतैक्यता नहीं है। इस संदर्भ में मंगलसूचक प्रतीकों 'स्वस्ति' तथा 'सिद्धम्' विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आर. के. चौधरी तथा ए. बनर्जी एवं शास्त्री के द्वारा मंगल सूचक प्रतीक के रूप में 'स्वस्ति' जबकि पी. एल. गुप्ता के द्वारा 'सिद्धम्' की पहचान की गई है। इस प्रतिमालेख में दानकर्ता की पहचान हेतु प्रयुक्त शब्दावली अत्यंत विशिष्ट है। दानकर्ता के संदर्भ ए. बनर्जी एवं शास्त्री के द्वारा 'केसवस्स' तथा पी. एल. गुप्ता के द्वारा 'केशवसूत' पढ़ा गया है जो अर्थ की दृष्टि से परस्पर भिन्न व्याख्याएँ प्रस्तुत करते हैं। संस्कृत में केसवस्य शब्द का अभिप्राय 'केशव द्वारा' है अर्थात् स्वयं केशव के द्वारा यह प्रतिमा दान किया गया, जैसा कि ए. बनर्जी तथा शास्त्री द्वारा अभिप्रेत किया गया है। इसके विपरीत, पी. एल. गुप्ता के पाठ में 'केशवसूत' शब्द का अर्थ है कि दानकर्ता स्वयं केशव नहीं, बल्कि स्वर्णकार केशव का पुत्र है। यह पाठभेद अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे अभिलेख का अर्थ पूर्णतः परिवर्तित हो जाता है। एक स्थिति में दानकर्ता केशव स्वयं है जबकि दूसरी स्थिति में दानकर्ता को केशव का पुत्र माना जाता है।

यह प्रतिमा लेख पूर्णतः दानात्मक प्रकृति का है। इसमें महिपालदेव प्रथम के 31वें राज्यवर्ष में केशव अथवा केशव के पुत्र द्वारा चुण्डा की प्रतिमा के समर्पण का उल्लेख है जो ऐतिहासिक महत्व के दृष्टिकोण से उल्लेखनीय है। प्रतिमालेख में दानकर्ता की सामाजिक-व्यावसायिक पदोन्नति का भी संकेत मिलता है जहाँ उसे सुवर्णकार (स्वर्णकार) के रूप में निरूपित किया गया है।

4 - तारा प्रतिमालेख

प्राप्ति स्थल – कुर्कीहार, बिहार

वर्तमान अवस्थिति – भारतीय संग्रहालय, कोलकाता

उपादान – बलुआ पत्थर

लिपि – सिद्धमातृका

भाषा – संस्कृत

तिथि - 7-8 वीं शताब्दी

लेख¹³ – प्रतिमा पर चित्रिस्तूप आकृति के नीचे बौद्ध सिद्धांत उत्कीर्ण –

ये धर्म हेतु प्रभव...

पीठिका के ऊपरी सतह पर दानात्मक लेख उत्कीर्ण है जिससे दाता का नाम स्पष्ट होता है—

श्री बालचंद्र.....

बिहार के कुर्कीहार से प्राप्त द्विभुजी तारा एक लघु कमल पर स्थित खंडित पंचरथ आधारपीठ पर समभंग मुद्रा में खड़ी है। देवी का दोनों हाथ क्षतिग्रस्त हैं। बाएँ हाथ में नीलोत्पल धारण किए तथा दायाँ हाथ संभवतः वरद-मुद्रा को प्रदर्शित करता है। देवी हार, कर्णाभूषण तथा मुक्ताहार-यज्ञोपवीत से अलंकृत है। इस प्रतिमा में तारा की कुलेशा (कुलदेवता) तथागत बुद्ध अमोघसिद्धि की अनुपस्थिति है। देवी के बाईं ओर हयग्रीव है। उनका बायाँ हाथ दंड धारण किए हुए तथा दाहिने हाथ की उँगलियाँ वितर्क-मुद्रा प्रदर्शित कर रही हैं। दाहिनी ओर स्थित आकृति की पहचान देवी तारा की सहचरी एकजटा के रूप में की गई है जो प्रत्यालीढ मुद्रा में खड़ी है। पीठिका के ऊपरी बाएँ भाग में एक चैत्य उत्कीर्ण है। चैत्य स्तम्भ के चारों ओर ज्वाला की आकृति हैं। आधारपीठ पर दो मानव आकृतियाँ उपासना-भाव में प्रदर्शित हैं। कलात्मक शैली के आधार पर इस प्रतिमा का काल निर्धारण सातवीं-आठवीं शताब्दी ई. किया जा सकता है। जॉन एंडरसन ने उल्लेख किया है कि इस प्रतिमा पर दो भागों में अभिलेख उत्कीर्ण हैं। किंतु वर्तमान में ये लेख अस्पष्ट हैं जिसका पाठ तथा व्याख्या करना कठिन है। तथापि, जॉन एंडरसन द्वारा दिए गए पाठ से इस अभिलेख की जानकारी प्राप्त हो पाती है। उन्होंने इस प्रतिमा के दाता का नाम श्री बालचन्द्र पढ़ा है। दाता के नाम के पूर्व प्रयुक्त 'श्री' उपसर्ग समकालीन समाज में दाता की प्रतिष्ठित अथवा उच्च स्थिति का संकेत देता है यद्यपि यह अभिलेख मात्र दो शब्दों में होने के कारण दाता की आर्थिक स्थिति का स्पष्ट संकेत नहीं देता तथापि, बालचन्द्र की बौद्ध धर्म के प्रति धार्मिक आस्था इस प्रतिमा दानकर्म से स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है।

5 - तारा प्रतिमालेख

प्राप्ति स्थल – कुर्कीहार, बिहार

वर्तमान अवस्थिति – भारतीय संग्रहालय, कोलकाता

उपादान – काला प्रस्तर

लिपि – सिद्धमातृका

भाषा – संस्कृत

तिथि - 9 वीं शताब्दी

लेख¹⁴- 1

साक्या-भिक्षु- श्री गुणमाते:

लेख¹⁵-2

भाग-I(बौद्ध सिद्धांत)

१. ये धम्मा हेतु-प्रभव हेतुं तेषां तथागतो हय=अवदत्त तेषां च नि –

२. रोध एवंवदि महाश्रमनः

भाग -II (दानात्मक लेख)

देया-धर्ममो=यां शाक्या भिक्षुणी गुणमात्यः

कुर्कीहार से प्राप्त द्विभुजी देवी को ललितासन अथवा अर्धपर्यङ्कासन में एक विशाल कमल पर आसीन दर्शाया गया है। उनका दाहिना पैर एक लघु कमल पर स्थित है तथा दाहिना हाथ वरद-मुद्रा को प्रदर्शित करता है जिसकी हथेली पर चक्र-चिह्न अंकित है जबकि बायाँ हाथ नीलोत्पल

धारण किए हुए है देवी विविध आभूषणों से अलंकृत हैं जिनमें दो प्रकार के कर्णाभूषण, हार, मेखला, भुजबंद, कंकण तथा नूपुर सम्मिलित हैं किंतु उन्हें उपवीत धारण किए हुए नहीं दिखाया गया है। वे एक वस्त्र धारण किए हुए हैं जिसकी सलवटे शरीर के निचले भाग में विशेष रूप से द्रष्टव्य है। इस प्रतिमा में तारा के कुलदेवता अमोघसिद्धि को शीर्ष भाग में प्रदर्शित नहीं किया गया है। पीठिका पुष्प अलंकरण से सज्जित है। प्रभामंडल पर ज्वालामय अलंकरण तथा सुस्पष्टलेख उत्कीर्ण है। पृष्ठ-फलक पर सुशोभित बौद्ध सिद्धांत तथा पीठिका पर दानात्मक लेख है। इस अभिलेख का पाठ सर्वप्रथम टी. ब्लॉक द्वारा सन् 1911 ई. में प्रकाशित किया गया था। इसके पश्चात् जी. भट्टाचार्य ने दोनों लेखों का पाठ प्रस्तुत किया है।

टी. ब्लॉक तथा जी. भट्टाचार्य के पाठों में अभिव्यक्ति एवं अर्थ की दृष्टि से पर्याप्त भिन्नता है। टी. ब्लॉक के अनुसार यह प्रतिमा गुणमतेह नामक एक भिक्षु द्वारा दान की गई थी। 'भिक्षु' तथा 'श्री' शब्दों का उल्लेख इस मत की पुष्टि करता है। इसके विपरीत, गौरीश्वर भट्टाचार्य का मत है कि इस प्रतिमा का दान गुणमति नामक एक भिक्षुणी द्वारा किया गया था। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि अधिकांश अभिलेखों में दाता के रूप में भिक्षुओं का ही उल्लेख मिलता है, जो इस प्रकार के धार्मिक कार्यों के लिए उत्तरदायी थे किन्तु किसी बौद्ध भिक्षुणी द्वारा किया गया दान अपेक्षाकृत दुर्लभ उदाहरण है, जैसा कि इस प्रतिमा लेख से ज्ञात होता है।

6 - तारा प्रतिमालेख

प्राप्ति स्थल – कुर्कीहार, बिहार

वर्तमान अवस्थिति – रुसेक कलेक्सन, स्विट्जरलैंड

उपादान – काला प्रस्तर

लिपि – सिद्धमातृका

भाषा – संस्कृत

तिथि - 9 वीं शताब्दी

लेख¹⁶ –

भाग-I (प्रभामंडल लेख)

१. ये धर्मा हेतु-प्रभवा हेतुं तेषां तथागतो हय=अवदत तेषां च यो नि –

२. रोध एवंवदि महाश्रमनः

भाग-II (दानात्मक लेख)

देय-धर्ममो=यां= इदका-पत्नी-उमादूकायाः

कुर्कीहार से प्राप्त बौद्ध देवी तारा की यह प्रतिमा पूर्ण विकसित कमल, जो त्रिध्रुव आधारपीठ पर स्थापित है जो अत्यंत सुगठित अभंगमुद्रा में खड़ी हुई दर्शाई गई है। देवी का दाहिना हाथ वरद-मुद्रा में हैं व बाएँ हाथ में उत्पल (नील-कमल) की डंठल धारण किए हुए हैं। उनकी सुसज्जित केश-विन्यास अलंकृत है परंतु तारा के साथ उनके कुल देवता अमोघसिद्धि का अंकन अनुपस्थित है। देवी कर्णाभूषण, हार, विशिष्ट पाल कालीन मेखला तथा दीर्घ मनकों से निर्मित मुक्ताहार-यज्ञोपवीत से अलंकृत हैं। गोलाकार प्रभामंडल (प्रभावली) को मनके एवं ज्वाला अलंकरण से सजाया गया है। देवी के साथ दो दिव्य स्त्री आकृतियाँ भी उपस्थित हैं। देवी के दाहिनी ओर चार-भुजाधारी एकजटा को अग्र के दो हाथों में तलवार और पात्र धारण किये हुए तथा पश्च के दोनों हाथों

में हाथी की खाल पकड़े हुए दिखाया गया है। तारा के बाईं ओर अशोककांत-मारीची की आकृति है, जिसके दाहिने हाथ में अशोक वृक्ष की शाखा तथा बाएँ हाथ में पाश है। साधनमाला में वर्णित लक्षणों के आधार पर तारा की इस प्रतिमा की पहचान खदिरवाणी तारा¹⁷ के रूप में की जा सकती है। पीठिका पर बाईं ओर हाथ जोड़े हुए वंदन मुद्रा में एक स्त्री का अंकन किया गया है, जो संभवतः इस प्रतिमा की दानदात्री हो सकती है। प्रतिमा के पश्च-पट्टिका पर बौद्ध सिद्धांत तथा आधारपीठ पर एक पंक्ति का दानात्मक लेख अंकित है। जिसमें दानदाता का नाम उमदूका का उल्लेख है, जो ईदक की पत्नी थी।

7 - तारा प्रतिमालेख

प्राप्ति स्थल – कुर्कीहार, बिहार

वर्तमान अवस्थिति – भारतीय संग्रहालय, कोलकाता

उपादान – प्रस्तर

लिपि – सिद्धमातृका

भाषा – संस्कृत

तिथि - 9वीं-10वीं शताब्दी

लेख¹⁸ – श्री बालचंद्र.....

कुर्कीहार से प्राप्त इस प्रतिमालेख में बौद्ध देवी को विश्वपद्म पर त्रिभंग मुद्रा में खड़ा दर्शाया गया है। उनकी दो भुजाओं में से बाईं भुजा में डंठल सहित नीलोत्पल जबकि दाईं भुजा वरद मुद्रा में प्रदर्शित है जिसमें चक्र-चिह्न विशेष रूप से स्पष्ट है। देवी आभूषणों से अलंकृत हैं। उनके साथ दो स्त्री आकृतियाँ परिचारिका के रूप में हैं। इनमें से एक स्त्री चामर-वाहिका लिए हुए एवं दूसरी चतुर्भुजी आकृति है जिसके एक हाथ में छोटा पात्र (कटोरे जैसी वस्तु), दूसरे हाथ में कोई वस्तु तथा शेष दो भुजाएँ छत्र (छत्रिका) को संभाले हुए हैं। त्रिरथ पीठिका पर दो शब्दों का एक लेख उत्कीर्ण है जो दानदाता के नाम का उल्लेख करता है। दानदाता के नाम के साथ श्री का संबोधन जुड़ा है जो दानदाता को प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में अभिहित करता है। कुर्कीहार से प्राप्त एक अन्य तारा प्रतिमालेख में श्री बालचंद्र का उल्लेख दाता के रूप में आया है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि तत्कालीन समय में दानकर्ता की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रही होगी।

अतएव कुर्कीहार से प्राप्त इन प्रतिमालेखों का लिपिगत एवं प्रतिमाशास्त्रीय विशेषताओं के अध्ययन के आधार पर यह विदित होता है कि 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य वज्रयान परम्परा में बौद्ध देवियों की स्वीकारोक्ति तत्कालीन समाज में स्त्रियों की सामाजिक प्रतिष्ठा की स्वीकारोक्ति को प्रतिबिम्बित करता है। इनकी प्रतिमायें पूर्व मध्यकाल के सांस्कृतिक एवं कलात्मक शैली के गहन इतिहास को संजोए रखने का जीवंत उदाहरण हैं। उपरोक्त वर्णित सात देवी प्रतिमालेखों में से तीन पर पाल कालीन शासक राज्यपाल के शासन वर्ष का उल्लेख मिलता है जिससे पाल कालीन राजनीतिक इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है साथ ही यह भी सिद्ध होता है कि उस समय तक वज्रयान परम्परा अपने विकसित स्वरूप में थी। इन पर उत्कीर्ण लेख कुर्कीहार में बौद्ध विहार के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं जिनमें अपंग महाविहार विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वहाँ पर बौद्ध उपासक के साथ-साथ गृहस्थ उपासक भी निवास कर रहे थे। इन लेखों की विषयवस्तु से तत्कालीन सामाजिक स्थिति का भी ज्ञान होता है। उपरोक्त वर्णित वसुंधरा की दो प्रतिमाओं की दानकर्ता स्त्री है दोनों

प्रतिमाएं पाल शासक राज्यपाल के 31वें-32वें शासन वर्ष में वातुक्या एवं गौक्या नामक स्त्री उपासक के द्वारा दान किया गया है। यहाँ उल्लेखनीय यह है कि दोनों के पति के रूप में एक ही गोपालहिनी आया है जो बहु पत्नी विवाह की ओर संकेत देता है। चुंडा तथा तारा की प्रतिमाओं से दानकर्ता का नाम तथा उसके व्यवसाय के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। चुंडा प्रतिमालेख का दानकर्ता केशव स्वर्णकार है जिसके द्वारा धातु प्रतिमा दान की जा रही है यह उसकी आर्थिक रूप से सशक्त स्थिति को दर्शाता है। तारा की दो प्रतिमाओं में बालचंद्र नामक दानकर्ता का उल्लेख है जो उसके बौद्ध धर्म के प्रति विशेष श्रद्धा सिद्ध करता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. मिरांडा, साव, बुद्धिष्ट गोडेसेस ऑफ इण्डिया, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस, 2006 पृ.- 17-37
2. वही, पृ. 306-56
3. भट्टाचार्या, बेन्योतोष, (1987) द इण्डियन बुद्धिस्ट आईकोनोग्राफी, कलकता, पृ.-226
4. बनर्जी-शास्त्री, अनंत प्रसाद, (1940). नाइन्टी-थ्री इन्स्क्रिप्शन ऑन द कुर्कीहार ब्रॉनजेज, जनरल आफ बिहार एण्ड ओडिसा रिसर्च सोसाइटी, भाग-XXVI, पृ.- 247
5. गुप्ता, पी. एल., (1965). पटना म्यूजियम कैटलॉग ऑफ ऐन्टिक्विटी, पटना म्यूजियम, पृ.- 149
6. चौधरी, आर. के., (1958) सेलेक्टेड इन्स्क्रिप्शन ऑफ बिहार, पटना, पृ.- 66
7. बनर्जी-शास्त्री, अनंत प्रसाद, (1940). नाइन्टी-थ्री इन्स्क्रिप्शन ऑन द कुर्कीहार ब्रॉनजेज, जनरल आफ बिहार एण्ड ओडिसा रिसर्च सोसाइटी, भाग-XXVI, पृ.-248
8. गुप्ता, पी. एल., (1965). पटना म्यूजियम कैटलॉग ऑफ ऐन्टिक्विटी, पटना म्यूजियम, पृ.- 150
9. चौधरी, आर. के., (1958) सेलेक्टेड इन्स्क्रिप्शन ऑफ बिहार, पटना, पृ.- 66
10. बनर्जी-शास्त्री, अनंत प्रसाद, (1940). नाइन्टी-थ्री इन्स्क्रिप्शन ऑन द कुर्कीहार ब्रॉनजेज, जनरल आफ बिहार एण्ड ओडिसा रिसर्च सोसाइटी, भाग-XXVI, पृ.- 245
11. गुप्ता, पी. एल., (1965). पटना म्यूजियम कैटलॉग ऑफ ऐन्टिक्विटी, पटना म्यूजियम, पृ.- 149-50
12. चौधरी, आर. के., (1958) सेलेक्टेड इन्स्क्रिप्शन ऑफ बिहार, पटना, पृ.- 70
13. एंडर्सन, जॉन, (1883) कैटलॉग एण्ड हैन्ड बुक ऑफ द आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस ऑफ द इण्डियन म्यूजियम, कलकता, पृ.- 78
14. बलोच, थियोडोर, (1911). सप्लीमेन्ट्री कैटलॉग ऑफ आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस ऑफ इण्डियन म्यूजियम, पृ.- 67
15. भट्टाचार्या, जी, (2000). एसे ऑन बुद्धिष्ट, हिन्दू एंड जैन आईकोनोग्राफी एंड इपिग्राफी, ढाका, पृ.- 463
16. वही, पृ.- 465
17. भट्टाचार्या, बेन्योतोष, (1987) द इण्डियन बुद्धिस्ट आईकोनोग्राफी, कलकता, पृ.- 227
18. एंडर्सन, जॉन, (1883) कैटलॉग एण्ड हैन्ड बुक ऑफ द आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस ऑफ द इण्डियन म्यूजियम, कलकता, पृ.- 76

वसुंधरा प्रतिमालेख वसुंधरा प्रतिमालेख(2)



चुंडा प्रतिमालेख तारा प्रतिमालेख



तारा प्रतिमालेख तारा प्रतिमालेख



तारा प्रतिमालेख



प्राचीन भारत में दान परंपरा एवं छत्तीसगढ़ का महापर्व छेरछेरा

डॉ. महेन्द्र कुमार सारवा

विभागाध्यक्ष इतिहास, शास. दू. ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायपुर

सारांशिका

यह शोध आलेख भारतीय संस्कृति की प्राचीन दान परंपरा और छत्तीसगढ़ के आंचलिक पर्व छेरछेरा के अंतर्संबंधों का विश्लेषण करता है। जहाँ एक ओर प्राचीन ग्रंथ दान को आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग बताते हैं, वहीं छत्तीसगढ़ का महापर्व छेरछेरा इसे अन्न सुरक्षा और सामाजिक सामंजस्य के लोक उत्सव के रूप में प्रतिष्ठित करता है। यह अध्ययन दर्शाता है कि कैसे एक क्षेत्रीय पर्व वैश्विक मानवीय मूल्यों को आत्मसात किए हुए है।

प्राचीन भारतीय संस्कृति में दान केवल परोपकार का कार्य नहीं, बल्कि एक उच्च आध्यात्मिक और सामाजिक कर्तव्य माना गया है। यह कर्म, धर्म और ज्ञान के त्रिकोण को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। प्राचीन भारत में दान केवल आर्थिक लेनदेन नहीं था, बल्कि यह समाज के आर्थिक संतुलन को बनाए रखने और व्यक्ति के आध्यात्मिक उत्थान का एक सशक्त माध्यम था। प्राचीन परंपरा कहती है कि अन्नदान पर दान विद्यादान अतः परम (अन्न का दान श्रेष्ठ है, लेकिन विद्या का दान उससे भी ऊपर है)। अन्न से केवल एक समय की तृप्ति होती है, जबकि विद्या (ज्ञान) से पूरा जीवन सुधर जाता है।

भारतीय संस्कृति में ददामि (मैं देता हूँ) की भावना सर्वोपरि रही है। छत्तीसगढ़, जिसे अपनी लोक संपदा के कारण धान का कटोरा कहा जाता है, यहाँ पौष पूर्णिमा को मनाया जाने वाला छेरछेरा पर्व इसी दान परंपरा का जीवंत स्वरूप है। यह पर्व फसल कटाई के पश्चात संचित संसाधनों को समाज के साथ साझा करने का उत्सव है।

प्राचीन भारत की सांस्कृतिक जड़ों और छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोक जीवन में दान की परम्पराएँ एक सेतु का कार्य करती हैं। जहाँ प्राचीन ग्रंथ दान को आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम बताते हैं, वहीं छेरछेरा पर्व इसे एक सामाजिक उत्सव और अन्न सुरक्षा के सामूहिक संकल्प के रूप में प्रस्तुत करता है।

प्राचीन ग्रंथों के अनुसार दान की अवधारणा को इन तीन स्तंभों के माध्यम से समझा जा सकता है।

1. दान और धर्म

- कर्तव्य — धर्म के संदर्भ में दान एक अनिवार्य कर्तव्य है। शास्त्रों में दान को अपरिग्रह (संग्रह न करना) और त्याग का व्यावहारिक रूप माना गया है।
- पात्रता — दान हमेशा सत्पात्र (योग्य व्यक्ति) को, सही समय और सही स्थान पर देना चाहिए।

- प्रकार – प्राचीन काल में पांच प्रकार के दानों का विशेष महत्व था। विद्या दान (ज्ञान देना), भूमि दान, कन्या दान, गौ दान और अन्न दान।

2. दान और कर्म

- कर्म सिद्धांत के अनुसार, दान को पुण्य संचय करने का सबसे सुगम मार्ग माना गया है।
- संस्कार शुद्धि – दान करने से मनुष्य के पूर्व संचित पापों का क्षय होता है और भविष्य के लिए शुभ कर्मों का निर्माण होता है।
- निस्वार्थ भाव– भगवद गीता के अनुसार, सात्त्विक दान वह है जो बिना किसी प्रत्युपकार (बदले में कुछ पाने की इच्छा) की भावना से दिया जाए।
- फल– माना जाता है कि दान का फल न केवल इस जन्म में, बल्कि परलोक में भी सुख और शांति प्रदान करता है।

3. दान और ज्ञान

- ज्ञान परंपरा में दान को मानसिक शुद्धिकरण और मोह से मुक्ति का साधन माना गया है।
- विद्या दान इसे सभी दानों में श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि धन देने से घटता है, पर ज्ञान देने से बढ़ता है।
- त्याग की भावना– दान व्यक्ति को भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति कम करने में मदद करता है, जो आत्म-ज्ञान की पहली सीढ़ी है।

दान और दर्शन

यह इस विचार पर आधारित है कि सब कुछ ईश्वर का है, इसलिए जो हमारे पास अतिरिक्त है, उसे समाज को लौटाना ही ज्ञान है।

दान की श्रेणियां (शास्त्रों के अनुसार)

- सात्त्विक दान – कर्तव्य समझकर, श्रद्धा के साथ, सुपात्र को दिया गया दान।
- राजसिक दान – मान-सम्मान या फल की इच्छा से दिया गया दान।
- तामसिक दान – बिना सत्कार के, कुपात्र को या तिरस्कार पूर्वक दिया गया दान।

1. पौराणिक व्यक्तित्व

भारतीय पौराणिक कथाओं और इतिहास में से कई महान व्यक्तित्व हुए हैं, जिन्होंने दान को केवल एक कार्य नहीं बल्कि अपने जीवन का सर्वोच्च आदर्श बनाया। इन महापुरुषों के दान के उदाहरण आज भी मानवता के लिए अलौकिक प्रेरणा माने जाते हैं। ये व्यक्तित्व अपनी अटूट प्रतिज्ञा और आत्म-बलिदान के लिए प्रसिद्ध हैं।

- **महादानी कर्ण**– कर्ण को इतिहास का सबसे बड़ा दानी माना जाता है। उन्होंने देवराज इंद्र को अपने जीवन की रक्षा करने वाले कवच और कुंडल दान कर दिए थे, यह जानते हुए भी कि इसके बिना उनकी मृत्यु निश्चित है। अंत समय में भी जब वे मृत्युशय्या पर थे, उन्होंने अपने सोने के दांत तोड़कर दान कर दिए थे।

- **महर्षि दधीचि**— इन्होंने परोपकार और धर्म की रक्षा के लिए अपनी अस्थियों (हड्डियों) का दान कर दिया था। उन्हीं की अस्थियों से देवराज इंद्र का अस्त्र **वज्र** बना, जिससे **वृत्रासुर** नामक राक्षस का संहार हुआ। यह दान **स्वयं के अस्तित्व के विसर्जन का प्रतीक** है।
- **राजा हरिश्चंद्र**—सत्य और दान के प्रति अटूट निष्ठा के कारण इन्होंने अपना संपूर्ण राज्य ऋषि विश्वामित्र को दान कर दिया था। वे स्वयं को और अपने परिवार को बेचकर भी अपने दान और सत्य की प्रतिज्ञा पर अडिग रहे।
- **राजा बलि**— असुर राजा होते हुए भी बलि अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर उनसे तीन पग भूमि मांगी। बलि ने सब कुछ जानते हुए भी अपना संपूर्ण राज्य और अंत में स्वयं का मस्तक उनके चरणों में रख दिया।

2.ए तिहासिक व्यक्तित्व

इतिहास के पन्नों में दर्ज वे व्यक्तित्व जिन्होंने अपनी उदारता से राष्ट्र का मार्ग प्रशस्त किया।

- **सम्राट अशोक**— कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और अपना जीवन धम्म के प्रचार और लोक कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने चिकित्सालयों, सड़कों, और विश्राम गृहों का निर्माण करवाया। उनके शिलालेखों में दान को धम्म का अभिन्न अंग बताया गया है।
- **राजा विक्रमादित्य**— प्राचीन कथाओं और ऐतिहासिक संदर्भों (संवत् प्रवर्तक) के अनुसार, विक्रमादित्य अपनी प्रजा के दुख दूर करने के लिए गुप्त वेश में दान पुण्य करते थे। उनके दरबार में कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता था।
- **हर्षवर्धन (कन्नौज के राजा)**— हर्षवर्धन हर पांच साल में प्रयाग (इलाहाबाद) में महामोक्ष परिषद का आयोजन करते थे। वे अपनी जीवन भर की संचित संपत्ति गरीबों और विद्वानों में दान कर देते थे, यहाँ तक कि अंत में अपने शरीर पर पहने हुए वस्त्र भी दान कर देते थे और अपनी बहन से मांगे हुए वस्त्र पहनते थे।
- **दानवीर भामाशाह**— इतिहास में भामाशाह का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। जब महाराणा प्रताप मुगलों से लड़ते हुए संकट में थे, तब भामाशाह ने अपनी जीवन भर की कमाई (25 लाख रुपये और 20 हजार अशर्फियाँ) उन्हें सौंप दी थी। इस दान से महाराणा प्रताप की सेना फिर से संगठित हो सकी।

● तुलनात्मक सारांश

व्यक्तित्व	दान की मुख्यवस्तु	मुख्य उद्देश्य
कर्ण	कवच-कुंडल	शरणागत और याचक की रक्षा
दधीचि	अस्थियाँ (हड्डियाँ)	लोक कल्याण और धर्म रक्षा
हरिश्चंद्र	राज्य और परिवार	सत्य और वचन पालन
सम्राट अशोक	राजकोष	प्रजा कल्याण, पशु पक्षियों की सेवा

सम्राट विक्रमादित्य	राजकोष और निजी संपत्ति	जनकल्याण और याचक की रक्षा
हर्षवर्धन	राजकोष और निजी संपत्ति	समाज सेवा और धार्मिक कर्ता
भामाशाह	अपार धन-संपत्ति	राष्ट्र रक्षा और स्वाधीनता

इन महापुरुषों ने सिद्ध किया कि दान केवल धन का नहीं, बल्कि भावनाओं, समय, ज्ञान और यहाँ तक कि प्राणों का भी हो सकता है।

3. दान का महत्व

❖ दान के सामाजिक संतुलन

प्रकृति का नियम है कि बादल समुद्र से पानी लेते हैं और उसे वर्षा के रूप में जमीन को लौटा देते हैं। यदि वे पानी न लौटाएं, तो संतुलन बिगड़ जाएगा। वैसे ही, मनुष्य समाज से जो कुछ भी कमाता है, उसका एक अंश समाज को लौटाना उसका धर्म है। प्राचीन भारत में दान राजकोष और समाज के बीच धन के पुनर्वितरण का एक स्वैच्छिक माध्यम था, यह समाज में अमीरी और गरीबी की खाई को पाटने का प्राचीन माध्यम था।

❖ आत्मिक शुद्धि— त्याग का अनुभव

दान वह नहीं है जो बच गया है, बल्कि दान वह है जिसे देने में आपको त्याग का अनुभव हो।

❖ आध्यात्मिक शुद्धि—अहंकार की मुक्ति

जब हम दान करते हैं, तो हम स्वीकार करते हैं कि मैं इस धन का मालिक नहीं, केवल एक ट्रस्टी (रक्षक) हूँ। यह भाव इंसान को विनम्र बनाता है। दान करने से मनुष्य के भीतर का अहंकार और मोह कम होता है। यह चित्त की शुद्धि का साधन है।

❖ निस्वार्थ सेवा

नेकी कर दरिया में डाल का भाव मानसिक शांति और आत्म-संतोष पैदा करता है। इसे ऋण मुक्ति का मार्ग माना गया है। समाज से जो लिया है, उसे लौटाना ही धर्म है।

1. दान से जुड़ी प्रसिद्ध कहावतें

भारतीय समाज में दान को लेकर कई कहावतें प्रचलित हैं जो इसकी गहराई को दर्शाती हैं।

- जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम,
दोउ हाथ उलीचिये, यही सयानों काम।
(संत कबीर) अर्थात् जैसे नाव में पानी बढ़ने पर उसे निकालना जरूरी है, वैसे ही धन बढ़ने पर उसे दान करना ही बुद्धिमानी है।
- विद्या दानं सर्वधनं प्रधानम्। विद्या का दान सभी प्रकार के धनों में श्रेष्ठ है।
- नेकी कर दरिया में डाल। दान या भलाई करके उसे भूल जाना चाहिए (निस्वार्थ भाव)।
- हाथ की शोभा कंगन से नहीं, दान से होती है। यह कहावत शारीरिक सौंदर्य के बजाय कर्म की सुंदरता पर जोर देती है।
- अथर्ववेद— शतहस्त समाहर सहस्रहस्त संकिर। सैकड़ों हाथों से कमाओ और हजारों हाथों से दान करो।

अथ देवता केवल भूख से मृत्यु नहीं देते, बल्कि समृद्ध व्यक्ति की मृत्यु भी आती है। जो दान देता है, उसकी संपत्ति कभी कम नहीं होती, लेकिन जो दान नहीं करता, उसे सात्वना देने वाला कोई नहीं मिलता। संदेश यह मंत्र सिखाता है कि धन का संचय नहीं, बल्कि वितरण ही सुरक्षा की गारंटी है। अर्जन (कमाई) से दस गुना अधिक महत्व विसर्जन (बांटने) का है।

दान की चार मुख्य शर्तें (शास्त्रों के अनुसार)

- श्रद्धा, आदर के साथ देना।
- शक्ति, अपनी सामर्थ्य के अनुसार देना (कर्ज लेकर दान करना उचित नहीं माना गया)।
- न्याय, ईमानदारी से कमाए गए धन का दान करना।
- पात्रता, जिसे वास्तव में आवश्यकता हो, उसे देना।

भारतीय दान परंपरा एवं छत्तीसगढ़ का महापर्व छेरछेरा

शोध अध्ययन से स्पष्ट होता है कि छत्तीसगढ़ का छेरछेरा महापर्व प्राचीन भारतीय दान परम्परा के आदर्शों का लोकतांत्रिक विस्तार है। यह पर्व आधुनिक समाज को सिखाता है कि आर्थिक समृद्धि तभी सार्थक है जब उसे समाज के अंतिम व्यक्ति के साथ साझा किया जाए। यह पर्व सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना का व्यावहारिक प्रतिबिंब है। छत्तीसगढ़, जिसे अपनी लोक संपदा के कारण धान का कटोरा कहा जाता है, यहाँ पौष पूर्णिमा को मनाया जाने वाला छेरछेरा पर्व, इसी दान परंपरा का जीवंत स्वरूप है। यह पर्व फसल कटाई के पश्चात संचित संसाधनों को समाज के साथ साझा करने का उत्सव है।

छेरछेरा लोक परंपरा में दान का व्यावहारिक रूप

- छत्तीसगढ़ में छेरछेरा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक सामाजिक पुनर्वितरण की प्रक्रिया है।
- सामूहिकता— इसमें छेरछेरा मांगने वाली टोलियाँ जाति-पाति के बंधन तोड़कर घर-घर जाती हैं।
- अधिकार भाव— यहाँ याचक (मांगने वाला) हीन भावना से नहीं, बल्कि छेरछेरा, माई कोठी के धान ला हेरते हेरा के अधिकारपूर्ण स्वर के साथ आता है।
- शाकंभरी जयंती का योग— इसी दिन देवी शाकंभरी की पूजा प्रकृति और वनस्पतियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करती है।

2. पौराणिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

छेरछेरा पर्व के पीछे दो प्रमुख मान्यताएं प्रचलित हैं।

- शाकंभरी देवी जयंती— माना जाता है कि इसी दिन माता शाकंभरी का अवतरण हुआ था, जिन्होंने अकाल के समय पृथ्वी पर अन्न-फल और वनस्पतियों का संचार किया था।
- राजा कल्याण साय की कथा— ऐतिहासिक दृष्टि से रतनपुर के राजा कल्याण साय जब आठ वर्ष तक दिल्ली में रहने के बाद वापस लौटे थे, तब उनकी प्रजा ने खुशियाँ मनाई थीं। राजा ने इस अवसर पर स्वर्ण मुद्राएं बांटी थीं, जिसे कालांतर में अन्नदान के रूप में मनाया जाने लगा।

तुलनात्मक विश्लेषण		
	प्राचीन शास्त्रीय परंपरा	छेरछेरा लोक परंपरा
स्रोत	वेद, स्मृति और पुराण	मौखिक परंपरा और लोकगीत
पात्र	ब्राह्मण, भिक्षुक, तीर्थ	समाज का हर वर्ग, विशेषकर बच्चे और युवा
दान का स्वरूप	स्वर्ण, भूमिदान, गौदान और विद्यादान	मुख्य रूप से अन्नदान
प्रकृति उद्देश्य	मोक्ष प्राप्ति, पापों का नाश और परलोक में सुख	सामूहिक उल्लास और सामुदायिक कल्याण
सांस्कृतिक तत्व	मंत्रोच्चार और हवन	डंडा नृत्य, फरा-चीला (लोक व्यंजन)
समय	विभिन्न पर्वों, और संस्कारों पर दान	विशेष रूप से पौष पूर्णिमा (पुष पुन्नी)

- यह पर्व हमें तीन महत्वपूर्ण जीवन-मूल्य सिखाता है
- कृतज्ञता – प्रकृति और धरती माँ ने जो हमें दिया है, उसे स्वीकार करना।
 - स्मानता – माई कोठी का द्वार खोलकर आर्थिक और सामाजिक ऊंच-नीच की दीवारों को गिराना।
 - सामूहिकता – अकेले उपभोग करने के बजाय साझा आनंद की संस्कृति को जीवित रखना।

प्रमुख कहावतें व लोक संदर्भ

- 1 अरिबे त अड़, नई त कोठी के धान ला झड़— यह लोक उक्ति दान में उदारता की प्रेरणा देती है।
- 2 अरन बरन कोदो करन, जब्बे देबे तब्बे टरन— यह बच्चों की निर्दोष हठ और सामाजिक सहभागिता को दर्शाती है।

क्षेत्रीय विस्तार और विशिष्टता

छत्तीसगढ़ के अलग-अलग अंचलों में छेरछेरा मनाने के तरीके में थोड़ा अंतर देखने को मिलता है,

जो शोध की दृष्टि से महत्वपूर्ण है—

- **मैदानी क्षेत्र** (रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा) यहाँ डंडा नृत्य की प्रधानता होती है। युवा रंग-बिरंगी वेशभूषा पहनकर, हाथों में डंडा लेकर वृत्ताकार नाचते हैं। दान में मुख्य रूप से धान और पैसे दिए जाते हैं।
- **बस्तर संभाग** यहाँ आदिवासी समुदायों में इसे प्रकृति पूजा से जोड़कर देखा जाता है। नई फसल आने की खुशी में लेंझा और अन्य स्थानीय व्यंजनों का आदान-प्रदान होता है।
- **सरगुजा और उत्तर छत्तीसगढ़** यहाँ इसे खरिहान पूजा और पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के अवसर के रूप में मनाया जाता है।

पारंपरिक लोक गीत

छेरछेरा की टोलियाँ गाते हुए चलती हैं। इन गीतों में हँसी-ठिठोली और आशीष दोनों का मिश्रण होता है। बच्चों की टोली का गीत

- छेरछेरा... छेरछेरा! माई कोठी के धान ला हेरते हेरा।

- अरन बरन कोदो करन, जब्बे देबे तब्बे टरन। हे गृहस्वामिनी! अपनी कोठी से धान बाहर निकालिए। हम तभी यहाँ से जाएंगे जब आप दान देंगी।)
- दान मिलने पर आशीष गीत। जब गृहणियाँ धान दान कर देती हैं, तो बच्चे यह दुआ देते हैं—
अँचरा म का हवय ? धान हवय!, कोठी म का हवय? लक्ष्मी हवय!
जुग-जुग जियौ दाई-ददा, अउ बढ़य धान के ढेरी।
आपकी कोठी हमेशा भरी रहे और घर के बड़े-बुजुर्ग लंबी उम्र जीयें।)
हँसी-मजाक की पंक्तियाँ (यदि दान में देरी हो)
तरी तरी के मुंगरी मछरी, देबे त दे नई त जाहूँ दूसर परछी।

शोध हेतु विशेष तथ्य

- **लिंग भेद का अभाव**— छेरछेरा में लड़के और लड़कियाँ दोनों समान रूप से टोलियाँ बनाकर निकलते हैं, जो छत्तीसगढ़ी समाज की लैंगिक समानता को दर्शाता है।
- **अन्न बैंक** — पुराने समय में, गाँवों में छेरछेरा के दौरान इकट्ठा किया गया धान एक जगह जमा किया जाता था, जिसका उपयोग अकाल या गाँव की बेटी की शादी में मदद के लिए कम्युनिटी ग्रेन बैंक के रूप में होता था।

1. वैचारिक समानता त्याग और संग्रह का निषेध

प्राचीन भारतीय दर्शन (जैसे ऋग्वेद और भगवद गीता) सिखाता है कि जो अकेले खाता है, वह पाप खाता है। इसी विचार को छत्तीसगढ़ी लोक जीवन में छेरछेरा के माध्यम से व्यावहारिक रूप दिया गया है। किसान अपनी कोठी (अनाज भंडार) का द्वार सबके लिए खोल देता है, जो इस बात का प्रतीक है कि प्रकृति की संपदा पर सबका अधिकार है।

2. लोक कल्याण बनाम आध्यात्मिक पुण्य

प्राचीन दृष्टि — प्राचीन काल में दान को धर्मादाय माना जाता था, जिससे व्यक्ति का आध्यात्मिक ओज बढ़ता था।

छेरछेरा की दृष्टि से — यहाँ दान का स्वरूप अधिक सामाजिक है। टोलियों में बच्चे और युवा घर-घर जाकर अन्न मांगते हैं, जिसका उपयोग अक्सर सामुदायिक भोज या गांव के विकास कार्यों के लिए किया जाता है।

3. शाकंभरी और अन्नपूर्णा का समन्वय

शास्त्रीय परंपरा में देवी शाकंभरी को वनस्पतियों और अन्न की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। छत्तीसगढ़ में छेरछेरा के दिन ही शाकंभरी जयंती मनाई जाती है। यह इस बात का प्रमाण है कि यहाँ की लोक परंपराएं प्राचीन भारतीय पौराणिक मान्यताओं से गहराई से जुड़ी हुई हैं।

4. आर्थिक विषमता का निवारण

प्राचीन भारत में अपरिग्रह (अनावश्यक संग्रह न करना) का सिद्धांत था। छेरछेरा इसी सिद्धांत का लोक संस्करण है। जब संपन्न किसान अभावग्रस्तों या मांगने वालों को सहर्ष धान दान करता है, तो वह समाज में व्याप्त आर्थिक खाई को पाटने का प्रयास करता है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दान का स्वरूप

आज के जनमानस के लिए दान का अर्थ चेक काटना मात्र नहीं है। किसी दुखी व्यक्ति को सुनना, किसी बच्चे को पढ़ाना या किसी प्यासे को पानी पिलाना भी उतना ही बड़ा दान है जितना कर्ण का कवच-कुंडल दान करना था।

- विद्या दान किसी को साक्षर बनाना या कौशल सिखाना।
- अन्न दान भूखे को भोजन कराना (भूख मिटाना)।
- अभय दान किसी डरे हुए व्यक्ति को सुरक्षा और साहस देना।
- श्रम दान अपने शरीर और समय से समाज की सेवा करना (जैसे सफाई, वृक्षारोपण)

निष्कर्ष

प्राचीन भारतीय संस्कृति में दान केवल परोपकार का कार्य नहीं, बल्कि एक उच्च आध्यात्मिक और सामाजिक कर्तव्य माना गया है। यह कर्म, धर्म और ज्ञान के त्रिकोण को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में दान कोई दिखावा नहीं, बल्कि एक साधना रहा है। दान लेने वाले का हाथ नीचे और देने वाले का हाथ ऊपर होता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि देने वाला बड़ा है। बल्कि इसका अर्थ यह है कि देने वाले को ईश्वर ने देने के योग्य बनाया है। भारतीय दान परंपरा का मूल सारांश यह है कि धन की तीन ही गतियां होती हैं— दान, भोग या नाश। यदि हम दान नहीं करते और न ही सही उपभोग करते हैं, तो धन का स्वतः नाश हो जाता है। इसलिए, दान मनुष्य को स्वार्थ के पिंजरे से निकालकर परमार्थ के खुले आकाश में ले जाता है।

प्राचीन भारत की दान परम्परा जहाँ सिद्धांतों और शास्त्रों में निहित है, वहीं छेरछेरा पर्व उसका जीवंत और क्रियात्मक रूप है। यह पर्व प्राचीन दान धर्म को मंदिर या आश्रमों से निकालकर सामान्य जन के आंगन तक ले आता है, जहाँ श्रद्धा के साथ-साथ उल्लास और डंडा नृत्य का समावेश भी होता है।

छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक संस्कृति में छेरछेरा पर्व का विशेष स्थान है। यह केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता, दान की परंपरा और कृषि प्रधान जीवन की कृतज्ञता का प्रतीक है।

छेरछेरा केवल एक त्यौहार नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की साझा संस्कृति का जीवंत दस्तावेज है। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति से जो हमें मिला है, उसे समाज को लौटाना ही सच्ची मानवता है। आधुनिकता के दौर में भी इस परंपरा का बने रहना छत्तीसगढ़ी अस्मिता की मजबूती को दर्शाता है।

उपरोक्त अध्ययन के प्रकाश में यह स्पष्ट होता है कि छेरछेरा केवल एक क्षेत्रीय त्यौहार नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय दान और त्याग के दर्शन का सबसे सरल और सुंदर क्रियान्वयन है। जहाँ शास्त्रीय परंपराएं दान को नियमों और विधानों में बांधती हैं, वहीं छत्तीसगढ़ की माटी ने इसे एक लोक-उत्सव बनाकर जन-जन के लिए सुलभ कर दिया है।

अंततः, छेरछेरा महापर्व आधुनिक विश्व को सतत विकास और सामाजिक उत्तरदायित्व का वह पाठ पढ़ाता है, जिसे हमारे पूर्वजों ने सदियों पहले लोकगीतों और लोकनृत्यों में पिरो दिया था। जब तक प्रदेश में छेरछेरा, माई कोठी के धान

ला हेरते हेरा की गूँज रहेगी, तब तक छत्तीसगढ़ की उदारता और सहिष्णुता की पहचान अक्षुण्ण रहेगी।

धान के कटोरा छत्तीसगढ़ के, ए` हावय सुग्घर रीत,
छेरछेरा म मिलथे मितान, अउ बाढ़थे सबके प्रीत।

1. प्रमुख संदर्भ पुस्तकें

- ऋग्वेद— इसमें दानस्तुति सूक्त हैं, जहाँ उदारता की प्रशंसा की गई है। दसवें मंडल 117वें सूक्त
- अथर्ववेद कहता है, सैकड़ों हाथों से इकट्ठा करो और हजारों हाथों से बांटो।
- भगवद् गीता (अध्याय 17 श्लोक 20, 21 और 22) यहाँ दान को तीन श्रेणियों सात्त्विक, राजसिक और तामसिक में विभाजित कर उसके मनोवैज्ञानिक पक्ष को समझाया गया है।
- मनुस्मृति अध्याय एक और अध्याय 4, इसमें सामाजिक व्यवस्था में दान के नियमों और पात्रता (पात्र-अपात्र) का विस्तृत वर्णन है।
- महाभारत (अनुशासन पर्व) भीष्म पितामह द्वारा युधिष्ठिर को दिए गए उपदेशों में दान के आध्यात्मिक महत्व की गहरी व्याख्या है। इसमें अन्नदान एवं कन्यादान की महत्ता बताई गई है।
- अमर चित्र कथा (शृंखला) यह ऐतिहासिक और पौराणिक दानवीरों (जैसे भामाशाह, कर्ण) की कहानियों का सबसे सुलभ आधुनिक स्रोत है।
- मत्स्य पुराण अध्याय 274-289 : इसमें तुला पुरुषदान सहित अन्य दान का उल्लेख है।
- अग्नि पुराण अध्याय 209-211 : इसमें अन्नदान भूमिदान एवं विद्यादान को श्रेष्ठ बताया गया है।
- पाठक, विनय कुमार. छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन. छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी।
- पाण्डेय, राजबली. भारतीय संस्कृति. राजकमल प्रकाशन।
- लाल, पी.सी., छत्तीसगढ़ की लोक कलाएँ एवं पर्व. स्थानीय प्रकाशन।
- भारतीय संस्कृति के आधार — डॉ. राजबली पाण्डेय (प्राचीन भारत में दान की परंपरा और उसके दार्शनिक पक्ष को समझने हेतु)।
- छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी की विभिन्न शोध पत्रिकाएँ।

अजन्ता की चित्रकला : एक अध्ययन

डॉ० अजेन्द्र प्रताप राय

पोस्ट डॉक्टरल फेलो, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग,
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

सारांशिका

अजन्ता की भित्ति चित्रकला भारतीय कला, संस्कृति एवं बौद्ध दर्शन की उत्कृष्ट उपलब्धियों में से एक है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जनपद में स्थित अजन्ता की गुफाएँ भारतीय चित्रकला की समृद्ध परम्परा, कलात्मक कौशल तथा आध्यात्मिक चेतना का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। इन गुफाओं में अंकित चित्र मुख्यतः भगवान बुद्ध के जीवन-प्रसंगों, बोधिसत्त्वों तथा जातक कथाओं पर आधारित हैं, जिनके माध्यम से बौद्ध धर्म के नैतिक, मानवीय एवं आध्यात्मिक आदर्शों का प्रभावी निरूपण किया गया है। अजन्ता के कलाकारों ने रंग, रेखा, अनुपात, भावाभिव्यक्ति तथा संरचना का अत्यन्त परिष्कृत प्रयोग करते हुए तत्कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं राजनैतिक जीवन का भी सजीव चित्रण किया है।

प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य अजन्ता की चित्रकला के ऐतिहासिक विकास, विषयवस्तु, कलात्मक विशेषताओं तथा भारतीय सांस्कृतिक विरासत में उसके योगदान का अध्ययन करना है। अध्ययन में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग करते हुए उपलब्ध साहित्य, पुरातात्विक साक्ष्यों तथा कला-ऐतिहासिक स्रोतों का समालोचनात्मक परीक्षण किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अजन्ता की चित्रकला केवल धार्मिक अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है, बल्कि यह तत्कालीन समाज, संस्कृति, जीवन-मूल्यों एवं मानवीय संवेदनाओं का भी प्रामाणिक दस्तावेज है। अपनी सौन्दर्यपरकता, तकनीकी उत्कृष्टता तथा सार्वभौमिक मानवीय संदेश के कारण अजन्ता की चित्रकला भारतीय ही नहीं, बल्कि विश्व कला इतिहास की अमूल्य धरोहर के रूप में प्रतिष्ठित है।
मुख्य शब्द: अजन्ता, भित्ति चित्रकला, बौद्ध कला, जातक कथाएँ, बोधिसत्त्व, भारतीय चित्रकला, सांस्कृतिक विरासत।

भारत की सभ्यताएँ व संस्कृति प्रारम्भ से ही प्राचीन एवं प्राणवान रही है, जिसने सहस्रशताब्दियों से प्राच्य सभ्यता की एकता को स्थापित किया है यहाँ धर्म, आध्यात्म, कल्पना और कला को सामाजिक समन्वय के घटकों के रूप में विशिष्ट स्थान प्राप्त है। यही कारण है कि इस उपमहाद्वीप पर होने वाले धार्मिक सुधार एवं पुर्नजागरण भारत की सीमाओं से प्रसारित हुये जिसका प्रमुख वाहक चित्रकला भी रही है।¹

चित्रकला के इतिहास को उतना ही प्राचीन कहा जा सकता है जितना की मानव सभ्यता के विकास का इतिहास क्योंकि यह सर्वविदित है की मनुष्य ने जब प्रकृति की गोद में अपनी जीवन लीला का शुभारम्भ किया तो उसी समय

से अपने मूक भावों, विचारों को गुफाओं और चट्टानों की भित्तियों पर अंकित करना प्रारम्भ कर दिया। मानव ने अपने सांस्कृतिक विकास के लिये जिन साधनों को अपनाया उसमें चित्रकला भी प्रमुख रही जो उसके कोमल भावनाओं तथा सर्घषमय जीवन गाथा को संजोये हुये है। चित्र रचनाएँ क लम्बी साधना है, जिसके सिद्धि के मार्ग बड़े दुर्गम है, किन्तु परिणाम उतना ही श्रेष्ठ है। भारतीय दृष्टिकोण से श्रेष्ठ चित्रण को ऐहिक लोकयात्रा का साधन और पारलौकिक निःश्रेयस का कारण बताया गया।²

भारत भूमि में प्राचीन काल से ही चित्रकला की स्वस्थ परम्परा विद्यमान थी तथा धर्म एवं समाज में इसे विशिष्ट स्थान प्राप्त रहा। यदि चित्रकला का शास्त्रीय रूप विद्यमान था तो चित्रकला के नियम व विधान भी थे। यशोधर पंडित ने कामसूत्र की टीका 'जयमंगला' में आलेख्य (चित्रकला) के छः अंग बताये हैं।³

रूपभेदा प्रमाणानि भावलावण्य योजनम्।

सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंगः कम्।।

छठी शताब्दी ईसा पूर्व की तरफ दृष्टिपात करने पर हमें बौद्ध कला की महान विरासत भित्ति चित्रों के रूप में सुरक्षित मिलती है, तथा इस महान थाती का प्रतिनिधित्व 'अजन्ता' जैसा समृद्ध केन्द्र करता है, जो महात्मा बुद्ध के जीवन की घटना तथा जातक कथाओं पर केन्द्रित रहा है।

अजन्ता नामक एक प्राचीन ग्रन्थ 'महामयूरी' में अजितअजेय नामक स्थान का सन्दर्भ है, गुफाओं से कुछ दूरी पर 'अजिष्ठा' नामक ग्राम है⁴, इसी नाम के आधार पर वर्तमान में अजन्ता व्यवहार में आया, अजन्ता का एक सन्दर्भ यह भी लिया जा सकता— 'यो मैत्रेय बुद्ध (भविष्य में अवतरित होने वाले बुद्ध) को अजित कहा जाता है अतः बुद्ध से सम्बन्धित गुफाओं का अजन्ता नाम उचित रहेगा। अजन्ता के 'तीस गुफा' मन्दिर का समूह पहाड़ियों को काट कर बनाया गया है जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। जो हरिश्चन्द्र से आच्छादित मनोरम नीरवण काकी घाटी है, इसी शान्त और नीरवता के वातावरण को देख कर बौद्ध भिक्षुओं ने अपनी कला साधना के लिये इस स्थान का चुनाव किया होगा, जो 'वास्तु कला' 'मूर्तिकला' तथा चित्रकला का उद्गम संगम है। चीनी यात्री 'युवाङ्गचवाङ्ग ने अपनी पुस्तक 'ट्रेवल्स इन इंडिया' में अजन्ता चित्रों की भूरि-भूरि प्रशंसा की है।⁵

अजन्ता के चित्रों के चित्रण के लिये 'फेस्कोग एवं टेम्परा' विधि का—प्रयोग किया जाता था। ई०वी हैबेल के अनुसार चित्र के सुखने पर अत्यधिक उभार लाने के लिये टेम्परा रंग से चित्रण किया जाता था (सफेद मिश्रित गाढ़ा रंग)⁶ परन्तु 'गिफिक्स महोदय' ने चित्रों के रेखांकन में केवल लाल रंग के प्रयोग द्वारा रेखांकन करने की पद्धति का वर्णन किया।

अजन्ता भित्ति चित्रों के विषयवस्तु का केन्द्र गौतम बुद्ध के जीवन से सम्बन्धित घटना तथा जातक कथा पर आधारित रही। जातक शब्द का अर्थ जन्म सम्बन्धि विकासवाद है, महात्मा बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त करने से पहले अनेक जन्म लेने पड़े थे और इन जन्मों में वे बोधिसत्व कहलाये। बोधि का अर्थ बुद्धत्व तथा सत्त्व का अर्थ प्राणी अर्थात् बुद्धत्व प्राप्ति के लिये प्रयत्नशील प्राणी, जातक

कथा में पाँच सौ सैतालीस जन्मों का उल्लेख है, इन्हीं जन्मों का अजन्ता के इन कला मण्डपों पर चित्रण किया गया। इन गुफाओं में नवीं, दसवीं, उन्नीसवीं, छब्बीसीं तथा तीसरी गुफायें चैत्य गुफाएँ जहाँ उपासना होती तथा शेष भिक्षुओं के निवास का स्थान था।⁷

अजन्ता बौद्ध धर्म का संरक्षण केन्द्र था, जिसमें बौद्ध धर्म से सम्बन्धित चित्रों का ही समावेश किया गया 'वाचस्पति गैरोला' ने अपनी पुस्तक 'भारतीय चित्रकला' में अजन्ता के चित्रों को तीन श्रेणी⁸ में बाँटा।

प्रथम श्रेणी— अलंकारिक : इसमें विविध प्रकार के आलेखन बनाये गये जैसे—फूल पत्तियों, पुष्पों की बेलें कमलदल, लताएँ, वृक्ष, पशु—पक्षी, अलौकिक पशु, राक्षस, किन्नर, नाग गरुड़ यक्ष गन्धर्व, अप्सराएँ आदि।

द्वितीय श्रेणी—रूप— भैदिक : बुद्ध के दार्शनिक एवं आध्यात्मिक स्वरूप तथा पद्मपाणि, वज्रपाणि, बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर आदि के स्वरूपों के साथ, बुद्ध के जीवन से लेकर मृत्यु तक के विभिन्न घटनाओं को जैसे 'माया देवी स्वप्न महाभिनिष्क्रमण संबंधि निर्वाण का चित्रण।

तृतीय श्रेणी— जातक कथाएँ— इन चित्रों में महात्मा बुद्ध के जीवन से संबद्ध सर्वविदित घटनाओं का कथा रूप में निरूपण किया गया।

अजन्ता में चित्रित चित्रों की विषयवस्तु निम्न थी।⁹

गुफा सं०	घटना प्रसंग	जातक कथा
1	नन्द की दीक्षा, अज्ञात कथा, मारविजय, बोधिसत्व पद्मपाणि, बोधिसत्व वज्रपाणि, काली राजकुमारी, श्रावस्ती का चमत्कार, राजसभा में विदेशी यात्रियों का स्वागत, उपासक, सज्जा चित्र इत्यादि।	शिबि जातक, शखपाल जातक, महाजनक जातक, महाउम्मगग जातक, चंपेय जातक इत्यादि।
2	तुषित स्वर्ग में बोधिसत्त्व, महारानी माया का स्वप्न और गर्धधारण महारानी माया का पितृगृह गमन, बुद्ध का जन्म, शक्र द्वारा नवजात शिशु को हाथों में लेना, बुद्ध के सात कदम, पूर्ण अवदान श्रावस्ती का चमत्कार सहस्र बुद्ध प्रासाद दृश्य, इन्द्रलोक दृश्य इत्यादि।	महाहंस जातक, क्षातिवादी जातक, रुरुजातक, विधुर पंडित जातक, मैत्रीबल जातक इत्यादि।
9	नागराजा, पशुओं का खेदा, स्तूप अर्चना इत्यादि।	
10	बोधिवृक्ष पूजा, स्तूप पूजा इत्यादि।	सामजातक, छदन्त जातक इत्यादि।
11	नन्द की कथा, बिरह व्याकुल रानी, तालाब का दृश्य, भयानक आकृति, बोधिसत्व इत्यादि।	हस्ति जातक।

16	तुषित स्वर्ग में उपदेश, नन्द की दीक्षा, मरणासन्न राजकुमारी, आकाशचारी अप्सरा, अजातशत्रु बुद्ध के जीवन से सम्बन्धित चित्र, सुजाता से खीर ग्रहण इत्यादि।	हस्ति जातक, महाउम्मग जातक इत्यादि।
17	जीवन चक्र, राजदम्पति द्वारा भिक्षादान, आकाशचारी गन्धर्व एवं इन्द्र, अप्सरा, मानषी बुद्ध, नलगिरिदमन, बुद्ध के जीवन के दृश्य, सिंहलावदान, प्रसाधिका, मण्डप-सज्जा (आलेखन) इत्यादि।	षड्दत जातक, महाकपि जातक, हस्ति जातक, हस जातक, विश्वतार जातक (वेस्सन्तर जातक), सुतसोम जातक, मत्स्य जातक, साम जातक, क्रक्ष जातक, न्यग्रोध मृग जातक इत्यादि।
19	कपिलवस्तु प्रत्यागमन, बुद्ध चित्र इत्यादि।	

अजन्ता की चित्रकला में बुद्ध के अनेक रूपों में अवतरित होना, शरीर ग्रहण करना 'सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय' की प्रेरणा को बल देता, वे जब चाहे पूर्ण मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जब तक ब्रह्माण्ड में एक भी ऐसा व्यक्ति बचा रहेगा जिसे मुक्ति (निर्वाण) न मिल सकी हो वे अवतार लेते रहेंगे और अपने संचित पुण्य को वितरित कर मानव उधार में संलग्न रहेंगे, इसी भावना के साथ अजन्ता की सम्पूर्ण चित्र विधिका सुसोभित है। चित्रित भित्ति चित्रों में पौराणिक और दन्तकथाओं के भी चित्र प्राप्त होते हैं। भारतीय नाट्य शास्त्र के अभिधान पर नाटकों में वर्णित राजदरबारों तथा साधारण जीवन प्रसंगों का भी चित्रण प्राप्त होता है। राजा-प्रजा, योद्धा-सामन्त, दाता-भिक्षारी वृद्ध-वालक, स्त्री-पुरुष, क्रेता-विक्रेता, श्रोता-उपदेशक, प्रेमी प्रेमिका, भोगी-योगी सभी अपनी भूमिका में मग्न एवम् खोये हुये हैं। संसार में संतरण करने वाले भी हैं और गगन विहारी, पथचारी, नगरनिवासी और क्रीडाविलासी भी हैं। चित्रों में उल्लेखित जीवन का आनन्द, शारीरिक सौन्दर्य का उदान्त निखार पशु-पक्षियों में रम्यत्व तथा लता-वृक्षों की नैसर्गिकता अपनी सम्पूर्ण ज्योत्सना के साथ उद्भासित है। चित्रों में समकालीन विचारधारा तथा जीवनदृष्टि की सच्ची झलक दिखती है। अजन्ता के चित्र एक धर्म विशेष तक ही सीमित नहीं रहे अपितु विभिन्न समुदायों की कला के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करती हैं। विषय धार्मिक होते हुये भी जीवन और संसार के लिये चित्र महत्वपूर्ण हैं। 'झूला झूलती राजकुमारी' 'मरती राजकुमारी' तथा 'नृत्य करती बालाओं' का अंकन ही नहीं वरन् कई अन्य सांसारिक पक्षों का अंकन जैसे 'मार-विजय' राजसभा में विदेशी यात्रियों का स्वागत 'जीवन चक्र' राजदम्पति द्वारा भिक्षा दान जैसे चित्र भी चित्रित हैं। अजन्ता की भित्तियों पर सजे हुये चित्र राजनीतिक सामाजिक आर्थिक पारिवारिक परिस्थितियों का प्रदर्शन करते हुये, चित्रकला का अलग रूप प्रदर्शित करते हैं।¹⁰

धर्म के प्रचार एवं प्रसार के लिये चित्रकला का जितना सहारा बौद्ध धर्मावलम्बियों ने लिया उतना उस युग से सम्भवतः और किसी ने नहीं लिया। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिये जितना कार्य चित्रकला ने किया उतना ही कार्य बौद्ध धर्मानुयायियों ने चित्रकला के प्रचार-प्रसार के लिये किया।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. अग्रवाल, डॉ० श्याम बिहारी : *भारतीय चित्रकला का इतिहास*, इलाहाबाद, 1996, पृ० 01
2. प्रताप, डॉ० रीता : *भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास*, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 2022, पृ० 43
3. पंडित, श्री यशोधर : *कामसूत्रम्*, खेमराज श्रीकृष्ण दास प्रकाशन, बम्बई, प्रथम भाग, भूमिका, 2021
4. अग्रवाल, वी०एस० : *जर्नल ऑफ द यूनाइटेड प्रोविन्स हिस्टोरिकल सोसायटी*, 15 पंक्ति-2, 1942, पृ० 27 और 35
5. वॉर्ट्स, टी : *ऑन युगङ्ग च्वाङ्गस ट्रेवल्स इन इंडिया* लंदन, 1905, 2 पृ० 239-40
6. स्मिथ, विन्सेट : *ए हिस्ट्री ऑफ फाइन आर्ट इन इंडिया एण्ड सीलोन*, ऑक्सफोर्ड, 1911, पृ० 90।
7. प्रताप, रीता प्रताप : *भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास*, पृ० 58-60
8. गैरोला, वाचस्पति : *भारतीय चित्रकला*, इलाहाबाद, 1963, पृ० 118-19
9. धवलीकर, एम० के० : *अजन्ताए कल्चरल स्टडी*, यूनिवर्सिटी ऑफ पूना, 1973
10. अग्रवाल, डॉ० श्याम बिहारी : *भारतीय चित्रकला का इतिहास*, पृ० 73-74

Preserving the Past Understanding the Present
Enriching the Future

प्राचीन भारत में जल प्रबन्धन (सुदर्शन झील के विशेष संदर्भ में)

डॉ० मनोज कुमार सिंह

इतिहास विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

सारांशिका

आज तक के प्राकृतिक स्रोतों के अतिरिक्त कृत्रिम स्रोत का अधिक से अधिक उपयोग मानव करने लगा है। तथा रेगिस्तानों को भी उपजाऊ क्षेत्र में बदल लिया है। भारतीय राजाओं द्वारा जल प्रबंधन का एक अच्छा उदाहरण सुदर्शन झील का निर्माण है। स्कन्दगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में झील के पुनः निर्माण का उल्लेख प्राप्त होता है। जो गुप्त राजाओं के लोक कल्याणकारी कार्यों को दर्शाता है। इस झील पर मिले रुद्रदामन एवं स्कन्दगुप्त के अभिलेखों से वृहद जलाशय का महत्त्वपूर्ण इतिहास ज्ञात होता है। गुप्त राजाओं के बाद इस झील का क्या हुआ यह आज भी इतिहासविद एवं पुरातत्त्ववेत्ताओं के बीच बुद्धि विलास का विषय बना हुआ है।

शब्दार्थ : प्रान्तपति—राज्यपाल, मार्गशीर्ष माह— अगहन माह, जर्जर—कमजोर, तलहटी—निचला भाग

ज्यों-ज्यों मनुष्य विकास करता रहा, विकास के साथ ही उसने स्वयं अपने लिए वं उन्नति कृषि के लिए जल के प्राकृतिक स्रोत वर्षा के अतिरिक्त कृत्रिम स्रोतों, नदियों, जलाशयों, कुँओं, नहरों, झीलों आदि का अधिक से अधिक उपयोग करने लगा। प्राचीन भारत में जल प्रबन्धन अतीत कालीन कुशल अभियंत्रण की देन है। मनुष्य ने सिंचाई के नये-नये साधनों को अपनाकर रेगिस्तान को भी उपजाऊ कृषि क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया। साथ ही मानव बस्तियाँ बसाने में भी सहयोग किया। अतीतकालीन अवशेष इस बात के साक्षी हैं कि भारत में जल प्रबन्धन में अभियंत्रण एवं तकनीकी योग्यता कभी अपनी चरम सीमा पर थी। वेदों में भी नहर, जलाशय एवं कुँओं आदि का वर्णन मिलता है। भारत की प्राचीन हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ों से प्राप्त विशाल जलाशय हमारे अतीत कालीन जल प्रबन्धन का उत्कृष्ट उदाहरण हैं।

इतिहास के प्रत्येक काल—खण्ड में लोककल्याणकारी कार्य करने वाले एवं प्रजा के सुख में सुखी एवं दुःख में दुःखी होने वाले चक्रवर्ती सम्राट हुए।

प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्।

नात्मप्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम्।।¹

भारतीय सम्राटों द्वारा जल प्रबन्धन का एक उत्कृष्ट उदाहरण गिरनार पर्वत (आधुनिक गुजरात प्रान्त के जूनागढ़ जिला) पर सुदर्शन झील का निर्माण है।² सुदर्शन झील का महत्त्व इस उल्लेख से और भी बढ़ जाता है कि स्कन्दगुप्त के जूनागढ़ लेख के प्रथम भाग को सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार का रचना ग्रन्थ कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि—

मौर्यस्य राज्ञः चन्द्रगुप्तस्य राष्ट्रियेण (वैश्येन पुष्यगुप्तेन कारितं अशोकस्य मौर्यस्य (कृ) ते यवनराजेन तुष (९) स्फेनाधिष्ठाय प्रणालीभिरलं कृतं

सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य के सुराष्ट्र प्रान्त के प्रान्तपति पुष्यगुप्त वैश्य ने काठियावाड़ क्षेत्र में कृषि की सिंचाई के लिए निर्मित कराया था। अशोक के शासन काल में यहाँ के प्रान्तपति यवन राज्य तुषास्फ ने इस झील से सिंचाई के लिए नहरें व नालियाँ निकलवा कर इसे और अधिक उपयोगी बना दिया। झील के निर्माण से यह भली-भाँति ज्ञात हो जाता है कि मौर्य शासकों ने अपनी राजधानी से दूर स्थित प्रान्तों में भी उचित जल प्रबन्धन पर ध्यान दिया जिसका प्रतिफल सुदर्शन झील है।

तत्कालीन अभिलेखीय व साहित्यिक स्रोतों में झील के निर्माण का कोई उल्लेख नहीं मिलता। झील के निर्माण का सर्वप्रथम उल्लेख शक क्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख (650 ई०) में प्राप्त होता है। अभिलेख से ज्ञात होता है कि—

सिद्धं (१) तड़ाकं सुदर्शनं गिरिनगराद (पि) कृ-मृ (ति) कोपलविस्ताररायामोच्छय-निःसन्धि-बद्ध-दृढ-सर्व्व-पालीकत्वात्पर्व्वत-पा-द-प्रतिस्पर्दिध-सुशिल (ष्ट)-(बन्ध)-(व)जातेना-त्रिमेण सेतुबन्धे-नोपपन्न सुप्रति-विहित प्रनाली-परीवाह-मीढविधानं च त्रिस्क (न्ध)-नादिभिरनुग्र (है) महत्युपचये वर्ततते (१) तदिदं राज्ञो महाक्षत्रपस्य सुगृही-

सुदर्शन झील गिरिनगर के समीप मिट्टी और पाषाण खण्डों से बनी लम्बाई, चौड़ाई और ऊँचाई में बिना जोड़ के बंधी मजबूत बन्ध पंक्तियों के कारण दृढ़ता में पर्वत के समीपवर्ती छोटी पहाड़ियों के साथ स्पर्धा करने वाली ठोसप्राकृतिक विशाल बाँध से युक्त, समुचित रूप से बने जल निकालने की नालियों, बड़े जल को निकालने वाले नालों और गन्दगी से बचने के उपायों से युक्त तीन भागों में विभक्त और सुरक्षा की समुचित व्यवस्था से सम्पन्न सुदर्शन नामक यह झील इस समय तक अच्छी अवस्था में रही होगी।

अभिलेख की आगे की पंक्तियों से ज्ञात होता है कि—

मार्गशीर्षदृबहुल प्र (ति) (पदि) - सृष्टवृष्टिना पर्जजन्येनए कार्णवभूतायामिव पृथिव्यां कृतायां गिरेरुर्जयतः सुवर्णसिकता-पलाशिनी-प्रभृतीनां नदीनां अतिमात्रोवृत्तैर्वैर्गेः सेतुं (यमा) णानुरूप-प्रतिकारमपि गिरि-शिखर-तरु तटाट्टालकोपत (ल्प)-द्वार शरणोच्छ्रय-विध्वंसिना युगनिधन-सदृश-परम-घोर-वेगेन वायुना प्रमथि (त) सलिल-विक्षिप्त-जर्जरीकृताव (दी-र्ण)- (क्षि) प्ताश्म-वृक्ष-गुल्म-लताप्रतानं आ नदी-(त) लादित्यु-द्घाटितमासीत् (१) चत्वारि हस्त-शतानि वीशदुत्तराण्यातेनए तावंत्येव (वि) स्ती (र्ण) न पंचसप्तति हस्तानवगाढेन भेदेन निस्स्रुत-सर्व्व-तोयं मरु-धन्व-कल्पमति-भृशं-दु (र्द)

मार्गशीर्ष माह (अगहन) के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को घनघोर वर्षा हुई जिससे सम्पूर्ण पृथ्वी समुद्र की भाँति दिखलाई पड़ने लगी, परिणामस्वरूप उर्जयत नामक पर्वत से निकलने वाली सुवर्णसिकता (सोन रेखा) और पलाशिनी आदि नदियों के वेग और पर्वत की चोटियों, वृक्षों, तटों, अटारियों, मकानों के ऊपरी तलों, दरवाजों और सुरक्षा के लिए बनाये गये ऊँचे स्थानों को नष्ट कर देने वाले तेज हवा से विडोहित जल के विक्षेप से यथोचित उपाय किये जाने पर भी

जर्जर होकर पत्थरों, वृक्षों, झाड़ियों और लताओं के फेंके जाने से क्षुब्ध सुदर्शनझील की तलहटी उखड़ गई, जिसमें 420 हाथ लम्बा, 420 हाथ चौड़ा और 74 हाथ गहरा दरार पड़ जाने से झील का सम्पूर्ण पानी निकल जाने के फलस्वरूप झील रेगिस्तान के समान दिखलाई देने लगी। जिसे रुद्रदामन ने अपनी प्रजा पर बिना किसी अतिरिक्त कर, बेगार व भेंट आदि की पीड़ा दिये बिना ही निर्मित कराया।⁷ जूनागढ़ अभिलेख की आगे की पंक्तियों से ज्ञात होता है कि—

प्रणयक्रियाभिः पौरदृजानपदं जनं स्वस्मात्कोशा महता धनौघेन—अनति—महता च कालेन त्रिगुण—दृढतर—विस्तारायामं सेतुं विधा (य) सर्वत (टे)—सुदर्शनतरं कारितमिति (i) (अस्मि) न्न्र्थ— (च) महाक्षत्रपस्य मतिसचिव—कर्मसचिवैरमात्य—गुण—समुद्युतैरप्यति—महत्त्वाद्भेदस्यानुत्साह—विमुख—मतिभिः प्रत्याख्यातारम्भ पुनः सेतुबन्ध—नैराश्यादहाहाभूतासु प्रजासु इहाधिष्ठाने पौरजानपद—जनानुग्रहार्थं पार्थिवेन कृत्स्न्नामानर्त—सुराष्ट्रानां पालनार्थन्नियुक्तेन पहल्वेन कुलैप—पुत्रेणामात्येन सुविशाखेन यथावदर्थ धर्म व्यवहार—दर्शनैरनुरागमभिवर्द्धयता शक्तेन दान्तेनाचपलेनाविस्मितेनार्येणा—हार्येण स्वधिष्ठिता धर्म—कीर्ति—यशांसि भर्तुरभिवर्द्धयतानुष्ठितमिति (i)

रुद्रदामन ने अपने राजकोष से अत्यधिक धन व्यय कर अल्पअवधि में ही पहले से तीन गुना लम्बा चौड़ा तथा मजबूत बाँध को बँधवाकर सुदर्शन झील को और अधिक सुन्दर बनवाया। यहाँ उल्लेखनीय है कि झील के दरारों की विकरालता को देखकर परामर्श देने वाले अमात्यों व कार्य सम्पन्न करने वाले सचिवों में अनुत्साह व्याप्त था और झील के मरम्मत के वे विरुद्ध थे। ऐसे समय में अपने प्रजा के हित को ध्यान में रखकर रुद्रदामन ने सम्पूर्ण आनर्त और सुराष्ट्र देश—प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त पहलव, कुलैपदपुत्र अमात्य सुविशाख ने जो धर्म, अर्थ और व्यवहार के समुचित निरीक्षण से प्रजा के अनुराग को बढ़ाने वाले, शक्तिशाली, संयमी, स्थिर, निराभिमानी, आर्योचित गुणों से सम्पन्न और अपने कर्तव्य से कभी न डिगने वाले थे, सफल शासक के रूप में अपने स्वामी के धर्म, कीर्ति और यश को बढ़ाने के लिए इस कार्य को पूरा किया।⁸

गुप्त सम्राटों ने लगभग 275 ई० से 550 ई० तक शासन किया तथा अनेक लोककल्याणकारी कार्य किये। इसी में एक महत्त्वपूर्ण कार्य स्कन्दगुप्त द्वारा सुराष्ट्र प्रदेश के प्रान्तपति पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित द्वारा सुदर्शन झील के बाँध के टूट जाने पर जनता के कल्याण के लिए इसे पुनः निर्मित कराया।⁹ स्कन्दगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में श्लोक संख्या 26 से 39 तक झील के पुनः निर्माण का उल्लेख इस प्रकार मिलता है—

अथा क्रमेणाम्बुद—काल आग (ते) (नि) दाघ कालं प्रविदार्य तोयदैः

ववर्ष तोयं बहु संततं चिरं सुदर्शनं येन बिभेद चात्वरत् ।।26

संवत्सराणामधिके शते तु त्रिंशदिभरन्धैरपि षड्भिरेव

रात्रौ दिने प्रौष्ठपदस्य षष्ठे गुप्त—प्रकाले गणनां विधाय (i)।27

इमाश्च या रैवतकाद्विनिर्गताः पलाशिनीयं सिकता—विलासनी

समुद्र—कान्ताः चिर—बन्धनोषिताः पुनः पति शास्त्र—यथोचितं ययुः । (/)28

अवेक्ष्य वर्षागमजं महोदभ्रमं महादधेरुज्जयता प्रियप्सुना ।

अनेक-तीरान्तज-पुष्प-शोभितो नदीमयो हस्त इव प्रसारितः । (i)29
विषाद्य (मानाः) (खलु) (सर्वतो) (ज) नाः कथं-कथं कार्यमिति प्रवादिनः ।
मिथो हि पूर्वापर-रात्रमुत्थिता विचिन्तयां चापि बभूवुरुत्सुकाः (i)30
अपीह लोके सकले सुदर्शनं पुमां हि दुर्दर्शनतां गतं क्षणात् ।
भवेन्नु सो (S) म्भोनिधि तुल्य दर्शनं सुदर्शन(i) 31
.....वणे स भूत्वा पितुः परां भक्तिमपि प्रदर्शय ।
धर्म पुरो-धाय शुभानुबन्धं राज्ञो हितार्थं नगरस्य चोव ।।32
संवत्सराणामधिके शते ते । त्रिंशदिभरन्यैरपि सप्तभिश्च
(गुप्त-प्रकाले) (नय)-शास्त्र-वेत्ता (विश्वे) (S) प्यनुज्ञात-महाप्रभावः ।।33
आज्य-प्रणामैः विबुधानथेष्ट्वां धनैर्द्धिजातीमपि तर्पयित्वा
पौरौस्तथामर्च्य यथार्हमानैः भृत्यांश्च पूज्यान्सुहृदश्च दानैः ।।34
ग्रैष्मस्य मासस्य तु पूर्व-प (क्षे) ----- (प्र) थमे (S) हिन्सम्प्यक् ।
मास-द्वयेनादरवान्स भूत्वा धनस्य कृत्वा व्ययमप्रमेयम् ।।35
आयायतो हस्त-शंत समग्रं विस्तारतः षष्टिरथापि चाष्टौ ।
उत्सेधतो (S) न्यत् पुरुषाणि (सप्त?) ----- (ह) स्त-शत-द्वयस्य ।।36
बबन्ध यत्रान्महता नृदेवा न (भयर्च्य ?) सभ्यग्घटितोपलेन
अ-जाति-दृष्टम्प्रथितः तटाकं सुदर्शनं शाश्वत-कल्प-कालम् ।। 37
अपि च सुदृढ-सेतु-प्रान्त
(?)—विन्यस्त-शोभ-स्थचरणसमाहव-क्रौचहंसास-धूतम ।
विमल-सलिल-----भुवित ----- द (S) कः शशी च ।।38
नगरमपि च भूयाद्वृद्धिमत्पौर-जुष्टं द्विजबहुशतगीत-ब्रह्म-निनष्ट-पापं
शतमपि च समानामीति-दुर्भिक्ष-(मुक्त) ----- ।।39

कालचक्र के क्रम में ग्रीष्म ऋतु को समाप्त कर वर्षा ऋतु के आने पर लम्बे समय तक भारी वर्षा होती रही। परिणामस्वरूप सुदर्शन झील का बाँध टूट गया। गुप्त संवत् की गणनानुसार 136वें सम्वत्सर के भाद्र पक्ष की षष्ठी तिथि को रात में घटित हुई। रैवतक पर्वत से निकलने वाली सिकताविलासिनी, पलासिनी तथा अन्य लम्बे समय तक बाँधरूपी बंधन में बँधे रहने के बाद पुनः शास्त्रोचित विधि से अपने पति समुद्र के पास पहुँची। अत्यधिक वर्षा के कारणमहोदधि की प्रिया पलासिनी नदी की तीव्रता देखकर उर्जयत पर्वत भी तटवर्ती वृक्षां वं पुष्प लताओं से पूरित नदीरूपी अपने हाथों से समुद्र को सहारा देने लगा। जलप्लावन से सभी लोग दुःखी होने लगे और यह सोचने लगे कि अब क्या होगा? किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि एक क्षण में सुदर्शन झील टूटकर दुर्दर्शन हो जायेगी और समुद्र के समान दिखलाई पड़ने लगेगी। राजा और नगरवासियों के कल्याण के निमित्त अपने पिता पर्णदत्त के प्रति पूर्ण निष्ठा प्रदर्शित करते हुए शुभ फल देने वाले धर्म और नीति के मर्मज्ञ चक्रपालित ने गुप्त सम्वत् के 137वें वर्ष में घृतए वं स्तुतियों के द्वारा देवताओं को आहुति प्रदान कर, प्रणति (बलि) समर्पण कर, धन से ब्राह्मणों को संतुष्ट कर, पुरवासियों को यथोचित सम्मान देकर, असीमित धन व्यय कर दो माह के घोर प्रयास से ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा के दिन सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया। झील में पड़ी दरार को बन्द करके वं पुनर्निर्माण के फलस्वरूप अब वह 100 हाथ लम्बा, 68 हाथ

चौड़ा, 7 पुरुष के बराबर ऊँची और 200 हाथ गहरी बन गई। चक्रपालित ने मनुष्यों और देवों की अर्चना करके अच्छी प्रकार से गढ़े गये पथरों से स्वभावतः निर्दिष्ट और विश्वविख्यात सुदर्शन झील को हमेशा के लिए स्थायी बना दिया। तदन्तर सुदृढ़ बाँध सीढ़ियों के कारण सुन्दर किनारों वाली तथा चक्रवाक क्रॉच और हंसों के पंखों से कम्पित निर्मल जलवाली सुदर्शन झील इस पृथ्वी पर तब तक स्थायित्व प्राप्त करे जब तक आकाश में सूर्य और चन्द्रमा। नगर समृद्धवान हो, निवासियों से पूर्ण हो, शताधिक ब्राह्मणों द्वारा उच्चारित प्रार्थना द्वारा नष्ट पाप वाला और इसी भाँति सौ वर्षों तक अकाल ए वं वर्षाभाव आदि से मुक्त रहें।¹⁰

सुदर्शन झील अत्यन्त प्राचीन थी। यह चन्द्रगुप्त मौर्य के शासन काल से लेकर शताब्दियों तक अपने सौन्दर्य के साथ गुप्त काल तक अवस्थित रही। राज्य प्रशासन द्वारा कृषि के विकास के लिए सिंचाई के कृत्रिम साधन का प्रबन्धन करने का यह एक उत्कृष्ट दृष्टान्त है। इस झील से नहरें वं नालियाँ निकालकर सिंचाई के अतिरिक्त मानव व पशुओं के लिए समुचित जल का प्रबन्धन किया गया था।

सुदर्शन झील की खोज सर्वप्रथम भगवान लाल इन्द्रजी¹¹ ने 1878 ई० में किया था। उनका मानना था कि झील गिरनार पर्वत के पूर्व में भवनाथून मकुन (दर्रा) में था। ए० जमशेद जी¹² ने इस सम्बंध में एक निबन्ध प्रकाशित किया। शम्भू प्रसाद देसाई¹³ ने "सौराष्ट्र के इतिहास" में यह अनुमान व्यक्त किया है कि यह झील त्रिपुरसुन्दरी देवी के मन्दिर और त्रिवेणी संगम के बीच, जहाँ पलासिनी और सोनरेखा नदियाँ मिलती है, स्थित था। आर० ए० न० मेहता¹⁴ ने इस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जिसमें उन्होंने त्रिवेणी संगम से लगभग 200 मी० आगे बढ़ने पर नदी के दाहिनी किनारे पर मिट्टी के बाँध के अवशेष मिले जो जोगानियों पर्वत को जोड़ते हैं, इसी प्रकार बाँधे किनारे पर आगे 10 मी० ऊँचे बाँध के अवशेष मिले जो तल में 100 मी० और सिरे पर 11 मी० चौड़े हैं। यह बाँध उत्तर दक्षिण जाकर पूर्व की ओर मुड़ता है और दाहिनी तट वाले बाँध के सीध में हैं। इस आधार पर उनका अनुमान है कि स्कन्दगुप्त के काल में इस बाँध को बनवाया गया होगा। इसके पानी का निकास अभिलेख के पास ही है जो पानी के स्तर के ऊपर अंकित किया गया था। मेहता का यह भी अनुमान है कि सुदर्शन झील ओझट नदी की शाखाओं के ऊपर बनाई गई है। सम्भव है कि यह ओझट, उर्जयत है जिनका उल्लेख पर्वत के रूप में हुआ है। यह नदी कदाचित उर्जयत पर्वत से निकलती रही होगी।¹⁵

वस्तुतः इस झील पर मिले रुद्रदामन ए वं स्कन्दगुप्त के अभिलेखों से बृहद् जलाशय का 800 वर्ष पुराना महत्त्वपूर्ण इतिहास ज्ञात होता है किन्तु इसके बाद इस झील का उल्लेख नहीं मिलता। गुप्त काल के बाद इस ऐतिहासिक झील का क्या हुआ? क्या इसका बाँध पुनः टूट गया और झील नष्ट हो गई? क्या इसके

यहाँ आपके द्वारा साझा किए गए अंतिम पृष्ठ (पउंहमः 167470.रचह) का लिखित पाठ दिया गया है। बाद गुप्तों के बाद किसी शासक ने इसकी मरम्मत नहीं कराई? यह अभी भी मौलिक खोज का विषय बना हुआ है।

सन्दर्भ

1. गैरोला वाचस्पति, 2009: *कौटिल्यीय अर्थशास्त्रम्*, वाराणसी, 1 / 14 / 18 / 3, पृ० 64 ।
2. माथुर, विजेन्द्र कुमार, 1990: *ऐतिहासिक स्थानामानलि*, जयपुर, पृ० 185; *आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ वेस्टर्न इण्डिया*, भाग 2, पृ० 128 ।
3. उपाध्याय, वासुदेव, 1970: *प्राचीन भारतीय अभिलेखों का अध्ययन*, पटना, पृ० 330 ।
4. सरकार, डी० सी०, 1942: *सेलेक्टेड इन्सक्रिप्शन्स बियरिंग आन इण्डियन हिस्ट्रीए एंड सीविलाइजेशन*, भाग 1, कलकत्ता, पृ० 171; गुप्ता, परमेश्वरी लाल, 2011: *प्राचीन भारत के प्रमुख अभिलेख*, भाग 1, वाराणसी, पृ० 199 ।
5. गोयल, श्रीराम, 1982: *प्राचीन भारतीय अभिलेख संग्रह*, भाग 1, जयपुर, पृ० 321–345; उपाध्याय, वासुदेव, *पूर्वोद्धृत*, पृ० 300–302 ।
6. गुप्ता, परमेश्वरी लाल, *पूर्वोद्धृत*, पृ० 198 पंक्ति 1–3; गोयल, श्रीराम, *पूर्वोद्धृत*, पृ० 322दृ326 ।
7. गुप्ता, परमेश्वरी लाल, *पूर्वोद्धृत*, पृ० 198–199, पंक्ति 5–8; गोयल, श्रीराम, *पूर्वोद्धृत*, पृ० 327 ।
8. गुप्ता, परमेश्वरी लाल, *पूर्वोद्धृत*, पृ० 200 पंक्ति 16–20; वाजपेयी, के० डी०, 1992: *ऐतिहासिक भारतीय अभिलेख*, जयपुर, पृ० 140–141 ।
9. सहाय, शिव स्वरूप, 2000: *भारतीय पुरालेखों का अध्ययन*, दिल्ली, पृ० 316, श्लोक संख्या 13–15 ।
10. वाजपेयी, के० डी०, *पूर्वोद्धृत*, पृ० 176–177, गुप्ता, परमेश्वरी लाल, *पूर्वोद्धृत*, भाग 2, पृ० 142–143; गोयल, श्रीराम, 1984: *गुप्तकालीन अभिलेख*, मेरठ, पृ० 241–243; मिश्रा, गिरजाशंकर प्रसाद (अनु०) 1974: *प्रारम्भिक गुप्त शासकों के अभिलेख*, भाग 3, जयपुर, पृ० 78–79 ।
11. *एपिग्राफिआ इण्डिका*, भाग 3, पृ० 257 ।
12. *जर्नल ऑफ दि बाम्बे ब्रान्च ऑफ दि रायल ए शियाटिक सोसाईटी*, भाग 18, पृ० 47 ।
13. देसाई, शम्भू प्रसाद, *सौराष्ट्रनों इतिहास*, पृ० 15 ।
14. *जर्नल ओरियन्टल इन्स्टीट्यूट*, भाग 18, पृ० 20–28 ।
15. गुप्ता, परमेश्वरी लाल, *पूर्वोद्धृत*, भाग 2, पृ० 144 ।

किसान आंदोलन 1932 (भरवारी) के स्वतंत्रता सेनानी

डॉ० संजय कुमार

असिस्टेंट प्रोफेसर, उर्दू विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज, उ०प्र०

सारांशिका

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 1930 ई० के आसपास का जमाना बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इस जमाने के तमाम आन्दोलनों में लगानमाफी के लिए चलाए गए किसान आन्दोलन अपनाए क महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसकी अधिकतर आबादी कृषि पर निर्भर रहती है और उस समय खेती बाड़ी का काम बहुत कठिनाईयों से भरा होता था। किसान अनाज बहुत मुश्किल से पैदा कर पाते थे। वह हमेशा साहूकार, महाजनों सेढो और पूँजीपतियों के कर्जदार रहते थे, ऊपर से उन्हें लगान भी भरना होता था। लगान अदान करने पर जमींदार किसानों को तरह-तरह से प्रताड़ित करते थे जिस का अन्दाजा इस लेख से किया जा सकता है। भरवारी किसान आन्दोलन में कुल 27 लोग गये थे। ये किसान अथवा स्वतंत्रता सेनानी ब्रिटिश सरकार से किसी तरह समझौते को तैयार नहीं थे बल्कि जेल जाना इन्हें पसन्द था। इस लेख के माध्यम से उस दौर के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्थिति को समझा जा सकता है। इस आन्दोलन को दृष्टि में रखते हुए मुंशी प्रेम चन्द और दूसरे साहित्यकारों की कृतियों को आसानी से समझा जा सकता है। गोदान, पूस की रात, कर्मभूमि इत्यादि इसी आन्दोलन के परिणाम हैं। काजी अन्दुलसत्तार की कहानी "पीतल का घण्टा" इसी आन्दोलन की प्रतिनिधि है।

भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। कृषि उनकी आय का मुख्य स्रोत है और इसी से उनका जीवन-यापन होता है। कृषि सिर्फ यहाँ की आबादी की ही आय का मुख्य स्रोत नहीं है, बल्कि भारत की पूर्व हुकूमतों (मुगल एवं ब्रिटिश) की भी आय का मुख्य स्रोत रही है। मुगल एवं ब्रिटिश हुकूमतों से भी पहले भारत में राजाओं एवं महाराजाओं का शासन था। इनका शासन विस्तार जहां तक होता था वहाँ तक की भूमि को वे अपनी निजी संपत्ति समझते थे। उस भूमि-संपत्ति पर जो भी व्यक्ति खेती-बारी का कार्य करता था उसके बदले में वे उनसे विभिन्न प्रकार के कर वसूलते थे। इन शासकों की कर-प्रणाली एवं उनके वसूल करने के माध्यम इतने कठोर एवं अन्यायपूर्ण होते थे कि वे किसानों को अक्सर दयनीय अवस्था में पहुँचा देते थे।

1857 में ब्रिटिश हुकूमत ने अपने कयाम के बाद भूमिकर-प्रणाली को जारी रखा। उन्होंने अपनी आय को बढ़ाने के लिए भूमिकर (लगान) के द्वारा किसानों का शोषण करना शुरू कर दिया। बिपिन चन्द्र (एवं उनके सहयोगी लेखक) अपनी किताब भारत का स्वतंत्रता संघर्ष में लिखते हैं:—

“अंग्रेजों के उपनिवेशवादी शोषण का कहर भारतीय किसानों पर ही सबसे ज्यादा बरपा। औपनिवेशिक आर्थिक नीतियाँ, भू-राजस्व कि नई प्रणाली और उपनिवेशवादी प्रशासनिक व न्यायिक व्यवस्था ने किसानों कि कमर तोड़ दी।” (1) (पृष्ठ संख्या 19)

आगे विस्तार में जाने से पहले भारतीय किसानों के सामाजिक एवं आर्थिक हालात एवं खेती के तौर-तरीकों का वर्णन करना उचित होगा।

जो लोग किसान की जिन्दगी और खेती से वाकिफ नहीं हैं उन्हें शायद ही मालूम हो कि किसान की जिन्दगी क्या है? वे किस तरह जीवन-यापन करते हैं? और अनाज कितनी मुसीबतों से पैदा करते हैं? आज के दौर में जिस तरह खेती से संबन्धित नये-नये आविष्कार हो गए हैं, खाद, पानी, जुताई, गुड़ाई, निराई एवं भण्डारण की सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं, पुराने समय में ऐसा नहीं था। उस समय अनाज का उत्पादन करना बहुत कठिन कार्य था। एक तरफ कृषि से संबंधित सुविधाओं का अभाव था तो दूसरी तरफ प्राकृतिक प्रकोप कीट-पतंग, सूखा, ओलावृष्टि, बाढ़, बे मौसम बरसात फसलों को नष्ट कर देते थे। अच्छी फसल न होने के कारण अथवा उत्पादन ज्यादा न होने से किसान की बुनयादी आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती थीं। वह सदैव गरीबी में जीता था एवं गरीबी में हीमर जाता था। बनिए, महाजन, सेठ, साहूकार से लिए गए बाप-दादा का कर्ज उनके बच्चे व पोते अदा करते थे (वह भी अदा नहीं कर पाते थे)। वह कर्ज में पैदा होते थे और कर्ज में ही मर जाते थे। इतनी मुसीबतों के बाद ऊपर से उन्हें लगान भी अदा करना पड़ता था। डॉ० अशोक कुमार सिंह अपनी किताब *Peasants Revolt and Agrarian Reforms* में लिखते हैं:-

“Economically, the peasantry, burdened with a growing family and no other source of additional income except from the fields, was mostly depended upon the vagaries of nature. If the rain failed, he was forced to go into the debt of the village bania, or the landlord himself and both charged from $\frac{1}{4}$ to $\frac{1}{2}$ of the amount of the grain lent to him. In case the produce was again lean, the original amount went on increasing at the rate of compound interest. There was no hope of redemption from such debts and in many cases he lost even the small bit of land he owned.” [2] P.No. 36

किसान की आमदनी का एक मात्र स्रोत अनाज का उत्पादन था लेकिन उसके खर्च अनेक थे। उसीए क अनाज से वह लगान भी देता था, बच्चों की शादी-ब्याह भी करता था, साहूकार और महाजन का उधार भी अदा करता था और बीमार होने पर इलाज भी अनाज बेचकर ही कराता था। इसके अतिरिक्त वह गृहस्थीए व खेती से सम्बन्धित दूसरे खर्च भी अनाज से ही पूरा करता था। इन खर्चों में लगान सबसे ज्यादा तकलीफदेह था। लगान सिर्फ लगान ही नहीं था बल्कि उसके जरिए जमींदार, ताल्लुकेदार एवं उनके कारिन्दे उनका तरह-तरह से शोषण करते थे। लगान अदा न करने पर किसानों को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। (3) पंडित जवाहर लाल नेहरू ने अपनी आत्म कथा ‘मेरी कहानी’ में किसानों की समस्याओं को बहुत विस्तार से लिखा है। राजनीति के अपने प्रारम्भिक दिनों में उन्होंने प्रतापगढ़ जिले में जाकर

किसानों को बहुत करीब से देखा। उन पर होने वाले अत्याचार व शोषण को समझा। किसानों पर लगाए गए अनावश्यक करों के बारे में वह लिखते हैं:-

“ताल्लुकदार जिस तरह खास-खास मौकों पर जैसे अपने कुटुम्ब में किसी की शादी हो तो, लड़के विलायत पढ़ने गए हो तो, गवर्नर या दूसरे बड़े अफसर को पार्टी दी गई हो तो, एक मोटर या हाथी खरीदा गया हो तो—उनके खर्चे का रुपया वसूल करते थे, यह कितनी दुष्टता थी। यहाँ तक कि इन लोगों के मोटरोना (मोटर-टैक्स), हथियोना (हाथी के खरीदने का खर्च) वगैरह नाम पड़ गए थे।” (4) (मेरी कहानी, पृ०सं० 67)

किसानों के शोषण के बारे में पंडित नेहरू लिखते हैं:-

“मैंने उनके (किसानों के) दुख की सैकड़ों कहानियाँ सुनीं। कैसे लगान का बोझ दिन-दिन बढ़ता जा रहा है, जिससे वे कुचले जा रहे हैं। किस तरह खिलाफे कानून लगान लगाए जाते हैं और जोरो-जुल्म से वसूली की जाती है, जमीन और कच्चे झोंपड़ों से किस तरह उन्हें बेदखल किया जाता है, कैसे उन पर मार पड़ती है, कैसे चारों तरफ जमींदारों के जेण्ट, साहूकारों और पुलिस के गिद्धों से घिरे रहते हैं, किस तरह कड़ी धूप में मशक्कत करते हैं और अंत में यह देखते हैं कि उनकी सारी पैदावार उनकी नहीं है—दूसरे ही उठा ले जाते हैं और उसका बदला उन्हें मिलता है ठोकरो, गालियों और भूखे पेट से। जो लोग वहाँ आए थे उनमें से बहुतों की जमीन नहीं थी और जिन्हें जमींदारों ने बेदखल कर दिया था, उन्हें सहारे के लिए न अपनी जमीन थी न अपना झोंपड़ा। जों जमीन उपजाऊ थी मगर उस पर लगान आदि का बोझ बहुत भारी था। खेत छोटे-छोटे थे और एक एक खेत पाने के लिए कितने ही लोग मरते थे। उनकी इस तड़प से फायदा उठाकर जमींदारों ने, जो कि कानून के मुताबिक क हद से ज्यादा लगान नहीं बढ़ा सकते थे, कानून को ताक पर रख कर भारी-भारी नजराना वगैरह बढ़ा दिए थे। बेचारे किसान कोई चारा न देख रुपया उधार लाते और नजराना वगैरह अदा करते और फिर जब कर्ज और लगान तक न दे पाते तो बेदखल कर दिए जाते, और उनका सब कुछ छिन जाता था।” (5) (मेरी कहानी, पृ०सं० 82)

अवध क्षेत्र में 1920 के आस-पास किसान आंदोलन शुरू हो गया था और किसान संगठित होने लगे थे। बाबा रामचन्द्र (जिसका असली नाम श्रीधरबलवन्त था) नामक एक व्यक्ति ने किसानों को संगठित किया, उनकी समस्याओं को बहुत करीब से देखा और उनके समाधान का रास्ता तलाश किया। बाबा रामचन्द्र के ही प्रयासों से किसानों में सामाजिक व आर्थिक सुधार की चेतना पैदा हुई। जिसकी वजह से किसानों ने जमींदारों, ताल्लुकदारों व उनके कारिन्दों द्वारा किए जाने वाले अत्याचार व शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए कमर कस ली थी।

देश में 1930 ई० में सविनय अवज्ञा आन्दोलन की शुरुआत होती है। इस आन्दोलन के मैनिफेस्टो में तमाम बातों के साथ-साथ ब्रिटिश सरकार को कर न देने की बात भी शामिल थी। सविनय अवज्ञा के द्वारा कर (लगान) बन्दी का आन्दोलन उत्तर प्रदेश में बहुत जोर-शोर से चलाया गया। किसानों व

जमींदारों से सरकार को लगान न देने की अपील की गयी। पंडित जवाहर लाल नेहरू लिखते हैं:-

“मुकामी तौर पर मैं इलाहाबाद जिला काँग्रेस कमिटी का भी मेम्बर था। इस कमिटी ने, अपने सदर पुरुषोत्तम दास टण्डन के नेतृत्व में, किसान समस्या की प्रगति में महत्वपूर्ण हिस्सा लिया था। 1930 में इस कमिटी ने ही प्रान्त में सबसे पहले कर बन्दी-आन्दोलन शुरू किया था।” (6) (मेरी कहानी, पृ०सं० 359)

बिपिन चन्द्र के अनुसार:-

“उ०प्र० में काँग्रेस, लगान की कमी करने, बकाया लगान को माफ करने और लगान न देने के कारण काश्टकारों को बेदखल करने से रोकने की माँग को लेकर छिड़े आन्दोलन का नेतृत्व कर रही थी। दिसम्बर के प्रथम सप्ताह के शुरू होते-न-होते काँग्रेस ने पाँच जिलों में ‘लगान नहीं तो राजस्व भी नहीं’ सिद्धांत पर आधारित आन्दोलन छेड़ दिया।” (7) (भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, पृ०सं० 225)

सविनय अवज्ञा आन्दोलन देश भर में जोर पकड़ता गया। देश के कई जगहों पर हिंसा हुई व जान-माल का भी नुकसान हुआ। ब्रिटिश सरकार ने इसके दमन के लिए पुलिस-बल का प्रयोग किया। आन्दोलन कारियों को न सिर्फ लाठी-डंडों से मारा गया, बल्कि उनको गोलियों का भी निशाना बनाया गया। परिणामस्वरूप सरकार और आन्दोलन कारियों को आपस में समझौता करना पड़ा, जिसे गांधी-इरविन समझौता कहा जाता है।

सविनय अवज्ञा आन्दोलन समाप्त होने के बाद भी उ०प्र० में कर व लगान बन्दी का आन्दोलन जारी रहा। इसका एक उदाहरण 14 सितम्बर 1932 का भरवारी जिला इलाहाबाद (अब कौशाम्बी) का किसान सम्मेलन है। इस सम्मेलन की विस्तृत रूदाद इस प्रकार है:-

14.09.1932 को भरवारी में प्रयाग जिला काँग्रेस कमेटी के मंत्री पं० रामचरण पाण्डेय (निवासी मुट्टीगंज इलाहाबाद) के सभापतित्व में “द्वितीय दोआबा किसान सम्मेलन” का आयोजन किया गया। जिसमें दोआबा के किसानों से बड़ी संख्या में भाग लेने की अपील की गयी। सम्मेलन के आयोजन की सूचना जन-जन तक पहुंचाने के लिए पर्चा छपवाकर वितरित किया गया। छपा हुआ पर्चा इस प्रकार था:-

“द्वितीय दोआबा किसान सम्मेलन
भरवारी में बुद्धवार ता० १४ सितम्बर के दिन
किसान भाई बड़ी तादाद में आवें।

द्वितीय दोआबा किसान सम्मेलन भरवारी में ता० १४ सितम्बर बुद्धवार के ४ बजे दिन को प्रयाग जिला काँग्रेस कमेटी के मंत्री श्री पं० रामचरण पाण्डेय जी के सभापतित्व में बड़ी धूमधाम से होगा। सम्मेलन में देश की वर्तमान स्थिति और किसान भाइयों के कर्तव्य पर विचार होगा। इसलिए दोआबा भर से अधिक से अधिक संख्या में किसान भाइयों को सम्मेलन में शामिल होकर देश की आजादी में हिस्सा लेना चाहिए।
तारा कुमार मित्र (बाबू जी), सभापति स्वागत कारिणी समिति

विश्वनाथ त्रिपाठी मंत्री केदारनाथ त्रिपाठी, सदानन्द दूबे
चायल तहसील काँग्रेस कमेटी भरवारी सर्किल काँग्रेस कमेटी
केदार नाथ वर्मा राजनारायण सिंह मँझनपुर तहसील काँग्रेस कमेटी
सिराथु तहसील काँग्रेस कमेटी”(8)

(क्षेत्रीय अभिलेखागार, सिविल लाइन्स, प्रयागराज, फाइल सं० 440)

उपरोक्त निमन्त्रण पत्र की तारीख के अनुसार किसान इकट्ठा होकर सभा स्थल की तरफ जुलूस निकालते हुए, लगान बन्दी का नारा लगाते हुए व इशतेहार बाँटते हुए, काँग्रेस का झण्डा लेकर जा रहे थे कि रास्ते में ही उन्हें ब्रिटिश सरकार के सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया और थाना को हे खेराज (कोखराज का पुराना नाम कोहे खेराज था)(9) ले जाकर उन सभी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराकर मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया और सबका बयान दर्ज कराया गया। ब्रिटिश कानून के अनुसार मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाते हुए सबको छः छः माह की कठोर कारावास की सजा सुनाई (एक मुल्जिम को मुचल के पर छोड़ दिया गया था)। इनमें से किसी को जिला जेल मलाका (निकट स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल) प्रयागराज, किसी को रायबरेली, किसी को गोरखपुर और किसी को फतेहगढ़(10) की जेल में भेजा गया।

क्षेत्रीय अभिलेखागार सिविल लाइन्स प्रयागराज में संरक्षित फाइल नं० 440 व 441 के अनुसार किसान सम्मेलन भरवारी से गिरफ्तार लोगों की कुल संख्या 27 है। फाइल नं० 440 में 17 और फाइल नं० 441 में 10 व्यक्ति हैं। इन 27 व्यक्तियों में से पहले 10 को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई और उन पर FIR दर्ज की। थाना कोहे खेराज में उस वक्त (1932 में) उर्दू लिपि एवं भाषा में FIR लिखी गई थी जिसे हम यहाँ नकल कर रहे हैं:-

"بیڈ محررتھانہ کوہ خراج

حسب ذیل ملزمان لگان بندی کا شور و اشتہار تقسیم کرتے ہوئے
بازار بھر واری میں آئے جو گرفتار ہو کر ذریعہ ملازمان گارد آمد صدرالہ
آباد روانہ کیے جاتے ہیں۔ لگان بندی کا لکچر مسمیان عبد المحیط و بشیر
چودھری و گلزار اور بازار کے بہت سے مجتمع لوگوں نے سنا۔ مقدمہ قائم
کر کے تکمیل کیجئے۔" [11]

(हिन्दी लिप्यन्तर्ण: हेडमोहरिरस्थाना कोहे खेराज

हस्बेजैल मुल्जिमान लगान बन्दी का शोर व इशतेहार तकसीम करते हुए बाजार भरवारी आए जो गिरफ्तार होकर जरिए मुल्जिमा ने गारद आम दसदर इलाहाबाद रवाना किए जाते हैं। लगान बन्दी का लेक्चर मुसम्मियान अब्दुलमोहीत व बशीर चौधरी व गुलजार और बाजार के बहुत से मोजतमा लोगों ने सुना। मुकद्दमा कायम कर के तक मील कीजिए)।

इस FIR के बाद सभी 10 व्यक्तियों (स्वतंत्रता सेनानियों) के नाम, वलदियत, जाति एवं पता उर्दू में ही लिखा गया है जो इस प्रकार है (यहाँ हिन्दी लिपि में लिखा जा रहा है):-

1. पुरुषोत्तम वल्द गरीब दास कौम ब्राह्मन साकिन गाँव सराय आकिल इलाहाबाद (उम्र 23 वर्ष)।

2. दुर्गा वल्द राम दयाल कौम लोध साकिनमझियावांथानाकोहे खेराज इलाहाबाद (उम्र 20 या 21 वर्ष)।
3. जगदेव सिंह वल्ददुर्गा सिंह कौमठाकुर साकिन मौजा व थाना रामपुरा जिला बांदा (उम्र 35 वर्ष)।
4. चन्द्रपाल वल्द उदय भान कौम ब्राह्मन साकिन मौजा शिवपुरा थाना खकेरु जिला फतेहपुर (उम्र 35 वर्ष)।
5. मसुरियादीन वल्द गंगा कौमकोरी साकिनचतुरीपुर सेयारह थाना सैनी जिला इलाहाबाद (उम्र 16 या 17 वर्ष)। (मसुरियादीन का वर्तमान पता ग्राम बरगदी पोस्ट भरवारी थाना कोखराज है)।
6. मुसम्मातजिताऊदुख्तररामदीन कौम कुर्मी साकिन डाही थाना कोतवाली इलाहाबाद (उम्र 40 वर्ष)।
7. मुसम्मात दुलिया दुख्तर रामजियावन कौमकुर्मी साकिनडाही थाना कोतवाली इलाहाबाद (उम्र 45 वर्ष)।
8. मुसम्मातबताशी दुख्तर रामप्रसाद कौम कुर्मी साकिनडाही थाना कोतवाली इलाहाबाद (उम्र 30 वर्ष)।
9. मुसम्मात रनियादुख्तर अधीन कौम कोरीसाकिनरसूलपुर थाना पूरा मुफ्ती इलाहाबाद (उम्र 30 वर्ष)।
10. मुसम्मात लक्ष्मनिया दुख्तर बल्दी कौम कुर्मी साकिनडाही थाना कोतवाली इलाहाबाद (उम्र 45 वर्ष)।

इन सभी की चार्जशीट उर्दू में लिखी गई है। C+PC (दण्ड प्रक्रिया संहिता) 1898 की धारा 364 के अनुसार मुल्जिमों का बयान (जो सवाल जवाब के रूप में है) मजिस्ट्रेट ने अंग्रेजी में लिखा है। उदाहरण के तौर पर यहाँ सिर्फ एक मुल्जिम (मसुरियादीन) का बयान हूबहू नकल किया जाता है:—

“Question:- Did you on 14-9-32 at 4.45 PM in village Bharwari assemble & distribute notice for non payment of rent & want to convene a Congress committee meeting which has been declared unlawful association & thus assist its operation?

Answer:- I am a Congress volunteer, Mantri Ramchandar (सहीनामरामचरण) asked me to distribute notices & convene Congress committee meeting. I plead guilty & shall always do so--- I don't want to defend.

R. Quadri 20-9-32” [12]

मसुरियादीन ने अपने बयान में कहा है कि मंत्री रामचरण ने मुझे नोटिस (पर्चा) बाँटने और कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में भाग लेने के लिए कहा है। (यह वही मंत्री हैं जिनका उल्लेख पर्चे में किया गया है)।

इसके बाद मजिस्ट्रेट (खान साहब मौलवी रहमान बख्श साहब बहादुर कादरी) का जजमेण्ट है। इसे भी यहाँ नकल किया जा रहा है:—

“Judgement On 14-9-32 there was to be a meeting of the Congress committee at Bharwari.

All these 10 accused persons—5 men & 5 women from Dahi went to Bharwari in a procession with Congress flags & badges distributed notices of non-payment of rent shouted slogans & thus assist the operation of the unlawful association. The accused persons admit to have joined the Congress committee meeting, work of them did so under instructions from their Mantri (Secretary).

They are all Congress volunteers & most of them are fed & supported the Congress & they all plead guilty & don't wish to defend.

I find all of them guilty u/s (under section) 17 (1) Indian Criminal Law Amendment Act XIV 1908.

I sentence each of the following 10 persons to RI (Rigorous imprisonment) for 6 months.

Purshotam, Durga, Jagdeo Singh, Chandrapal, Masuriyadin, Mst. Jeetau, Mst. Dulia, Mst. Batashi & Mst. Rania & Mst. Lachmaniya.

R. Quadri Magistrate 1st Class 20-9-32” [13]

इसी तरह फाइल नं० 440 में 17 लोगों का नाम मिलता है। इस फाइल में भी FIR, मजिस्ट्रेट के सामने मुल्जिमों के बयानात और जजमेन्ट मौजूद हैं। यहाँ FIR, मुल्जिमों के नाम, पता इत्यादि और जजमेन्ट को नक्ल (मुताबिक अस्ल) किया जाता है:—

"बिडू محرر तेहाने कोہ خراج

جو نوٹس منجانب کانگریس کمیٹی کسانوں کے متعلق ۱۲ / ستمبر ۳۲ء کو بازار بھرواری میں ہونے کے لیے مشتہر ٹھہری تھی۔ آج بازار بھرواری کی طرف حسب ذیل ملزمان جے کا نارا (نعرہ) لگائے ہوئے اور لوگوں کو ورغلاتے ہوئے اشنہار پھینکتے ہوئے میٹنگ کرنے کی غرض سے آ رہے تھے کہ متصل ریلوے پھاٹک روک کر گرفتار ہوئے۔ سب کا سرغنہ رام چرن پانڈے تھا جو مجمع کے آگے آگے لیڈ کر رہا تھا۔ اس واقعہ کو عبدالمحیط، بشیر، گلزار اور بہت سے بازاری اشخاص نے دیکھا و سنا ہے۔ ملزمان گرفتار شدہ ہو کر مع رپورٹ روانہ جیل کیے جاتے ہیں۔ مقدمہ دفعہ ۱۴ کرمنل لا امینٹمنٹ ایکٹ میں قائم کر کے مکمل رجسٹر ان متعلقہ کیجیے۔" [14]

(ہندی लिप्यंत्रण:— जो नोटिस मिन्जानिब काँग्रेस कमेटी किसानों के मुताल्लिक 14 सितम्बर सन् 32 ई० को बाजार भरवारी में होने के लिए मुश्तहिर ठहरी थी आज बाजार भरवारी की तरफ हस्बेजैल मुल्जिमान जय का नारा लगाते हुए और लोगों कोवरग लाते हुए इश्तेहार फेंकते हुए मीटिंग करने की गरज से आ रहे थे कि मुत्सिल रेलवे फाटक रोककर गिरफ्तार हुए। सब का सरगना रामचरन पाण्डे था जो मजमा के आगे आगे लीड कर रहा था। इस वाकया को अब्दुल मोहीत, बशीर, गुलजार और बहुत से बाजारी अशखास ने देखा व सुना है। मुल्जिमान गिरफ्तार शुदा होकर मय रिपोर्ट रवाना जेल किए जाते हैं। मुकद्दमा दफा 17 क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेन्ट एक्ट में कायम कर के तक मिला रजिस्ट्रान मुताल्लिका कीजिए।)

इस FIR में सम्मेलन के पर्चे, सभापति (मंत्री) के लिखित भाषण और इनके नाम का उल्लेख किया गया है। इसके बाद मुल्जिमों (स्वतंत्रता सेनानियों) के नाम, पता इत्यादि इस प्रकार दर्ज हैं:

(हिन्दी लिप्यन्तर्ण):—

1. रामचरन वल्द माता प्रसाद कौम ब्राह्मन साकिन मोहल्ला मुट्टीगंज थाना मुट्टीगंज इलाहाबाद (उम्र 25 वर्ष)।
2. बिशनाथ वल्द रामनाथ कौम ब्राह्मन त्रिपाठी मौजाजमुनीपुर कोटवा थाना सराय इनायत इलाहाबाद (उम्र 23 वर्ष)।
3. केदार नाथ वल्द गोकुल राम कौम क्षत्री (ठाकुर) साकिन मोहल्ला मुट्टी गंज थाना मुट्टीगंज इलाहाबाद (उम्र 25 वर्ष)।
4. केदारनाथ त्रिपाठी वल्द राम मनोहर साकिन मौजा कोटवा थाना सराय इनायत इलाहाबाद (उम्र 22 वर्ष)।
5. भोलानाथ वल्द बिहारी लाल कौम कायस्थसाकिन मौजा ककोड़ा थाना कोहे खेराज इलाहाबाद (उम्र 18 या 19 वर्ष)।
6. तारा कुमार मित्र वल्द परमतनाथ मित्र कौम क्षत्री साकिन मुहल्ला अतरसुइया थाना कोतवाली इलाहाबाद (उम्र 23 वर्ष)।
7. सदानन्द वल्द देवकी नन्दन कौम ब्राह्मन साकिन मौजा काजू थाना कोहे खेराज इलाहाबाद (उम्र 28 वर्ष)।
8. दूखी लाल वल्द सहदेव कौम कुर्मी साकिन मौजाडाही थाना कोतवाली इलाहाबाद (उम्र 17 वर्ष)।
9. चंद्रकेश उर्फ गिरधारीलाल वल्द रामबहादुर सिंह कौम ठाकुर साकिन मौजाकाजू थाना कोहे खेराज इलाहाबाद (उम्र 23 वर्ष)।
10. लक्ष्मी नरायन वल्द महावीर कौम ब्राह्मन साकिन मौजा कनैली थाना सराय इनायत इलाहाबाद (उम्र 15 वर्ष)।
11. ननकू वल्द सीता राम कौम कुर्मी साकिन मौजा डाही थाना कोतवाली इलाहाबाद (उम्र 30 वर्ष)।
12. शिवनरायन वल्द बिशेषर कौमब्राह्मन साकिन मौजा हिसामपुर पर सखी थाना कोहे खेराज इलाहाबाद (उम्र 30 वर्ष)।
13. भगवान दीन वल्द सुखदेव कौमतेलीसाकिन मुहल्ला कबीर का पूरा थाना कोतवाली फतेहपुर (उम्र 20 वर्ष)।
14. बच्चू वल्द आनन्द प्रसाद कौम ब्राह्मन साकिन मौजा बदनपुर थाना कोहे खेराज इलाहाबाद (उम्र 16 वर्ष)।
15. बाबूलाल वल्द महादेव कौम कुर्मी साकिन मौजा डाही थाना कोतवाली इलाहाबाद (उम्र 25 वर्ष)।
16. दादू वल्द महादेव कौम ब्राह्मन साकिन मौजा काजू थाना कोहे खेराज इलाहाबाद (उम्र 45 वर्ष)।
17. सुकरू वल्द सुत्तन कौमकोरी साकिन मौजा रसूलपुर थाना पूरामुफ्ती इलाहाबाद (उम्र 25 वर्ष)।

(उपर्युक्त नामों में केदारनाथ, सदानन्द, बिशनाथ, तारा कुमार मित्र और रामचरण वही नाम हैं जो पर्चे अर्थात निमन्त्रण पत्र में छपे हैं। ये सभी काँग्रेस कमेटी के पदाधिकारी हैं।)

मजिस्ट्रेट का जजमेण्ट इस प्रकार है:-

“Judgement

In this case 17 persons have been prosecuted u/s 17 (1) Criminal-Law Amendment Act XIV 1908. The charge against them is that on 14.09.1932 they all went in a procession towards Bharwari Bazar to join the meeting of the Congress committee there. They carried congress flags, shouted slogans & distributed notice for non-payment of rent.

The accused persons do not wish to defend & all of them admit to have gone there to join the meeting.

Accused: T.K. Mitra does not want to take part in the trial but he has nothing to say against the evidence for the prosecution Bachu accused denies having gone there for the meeting but apologies.

Some of them accused persons have admitted distributing notices & most of them plead, guilty. Some of them do not regard it as an offence. It is satisfactorily proved that all these 17 accused persons who are Congress volunteers went in a procession distributing notices for non-payment of rent in order to join the Congress committee meeting which has been declared an unlawful association. The case is clear & I convict all these 17 men for assisting the operation of an unlawful association u/s 17 (1) Indian Criminal Law Amendment Act XIV 1908.

The accused persons are sentenced as follows:-

T. K. Mitra, Shukru, Babu Lal, Bhagwandin, Sheo Narayan, Nanku, Lachmi Narayan, Dukhi Lal, Bhola Nath & Kedarnath to R.I. for six months each.

SadaNand, Dadu & Chandra Kesh to R.I. for six months a fine of Rs. 10/- in default to R.I. for six weeks.

Kedar Nath Verma, Ram Charan Pande & Bishnath school teacher to R. I. for six months and a fine Rs of 25/- in default to R.I. for six weeks. Bachu in view of his apology is ordered to released u/s 562 CrPC on his executing a bond for Rs 50/- & furnishing one seventy for Rs 100/- to be of good behaviour for one year & to receive sentence when called upon.

R. Quadri Magistrate 1st Class 20-9-32”[15]
द्वाबा किसान सम्मेलन भरवारी में मंत्री पं० रामचरण पांडेय को जो भाषण देना था उसे पहले से ही छपवाकर लोगों को बाँट दिया गया था। इस भाषण से उस समय के किसानों की दुर्दशा को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। उसे यहाँ नकल कर देना उचित होगा:-

“द्वतीय दोआबा किसान सम्मेलन सभापति का भाषण प्यारे किसान भाइयो!

आपको याद होगा कि पिछले साल दिसम्बर महीने में आप लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में भरवारी में इकट्ठा होकर दोआबा किसान सम्मेलन के समय गवर्नमेंट की चुनौती का बड़े ही उत्साह और शान्तिपूर्वक स्वागत किया था। उस समय हमारे जिला के मन्त्री श्रीशिव मूर्ति सिंह जी तथा दूसरे और कई भाई गिरफ्तार हुए थे। आजएँ से समय में जबकि हमारे देश में एक भीषण संग्राम छिड़ा हुआ है और हमे पग पग पर लाठियों और गोलियों का सामना करना पड़ रहा है, आप लोगों ने इस दूसरे सम्मेलन में इकट्ठा होकर अपने अपूर्व जोश का परिचय दिया है। आप ने मुझ जैसे एक छोटे स्वयं सेवक को इस पद के लिए चुना है जिसके लिए मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। इस समय आपके पथ-प्रदर्शन के लिए पूज्य पं० जवाहरलाल नेहरू तथा श्री पुरुषोत्तम दास जी टंडन की आवश्यकता थी। परन्तु ये पुरुष सिंह इस समय कठघरे के अंदर हैं। मैं आपके दिए हुए इस बड़े सम्मान के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ।

आज से नौ महीने पहिले सुलह के लिए जबकि प्रान्तीय सरकार से इस प्रान्त के खासकर इलाहाबाद जिले के किसानों की दुर्दशा पर लिखा पढ़ी हो रही थी, सरकार काले कानून (यू० पी० आरडीनेन्स) जारी करने की तैयारी में थी। इस काले कानून के निकलते ही आपने बड़े उत्साह और वीरता पूर्वक उसका सामना किया। विलायत से लौट कर गांधी जी ने आते ही वायसराय से देश की स्थिति पर विचार करने के लिए कई पत्र लिखे, परन्तु वायसराय साहब ने सब कोना मंजूर किया। वही नहीं, बल्कि उन्होंने महात्मा गांधी को भी ४ जनवरी १९३२ को गिरफ्तार कर लिया। बस उसी दिन से इस लड़ाई की घोषणा समस्त भारत वर्ष में करदी गई। तब से इस आठ महीने के अन्दर सैकड़ों देश भक्त अपना नाम अमर करके भारत माता की स्वतंत्रता की वेदी पर बलिदान हुए। लगभग एक लाख पच्चीस हजार वीर जेल में पहुँच चुके हैं और बहुतों का तो सब कुछ इस लड़ाई में स्वाहा हो चुका है।

भाइयो! आप लोगों ने इस लड़ाई में जितना भाग लिया है और ले रहे हैं, वह सब सराहनीय है और आपकी कुर्बानियों के लिए यह सम्मेलन आपकी प्रशंसा करती है। पहिले पहिल लगान रोकने पर आपमें से बहुतेरे भाइयों पर जमींदार और सरकारी नौकरों ने जो जो अत्याचार किए हैं, वह अकथनीय है। आपमें से जो छोटी जाति वाले समझे जाते हैं और जिन्होंने लगान नहीं दिया, वे ही बड़ी बेरहमी से हाथ पाँव बांधकर पीटे गये, पाँव फैलाकर धूप में खड़े किए गये, मुर्गा बनाये गये, उनके ऊपर गरम पानी छिड़कवाया गया यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों और बहु-बेटियों के शरीर पर से गहने जबरदस्ती उतरवा लिए गए और उनको पीटते-पीटते बेहोश तक कर दिया गया परन्तु तब भी उन वीरों ने लगान नहीं दिया। ऊँची जाति वालों के खेतबाग, जायदाद, गाय, बैल, भैंस तथा घर के छोटे से लेकर बड़े सभी सामान तक मामूली लगान के वज से कुर्क करके नीला मतक कर दिए गए, परन्तु आप लोग टस से मस न हुए। जब जमींदारों को अमानुषिक अत्याचारों से भील गान वसूली में कामयाबी होती न दिखलाई पड़ी तो बहुतों ने सरकार से गारद की मदद माँगी और तब लगान वसूल करना शुरू किया। इस प्रकार आप लोगों पर दोबारा आपत्ति आई-आप में से बहुतों के खेत बेदखल हो

गये और फसल कुर्वकर ली गई, परन्तु प्रायः गारद आने से पहिले लगान न देने वाले बहुत से किसान गाँव छोड़कर दूसरी जगह चले गये। चायल के कई गावों में ऐसा हुआ है। दोआबा के तीन तहसीलों के अलावा इस जिले की दूसरी छः तहसीलों में भी इस तरह की कठिनाइयों का मुकाबिलावीर किसानों ने बड़ी वीरता से किया है।

माताजी की लाज बचाने वाले वीरो! आओ! आज सब मिलकर अपनी माँ का बंधन छुड़ाओ। जिस तरह हिम्मत कर अब तक तुमने इस सरकार के हाथों तमाम मुसीबतें सही हैं, उसी तरह फिर दूनी हिम्मत और उत्साह के साथ आगे बढ़ो। काँग्रेस के कार्यक्रम को अच्छी तरह से पालन कर अपने देश को आजाद कराओ। इस विदेशी सरकार को लगान देना पाप समझो। विदेशी वस्त्र तथा विलायती चीजों का छूना और उसे अपने पास रखना महापातक समझो। रेल, तार और डाक का कम से कम प्रयोग करो जिससे सरकारी आमदनी घटे और तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास रहे। अपने गाँव में मिलकर ऐसी पंचायतें कायम करो, जो आपस के झगड़ों का फैसला कर दें तथा विदेशी वस्त्र का खरीदना और नशीली चीजों का इस्तेमाल करना बंद कर दें। भूलकर भी आप सरकारी कचहरियों के फेर में न पड़ें और जमकर अपनी सारी शक्ति लगान बन्दी और विदेशी वस्त्र के बहिष्कार में लगा दें। भारतवर्ष को स्वतंत्र होने में देर नहीं है। माँ के बंधन ढीले पड़ रहे हैं। धीरे धीरे टूटने की आवाज आ रही है। आपको सिर्फ संगठित मेहनत की जरूरत है। विजय आपके सामने लहलहा रही है। बस माता के सरताज अपने अपने हाथों से रख दीजिए और अपने को आजाद देखिए।” (16)

(क्षेत्रीय अभिलेखागार, सिविललाइन्स, प्रयागराज, फाइल संख्या 440 व 441)

उपर्युक्त सभी 27 व्यक्तियों (स्वतंत्रता सेनानियों) पर इण्डियन क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेंट ऐक्ट XIV, 1908 की धारा 17 (1) के तहत FIR दर्ज की गई थी। इस धारा में ब्रिटिश हुकूमत ने संगठन बनाने अथवा उसमें भाग लेने व सहयोग देने को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। इस ऐक्ट की धारा 17 (1) के अनुसार:

“Whoever is a member of an unlawful association, or takes part in meetings of any such association, or contributes or receives or solicits any contribution for the purpose of any such association, or in any way assists the operations of any such association, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine, or with both.” [17]

भरवारी किसान आन्दोलन की इस विस्तृतरूढ़ाद के बादहम कह सकते हैं कि किसानों की आर्थिक एवं सामाजिक दशा को बेहतर बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलनों में भाग लेने वाले ऐसे अन गिनत स्वतंत्रता सेनानी विद्यमान हैं जिन्होंने अंग्रेजों की लाठियाँ खाईं, जेलों में रह कर कठोर सजायें भुगतीं लेकिन इनका कोई नाम तक नहीं जानता। आजादी के 75 सालबाद भी ये गुमनामी के अंधेरे में फाड़लों में बन्द पड़े हैं। आज हमें इन्हें पहचानने, इन्हें यादगार बनाने, इनके योगदान को सराहने एवं इनके सपनों के भारत को साकार करने की आवश्यकता है।

संदर्भ :-

1. प्रो. बिपिनचन्द्र (एवं उनके सहयोगी लेखक), *भारत का स्वतंत्रता संघर्ष*, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 1998) पृ.सं. 19
2. Dr. Ashok Kumar Singh, *Peasants Revolt and Agrarian Reforms*, Commonwealth Publishers, New Delhi, 1988, P.No. 36.

3. लगान की अदायगी किसानों के लिए कितना कठिन था, इस बात को मुंशी प्रेमचन्द की कहानी "पूस की रात" से समझा जा सकता है। इस कहानी का मुख्य किरदार हल्कू है। वह साल भरपेट काटकर बमुश्किल तीन रुपये बचाता है, इस आशय से कि जाड़ा आएगा तो वहए क कम्बल खरीदेगा। लेकिन जब जमींदार का कारिंदाल गान की वसूली के लिए उसके घर आता है तो हल्कू और उसकी पत्नी के लिए संकट खड़ा हो जाता है। बहुत सोचने-बिचारने के बाद वहलगान दे देते हैं और कम्बल नहीं खरीद पाते। हल्कू फसल की रखवाली करने जाता है लेकिन कड़ा के की ठण्ड की वजह से वह रखवाली नहीं कर पाता। उसकी फसल नील गायेँ चर जाती हैं। इस तरह गाढ़ी कमाई के उसके पैसे भी चले जाते हैं और फसल भी बर्बाद हो जाती है। अब वह करे तो क्या करे?
 4. पंडित जवाहरलाल नेहरू, *मेरी कहानी*, (हिन्दी संपादक हरिभाऊ उपाध्याय), सस्ता साहित्य मण्डल, दिल्ली, 1936) पृ. सं. 67
 5. वही, पृ.सं. 82
 6. वही, पृ.सं. 359
 7. प्रो. बिपिनचन्द्र (एवं उनके सहयोगी लेखक), *भारत का स्वतंत्रता संघर्ष*, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 1998) पृ.सं. 225
 8. क्षेत्रीय अभिलेखागार (संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश) 53 महात्मा गाँधी मार्ग, सिविल लाइन्स, प्रयागराज, फाइल संख्या 440
 9. थाना को खेराजको उस समय कोहे खेराज कहते थे। कोहे खेराज शब्द बाद में बिगड़कर कोखराज हो गया। "कोह" फारसी का शब्द है जिसका अर्थ होता है पहाड़, बड़ा। "खेराज" अरबी का शब्द है जिसका अर्थ है लगान, मालगुजारी। यहाँ कोहे खेराज का अर्थ लगान वसूल के प्रमुख केन्द्र से लगाया जा सकता है।
 10. महिला कैदियों को फतेहगढ़ जिला फर्रुखाबाद की जेल में भेजा गया था।
 11. क्षेत्रीय अभिलेखागार, प्रयागराज, फाइल संख्या 441
 12. वही
 13. वही
 14. वही, फाइल संख्या 440
 15. वही
 16. वही, फाइल संख्या 440, 441
 17. www.legislative.gov.in (Government of India Ministry of Law and Justice)
- नोट: अंग्रेजी हस्तलेख पढ़ने में प्रोफेसर आलोक प्रसाद, मध्यकालीनए व आधुनिक इतिहास विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज और उर्दू हस्तलेख में जनाबफरीद बिल ग्रामी साहब ने मदद की।

मध्य गंगा घाटी की प्रागैतिहासिक जीवन-पद्धतियों की व्याख्या में नृवंशविज्ञान के निहितार्थ

श्वेता कुमारी

शोध छात्रा, प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय,
वाराणसी

सारांशिका

पुरातात्विक व नृजातीय दृष्टिकोण से मध्य गंगा घाटी का विशिष्ट स्थान है। यहाँ हुए पुरातात्विक उत्खनन के परिणामस्वरूप मध्यपाषाणिक, नवपाषाणिक व ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ प्रकाश में आयीं। गांगेय परिक्षेत्र के पुरास्थलों में सरायनाहराय, दमदमा, महदहा आदि का नाम उल्लेखनीय है। इन पुरास्थलों से आजीविका, निर्वाह, शवाधान व अन्य भौतिक संस्कृतियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ अधिवासित स्थानीय समुदाय (कोल, मुसहर) से प्राप्त नृजातीय आँकड़े इन पुरावशेषों के नृवंश-पुरातत्त्व के माध्यम से अध्ययन हेतु पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। जिसके अंतर्गत प्राचीन समाजों की जीवन पद्धति, संगठनात्मक व्यवस्था एवं मानवीय व्यवहार को समझने का प्रयास किया जाता है, अर्थात् पुरातात्विक और नृवंशविज्ञानात्मक आँकड़ों को साथ लाकर प्राचीन समाजों के पर्यावरणीय अनुकूलन, जीवन-पद्धतियों तथा उनके प्रतीकात्मक और धार्मिक विश्वासों की व्याख्या की गयी है। अतएव इस शोध पत्र में क्षेत्र विशेष के उत्खनित पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेषों को नृजातीय आँकड़ों के आलोक में व्याख्यायित कर तत्कालीन प्रागैतिहासिक समाज के विविध पक्षों को समझने का प्रयास किया गया है।

बीज शब्द :- नृजातीय, नृवंश-पुरातत्त्व, आजीविका, निर्वाह, शवाधान, भौतिक संस्कृतियाँ

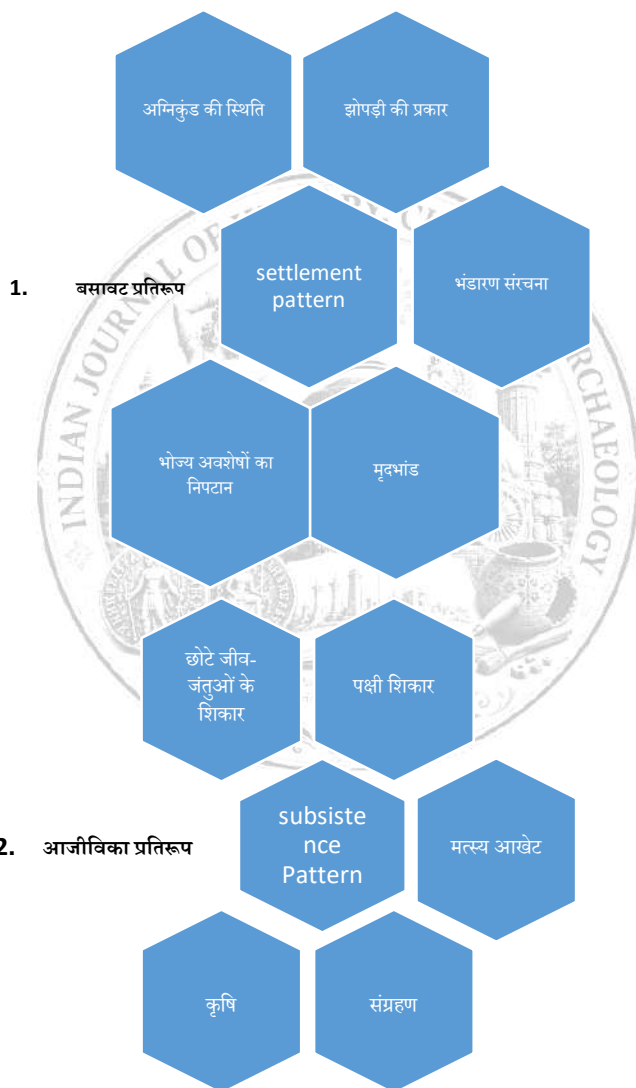
प्रस्तावना :-

मध्यपाषाण काल से ही गंगा व बेलन नदी घाटियों में मानव अधिवास हेतु उपयुक्त जलवायुवीय परिस्थितियाँ विद्यमान थी। इन नदी घाटियों में स्थित पुरास्थलों के उत्खनन के फलस्वरूप मध्यपाषाण काल से आरंभ होने वाली प्रारम्भिक बसावटों के साक्ष्य प्रकाश में आए हैं। यहाँ से प्राप्त होने वाले अन्य पुरावशेषों में प्रस्तर उपकरण, पशु अस्थियाँ, शवाधान, वनस्पति अवशेष मुख्य रूप से शामिल हैं। इन पुरास्थलों के आस-पास के गावों में अधिवासित जनजातियों समुदायों के सर्वेक्षण से संकलित किए गए नृजातीय आंकड़ों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि प्रागैतिहासिक संस्कृति के अनेक पक्षों की निरंतरता आज भी यहाँ विद्यमान है। नृजातीय सर्वेक्षण हेतु कोल व मुसहर समुदाय को सम्मिलित किया गया है। इन समुदायों के आजीविका व निर्वाह प्रतिरूपों पर ध्यान केन्द्रित कर नृवंश-पुरातात्विक व्याख्या करने की उचित प्रयास की गयी। कोल व मुसहर समुदाय शिकारी-संग्रहकर्ता तथा कृषक हैं। यद्यपि वर्तमान में शिकार पर निर्भरता काफी कम हो गई है। ये दोनों समुदाय भिन्न-भिन्न संस्कृतियों और अलग-अलग आर्थिक गतिविधियों के साथ एक ही क्षेत्र में अधिवासित हैं। हालांकि यह भिन्नता बहुत सूक्ष्म स्तर पर विद्यमान है। तथापि नृवंश विज्ञान के अध्ययन हेतु उपयुक्त है। समुदाय विशेष से प्राप्त नृजातीय आंकड़ों व पुरातात्विक अवशेषों

के सह-संबंधात्मक अध्ययन से हम प्रागैतिहासिक संस्कृतियों के जिन पक्षों को समझने का प्रयास करेंगे, वें निम्नवत् है:-

1. बसावट प्रतिरूप
2. आजीविका प्रतिरूप
3. अन्त्येष्टि प्रथा

उपर्युक्त शीर्षकों के अंतर्गत कई उपशीर्षकों का अध्ययन किया गया है, यें उपशीर्षक निम्नलिखित हैं:-



3. अन्त्येष्टि प्रथा

अध्ययन क्षेत्र:-

मध्य गांगेय क्षेत्र में गंगा व बेलन नदी घाटियों के परिक्षेत्र में अवस्थित पुरास्थलों यथा- चोपनीमांडो, सराय नाहर राय, महदहा, दमदमा, कोल्डिहवा, महागरा आदि को केंद्र में रखते हुए अध्ययन कार्य किया गया। यद्यपि नृजातीय आंकड़ों के संकलन हेतु समीपस्थ क्षेत्र में अधिवासित कोल व मुसहर नामक स्थानीय समुदाय के लोगों पर निर्भरता थी।

शोध परिणाम:-

इस अध्ययन में मध्यपाषाण काल के शिकारी-संग्रहकर्ता समुदाय, नवपाषाण व ताम्रपाषाणकालीन कृषक समाजों के विविध आयामों को समझने हेतु नृवंश विज्ञान के निहितार्थों का विवरण इस प्रकार है :-

1. बसावट प्रतिरूप –

गंगा व बेलन घाटियों की भौगोलिक परिस्थिति, उपकरण निर्माण करने हेतु प्रस्तर उपादान, खाद्य पदार्थ, जंगली वनस्पतियाँ व जलीय जीवों की उपलब्धता ने मध्यपाषाणकालीन मानव को अपनी ओर आकर्षित किया। इन कारकों ने मानव बसावट के चयन के साथ ही उनकी आजीविका-आधारित जीवन-पद्धतियों को निर्धारित करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। वर्तमान में भी यहाँ अधिवासित स्थानीय समुदाय (कोल व मुसहर) के लोग अपने दैनिक गतिविधि यथा- आवास निर्माण की सामग्री, ईंधन, खाद्य पदार्थ तथा औषधीय पौधों की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं। इस दृष्टिकोण से इन समुदायों की जीवन पद्धति को वनवासी जीवन पद्धति कहा जा सकता है। जो प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में भी उनके भरण-पोषण में अपेक्षाकृत सक्षम सिद्ध होती है। कोल व मुसहर समुदाय की बसावट प्रतिरूप भी मुख्यतः खाद्य संसाधनों की उपलब्धता तथा उन पर्यावरणीय और सामाजिक कारकों से निर्धारित होती हैं, जो किसी स्थान को निवास के लिए सुरक्षित और उपयुक्त बनाते हैं, अर्थात् जहाँ भोजन, जल एवं अन्य आवश्यक संसाधन सहजता के साथ प्राप्य होते हैं वहीं क्षेत्र इन समुदायों की बस्तियों के निर्माण के लिए प्रासंगिक होता है।¹

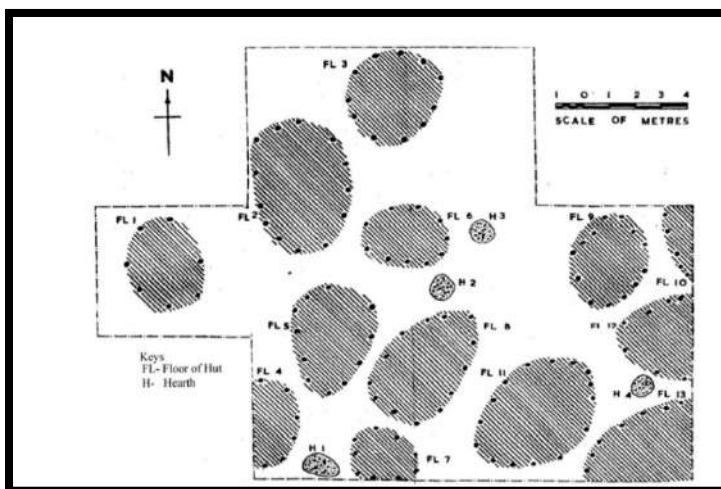
पुरातात्विक विश्लेषण के लिए बसावट प्रतिरूपों का अध्ययन अनेक महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करते हैं। हालांकि किसी एक विशिष्ट बसावट प्रतिरूप को आदर्श मानकर सभी पुरातात्विक स्थलों की व्याख्या नहीं की जा सकती है। अधिवासित सरल समुदाय (कोल व मुसहर) अपने आस-पास के शहरी या उन्नत समुदायों के संपर्क में भी रहते हैं जिसके परिणामस्वरूप उन्नत समुदायों के रहन-सहन का प्रभाव इन समुदायों पर परिलक्षित होता है।² इसलिए अतीत की बसावटों की नृवंश-पुरातात्विक व्याख्या के लिए यह आवश्यक है कि स्थल की संरचना (झोपड़ी के प्रकार), आकारिकी, स्वरूप, आवास इकाइयों, अग्निकुंड क्षेत्रों, भंडारण संरचना, मृदभांड आदि जैसे विशेषताओं के आधार पर पृथक्-पृथक् पहचाना जाय। इन तत्वों के विश्लेषण के आधार पर क्षेत्र विशेष में निवास करने वाली समुदायों की जीवन पद्धति के विविध आयामों को समझा जा सकता है। उपर्युक्त तत्वों का संक्षिप्त नृवंश-पुरातात्विक विवरण निम्नलिखित है –

● अग्निकुंड की स्थिति व संरचना - :(झोपड़ी के प्रकार)

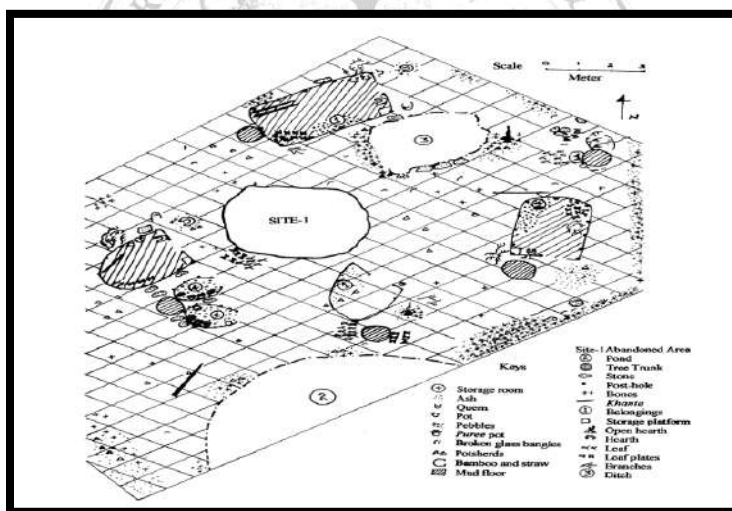
मुसहर समुदाय में सामुदायिक अग्निकुंड का प्रचलन है। इनके द्वारा प्रस्तर व मृदा के बने चबूतरे पर अग्निकुंड का निर्माण किया जाता है, जिसका उपयोग उनके द्वारा सामुदायिक उत्सव के समय भोजन पकाने के साथ-साथ दैनिक खाना बनाने और मांस भूनने के लिए किया जाता है। इस तरह के अग्निकुंड सदैव झोपड़ी के बाहर निर्मित होते हैं। कुछ समय के बाद प्रयोग करने योग्य नहीं रहने पर इसे त्याग दिया जाता है, तब वहाँ मिट्टी के चबूतरे के अवशेष, जली हुई मिट्टी के ढेले, जली हुई हड्डियाँ और राख स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं।

यहाँ उल्लेखनीय है कि गंगा घाटी में स्थित सराय नाहर राय व दमदमा नामक मध्यपाषाण कालीन पुरास्थल से फर्श व स्तम्भ गर्तों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सराय नाहर राय से 5.66 मीटर लंबाई और 4.02 मीटर चौड़ाई वाला फर्श क्षेत्र व स्तम्भ गर्त (पोस्टहोल्स) मिलता है। फर्श पर जली हुयी मिट्टी के ढेले, सूक्ष्म पाषाण उपकरण (माइक्रोलिथ), पशु-अस्थियाँ व शंख बिखरे हुए पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त इस पुरास्थल से एक सामुदायिक अग्निकुंड के अतिरिक्त 11 अन्य अग्निकुंड भी प्रतिवेदित किए गए हैं, इनमें से चार नियमित अग्निकुंड प्रतीत होते हैं। जबकि दमदमा के मध्यपाषाणिक स्तर से गोलाकार व अंडाकार पलस्तरयुक्त फर्शों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पलस्तरयुक्त फर्श आज भी वर्तमान समुदायों की अर्ध-स्थायी एवं स्थायी बसावटों में सामान्य रूप से देखे जाते हैं। इन पुरावशेषों को कोल व मुसहर समुदाय से प्राप्त आंकड़ों के संदर्भ में देखने पर यह प्रतीत होता है कि तत्कालीन मध्यापाषाणिक समाज में भी सामुदायिक अग्निकुंड का प्रचलन रहा होगा।³ इस तरह प्राप्य पुरावशेष व नृजातीय आंकड़ों का सह-संबंधात्मक अध्ययन प्रागैतिहासिक समुदाय के संरचनात्मक गतिविधियों को समझने हेतु कुछ निहितार्थों की ओर संकेत करती है।

बेलन घाटी में स्थित पुरास्थल चोपनी-मांडों के मध्यपाषाण कालीन स्तर से गोलाकार व अंडाकार आकृति के बीस झोपड़ियों के संरचनात्मक अवशेष स्तम्भ गर्त के साथ प्राप्त हुए हैं।⁴ झोपड़ियों की व्यवस्था मधुमक्खियों की छत्ते के समान प्रतीत होती है (चित्र सं० 1)। ऐसे झोपड़ी व्यवस्था मुसहर समुदाय की मौसमी ग्रीष्मकालीन बसावटों में मवैया और कर्चना गाँव, इलाहाबाद जिले में भी देखी गयी थी (चित्र सं० 2)। इसके अतिरिक्त बांस की लकड़ी के छाप युक्त वॉटल और डॉब विधि से निर्मित दीवार के अवशेष प्राप्य हुए हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि तत्कालीन मध्यपाषाणिक लोगों के द्वारा दीवारों को मिट्टी के लेप से पलस्तर किया जाता है। आज भी स्थानीय समुदायों की मौसमी, अर्ध-स्थायी और स्थायी बसावटों में गोलाकार और आयताकार झोपड़ियाँ वॉटल-एंड-डॉब विधि द्वारा बांस-बल्लियों से निर्मित की जाती है (चित्र सं० 3)।



चित्र सं० 1:- चोपनी-मांडों के तृतीय चरण से प्राप्त झोपड़ियों की संरचना (सौजन्य से -शर्मा व अन्य, 1980)



चित्र सं० 2:- मुसहर बस्ती का संरचनात्मक विन्यास (सौजन्य से – अंसारी शाहीदा, 2010)



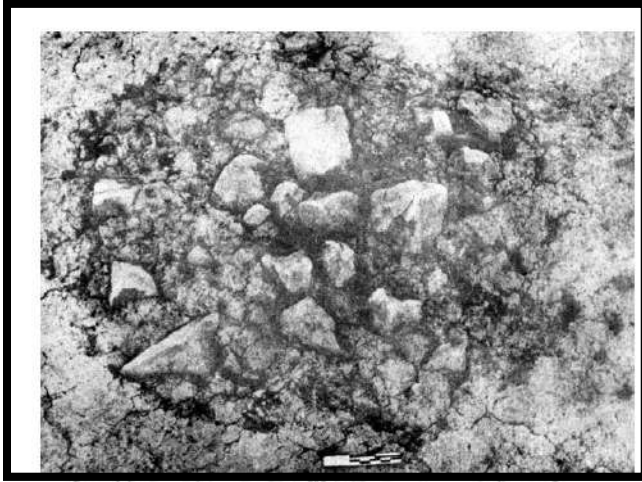
चित्र सं० 3 : - सर्वेक्षण के दौरान दृश्य वॉटल-एंड-डॉब विधि द्वारा निर्मित झोपड़ी की संरचना

● **भंडारण संरचना व मृदभांड :-**

भंडारण पात्रों का प्रयोग अपनी आवश्यकता से अधिक बची हुयी वस्तुओं को रखने के लिए किया जाता है। पुरातात्विक साक्ष्यों में प्रतिवेदित भंडारण संरचनाओं यथा-कोठार, मटकें, गड्ढा-साइलों व मृदभांड अवशेषों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मध्यपाषाणकालीन मानव भंडारण सुविधाओं व मृदभांड निर्माण की तकनीकी से परिचित थे। वर्तमान में कोल व मुसहर समुदाय के लोग भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं। यह भंडारण भविष्य की आवश्यकता के लिए व कभी-कभी संग्रहीत भोजन में मनचाहा स्वाद लाने के उद्देश्य से भी किया जाता है। इनके द्वारा अनाज को रखने के लिए विविध प्रकार के पात्रों (मिट्टी के भंडारण पात्र, घड़े, बर्तन, मटके, टिन के डिब्बे, एल्यूमिनियम व स्टील के संदूक) का उपयोग किया जाता है। स्थानीय समुदायों के द्वारा दैनिक जीवन में प्रयोग किए गए मृदभांड प्रकारों में बटुला, कढ़ाही, कटोरा, थाली आदि महत्वपूर्ण हैं।⁵

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि चोपनी-मांडों नामक पुरास्थल के तृतीय चरण से विविध प्रकार के समतल प्रस्तर स्लैबों से निर्मित गोलाकार तथा अंडाकार संरचनाएँ प्राप्त हुयी हैं।⁶ इन संरचनाओं का न्यूनतम व्यास 30 सेमी तथा अधिकतम व्यास 70 सेमी है। इनमें से कुछ गोल/अंडाकार संरचनाओं के आसपास बाँस की छड़ों के निशान युक्त जली हुई मिट्टी (डॉब) के टुकड़े प्राप्त हुए हैं (चित्र 4)। संभवतः ये प्रस्तर संरचनाएँ बाँस एवं मिट्टी से बने भंडारण पात्रों के आधार रहे होंगे। इस तरह के प्रस्तर स्लैब आज भी यहाँ के स्थानीय घरों में देखे गए हैं (चित्र सं० 5)। यहाँ से सबसे प्रारम्भिक हस्त-निर्मित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त महगड़ा, कोलडिहवा व पंचोह के नवपाषाणकालीन पुरास्थलों से भी हस्त-निर्मित मृदभांडों के साक्ष्य मिले हैं। इन मृदभांडों के टेपिंग हेतु सामग्री के रूप में धान की भूसी, गोबर व छोटे अनाजों का भूसा मिश्रित गया है। महागड़ा से प्राप्त कुल मृदभांडों में से 49.06 प्रतिशत भंडारण पात्र (स्टोरेज जार) हैं। जिसमें भंडारण पात्रों की संख्या,

पकाने के पात्रों की तुलना में अधिक है, यद्यपि भोजन परोसने से संबंधित पात्र मध्यम मात्रा में प्राप्य हैं।



चित्र सं० 4 :- चोपनी-मांडों (चरण III) से प्राप्त प्रस्तर निर्मित वृत्ताकार चबूतरा, (सौजन्य से- शर्मा व अन्य, 1980)



चित्र सं० 5 :- भंडारण पात्रों (स्टोरेज बिन) को रखने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रस्तर चबूतरा (सौजन्य से – अंसारी शाहीदा, 2010)

● **भोज्य अवशेषों का निपटान :-**

गंगा व बेलन नदी घाटियों में स्थित पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेषों के अध्ययन से ऐसा परिलक्षित होता है कि संभवतः मध्यपाषाण कालीन मानव द्वारा अपने भोजन से संबंधित अपशिष्ट पदार्थों को चूल्हों में, आवास क्षेत्र में तथा उससे लगे हुए तालाबों में फेंका गया होगा। सराय नाहर राय, दमदमा और

चोपनी-मांडो जैसे पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेषों के अध्ययन से यह अनुमान लगाया जाता है कि प्राचीन मानव द्वारा भोज्य अवशेषों का निपटान चूल्हों व गड्ढा-चूल्हों में किया जाता होगा। कोल व मुसहर बस्तियों में आज भी भोज्य अवशेषों का निपटान हेतु इस विधि के उपयोग का प्रचलन है।

2. आजीविका प्रतिरूप –

मध्य गंगा व बेलन घाटियों के पुरास्थल से प्राप्त पुरावशेषों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि मध्यपाषाणकालीन निवासियों ने जंगली पशुओं के शिकार के साथ-साथ पशुपालन की शुरुआत भी कर दी थी। इसके अतिरिक्त नवपाषाणकालीन स्तरों से धान के पालतूकरण के प्रमाण कृषि के प्रारंभ को दर्शाते हैं। महागड्ढा से प्राप्त पशुबाड़ा की प्राप्ति पशुपालन का विशिष्टता का साक्ष्य है। इन पशुओं से मांस के साथ-साथ दूध व खाल भी मिलता था।⁷ कोल व मुसहर समुदायों की आजीविका प्रणाली भी शिकार, संग्रहण, कृषि आदि पर निर्भर है, अर्थात् ये मुख्यतः शिकारी-संग्रहकर्ता तथा कृषक हैं। यद्यपि वनों के तीव्र विनाश व सरकारी नियमों के कारण शिकार की प्रथा काफी कम हो चुका है। तथापि, कोल व मुसहर समुदाय में छोटे शिकार की परंपरा वर्तमान में भी प्रचलित है।

● छोटे जीव-: जंतुओं के शिकार-

मुसहर व कोल समुदाय के लोगों द्वारा बड़े शिकार की अपेक्षा छोटे शिकार को अधिक पसंद किया जाता है, क्योंकि छोटे जीवों के शिकार में कम औजार व ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए शिकार पर नियंत्रण जरूरी है। संभवतः मध्यपाषाण काल के लोग भी इस संदर्भ में सचेत होंगे कि पशुओं का अत्यधिक शिकार करना पर्यावरण के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए समय-समय पर उनके द्वारा नए खाद्य संसाधनों की खोज का विकल्प मिलता रहा। दमदमा नामक पुरास्थल से पशु अस्थियों की प्राप्ति से अनुमान लगाया जा सकता है कि उनका प्रयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता रहा होगा। सराय नाहर राय और दमदमा के मध्यपाषाणिक स्तरों से कुत्तों के अवशेषों का साक्ष्य अत्यंत रोचक है। ऐसा प्रतीत होता है कि मध्यपाषाण काल के निवासी कुत्तों के संपर्क में थे, जो प्रारंभ में उनके द्वारा फेंकी गई हड्डियों पर निर्भर रहते थे किन्तु धीरे-धीरे शिकार अभियानों के दौरान उनके साथ रहने लगे व पालतु बनाए गए। मुसहर समुदाय द्वारा किए जाने वाले छोटे शिकार में मुख्यतः चूहे और गिलहरियाँ शामिल हैं। महदहा व दमदमा नामक मध्यपाषाणिक स्थलों से प्राप्त जीवाश्म अवशेषों में चूहा (*Rattus rattus* एवं *Bandicota indica*) जैसी प्रजातियों की हड्डियाँ सम्मिलित हैं।

● पक्षी शिकार व मत्स्य आखेट -:

कोल व मुसहर समुदाय के लोग उपभोग के लिए पक्षियों का शिकार करते हैं। इसके लिए मुख्य रूप से जाल, गोद लगे बाँस के डंडे तथा गुलेल का उपयोग किया जाता है। पक्षियों के पूरे शरीर का उपयोग करने के पश्चात् खुले स्थानों या नियमित चूल्हों में केवल पंख और चोंच ही अवशेष के रूप में रह जाते हैं। यह उल्लेखनीय है कि महदहा और दमदमा के जीवाश्म अवशेषों में मुर्गा *Gallus gallus* (कुल जीवाश्म संग्रह का 8.96%) व अन्य पक्षी अवशेषों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि मध्यपाषाणिक लोग भी पक्षी शिकार से परिचित रहे होंगे। कोल व मुसहर समुदाय के लोगों द्वारा आजीविका हेतु मत्स्य पालन पर निर्भरता वर्ष भर होती है। किन्तु वर्षा ऋतु सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है। मत्स्य आखेट में महिला-पुरुष के साथ बच्चों की भी भागीदारी होती है (चित्र

सं० 6)। बच्चों द्वारा पकड़ी गई मछलियों का प्रसंस्करण नदी किनारे, झील के तट पर, धान के खेतों में अथवा अन्य स्थानों पर ही कर दिया जाता है एवं उनके अवशेष वहीं यथास्थान छोड़ दिए जाते हैं। इस प्रकार उपभोग की गई अनेक प्रजातियों की हड्डियाँ हमेशा आवास क्षेत्र में नहीं मिलतीं, बल्कि वास्तविक मत्स्य आखेट क्षेत्र के निकट पाई जाती हैं। मछली पकड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले औजारों और फंदों के निर्माण में प्रयुक्त कच्चा माल स्थानीय रूप से उपलब्ध होता है।⁸

गंगा घाटी के मध्यपाषाणिक तथा बेलन घाटी के नवपाषाण व ताम्रपाषाणिक पुरास्थलों से प्राप्त जीवाश्म अवशेषों में कछुआ एवं मछलियों (*Lissemys punctata* और *Chitra indica*) जैसे जलीय प्राणियों के साक्ष्य मिले हैं। मुसहर कछुओं का शिकार हाथों, खोदने वाली लकड़ियों तथा खंता की सहायता से करते हैं। कछुओं को सदैव नियमित चूल्हों में भूनकर पकाया जाता है। उपभोग के बाद केवल कठोर बाहरी खोल और अस्थि-पट्टिकाएँ ही अवशेष के रूप में बचती हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि दमदमा से प्राप्त कुल जीवाश्म संग्रह का लगभग 90 प्रतिशत भाग जला हुआ पाया गया है। इससे यह संकेत मिलता है कि मांस को भून कर पकाया जाता रहा होगा। सराय नाहर राय में भी चूल्हों से प्राप्त कछुओं की पृष्ठीय प्लेटों एवं खोलों पर भूनने के चिह्न स्पष्ट रूप से देखे गए हैं।



चित्र सं० 6 :- मत्स्य आखेट का एक दृश्य जिसमें बच्चों की संलग्नता भी देखी जा सकती है।

● संग्रहण व कृषि :-

दमदमा व चोपनी मांडों जैसे मध्यपाषाणकालीन पुरास्थलों से बाँस के कोयले के अवशेष, मोटे अनाज (मिलेट्स) के जले हुए दाने तथा जंगली धान के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि प्रागैतिहासिक लोगों के द्वारा इन अनाजों का संग्रह किया जाता था। दमदमा से बुधुआ, बेर,

खेर आदि के बीज प्राप्त हुए हैं।⁹ यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कोल व मुसहर समुदाय के लोगों द्वारा वर्तमान में भी इन वनस्पतियों यथा- बेर, खेर, बथुआ, महुआ, कल्था आदि का उपयोग औषधियों व खाद्य पदार्थों के रूप में किया जाता है।

कोल व मुसहर समुदाय के लोग ऋतु के अनुसार कृषि कार्य करते हैं। इनके द्वारा प्रयुक्त अधिकांश कृषि उपकरण लकड़ी से बने होते हैं। उदाहरण के लिए, हल में लगा लोहे का एक छोटा-सा टुकड़ा भी पहाड़ी क्षेत्र की उपजाऊ भूमि को जोतने के लिए पर्याप्त होता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि महगड़ा व कोलडिहवा के नवपाषाणिक स्थलों से जंगली, कृषित तथा संकर (जंगली और कृषित के मध्य) अनाजों के अवशेष प्राप्य हुए हैं। कोलडिहवा और खजुरी के ताम्रपाषाणिक स्तरों से कृषित धान के साक्ष्य मिले हैं, जबकि कोलडिहवा के अंतिम चरण से कृषित गेहूँ और मूँग के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि तत्कालीन प्रागैतिहासिक मानव कृषि कार्य से परिचित हो गए थे।

3. अन्त्येष्टि प्रथा –

गंगा घाटी के मध्यपाषाणिक पुरास्थलों के उत्खननों से अन्त्येष्टि प्रथा से संबंधित अनेक तथ्य प्रकाश में आए हैं। सराय नाहर राय से 12 कब्रें और 15 कंकाल; महदहा से 28 कब्रें और 32 कंकाल; तथा दमदमा से 41 कब्रें और 48 कंकाल प्रतिवेदित किए गए हैं। इन शवाधानों में मृतकों को पीठ के बल, सीधे फैली हुई अवस्था में पूर्व-पश्चिम या पश्चिम-पूर्व दिशा में रखा जाता था। यद्यपि कुछ शवाधान में मृतक का एक हाथ शरीर के बगल में रखा गया होता था, जबकि दूसरा हाथ पेट के ऊपर रखा हुआ प्राप्त है। शवाधान से संबंधित इस तरह के परंपरा को आज भी कोल व मुसहर समुदाय में देखा गया है।¹⁰

यह उल्लेखनीय है कि कोल समुदाय केवल अपने बच्चों का ही दफन करते हैं। जबकि मुसहर समुदाय बच्चों के साथ-साथ कुछ मामलों में वयस्कों (अभिभावकों) को भी बस्ती से कुछ मीटर की दूरी पर दफन करता है। कोल व मुसहर समुदायों में कब्र उत्तर-दक्षिण दिशा में खोदी जाती है। मृतक का सिर उत्तर की ओर रखा जाता है तथा शरीर को सफेद कपड़े से ढक दिया जाता है। तत्पश्चात् शव के ऊपर पहले मिट्टी की परत, फिर काँटों की परत और पुनः मिट्टी डाली जाती है। वर्तमान में अन्त्येष्टि से संबंधित परंपरा में क्षेत्रीय विविधता भी देखी जाती है। यद्यपि स्थानीय समुदायों के शवाधान प्रथा को देखकर प्रागैतिहासिक शवाधान परंपरा को समझने का प्रयास किया गया है।

निष्कर्ष:-

अतः उपर्युक्त अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि जब हम नृजातीय आंकड़ों का अध्ययन पुरातात्विक अवशेषों के आलोक में करते हैं तब काफी हद तक प्रागैतिहासिक संस्कृतियों के विविध आयामों को समझने में सफल हो जाते हैं। यथा -समुदायों की अर्ध-स्थायी और स्थायी बसावटों में पाई जाने वाली झोपड़ी के प्रकार नवपाषाण और ताम्रपाषाण काल की झोपड़ियों से काफी मिलते-जुलते हैं। जिनके आधार पर हम प्रागैतिहासिक बसावट संरचना को समझने में सक्षम हो जाते हैं। स्थानीय समुदायों से प्राप्त मिट्टी के भंडारण संरचनाओं का नृवंशविज्ञान विधि के माध्यम से अध्ययन कर अतीत की संग्रहण व्यवस्था को समझने का प्रयास किया गया है। इस तरह पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेषों (मृदभांड, वानस्पतिक, जीवाश्म, औजार आदि) का नृजातीय

आकड़ों से सह-संबंधात्मक अध्ययन द्वारा प्रागैतिहासिक मानव के जीवन से संबंधित विविध पक्षों को समझने में नृवंश विज्ञान विधि के निहितार्थ को समझा जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अंसारी, एस. 2005. एथ्नोआर्कियोलॉजी ऑफ प्रीहिस्ट्री सेटलमेंट पैटर्न ऑफ साउथ-सेंट्रल गंगा वैली, इंडियन सोसायटी फॉर प्रीहिस्ट्री एण्ड क्वार्टररी स्टडीज मोनोग्राफ, सीरीज नं० 4, पुणे : इंडियन सोसायटी फॉर प्रीहिस्टोरिक एण्ड क्वार्टररी स्टडीज।
2. चटर्जी, एस. 1923 . स्टडी ऑफ कोल, कलकता रिव्यू, पृ० 451 -73।
3. पांडेय, जे.एन. 2020. पुरातत्त्व विमर्श, प्राच्य विद्या संस्थान, इलाहाबाद, पृ० 303-317।
4. पांडेय, जे.एन. 2020. पुरातत्त्व विमर्श, प्राच्य विद्या संस्थान, इलाहाबाद, पृ० 296-302।
5. अंसारी, एस. 2000. क्ले स्टोरेज बीन्स इन इंडिया : एन एथ्नोआर्कियोलॉजीकल स्टडी, मैग एण्ड इन्वायरमेंट 25 (2), पृ० 51-78।
6. वर्मा, आर.के. एण्ड एन वर्मा, 2001. पुरातत्त्व अनुशीलन, पृ० 101-104।
7. मण्डल, डी. 1997. निथोलिथिक कल्चर ऑफ द विंध्याज: एक्सकेवेशन एट महागड़ा इन द बेलन वैली, इन इंडियन प्रीहिस्ट्री :1980 (बी.डी.मिश्रा एण्ड जे.एन पाल संस्करण), पृ० 163-174। इलाहाबाद, मित्तल एण्ड सन्स।
8. अंसारी, एस. 2001. फिशिंग प्रैक्टिस एमोंग द मल्लाह ऑफ इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश, मैग एण्ड इन्वायरमेंट 26(1): पृ० 39-55।
9. काजले, एम.डी. 1990 . सं इनिशियल आब्जर्वेशन ऑफ पैलियोबोटानिकल एविडेंस फॉर मेसोलिथिक प्लांट ईकानमी फ्रॉम एक्सकेवेशन एट दमदमा, प्रतापगढ़, उत्तरप्रदेश, इन एडोप्टेशन एण्ड अदर एस्से (एन.सी. घोष एण्ड एस चक्रवर्ती सं०) पृ० 98-102, शांतिनिकेतन:रिसर्च पब्लिकेशन, विश्व भारती।
10. दत्त, पी. सी. एण्ड ए.पाल 1972. द अर्लीएस्ट इंडिया ह्यूमेन स्केलटन फाइन्ड एण्ड द एस्टीमेशन ऑफ स्टेचर, करेंट साइंस 9, पृ० 334-335।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं प्रवासी श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा

अशोक कुमार देवांगन

उ.श्रे.लि., पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

सारांशिका

ग्लोबल मॉनीटरिंग रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के विभिन्न शहरों में लगभग 80 प्रतिशत प्रवासी श्रमिकों के बच्चों का प्रवास स्थल में सुलभ एवं नियमित शिक्षा प्राप्त करना एक स्वप्न जैसा ही है। परिणामतः लगभग 40 प्रतिशत परिवार के बच्चों शिक्षा से विमुखीकरण होकर परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मजदूरी करने लगते हैं, स्पष्ट है कि वे शनैः शनैः बाल मजदूरी एवं जीवन के मुख्य धारा से विसंगत होने लगते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है आज भी भारत के लगभग 67 फीसदी से अधिक जनसंख्या प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य से संलग्न रहती है चूंकि वर्ष भर कार्य की अनुपलब्धता के कारण श्रमिक, परिवार सहित मौसमी प्रवास करते हैं, जिससे उनके बच्चों के शिक्षा प्रभावित होती है, साथ ही उनके कौशल निपुणता में उन्नयन नहीं परिलक्षित हो पाता है। ऐसे अवस्था में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में नियोजित उपबंध, शिक्षा व्यवस्था जहां किसी भी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंधित सभी शिक्षार्थियों को सर्वोच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपबंध होने का लक्ष्य रखती है प्रवासी श्रमिक के बच्चों जो प्रायः ड्रापआउट, शैक्षिक संस्थान, सुलभ शिक्षा के कारण अपने कौशल विकास से वंचित रह जाते हैं एवं समाज के मुख्यधारा से अलगावित होते हैं, के लिए नई शिक्षा नीति कारगर उपाय सुझाती है। देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास को विशेष महत्व दिया गया है एवं शैक्षणिक पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर उच्च प्राथमिक कक्षाओं में शामिल किया गया है। उन्ही प्रमुख कारणों जिसका संबंध प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रवासी श्रमिकों के बच्चों के शिक्षा, कौशल विकास आदि के उन्नयन में प्रभाव पड़ता है, के प्रमुख तथ्यपरक बिन्दुओं पर इस शोध पत्र के माध्यम से प्रकाश डाला गया **शब्द कुंजी** – प्रवासी श्रमिक, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ड्रापआउट, कौशल विकास ।

प्रस्तावना—

प्रवासन एक सर्वव्यापी तथ्य है। दुनिया के सभी समाज में प्रवासन की प्रकृति एवं प्रवृत्ति देखी जा सकती है। सामान्यतः भारत के अलग-अलग स्थानों पर प्रवासन के विभिन्न उद्देश्य रहे हैं जिनमें प्रमुखतः रोजी-रोजगार आर्थिक सुरक्षा आदि प्रमुख रहे हैं। भारत की जनगणना 2011 के आंकड़े के अनुसार भारत देश की कुल आबादी का लगभग 26 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करती है और यही बड़ी जनसंख्या का प्रवास से सीधा सा संबंध है। रोजगार गरीबी का सबसे बड़ा रक्षक माना जाता है ऐसे में रोजगार के लिए अधिकतर

श्रमिक प्रवास करते हैं फलस्वरूप प्रवासी श्रमिकों के परिवार के बच्चों का प्रवास स्थल पर विद्यालय का न होना या विद्यालय में प्रवेश नहीं मिलना, उनके सकारात्मक परिस्थिति में कौशल प्रशिक्षण आदि के अभाव में उनकी पढ़ाई सीधे प्रभावित होती हैं। यह प्रक्रिया कई वर्षों से जारी रहने पर बच्चें निरक्षर या विद्यालय छोड़ने वाले श्रेणी में आ जाते हैं।

प्रवासी श्रमिक के बच्चें दोबारा स्कूल जाने के संबंध में नहीं सोच पाते हैं। जिसमें प्रमुख कारक प्रवासी श्रमिकों के परिवार जनों की प्रवास स्थल का लगातार परिवर्तन करना होता है, परिवारजनों का निम्न शैक्षिक स्थिति का होना है। अभी तक देखा गया है कि प्रवासी परिवारों के लिए कोई ठोस योजना अथवा उनके बच्चों के लिए शिक्षा नीति का अभाव रहा है फलतः बच्चों को शैक्षिक समस्याएं होती हैं अतः वे अपनी शिक्षा निरंतर नहीं रख पाते हैं।

प्रवास के प्रमुख कारण

भारत की अर्थव्यवस्था आज भी कृषि व्यवस्था पर अधिकाधिक निर्भर करती है यही कारण है कि भारत के समस्त ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत जनसंख्या का सर्वाधिक भाग कृषि अथवा इससे जुड़े हुए व्यवसाय पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी है। भारत के सभी अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कृषि मानसून वर्षा पर निर्भर करती है। अतएव रोजगार का सीधा संबंध कृषि से होने के कारण वर्ष भर रोजगार निवास स्थल में नहीं होना भी कृषि से जुड़े श्रमिक औद्योगिक क्षेत्र अथवा शहरी क्षेत्रों में पलायन करने का कारण बनता है। अध्ययन बताते हैं कि ज्यादातर पलायन सपरिवार होता है जिससे उनके परिवार के आश्रित सदस्यों जैसे बुजुर्ग व छोटे बच्चों को प्रवास स्थल में भोजन, आवास, जल, बिजली व सबसे महत्वपूर्ण बच्चों को शिक्षा की मूलभूत सुविधा से वंचित होना पड़ता है। श्रमिकों के पलायन के प्रमुख कारण निम्न—

- शहर की तुलना में क्षेत्रीय विकास कम होने व सुविधा अवसर की असमानता के कारण लोग शहर की ओर प्रवास करते हैं।
- गरीबी और रोजगार की कमी लोगों को प्रवास के लिए मजबूर करती है।
- राजनैतिक व जातीय संघर्ष, नक्सलवाद, अहिंसा आदि के कारण लोग अपने घर अपने निवास से दूर सुरक्षित और सुलभ साधनों के अवसर प्राप्त क्षेत्र में पलायन करते हैं।
- स्वास्थ्यगत कारणों से जिसमें मूलनिवास पर स्वास्थ्य सुविधाएं व चिकित्सालय नहीं होने के कारण अपने व अपने परिवार के स्वास्थ्यलाभ के दृष्टि से भी लोग पलायन करते हैं।
- पलायन के सबसे महत्वपूर्ण कारकों में निवास स्थान पर रोजगार की कमी अथवा उचित पारिश्रमिक पर सतत रोजगार की कमी हैं। मूलतः यही कारक अन्य सभी कारकों का मूल बिन्दु है चूंकि आय के सीमित साधन सपरिवार पलायन को विवश करते हैं व परिवार के छोटे अथवा अध्ययनरत बच्चों के शिक्षा को सीधे प्रभावित करता है।

पलायन का बच्चों के शिक्षा पर प्रभाव एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति,

ग्लोबल एजुकेशन मॉनीटरिंग रिपोर्ट बताती है कि मौसमी प्रवासियों के बच्चों पर शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करना है। पंजाब में किए गए क सर्वेक्षण अध्ययन 2015-16 में बताया गया है कि ईट-भट्टों में काम करने वाले मजदूरों में 60 प्रतिशत मजदूर दूसरे राज्य से निवासी थे एवं उनके 5 से लेकर 14 वर्षों की उम्र में 65 से 80 प्रतिशत बच्चें अपने मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति को प्राथमिक मानकर शिक्षा से विमुख हो जाते हैं और लगभग 7 से 8 घंटे तक रोजाना कार्य करते हैं। रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2001 से 2011 के मध्य लगभग प्रवास करने की स्थिति दुगुनी हो गई है। वर्ष 2011 से 2016 के बीच लगभग 9 मिलियन लोगों ने एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास किया है।

प्रवासी श्रमिक के बच्चों में ड्रापआउट की समस्या प्रमुख रूप से उभरी है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस समस्या को गंभीरता से लिया गया है। इस शिक्षा प्रणाली में प्रमुख लक्ष्य यह रखा गया है कि बच्चों का स्कूल में नामांकन हो और नियमित रूप से बच्चे शिक्षा से जुड़े रहे। पूर्व में शिक्षा का अधिकार अधिनियम उनके शिक्षा के स्थिति के प्रगति को दर्शाता है किन्तु हाल के वर्षों में स्कूली शिक्षा में बच्चों में ड्रापआउट अथवा स्कूल छोड़ने की स्थिति को दर्शा रही है जो कि गंभीर चिंतनीय विषय है।

वर्ष 2017-18 के एनएसएसओ के 75वें राउंड हाउस होल्ड सर्वे के अनुसार 6 से लेकर 17 वर्ष के बच्चे जो विद्यालय नहीं जाते हैं उनकी संख्या 3.23 करोड़ हैं जिसमें प्रवास कर रहे विभिन्न राज्यों के प्रवासी श्रमिकों के बच्चों की संख्या भी शामिल है चूंकि ऐसे बच्चें पूरे वर्ष अपने प्रवास स्थल में नहीं रहते एवं प्रवास स्थल बदलने पर शिक्षा का निरंतरता नहीं रह पाती यह एक गंभीर चुनौती है। इन बच्चों को यथा संभव पुनः विद्यालय में नियमित रूप से नामांकन करना एवं उनको कौशल विकास को निखारना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, प्रवासी श्रमिकों के बच्चों एवं व्यावसायिक शिक्षा

अध्ययन यह भी दर्शाते हैं कि कई बच्चें अपराधिक गतिविधियों से जुड़ जाते हैं या अपने परिवार को छोड़कर गलत काम में संलग्न हो जाते हैं। प्रवास स्थल में बच्चों को रुचिकर माहौल नहीं मिलने के कारण बुरी आदतों का भी उनमें समावेश हो जाता है। भारत के जनगणना रिपोर्ट के अनुसार 10 एवं 11 पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के विकास तथा गरीबी के उन्मूलन के लिए उनके प्रत्यनों के बाद भी एक चौथाई से भी अधिक जनसंख्या निरक्षर रही है। निरक्षर परिवार के बच्चों को शैक्षिक माहौल में संलग्न कर उनको समाज की मुख्यधारा से जोड़ना आवश्यक है।

भारत में स्वतंत्रता के बाद से अद्यतन तीन शिक्षा नीति का निमार्ण किया जा चुका है। जिसमें शिक्षा के समग्र विकास के दृष्टि से सबसे पहली शिक्षा नीति का निमार्ण 1968 में किया गया। इस शिक्षा नीति में भारतीय शिक्षण व्यवस्था का महत्वपूर्ण ढांचा तैयार किया गया। इस शिक्षा नीति से संबंधित प्रतिवेदन में बच्चों के शिक्षा में निरन्तरता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण उपबंध किए गए। विद्यालय छोड़ चुके बच्चों के लिए खासकर वे बच्चें जो प्रवास के दौरान अपने मूलस्थान पर नहीं रहते और शैक्षिक कार्य में असंलग्नता हो जाती है ऐसे बच्चों के लिए

व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से बिना किसी उपाधियों के बगैर भी या वे विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर प्रशिक्षण से व्यवसाय से संलग्न होने की बात कही गई।

देश की दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई इस शिक्षा नीति जिसे 1992(एनपीई 1986/92) में संशोधित किया गया था, के अपूर्ण कार्य को इस नीति के द्वारा पूर्ण करने का भरपूर प्रयास किया गया। 1992(एनपीई 1986/92) नीति का सबसे प्रभावी एवं बड़ा कदम यह रहा कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 महत्वपूर्ण रहा। जिसे कानूनी आधार भी दिया गया। यह वह मील का पत्थर था जिसमें गरीब, प्रवासी श्रमिकों के लिए शिक्षा के सपने को धरातल पर उतार सका किन्तु इस शिक्षा नीति में कौशल विकास हेतु व्यावसायिक शिक्षा को एक विकल्प के रूप में रखा गया। इस दृष्टि से यह नीति उतनी कारगर नहीं रही।

देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिसमें पूर्व के नीतियों के कमियों को ध्यान में रखा गया एवं शिक्षा के सभी रुचिकर क्षेत्रों के आयामों को सरलता से स्पर्श करने का प्रयास किया गया है। प्रमुखतः सभी बच्चों की क्षमता की पहचान प्रमुख प्राथमिकता है। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना है जिसमें सभी बच्चे मूलभूत कौशल शिक्षा को सीख सकें। देश की नई शिक्षा नीति 2020 में खासकर वे प्रवासी श्रमिकों के बच्चें जो अपने परिवार के अधिकतर बाल्यावास्था में प्रवास स्थल में निवास करते हैं। उनके कौशल विकास को विशेष महत्व प्रदान करते हुए व्यवसायिक शिक्षा को उच्च प्राथमिक वर्ग कक्षा 6 से शामिल करने की नीति हैं। जिससे बच्चें अपने पढ़ाई के दौरान विशेष कौशल का उन्नयन कर सकें एवं बिना किसी संघर्ष के अपने कार्यक्षेत्र में निपुण हो सकें। सीखने की सतत मूल्यांकन पर जोर दिया गया है। गुणवत्ता शिक्षा और संकाय को सीखने की प्रक्रिया को केन्द्र माना गया है।

निष्कर्ष

कार्यस्थलों में प्रवास करने वाले बच्चें या तो अपने निवास स्थान गांव में स्कूल छोड़ देते हैं या मात्र नाममात्र के लिए नामांकित रहते हैं। दोनों ही स्थिति में बच्चों की शैक्षिक प्रगति बाधित होती है। अधिकतर कार्यस्थल पर शैक्षिक अवसर सीमित होते हैं जिससे बच्चे स्कूल से पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाते हैं या लम्बे समय से उपस्थित नहीं होने के कारण सीखने की कला बुरी तरह प्रभावित होती है। देश की नई शिक्षा नीति 2020 में बच्चों के शैक्षिक उपागम के साथ कौशल विकास एवं सीखने के कला को प्राथमिकी स्तर पर पहचान कर उभारने की दिशा में सारगर्भित एवं सार्थक प्रयास है। प्रवासी परिवारों के बच्चों की शैक्षिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से नीतियों को इन बच्चों की विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने का प्रयास किया गया है।

REFERENCES:

1. साहु, मनोज कुमार(2015) पलायन का वृद्धजनों पर प्रभाव-एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (छत्तीसगढ़ राज्य के बलौदाबाजार जिले के कसडोल विकासखण्ड के विशेष संदर्भ में) शोध प्रबंध, शोध गंगा इनफिलिबनेट .सी.इन पृ.स. 233-251.

2. रहमान, जमीलुरए वं गुप्ता, पंकज कुमार (2015) 'कौशल विकास में सुधार द्वारा राष्ट्र निर्माण' शोध समागम अक्टूबर-दिसम्बर 2021 वर्ष-03 वॉल्यूम 03- अंक 02, पृ.स. 2211-2216
3. NSSO(2015) शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर 68वें दौर की रिपोर्ट(22 सितम्बर 2015)
4. Gajpal, Kamal Narayan(2015). 'छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम प्रवास करने वाले परिवारों में बच्चों की शैक्षिक समस्याओं पर एक अध्ययन'
5. Agasty, Mahendra P(2016) "Migration Labour and Its Impact on Education of Left Behind Children :A case Study of Rural Odisha" *International Journal of Research in Humanities and Social Studies*3(4):57-62
6. Biswal, Madan,(2020) " Impact of Seasonal Migration on Children of a Scheduled Cast Community in Western Odisha, India" *EPRA International Journal of Economics and Business Review* 8(2):72-78
7. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
8. Dristi The Vision, Daily Updates. www.dristi.ias.com.



राम जन्मभूमि विवाद के पटक्षेप में प्राचीन ग्रंथों की प्रमाणिकता- जगद्गुरु रामभद्राचार्य जी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के विशेष संदर्भ में

शुभम

शोधार्थी, इतिहास विभाग, शासकीय दू.ब. महिला स्नातकोत्तर (स्वशासी) महाविद्यालय रायपुर
(छ.ग.)

डॉ. महेंद्र कुमार सार्व

शोध निर्देशक, इतिहास विभाग, शासकीय दू.ब. महिला स्नातकोत्तर (स्वशासी) महाविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)

सारांशिका:

अयोध्या के रामजन्मभूमि का विवाद, सदियों से भारतीय समाज के हृदय में एक गहरे नासूर की भाँती बना रहा है। यह केवल एक भूमि के टुकड़े का झगड़ा नहीं था, बल्कि भारत की सांस्कृतिक आत्मा, उसकी सनातन आस्था और ऐतिहासिक पहचान का प्रश्न था। इस जटिल पहेली को सुलझाने में भारतीय न्यायपालिका ने धैर्य और विवेक का परिचय दिया, और इस प्रक्रिया में कई असाधारण व्यक्तियों का योगदान रहा। इनमें से एक नाम है संत श्री जगद्गुरु रामभद्राचार्य जी, जिनके विद्वत्ता और शास्त्रों के अगाध ज्ञान ने इस विवाद को एक निर्णायक मोड़ दिया।

अयोध्या, जिसे भगवान राम की जन्मस्थली माना जाता है, सदियों से हिंदुओं के लिए एक पवित्र तीर्थ रहा है। पौराणिक कथाओं से लेकर ऐतिहासिक अभिलेखों तक, इस स्थान की महत्ता निर्विवाद रही है। दुर्भाग्यवश, 1528 ईस्वी में मुगल आक्रांता बाबर के सेनापति मीर बाकी द्वारा यहाँ एक भव्य मंदिर को ध्वस्त कर मस्जिद का निर्माण किया गया, जिसने विवाद की नींव रखी। इसके बाद के कई सौ वर्षों तक, हिंदुओं ने इस स्थान पर अपने अधिकार के लिए संघर्ष जारी रखा, जिसमें कई बलिदान दिए गए। कानूनी तौर पर, यह विवाद 1885 में शुरू हुआ और धीरे-धीरे एक जटिल मालिकाना हक के मुकदमे में बदल गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2010 में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया, जिसमें विवादित भूमि को तीन पक्षों में विभाजित करने का आदेश दिया गया। हालांकि, इस निर्णय में यह स्वीकार किया गया कि गुंबद के नीचे का स्थान ही भगवान राम का जन्मस्थान है। इस निर्णय को सभी पक्षों ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी, जहाँ 2019 में एक सर्वसम्मत और निर्णायक फैसला आया, जिसने पूरी विवादित भूमि हिंदुओं को सौंप दी और मस्जिद के लिए वैकल्पिक भूमि प्रदान की। इस विवादित फैसले में जगद्गुरु जी की अद्वितीय विद्वत्ता ही थी जिसने उन्हें रामजन्मभूमि विवाद में एक विशेषज्ञ गवाह के रूप में न्यायालय के समक्ष खड़ा किया। जुलाई 2003 में, उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपनी गवाही दी, जो कई दिनों तक चली। इस दौरान उन्होंने विपक्षी वकीलों के तीखे सवाल को सामना किया और लगभग 441 प्रमाण प्रस्तुत किए, जिनमें से 437 को न्यायालय ने स्वीकार किया। यह एक ऐसा क्षण था जब प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक न्यायशास्त्र का अद्भुत संगम देखने को मिला।

जगद्गुरु जी ने अपनी गवाही में केवल धार्मिक आस्था की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने प्राचीन ग्रंथों से ऐसे अकाट्य प्रमाण प्रस्तुत किए, जिन्होंने रामजन्मभूमि की ऐतिहासिकता को वैज्ञानिक और तार्किक आधार प्रदान किया।

इस प्रकार यह स्पष्ट होता है की रामजन्मभूमि विवाद का समाधान भारतीय इतिहास में एक नए अध्याय का सूत्रपात है। इस पूरी प्रक्रिया में जगद्गुरु रामभद्राचार्य जी की भूमिका एक ऐसे 'संत' की रही है, जिन्होंने अपनी प्रज्ञा और ज्ञान के बल पर आस्था को तर्क की कसौटी पर खरा उतारा। उन्होंने सिद्ध किया कि भौतिक दृष्टि से वंचित होने के बावजूद, आंतरिक दृष्टि और शास्त्रों का ज्ञान किसी भी जटिल समस्या का समाधान कर सकता है। उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाणों ने न केवल न्यायालय को सत्य तक पहुँचने में मदद की, बल्कि भारतीय समाज को अपनी सांस्कृतिक जड़ों पर गर्व करने का एक ठोस आधार भी प्रदान किया।

आज जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर आकार ले रहा है, तो यह केवल ईंट और पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि यह जगद्गुरु रामभद्राचार्य जी जैसे महापुरुषों के संकल्प, उनके अगाध ज्ञान और भारतीय न्याय प्रणाली की निष्पक्षता का जीवंत प्रमाण है। यह शोध सारांश इस बात पर बल देता है कि कैसे एक व्यक्ति की विद्वत्ता और दृढ़ता ने एक राष्ट्र के सदियों पुराने विवाद को शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण तरीके से सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

भूमिका :-

अयोध्या की पावन धरा पर स्थित रामजन्मभूमि का विवाद केवल एक भू-खंड के स्वामित्व का संघर्ष नहीं था, अपितु यह भारत की सनातन संस्कृति, अटूट आस्था और ऐतिहासिक सत्यता के मध्य सदियों से चला आ रहा एक वैचारिक और कानूनी संघर्ष था। इस विवाद का समाधान भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है, जहाँ पुरातात्विक अन्वेषणों के साथ-साथ प्राचीन साहित्यिक और धार्मिक ग्रंथों की प्रामाणिकता ने निर्णायक भूमिका निभाई। इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य रामजन्मभूमि विवाद के समाधान में जगद्गुरु रामभद्राचार्य जी के अप्रतिम योगदान का विस्तृत विश्लेषण करना है। उन्होंने अपनी विलक्षण प्रज्ञा और प्राचीन ग्रंथों के अगाध ज्ञान के माध्यम से न्यायालय में जो साक्ष्य प्रस्तुत किए, वे न केवल अकाट्य सिद्ध हुए, बल्कि उन्होंने आधुनिक न्यायशास्त्र और प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के मध्य एक सुदृढ़ सेतु का निर्माण किया। जगद्गुरु रामभद्राचार्य जी के अनुसार, राम मंदिर का निर्माण केवल एक धार्मिक स्थल की पुनर्स्थापना नहीं है, बल्कि यह भारत के 'स्व' की खोज है। उन्होंने अपने विभिन्न प्रवचनों और साक्षात्कारों में कहा है कि राम इस देश के 'इमाम-ए-हिंद' (जैसा कि अल्लामा इकबाल ने कहा था) और राष्ट्रीय नायक हैं। उनके साक्ष्यों ने इस विवाद को सांप्रदायिक रंग से निकालकर 'ऐतिहासिक न्याय' के धरातल पर ला खड़ा किया। उनके बयानों ने यह भी स्पष्ट किया कि राम मंदिर का निर्माण किसी समुदाय के विरुद्ध नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक भूल के सुधार के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने सदैव 'वसुधैव कुटुंबकम्' की भावना पर बल दिया है, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि शांति और सद्भाव का आधार 'सत्य' होना चाहिए, न कि ऐतिहासिक तथ्यों की अनदेखी। इसके अतिरिक्त जगद्गुरु जी की भूमिका इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि उन्होंने आधुनिक इतिहास लेखन की उन पद्धतियों को चुनौती दी जो केवल लिखित समकालीन दस्तावेजों को ही प्रमाण मानती थीं। उन्होंने 'श्रुति' (सुनकर याद रखना) और 'स्मृति' की परंपरा को न्यायालय के समक्ष एक वैज्ञानिक

आधार प्रदान किया। उन्होंने तर्क दिया कि भारतीय इतिहास लेखन की अपनी एक विशिष्ट पद्धति है, जहाँ 'पुराण' केवल कथाएं नहीं बल्कि भौगोलिक और वंशावली संबंधी विवरणों के संग्रह हैं। जब उन्होंने स्कंद पुराण के श्लोकों के माध्यम से सरयू नदी के तट से जन्मस्थान की दूरी और दिशा का वर्णन किया, तो उन्होंने वास्तव में एक 'साहित्यिक मानचित्र' प्रस्तुत किया। यह आधुनिक जीपीएस (GPS) तकनीक के समान ही सटीक था। उनके इस योगदान ने यह सिद्ध किया कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में 'स्थान' की महत्ता को सुरक्षित रखने के लिए अत्यंत सूक्ष्म विवरणों का उपयोग किया जाता था।

इस प्रकार यह शोध पत्र यह जानने का प्रयास करता है कि कैसे एक दृष्टिबाधित विद्वान ने अपनी आंतरिक दृष्टि और शास्त्रों के प्रमाणों से उस सत्य को उद्घाटित किया, जिसे देखने में आधुनिक इतिहासकार विफल रहे थे।

रामजन्मभूमि का इतिहास: एक विहंगम दृष्टि

अयोध्या, जिसे हिंदू धर्म में 'सप्त पुरियों' में प्रथम और मोक्षदायिनी माना गया है, भगवान श्री राम की जन्मस्थली के रूप में अनादि काल से प्रतिष्ठित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इस नगर की स्थापना स्वयं मनु ने की थी। ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार, इस स्थान पर विक्रमादित्य के काल में एक भव्य मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया था। 12वीं शताब्दी के गहरवार वंश के शिलालेखों से भी यहाँ एक विशाल विष्णु-हरि मंदिर होने के प्रमाण मिलते हैं।¹

विवाद की जड़ें 1528 ईस्वी में गहरी हुईं, जब मुगल आक्रांता बाबर के सेनापति मीर बाकी ने इस भव्य मंदिर को ध्वस्त कर दिया। ऐतिहासिक वृत्तांतों के अनुसार, मंदिर के स्तंभों और मलबे का उपयोग करके ही वहाँ एक ढांचे का निर्माण किया गया, जिसे कालांतर में बाबरी मस्जिद कहा गया। हालांकि, स्थानीय हिंदू समाज ने कभी भी इस स्थान पर अपना दावा नहीं छोड़ा। 18वीं और 19वीं शताब्दी के विदेशी यात्रियों, जैसे जोसेफ टिफेंथेल्स, ने अपने यात्रा वृत्तांतों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि हिंदू वहाँ 'राम चबूतरा' पर पूजा करते थे और उस स्थान को जन्मस्थान मानते थे। 1853 में पहली बार यहाँ बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसके बाद ब्रिटिश प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए परिसर को दो भागों में विभाजित कर दिया—भीतरी भाग मुस्लिमों के लिए और बाहरी भाग (राम चबूतरा और सीता रसोई) हिंदुओं के लिए।²

विवाद के मूल कारण और वैचारिक संघर्ष

रामजन्मभूमि विवाद के मूल में कई गहरे कारण निहित थे, जिन्होंने इसे विश्व का सबसे लंबा चलने वाला कानूनी विवाद बना दिया-

- **धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था:-** हिंदुओं के लिए यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि उनके आराध्य देव का जन्मस्थान था। यह आस्था किसी भी भौतिक साक्ष्य से परे थी, जिसे न्यायालय ने भी अंततः स्वीकार किया।
- **ऐतिहासिक साक्ष्यों का अभाव बनाम साहित्यिक प्रमाण:-** वामपंथी इतिहासकारों ने निरंतर यह तर्क दिया कि 16वीं शताब्दी से पूर्व के ग्रंथों में 'राम जन्मभूमि' का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इस वैचारिक शून्यता को जगद्गुरु रामभद्राचार्य जी ने अपने साक्ष्यों से पूर्ण किया।

- **पुरातात्विक अन्वेषण:-** भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की रिपोर्टों ने यह सिद्ध किया कि मस्जिद के नीचे एक विशाल गैर-इस्लामी संरचना के अवशेष थे, जो 10वीं शताब्दी के मंदिर के होने की पुष्टि करते थे।
- **कानूनी जटिलताएं:-** 1885 से शुरू हुए कानूनी दावों ने इसे एक 'टाइटल सूट' (मालिकाना हक का मुकदमा) बना दिया, जिसमें 'राम लला विराजमान' को स्वयं एक पक्षकार के रूप में प्रस्तुत किया गया।³

न्यायालयी यात्रा: उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय तक

रामजन्मभूमि विवाद की कानूनी यात्रा भारतीय न्यायपालिका के धैर्य और निष्पक्षता की परीक्षा थी। इस विवाद के कानूनी सफर को समझने के लिए उन विभिन्न मुकदमों का विश्लेषण आवश्यक है जिन्होंने इस विवाद को दशकों तक जीवित रखा। मुख्य रूप से चार दीवानी मुकदमों (Civil Suits) थे जिन्होंने इस विवाद की रूपरेखा तय की-

- **प्रथम मुकदमा (1950):-** गोपाल सिंह विशारद द्वारा दायर किया गया, जिसमें उन्होंने विवादित स्थल पर पूजा करने के अपने अधिकार की मांग की थी।
- **द्वितीय मुकदमा (1950):-** परमहंस रामचंद्र दास द्वारा दायर किया गया (जिसे बाद में वापस ले लिया गया), यह भी पूजा के अधिकार से संबंधित था।
- **तृतीय मुकदमा (1959):-** निर्मोही अखाड़े द्वारा दायर किया गया, जिसमें उन्होंने पूरे विवादित स्थल के प्रबंधन और कब्जे का दावा किया था।
- **चतुर्थ मुकदमा (1961):-** उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा दायर किया गया, जिसमें उन्होंने मस्जिद और आसपास की भूमि पर अपना मालिकाना हक जताया था।
- **पंचम मुकदमा (1989):-** यह सबसे महत्वपूर्ण मुकदमा था, जो 'राम लला विराजमान' की ओर से 'नेक्स्ट फ्रेंड' के रूप में देवकी नंदन अग्रवाल द्वारा दायर किया गया था। इसी मुकदमे ने भगवान राम को एक कानूनी पक्षकार बनाया।

जगदुरु रामभद्राचार्य जी की गवाही मुख्य रूप से इस पांचवें मुकदमे के समर्थन में थी, जहाँ उन्होंने सिद्ध किया कि भगवान का विग्रह और उनका जन्मस्थान स्वयं में एक 'देवता' है और उसे किसी भी कानूनी प्रक्रिया से अलग नहीं किया जा सकता।⁴

इलाहाबाद उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय (2010)

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने 30 सितंबर 2010 को अपना बहुप्रतीक्षित निर्णय सुनाया न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा, न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति एस.यू. खान की पीठ ने 2:1 के बहुमत से विवादित 2.77 एकड़ भूमि को तीन पक्षों—राम लला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड—में विभाजित करने का आदेश दिया। यद्यपि यह निर्णय भूमि के बंटवारे पर आधारित था, किंतु न्यायालय ने यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि विवादित गुंबद के नीचे का स्थान ही भगवान राम का जन्मस्थान है इस निर्णय में जगदुरु रामभद्राचार्य जी की गवाही को एक महत्वपूर्ण आधार माना गया था।⁵

उच्चतम न्यायालय का अंतिम समाधान (2019)

उच्च न्यायालय के निर्णय को सभी पक्षों ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने 40 दिनों तक

निरंतर सुनवाई की। 9 नवंबर 2019 को सुनाए गए 1045 पृष्ठों के ऐतिहासिक निर्णय में न्यायालय ने सर्वसम्मति से पूरी विवादित भूमि हिंदुओं (राम लला विराजमान) को सौंप दी। न्यायालय ने माना कि हिंदुओं की आस्था और साक्ष्य (साहित्यिक और पुरातात्विक) जन्मस्थान की पुष्टि करते हैं। न्यायालय ने अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुस्लिमों को मस्जिद के लिए अयोध्या में ही अन्यत्र 5 एकड़ भूमि देने का आदेश दिया।⁶

रामभूमि की ऐतिहासिकता और गुरु जी के अकाट्य तर्क

जुलाई 2003 में, जब रामजन्मभूमि का मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चल रहा था, तब जगदुरु रामभद्राचार्य जी को 'विशेषज्ञ गवाह' (Expert Witness) के रूप में बुलाया गया। उनकी गवाही कई दिनों तक चली, जिसमें उन्होंने विपक्षी वकीलों की तीखी जिरह का सामना किया। उन्होंने लगभग 441 प्रमाण प्रस्तुत किए, जिनमें से 437 को न्यायालय ने पूर्णतः स्वीकार किया। उनके तर्कों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थीं:-

- **भौगोलिक सटीकता:-** उन्होंने प्राचीन ग्रंथों के आधार पर अयोध्या की उस समय की सीमाओं और जन्मस्थान की सटीक स्थिति को रेखांकित किया।
- **निरंतरता का सिद्धांत:-** उन्होंने तर्क दिया कि यदि किसी स्थान पर मंदिर तोड़ दिया जाए, तब भी उस स्थान की पवित्रता और उसका 'देवत्व' समाप्त नहीं होता।
- **साहित्यिक साक्ष्य की प्रधानता:-** उन्होंने सिद्ध किया कि लोक-परंपरा और धार्मिक साहित्य में जन्मस्थान का वर्णन सदियों से चला आ रहा है, जो किसी भी भौतिक निर्माण से अधिक स्थायी है।⁷

प्राचीन ग्रंथों के प्रमाण:- एक विस्तृत विश्लेषण

स्वामी जी ने अपनी गवाही के दौरान वेदों से लेकर मध्यकालीन साहित्य तक के उद्धरण दिए, जिन्होंने मामले की दिशा बदल दी

❖ वैदिक प्रमाण

उन्होंने अथर्ववेद (10.2.31) का उद्धरण देते हुए अयोध्या को 'देवताओं की पुरी' सिद्ध किया: > "अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूर्योध्या। तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः॥" यह मंत्र अयोध्या की उस आध्यात्मिक संरचना का वर्णन करता है, जो इसे अन्य नगरों से भिन्न और पवित्र बनाती है।

❖ पौराणिक साक्ष्य (स्कंद पुराण)

स्वामी जी का सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य स्कंद पुराण के 'अयोध्या माहात्म्य' से था। उन्होंने न्यायालय में श्लोक उद्धृत करते हुए बताया: > "विघ्नेश्वरात् पूर्वभागे वशिष्ठादुत्तरे तथा। लोमशात् पश्चिमे भागे जन्मस्थानं तदुच्यते॥" अर्थात्, विघ्नेश्वर (गणेश) मंदिर के पूर्व में, वशिष्ठ कुंड के उत्तर में और लोमश ऋषि के आश्रम के पश्चिम में जो स्थान है, वही राम का जन्मस्थान है। जब न्यायालय ने इन स्थानों की वर्तमान स्थिति की जांच की, तो वे बिल्कुल सटीक पाए गए।

❖ वाल्मीकि रामायण

उन्होंने बालकाण्ड (सर्ग 18) के माध्यम से भगवान राम के जन्म के समय ग्रहों की स्थिति और स्थान की महत्ता को प्रतिपादित किया। उन्होंने सिद्ध किया कि 'जन्मभूमि' शब्द का प्रयोग वाल्मीकि ने अत्यंत विशिष्ट अर्थों में किया है।

❖ तुलसीदास के अप्रकाशित साक्ष्य

विपक्षी वकीलों का तर्क था कि यदि मंदिर तोड़ा गया होता, तो तुलसीदास जैसा रामभक्त अपनी रचनाओं में इसका उल्लेख अवश्य करता इस पर स्वामी जी ने तुलसीदास जी के 'दोहा शतक' (श्रीतुलसीशतकम्) के आठ दोहे प्रस्तुत किए, जो उस समय तक जनसामान्य के लिए सुलभ नहीं थे: "राम जनम महि मंदिरहि, तोरि मसीत बनाया। जवहि बहु हिन्दुन हते, तुलसी कीन्ही हाया॥" "बाबर बर्बर आइके, कर लीन्हे करवाला। हने पचारि-पचारि जन, तुलसी काल करा॥"

इन दोहों ने यह स्पष्ट कर दिया कि तुलसीदास जी ने न केवल मंदिर विध्वंस को देखा था, बल्कि उस पर अपनी गहरी पीड़ा भी व्यक्त की थी।⁸

रामभद्राचार्य जी के व्यक्तिगत अनुभव और आध्यात्मिक दृष्टि

न्यायालय में गवाही देना स्वामी जी के लिए केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक दायित्व था। उन्होंने साझा किया कि वे बचपन से ही राम लला के साथ एक एकात्म भाव महसूस करते रहे हैं। उन्होंने बताया कि जब वे विवादित स्थल पर गए, तो यद्यपि वे देख नहीं सकते थे, लेकिन वहां की मिट्टी की गंध और वहां व्याप्त स्पंदनों ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि यही वह स्थान है जहां कौशल्या नंदन ने जन्म लिया था।

उनके बयान के दौरान एक रोचक प्रसंग आया जब विपक्षी वकील ने उनसे पूछा कि क्या वे किसी ग्रंथ का नाम बता सकते हैं जिसमें 'मसीत' (मस्जिद) शब्द का प्रयोग हुआ हो स्वामी जी ने तुरंत 'कवितावली' का छंद उद्धृत किया: > "मांगि के खेबो, मसीत में सोइबो, लैबे को एकु न दैबे को दोऊ।" उन्होंने तर्क दिया कि तुलसीदास जी का 'मस्जिद में सोने' का उल्लेख उसी ढांचे की ओर संकेत करता है जो मंदिर तोड़कर बनाया गया था, क्योंकि एक कट्टर रामभक्त किसी अन्य मस्जिद में नहीं सोएगा।⁹

राम मंदिर निर्माण के फैसले में गुरु जी के बयानों का प्रभाव

उच्चतम न्यायालय के 2019 के निर्णय में जगद्गुरु जी के साक्ष्यों का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। न्यायालय ने अपने निर्णय के 'निष्कर्ष' खंड में स्वीकार किया कि

1. हिंदुओं की यह निरंतर मान्यता रही है कि विवादित स्थल ही भगवान राम का जन्मस्थान है।
2. स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में वर्णित भौगोलिक विवरणों को नकारा नहीं जा सकता।
3. साहित्यिक साक्ष्य पुरातात्विक साक्ष्यों के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। गुरु जी के बयानों ने 'राम लला विराजमान' को एक 'विधिक व्यक्ति' (के रूप में मान्यता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे यह सिद्ध हुआ कि देवता स्वयं अपनी संपत्ति के स्वामी होते हैं। उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों ने उन इतिहासकारों के दावों को आधारहीन सिद्ध कर दिया जो अयोध्या की ऐतिहासिकता पर प्रश्न उठाते थे।¹⁰

राम मंदिर निर्माण और गुरु जी की भविष्यवाणी

जगद्गुरु रामभद्राचार्य जी ने वर्षों पूर्व यह भविष्यवाणी की थी कि उनके जीवनकाल में ही राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ होगा। 5 अगस्त 2020 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर का भूमि पूजन किया, तो स्वामी जी वहां विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उनके लिए यह क्षण उनके जीवन की सबसे बड़ी विजय और उनके शास्त्रों के प्रति अटूट विश्वास की पुष्टि थी। उन्होंने हाल के

अपने बयानों में कहा है कि राम मंदिरका निर्माण भारत के 'सांस्कृतिक पुनर्जागरण' का प्रतीक है और यह आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़ने का कार्य करेगा।¹¹

निष्कर्ष:-

रामजन्मभूमि विवाद का पटाक्षेप भारतीय इतिहास के एक संघर्ष पूर्ण अध्याय का अंत और एक नए गौरवशाली युग का प्रारंभ है। इस पूरी प्रक्रिया में जगद्गुरु रामभद्राचार्य जी की भूमिका एक 'ऋषि' और 'योद्धा' के समन्वय के रूप में उभरती है। उन्होंने सिद्ध किया कि 'प्रज्ञा' (बुद्धि) भौतिक दृष्टि से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। उनके द्वारा प्रस्तुत प्राचीन ग्रंथों की प्रमाणिकता ने न केवल न्यायालय को सत्य तक पहुँचने में मदद की, बल्कि भारतीय समाज को अपनी विरासत पर गर्व करने का एक ठोस आधार भी प्रदान किया।

यह शोध पत्र यह निष्कर्ष निकालता है कि जगद्गुरु रामभद्राचार्य जी के बिना रामजन्मभूमि का कानूनी पक्ष इतना सुदृढ़ नहीं हो पाता। उनकी विद्वत्ता ने आस्था को तर्क की कसौटी पर कसकर उसे 'सत्य' के रूप में स्थापित किया। आज जब अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर निर्मित हो चुका है, तो वह न केवल पत्थरों का ढाँचा है, बल्कि जगद्गुरु जी जैसे महापुरुषों के संकल्प और शास्त्रों की अमोघ शक्ति का जीवंत प्रमाण है।

शोध का सारांश और भविष्य की दिशा

यह शोध पत्र जगद्गुरु रामभद्राचार्य जी के योगदान को तीन मुख्य बिंदुओं में समेटता है-

- ✓ **साहित्यिक साक्ष्यों का पुनरुद्धार:-** उन्होंने लुप्तप्राय और अप्रकाशित ग्रंथों के माध्यम से राम जन्मभूमि की ऐतिहासिकता को पुनर्जीवित किया।
- ✓ **न्यायिक स्पष्टता:-** उनके साक्ष्यों ने न्यायाधीशों को जटिल धार्मिक विषयों पर एक स्पष्ट और तर्कसंगत दृष्टिकोण प्रदान किया।
- ✓ **सांस्कृतिक आत्मविश्वास:-** उन्होंने सिद्ध किया कि भारतीय परंपराएं और ग्रंथ आधुनिक तर्क की कसौटी पर भी खरे उतरते हैं।

भविष्य के शोधकर्ताओं के लिए यह विषय अत्यंत उर्वर है कि कैसे प्राचीन ग्रंथों का उपयोग आधुनिक कानूनी विवादों के समाधान में किया जा सकता है। जगद्गुरु जी द्वारा प्रस्तुत 437 प्रमाणों का विस्तृत अध्ययन भारतीय न्यायशास्त्र और इतिहास लेखन के लिए एक नई दिशा प्रदान कर सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. आयोध्या दर्शन, लेख संकलन, प्रकाशक गीता प्रेस, गोरकपुर, चतुर्थ संस्करण 2024, पृ० 4-5
2. शर्मा, बी.आर., अयोध्या का सच, प्रकाशक, किताब महल: इलाहाबाद, 2011, पृ० 15-17
3. अग्रवाल, पी.के., अयोध्या का इतिहास और पुरातत्व, प्रकाशक, प्रभात प्रकाशन: नई दिल्ली, 2020, प्रिष्ठ संख्या 55-56
4. भारत का उच्चतम न्यायालय। निर्णय: एम. सिद्दीकी (डी) श्रू एलआरएस बनाम महंत सुरेश दास एवं अन्य (सिविल अपील नंबर 10866-10867/2010 नई दिल्ली, 2019, पृ० 29-42
5. इलाहाबाद, उच्च न्यायालय, निर्णय: राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद (ओ.एस. नंबर 4/1989), प्रयागराज, 2010, पृ० 35

6. भारत का उच्चतम न्यायालय। निर्णय: एम. सिद्दीकी (डी) थ्रू एलआरएस बनाम महंत सुरेश दास एवं अन्य (सिविल अपील नंबर 10866-10867/2010 नई दिल्ली, 2019), पृ० 922-929
7. शपथ पत्र, जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी, OPW-16), केस, भगवान श्री राम विराजमान व अन्य बनाम श्री राजेंद्र सिंह व अन्य, ओरिजिनल सूट संख्या 5/1989, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ), वॉल्यूम 26, पृ० 2562, 63
8. रामभद्राचार्य, जगद्गुरु, षष्ठिपूर्ति [अभिनन्दनग्रंथ), सम्पादक: आचार्य दिवाकर शर्मा, डॉ. सुरेन्द्र शर्मा 'सुशील', और डॉ. श्रीमती वन्दना श्रीवास्तव प्रकाशक- श्री तुलसी मंडल पंजी. गोविन्दपुरम गाजियाबाद, प्रथम संस्करण, 2011, पृ० 851 से 860
9. साक्षात्कार, जगद्गुरु रामभद्राचार्य जी दिनांक 16 जुलाई सन, 2025
10. भारत का उच्चतम न्यायालय। निर्णय: एम. सिद्दीकी (डी) थ्रू एलआरएस बनाम महंत सुरेश दास एवं अन्य (सिविल अपील नंबर 10866-10867/2010 नई दिल्ली, 2019), पृ० 653-654
11. समाचार पत्र, दैनिक जागरण। "रामभद्राचार्य की गवाही ने बदली अयोध्या केस की दिशा"। नई दिल्ली: 10 नवंबर, 2019।



दलित उत्थान की गांधीवादी अवधारणा

डॉ अंजू सिंह

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

सारांशिका

प्रस्तुत शोध का उद्देश्य महात्मा गांधी के दलित वर्गों के उत्थान संबंधी दृष्टिकोण का विश्लेषण करना तथा 1932 के पूना समझौते की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आवश्यकता एवं प्रभाव का मूल्यांकन करना है। इस अध्ययन में यह स्पष्ट किया गया है कि गांधीजी दलितों के सामाजिक, धार्मिक एवं नैतिक उत्थान के प्रबल समर्थक थे, किंतु उन्हें पृथक निर्वाचक मंडल (*Separate Electorate*) दिए जाने के विरोधी थे। उनका मानना था कि इससे हिंदू समाज का स्थायी विभाजन होगा तथा ब्रिटिश शासन की “फूट डालो और शासन करो” की नीति को बल मिलेगा। दूसरे गोलमेज सम्मेलन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैम्से मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय तथा यरवदा जेल में गांधीजी के आमरण अनशन की घटनाओं का विश्लेषण करते हुए यह अध्ययन दर्शाता है कि गांधीजी का संघर्ष दलित अधिकारों के विरुद्ध नहीं, बल्कि सामाजिक एकता और राष्ट्रीय अखंडता के पक्ष में था। पूना समझौते के माध्यम से पृथक निर्वाचन की व्यवस्था समाप्त हुई, जबकि दलित वर्गों के लिए आरक्षित प्रतिनिधित्व एवं राजनीतिक अधिकारों में उल्लेखनीय वृद्धि की गई। अध्ययन यह भी प्रतिपादित करता है कि गांधीजी ने अस्पृश्यता को हिंदू समाज का सबसे बड़ा नैतिक दोष माना तथा उसके उन्मूलन को राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की अनिवार्य शर्त बताया। स्वतंत्र भारत के संविधान में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण, राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा सामाजिक न्याय से संबंधित प्रावधानों में पूना समझौते की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और गांधीजी के विचारों की महत्वपूर्ण छाप दिखाई देती है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि गांधीजी का दृष्टिकोण दलितों के अधिकारों, सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय एकता तथा लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास था, जिसने भारतीय लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की दिशा को दीर्घकालीन रूप से प्रभावित किया।

दलित वर्गों के उत्थान के प्रति गांधीजी के दृष्टिकोण को लेकर समय-समय पर अनेक प्रश्न उठाए गए हैं, आशंकाएं व्यक्त की गई हैं और यह भी कहा गया है कि उन्होंने पर्याप्त उत्साह नहीं दिखाया। इसी संदर्भ में 24 सितंबर, 1932 में हुए पूना समझौते का उल्लेख किया जाता है। प्रस्तुत लेख का यह उद्देश्य है कि इस समझौते को स्वीकार करते समय गांधीजी का दृष्टिकोण क्या था, उन्होंने यरवदा जेल में ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा घोषित सांप्रदायिक निर्णय के विरोध में आमरण अनशन क्यों किया और दलित वर्गों के उत्थान में तथा उनको समुचित अधिकार दिलाने में उनकी कितनी रुचि थी? इस समय राजनीतिक, संवैधानिक और सांप्रदायिक प्रश्न एक-दूसरे से जुड़ते गए और दलितों के अधिकारों के प्रश्न भी इनसे सम्बद्ध रहे। एक ओर गांधीजी के नेतृत्व में राष्ट्रव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो दूसरी ओर संवैधानिक प्रश्नों पर विचार करने हेतु लंदन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित हो रहे थे। इस परिस्थिति में ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासकों ने

अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी ओर करने की सुनियोजित नीति अपनाई। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधीजी ने भाग लिया और वे सितंबर से दिसंबर 1931 तक ब्रिटेन में रहे। जैसा कि पहले से आशंका थी, इस गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिक समस्या के समाधान का प्रश्न छाया रहा और भावी संवैधानिक व्यवस्था का स्वरूप निर्धारित करने के मूल प्रश्न पर अधिक चर्चा नहीं हो सकी। सम्मेलन में भाग लेने आए मुस्लिम प्रतिनिधियों ने संवैधानिक समस्या के समाधान के पहले भावी संवैधानिक व्यवस्था के स्वरूप पर चर्चा करने से इनकार कर दिया। उनका रुख अत्यंत कठोर और अड़ियल था। इस सम्मेलन के प्रारंभ होते ही मुसलमान प्रतिनिधियों के अलावा भारतीय ईसाई, एंग्लो-इंडियन, यूरोपीय और दलित वर्गों के प्रतिनिधियों ने भी मांग की थी कि अलग प्रतिनिधित्व का अधिकार सभी को मिले। अन्य धार्मिक समुदायों के साथ-साथ दलित वर्गों के प्रतिनिधियों ने भी मांग की थी कि अलग प्रतिनिधित्व का अधिकार सभी को मिले। अन्य धार्मिक समुदायों के साथ-साथ दलित वर्गों के प्रतिनिधियों ने भी अपने को अल्प संख्यक वर्ग में रखने के तर्क दिये। इसके उत्तर में गांधीजी ने कांग्रेस की नीति को स्पष्ट करते हुए यह दृढ़ मत व्यक्त किया कि मुसलमानों और सिखों के अलावा किन्हीं भी अन्य वर्गों को अलग प्रतिनिधित्व का अधिकार न मिले। उनका कहना था कि वे इन दो वर्गों को पहले से प्राप्त अधिकारों के विस्तार के पक्ष में नहीं थे। गांधी जी के इस तर्क से दलित वर्गों के तथा अन्य छोटे धार्मिक सम्प्रदायों के प्रतिनिधि उनसे नाराज हो गये और उनके विरोध में मुस्लिम प्रतिनिधियों से जा मिले। दलित वर्गों के प्रतिनिधियों ने गांधीजी पर दबाव डालने का यह तरीका अपनाया। इससे गांधीजी की समस्याएं बढ़ीं और मुस्लिम प्रतिनिधि उत्साहित हुए। एक महीने से अधिक समय तक विचार-विमर्श से कोई नतीजा नहीं निकला और सम्मेलन में आये भारतीय प्रतिनिधि साम्प्रदायिक समस्या का कोई समाधान तलाश न कर सके।

अन्ततः दूसरे गोलमेज सम्मेलन के सम्मुख यह सवाल आया कि साम्प्रदायिक समस्या को सुलझाने और छोटे धार्मिक वर्गों और दलित वर्गों को संतुष्ट करने हेतु क्या उपाय किये जायें जिससे कि संवैधानिक सुधारों और राजनीतिक परिवर्तनों के लिए मार्ग प्रशस्त हो। गांधीजी का प्रस्ताव था विवादित दलों के बीच समाधान सुलझाने का उत्तरदायित्व पंचनिर्णय को सौंप दिया जाये और वे इसके निर्णय को मानने को तैयार थे। उनका यह प्रस्ताव किसी को भी पसन्द नहीं आया क्योंकि साम्राज्यवादी शक्तियाँ कांग्रेस के विरोधियों को उकसा रही थीं और उन्होंने साम्प्रदायिक दलों और दलित वर्गों को अपनी ओर करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। परिणामतः इन वर्गों ने अल्पसंख्यक समझौता करके इसे सम्मेलन के सम्मुख पेश किया जिसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री से आग्रह किया गया कि वह साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व अथवा अलग प्रतिनिधित्व पर अपना निर्णय दे। ब्रिटिश सरकार तो ऐसे अवसर की तलाश कर ही रही थी। उसने सम्मेलन के प्रतिनिधियों के इस सुझाव को स्वीकार कर लिया। इसी के अनुसार बाद में ब्रिटिश प्रधानमंत्री, रेम से मैकडोनल्ड, द्वारा साम्प्रदायिक निर्णय की घोषणा की थी।

इस गोलमेज सम्मेलन के समापन के पूर्व १३ नवम्बर १९३१ को अल्पसंख्यक समिति के सम्मुख गांधी ने, अंतिम और अत्यन्त महत्वपूर्ण भाषण देते हुए कांग्रेस की भावी नीति और अपने भावी कार्यक्रम पर प्रकाश डाला। उनकी स्वीकारोक्ति से स्पष्ट है कि यह पहले से तैयार किया गया भाषण नहीं था। इस भाषण में उनके हृदय के उद्गार परिलक्षित होते हैं। अतः इस भाषण की सविस्तार

चर्चा करने की आवश्यकता है। गांधी जी ने अल्पसंख्यकों के समझौते को पूरी तरह से नकारते हुए कहा कि इससे विभाजनकारी शक्तियों को बल मिलेगा और राष्ट्रीय एकता को ठेस पहुँचेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी भी ऐसा नहीं होने देगी और घोषणा की कि "उसे चाहे जितने वर्षों तक भटकना पड़े लेकिन ऐसा प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं होगा जिसके द्वारा स्वतंत्रता का मजबूत पेड़ न पनप सके और उत्तरदायी सरकार कभी भी न विकसित हो सके।" गोलमेज सम्मेलन की असफलता के लिये उन्होंने ब्रिटिश सरकार और प्रधानमंत्री को उत्तरदायी ठहराते हुए कहा कि साम्प्रदायिक समस्या का समाधान न होने से संविधान की प्रक्रिया बाधित हो रही थी और इसे एक अनिवार्य शर्त बताकर अल्पसंख्यकों को प्रोत्साहित किया था। गांधी जी का कहना था कि इसी से ये वर्ग किसी समझौते के लिए तैयार नहीं हुए। गांधी जी ने इसी भाषण में तथाकथित अस्पृश्यों की स्थिति और उनके प्रति अपनाये जाने वाले दृष्टिकोण को स्पष्ट किया। उनका कहना था कि वे अन्य अल्पसंख्यकों के दावों को समझ सकते थे पर उन्हें इन तथाकथित अस्पृश्यों से ऐसी आशा नहीं थी। उन्होंने कहा "इस समिति को और पूरे विश्व को यह जानना चाहिए कि आज ऐसा हिन्दू सुधारकों का वर्ग है जो इस अस्पृश्यता के दाग को मिटाने पर दृढ़प्रतिज्ञ है। हम अपने रजिस्टर और मतगणना में इन्हें एक अलग वर्ग की श्रेणी में नहीं देखना चाहते.....क्या ये अस्पृश्य स्थायी रूप से अस्पृश्य ही बने रहेंगे। इसके बजाय मैं ऐसे हिन्दू धर्म का अन्त होना स्वीकार कर लूँगा जिसमें अस्पृश्यता जीवित रहे"। गांधी जी का तर्क यह था कि अलग प्रतिनिधित्व की मांग अल्पसंख्यकों के लिए उचित हो सकती थी लेकिन अस्पृश्यों के हितों के लिये यह सिद्धान्त सर्वथा अनुचित था। इसी भाषण में उनका यह कथन कि "मैं भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भी समूचे अस्पृश्यों के हितों को कुर्बान नहीं कर दूँगा" उनके विचार को स्पष्ट करते हैं। इस भाषण का अंतिम अंश इस प्रकार था "जो अस्पृश्यों के राजनीतिक अधिकारों की बात करते हैं अपने भारत को नहीं जानते, यह नहीं जानते कि आज भारतीय समाज किस प्रकार का बना हुआ है और इस कारण मैं पूरा जोर देकर यह कहना चाहता हूँ कि यदि इसका विरोध करने वाला मैं अकेला व्यक्ति रहूँगा तो भी मैं अपने जीवन को दांव पर लगाकर इसका विरोध करूँगा।" प्रश्न उठता है कि क्या गांधी जी भावावेश में यह कह गये। इसका उत्तर देते हुए बाद में स्वयं स्वीकारा कि "ऐसा कहने को वे अपने को रोक नहीं सके" और बाद में उन्होंने जो आमरण अनशन किया वह कदम इस औपचारिक घोषणा का स्वाभाविक परिणाम था।⁶ कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने उस पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किये जिसमें ब्रिटिश प्रधान मंत्री से आग्रह किया गया था कि साम्प्रदायिक प्रश्न पर अपना निर्णय सुनाएं क्योंकि वे अन्य धार्मिक सम्प्रदायों अथवा अल्पसंख्यक वर्गों के प्रतिनिधियों के इस आग्रह से असहमत थे। इसके अलावा वे इसे ब्रिटिश राजनीतिज्ञों की भेदभाव पूर्ण नीति का स्पष्ट उदाहरण मानते थे। भारत सचिव ने स्वीकार किया कि "गांधी और मेरे बीच न पट सकने वाली खाई है" और वाइसराय को सूचना भेजी कि वे "गांधी जी के लगातार संपर्क में रहें और अब मेरा यह पक्का विचार है कि सम्भवतः हम गांधी जी साथ समझौता नहीं कर सकते।"

दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी की भागेदारी से और कोई परिणाम चाहे न निकला हो, फिर भी उन्हें ब्रिटिश सरकार के नीति निर्माताओं को निकट से देखने और उनकी नीतियों को और गहराई से समझने का मौका मिला। फिर भी उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि गांधी इरविन समझौते के समय की नीति के स्थान पर नया वाइसराय उनकी नीतियों का विरोध करने की कमर कस चुका था। गांधी से वाइसराय भेंट करने को तैयार नहीं हुआ और तुरन्त ही सविनय अवज्ञा आन्दोलन का

दूसरा दौर आरम्भ हो गया। गांधी जी को बंदी बनाकर यारवदा जेल भेज दिया गया और इसके पश्चात लम्बे समय तक वे यहीं रहे। इससे अलग प्रतिनिधित्व के विरोध में जनमत तैयार करने का अथवा गोलमेज सम्मेलन की गतिविधियों पर प्रकाश डालने का उन्हें अवसर नहीं मिला।

इन परिस्थितियों में गांधी के सम्मुख एक मात्र विकल्प था पत्रों के द्वारा ब्रिटिश सरकार को पहले से सचेत कर देना। उन्होंने मार्च १९३२ को भारत सचिव को एक महत्वपूर्ण पत्र लिखाकर दलित वर्गों को अलग प्रतिनिधित्व देने के ब्रिटिश सरकार के प्रयासों का विरोध करते हुए इन वर्गों की स्थिति और उनके उत्थान के प्रति अपने विचार प्रकट किये। उनका मत था कि उनकी स्थिति अन्य धार्मिक वर्गों से नितान्त भिन्न थी। इस कारण दलित वर्गों और अन्य वर्गों को राजनीतिक अधिकार देते समय एक ही श्रेणी में रखना उचित नहीं था। उनका यह भी कथन था इससे इनको नुकसान अधिक होगा और लाभ कम। गांधी जी का कहना था कि “जहाँ तक हिन्दू धर्म का सम्बन्ध है, अलग प्रतिनिधित्व इसे विघटित कर देगा।” अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा “मेरे लिये इन वर्गों का प्रश्न मुख्यतः नैतिक और धार्मिक है। नैतिक और धार्मिक पक्ष की तुलना में इसका राजनीतिक पक्ष बिल्कुल निरर्थक हो जाता है”। उन्होंने यह भी स्वीकार किया “मैं सोचता हूँ ऊँची जाति के हिन्दुओं के प्रायश्चित करने मात्र से उस क्षति की पूर्ति कदापि नहीं होगी जो उन्होंने दलित वर्गों को शताब्दियों से नीची श्रेणी में रखकर की है।” यह जानते हुए भी गांधी जी का कथन था कि अलग प्रतिनिधित्व न तो किसी प्रकार का प्रायश्चित था और न ही समस्या का किसी प्रकार का समाधान। दलित वर्गों के विषय में ब्रिटिश सरकार को सविस्तार लिखने के बाद उन्होंने स्पष्ट शब्दों में भारत सचिव को यह भी सूचित कर दिया कि इन वर्गों को यदि अलग प्रतिनिधित्व का अधिकार देने का निर्णय किया गया तो वे आमरण अनशन करके इसका विरोध करेंगे।^१

गांधी जी के सभी तर्कों को अस्वीकार करके और उनके आमरण अनशन की चेतावनी के बावजूद ब्रिटिश सरकार पूर्व निर्धारित नीति पर डटी रही और ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने १६ अगस्त १९३२ को साम्प्रदायिक निर्णय की घोषणा कर दी। इसके द्वारा मुसलमानों को पहले की तरह अलग प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला तथा बंगाल और पंजाब प्रान्तों में विशेष स्थिति प्राप्त हुई और सिखों को भी पूर्ववत् अलग प्रतिनिधित्व का अधिकार सुरक्षित रहा। लेकिन इसका सर्वथा नया पहलू यह था कि पहली बार दलित वर्गों को भी अलग प्रतिनिधित्व का अधिकार प्रदान किया गया। ईसाई आर अन्य योरोपीय वर्गों को भी ऐसे ही अधिकार दिये गये। ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा की गयी यह घोषणा एक “अत्यंत आवश्यक राजनीतिक आवश्यकता” था। १९३२ में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः आरम्भ हो गया तो ब्रिटिश सरकार ने समूची राजनीति का विवेचन किया। इसका एक पक्ष था पूरी शक्ति से आंदोलन का दमन। इसका दूसरा पक्ष था आगामी संविधान की रूपरेखा की यथाशीघ्र घोषणा। ऐसा करते समय कांग्रेस विरोधी शक्तियों की सहानुभूति प्राप्त करने और उन्हें संतुष्ट करने का निश्चय किया गया। जब वाइसराय और भारत सचिव ने कांग्रेस से बातचीत करने के द्वार बंद कर लिये तो फिर अन्य साम्प्रदायिक और अल्पसंख्यक वर्गों की मांगों को स्वीकार करने के लिये यथाशीघ्र ऐसी घोषणा करने का निर्णय लिया गया। भारत सरकार लगातार यह चाह रही थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस के अलावा अन्य सभी राजनीतिक दलों, सम्प्रदायों और वर्गों की सहानुभूति प्राप्त की जाये। इन परिस्थितियों में ‘मुसलमानों को संतुष्ट करने’ के उद्देश्य से साम्प्रदायिक निर्णय की घोषणा की गयी और यह भी निश्चय किया गया कि अन्य वर्गों की सहानुभूति

प्राप्त करने की पूर्वघोषित नीति में कोई परिवर्तन न किया जाये। 10 ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा अगस्त १९३२ में किये गये साम्प्रदायिक निर्णय द्वारा दलित वर्गों को अल्पसंख्यक स्वीकार किया गया और उन्हें अलग प्रतिनिधित्व का अधिकार प्रदान किया गया। दलित वर्गों हेतु विशेष निर्वाचन क्षेत्रों का प्रावधान किया गया और सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में भी वे मतदान कर सकते थे। इस निर्णय में यह व्यवस्था भी थी कि दलित वर्गों को अलग प्रतिनिधित्व का अधिकार केवल बीस वर्षों के लिये था और इस अवधि के पश्चात यह स्वतः समाप्त हो जाना था। गांधी जी के प्रबल विरोध को पहले से शांत करने के उद्देश्य से और इस निर्णय को विरोधियों को ध्यान में रखकर इसमें समय सीमा का निर्धारण किया गया था। इस निर्णय की औपचारिक घोषणा के विरोध में आमरण अनशन करने का निर्णय लेने में गांधी जी ने तनिक भी विलम्ब नहीं किया; क्योंकि वे पहले से ही ऐसा निश्चय कर चुके थे और ब्रिटिश सरकार को बहुत पहले ही आगाह कर चुके थे। कई महीनों पहले से ही उन्हें यह आभास हो चुका था कि ब्रिटिश सरकार की ओर से ऐसा निर्णय हो सकता था। यह भी उल्लेखनीय है कि आमरण अनशन द्वारा साम्प्रदायिक निर्णय का विरोध करने का निर्णय करने में गांधी जी ने किसी से परामर्श नहीं किया। उनके निजी सचिव महादेव देसाई और वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के साथ ही यारवदा जेल में इस समय थे और उनके विवरण से इस तथ्य की पुष्टि होती है। फिर भी अनशन तुरन्त प्रारम्भ नहीं किया गया। जैसा कि गांधी जी का तरीका था उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर यह सूचित कर दिया कि २० सितम्बर १९३२ को वे अपना अनशन प्रारम्भ करेंगे। हालांकि गांधी जी समूचे निर्णय के विरुद्ध थे लेकिन उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में केवल दलित वर्गों को पहली बार दिए जा रहे अलग प्रतिनिधित्व के विरोध की बात कही। इस पत्र में गांधी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को बताया कि अनशन तभी समाप्त होगा जब ब्रिटिश सरकार अपने निर्णय को वापस ले लेगी। इस पत्र में उनका कहना था कि "एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में मेरे सम्मुख और कोई विकल्प नहीं है।" उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि "दलित वर्गों को अलग प्रतिनिधित्व का अधिकार देने से जितना नुकसान उन्हें होगा उतना ही हिन्दू धर्म को भी होगा।" उनका यह विचार भी था कि यदि उनका यह मत गलत था तो फिर उनका समूचा जीवन दर्शन ही सही नहीं था।" इस प्रकार गांधी जी का विरोध उनके द्वारा संजोये और प्रतिपादित आधारभूत मूल्यों पर आधारित था। उन्होंने अपने नैतिक शस्त्रागार के 'सबसे शक्तिशाली अस्त्र' का प्रयोग करते हुए आमरण अनशन का निश्चय किया। २० सितम्बर, १९३२ को आमरण अनशन आरम्भ करने का गांधी जी का निर्णय धार्मिक भी था और राजनीतिक भी। हालांकि ऐसा कदम उठाने के पहले उन्होंने अनेक बार कहा था कि उनकी दृष्टि में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व का प्रश्न धार्मिक था फिर भी वे यह मानते थे कि धर्म और राजनीति एक दूसरे से अलग नहीं थे। आमरण अनशन के निराले तरीके के द्वारा वे जनमत को प्रभावित करना चाहते थे और उन्होंने ऐसा किया भी। यह भी ध्यान देने योग्य है कि वे इस समय जेल में थे और देश में सविनय अवज्ञा आन्दोलन चल रहा था। ऐसी स्थिति में गांधी जी को जनजागरण करने का यह मार्ग उचित दिखायी दिया। निर्धारित समय के कुछ दिन पूर्व एक सार्वजनिक वक्तव्य देकर गांधी जी ने आमरण अनशन की सार्वजनिक घोषणा की। इससे सभी को ज्ञात हुआ कि किन परिस्थितियों में गांधी जी ने अपना जीवन दांव पर लगाने का निश्चय किया था। इस वक्तव्य में उन्होंने अपने उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा कि 'शुद्ध और सीधे न्याय' के पक्ष में वे अपना पूरा जोर लगा रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि उचित धार्मिक कार्य हेतु वे हिन्दू अंतःकरण को व्यथित करना चाहते थे। इस सार्वजनिक

वक्तव्य में उन्होंने हिन्दुओं को निशाना बनाते हुए आगे कहा “यदि अब भी हिन्दू जनमानस अस्पृश्यता को जड़ से उखाड़ फेंकने को तैयार नहीं है तो फिर उन्हें बिना हिचक के मेरा बलिदान करने को तैयार होना चाहिए।” गांधी जी का यह विश्वास था कि दलित वर्ग के लोग “ऊपर की जाति वालों से इतने घुले मिले हैं और उनके साथ मिलकर तथा उनके लिये रहते हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। वे एक अविभाजित परिवार के भाग हैं।” इस दृष्टिकोण पर जोर देते हुए गांधी जी ने विशाल हिन्दू समुदाय के अंदर ही अनुसूचित वर्गों की पूर्ण स्वतंत्रता पर जोर देते हुए स्पष्ट किया कि “मेरे अनशन को लेकर कोई भ्रान्ति न हो इस कारण मैं पुनः कह रहा हूँ कि इसका लक्ष्य अलग प्रतिनिधित्व को दी जा रही वैधानिक मान्यता है।”¹³ इसी वक्तव्य में उन्होंने यह भी जाहिर कर दिया कि जैसे ही यह धमकी हमेशा के लिए समाप्त हो जायेगी यह अनशन भी समाप्त कर दिया जायेगा। आमरण अनशन आरम्भ करने के कुछ दिनों पूर्व गांधी जी ने सार्वजनिक रूप से अपनी स्थिति स्पष्ट करने का भरसक प्रयत्न किया था। इसमें साफ-साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि वे दलित वर्गों को विशाल हिन्दू समाज का भाग मानते हुए उन्हें अलग करने की ब्रिटिश सरकार की नीति के प्रबल विरोधी थे और इसी विरोध को वे अनशन द्वारा प्रकट कर रहे थे। इसी समय गांधी जी ने यारवदा जेल से प्रतिदिन अनेकों पत्र लिखकर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया। वे यह भली भांति जानते थे कि सभी के मस्तिष्क में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे थे और जहाँ तक संभव हो सका उन्होंने अपनी स्थिति की जानकारी दी। इन पत्रों से गांधी जी के मत का विवेचन किया जा सकता है। उदाहरण के लिये सरोजनी नायडू को लिखे पत्र में उनका कहना था कि “अस्पृश्यों के लिए अपना जीवन कुर्बान करने का मेरा विचार कल का नहीं है। यह बहुत पहले का है। लेकिन मंत्रीमंडल का निर्णय मेरे लिए प्रचंड चेतावनी की तरह था जिससे मेरी नींद टूटी और मुझे आभास हुआ कि यही समय है।”¹⁴ इसी पत्र में गांधी जी का यह कथन भी था कि यदि “हिन्दू धर्म को जीवित रखना है तो अस्पृश्यता अवश्य मर जानी चाहिए।”²⁰ सितम्बर, 1932 को गांधी जी के आमरण अनशन प्रारम्भ होते ही तुरन्त समूचे देश में बेचैनी फैली। सभी ओर से यह विचार किया गया कि गांधी जी के जीवन की रक्षा का कोई न कोई तरीका निकाला जाये। प्रमुख राजनीतिज्ञों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विभिन्न वर्गों के नेताओं के बीच व्यापक विचार-विमर्श किया गया। गांधी जी के जीवन की रक्षा का एकमात्र मार्ग था ब्रिटिश प्रधान मंत्री की घोषणा का वह अंश जिसमें प्रावधान था कि जिन वर्गों को अलग प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा रहा था उनकी इच्छानुसार संशोधन का प्रस्ताव मिलने पर ब्रिटिश सरकार मूल घोषणा के कुछ अंशों पर पुनर्विचार कर सकती थी। तेजी से राजनीतिक गतिविधियों और विचार विमर्शों का क्रम चला जिनमें मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू, एम० आर० जयकर, राजेन्द्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, एम० एस० बेग और वी० एस० मुन्जे ने भाग लिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और एम० सी० राजा से सम्पर्क करके उनके और गांधी जी के विचारों के बीच तालमेल बैठाने के प्रयास हुए। अन्ततः डॉ० अम्बेडकर जी को मूल घोषणा के उन अंशों में संशोधन के लिए तैयार कर लिया गया जिनका सम्बन्ध दलित वर्गों को दिये जाने वाले अलग प्रतिनिधित्व के अधिकार से था। इसकी परिणति पूना समझौते से हुई।

24 सितंबर को हुए पूना समझौते के परिणामस्वरूप गांधी जी ने आमरण अनशन समाप्त कर दिया। लेकिन वास्तव में इस समझौते पर उनके हस्ताक्षर नहीं थे। इसे 'दलित वर्गों की ओर से और शेष हिन्दू वर्ग के नेताओं की ओर से विधान सभाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व और उनके

कल्याण से जुड़े अन्य प्रश्नों पर किया गया समझौता' 15 कहा गया और इस पर लगभग चालीस नेताओं ने हस्ताक्षर किए। महत्वपूर्ण व्यक्ति वही थे जिन्होंने पूना समझौता कराने में भाग लिया था। दलित वर्ग की ओर से सहमत होने वाले नेताओं में प्रमुख थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और गांधी जी। इनकी सहमति और इच्छा से ही पूना समझौता ब्रिटिश सरकार के विचार हेतु प्रस्तुत किया गया।

पूना समझौते के द्वारा दलित वर्गों के प्रतिनिधियों ने अलग प्रतिनिधित्व के अधिकार को छोड़ दिया। इस प्रकार उस प्रमुख सिद्धांत को ब्रिटिश प्रधान मंत्री के निर्णय से हटा देने का समझौता हो गया, जिस पर गांधी जी आपत्ति कर रहे थे। इस निर्णय को स्वीकारने पर पूना समझौते द्वारा दलित वर्गों को प्रांतीय विधान सभाओं में अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने का समझौता हुआ। अब 71 के स्थान पर उनके लिए 148 स्थान सुरक्षित कर दिए गए। संघीय सभा में 18 प्रतिशत स्थान दलित वर्गों की शिक्षा के लिए अलग से धनराशि सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई। पूना समझौते द्वारा दलित वर्गों के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण का प्रावधान किया गया। लेकिन इन क्षेत्रों में सभी वर्गों के लोगों को मतदान का अधिकार था। दलित वर्गों को सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के अलावा अन्य सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान का अधिकार था। उल्लेखनीय है कि दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने का यह सिद्धांत 1947 तक तो चला ही, पर बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भी नवीन संविधान द्वारा दलित वर्गों को विधान सभाओं और संसद में प्रतिनिधित्व मिला। पूना समझौते के समय स्वीकृत सिद्धांत को स्थायी रूप से स्वीकृति प्रदान किया जाना यह प्रमाणित करता है कि इस समय का किया गया निर्णय उचित था और गांधी जी ने सही दिशा की ओर कदम उठाने की प्रेरणा दी।

जवाहरलाल नेहरू को उस समय दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व का सबाल एक गौण विषय दिखाई दिया था और वे समझ नहीं सके थे कि ऐसे साधारण विषय पर जीवन बलिदान करने को गांधी जी क्यों तैयार हुए। नेहरू जी की चिंता यह 'कि इस प्रकार के प्रश्नों में उलझने से स्वतंत्रता आंदोलन के मुख्य अभियान पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता था', से जाहिर है कि नेहरू के समान अनेक समकालीन राष्ट्रनेता स्वतंत्रता संघर्ष के समय अन्य सामाजिक प्रश्नों से दूर रहना चाहते थे। लेकिन गांधी जी ने पूना समझौते के पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री के निर्णय का विरोध करते समय दलित वर्गों की समस्याओं के महत्व को स्वीकार किया। दलित वर्गों को उन्होंने विशाल हिन्दू समाज के एक अंग के रूप में ही माना। वे यह कल्पना नहीं कर सकते थे किसी भी प्रकार से दलित वर्गों के प्रश्न हिन्दू समाज के अन्य व्यक्तियों से भिन्न थे। इसी से गांधी जी ने ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासकों की विभाजन की प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने की साजिश का मुकाबला करने पर इतना कठोर रवैया अपनाया। 1932 के उपरांत गांधी जी दलित वर्गों के उत्थान में और भी सक्रियता से जुट गये क्योंकि उनकी मान्यता थी कि दलितों के उत्थान का दायित्व सम्पूर्ण हिन्दू समाज का था। भारत छोड़ो आन्दोलन के बाद एक के बाद एक राजनीतिक घटनाएँ तेजी से घटती रहीं और भारत-विभाजन की कीमत पर स्वाधीनता की प्रेरणा बढ़ता गया। अगस्त 1947 में भारत का विभाजन हुआ और जब देश का नया संविधान बना तो उसमें दलित वर्ग के उत्थान और अस्पृश्यता निवारण के सम्बन्ध में समुचित व्यवस्थाएँ की गयीं और इस प्रकार गांधीजी के सपनों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाया गया।

देश के वर्तमान संविधान में अनुसूचित जातियों, अछूतों और अन्य पिछड़े वर्गों को अनेक संरक्षण प्राप्त हुए हैं। यद्यपि अधिकारों और अवसरों की समानता की सब नागरिकों को गारंटी दी गई है लेकिन जनता के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए कुछ निश्चित उपाय बताए गए हैं। शैक्षणिक तथा आर्थिक दृष्टि से उनके उत्थान करने और उनको परंपरागत सामाजिक नियोग्यताओं को दूर करने के उद्देश्य से संविधान में उन्हें आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।

संदर्भ:

1. आर० जे० मूर, दि क्राइसिस ऑफ इंडियन यूनिटी, पृ० 218-22
2. जवाहर लाल नेहरू, ऐन आटोबायग्राफी, पृ० 280.
3. गांधी वांगमय, जिल्द 51, पृ० 252, एच० एस० एल० पोलक को लिखा गांधी जी का पत्र 17 अक्टूबर, 1932.
4. वही, जिल्द 48, पृ० 295, लंदन में अल्पसंख्यक समिति के सम्मुख भाषण, 13.11.1931.
5. वही
6. वही
7. सैमुअल होर का विलिंगडन को पत्र, 3 दिसम्बर 1931, ज्यूडिथ एम० ब्राउन, गांधी एण्ड सिविल डिसओबीडिएन्स में उद्धृत, पृ० 252.
8. गांधी वांगमय, जिल्द 49, पृ० 190-91, गांधी जी का पत्र सैमुअल होर को 11 मार्च, 1932.
9. जे० एम० ब्राउन, गांधी एण्ड सिविल डिसओबीडिएन्स, पृ० 313.
10. आर० जे० मूर, दि क्राइसिस ऑफ इंडियन यूनिटी, पृ० 261-62.
11. गांधी वांगमय, जिल्द 50, गांधी जी का पत्र रेमजे मैकडानल्ड को 18.8.1932 पृ० 383-84.
12. जे० एम० ब्राउन, गांधी एण्ड सिविल डिसओबीडिएन्स, पृ० 316.
13. गांधी वांगमय, जिल्द 51, पृ० 62-64.
14. वही, गांधी जी का पत्र सरोजिनी नायडू को 17.9.1932.
15. वही, मूल समझौते की प्रतिलिपि, पृ० 463-65.
16. जवाहर लाल नेहरू, ऐन आटोबायग्राफी, पृ० 170.



पूर्व-मध्ययुगीन-उत्तरवर्ती चरण में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति:ए क विश्लेषण

मोहम्मद आकिब

शोध छात्र, प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज

सारांशिका

स्त्रियाँ भारतीय समाज की अभिन्न एवं अविभाज्य अंग हैं जिन्हें आरम्भ से ही समादरणीय स्थान प्राप्त रहा है, किन्तु समय-समाज सापेक्ष उनकी स्थिति परिवर्तित होती रही है, जिसके पीछे अनेकानेक कारण उत्तरदायी रहे हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के पूर्व-मध्ययुग का उत्तरवर्ती चरण, राजनीतिक अस्थिरता जिसमें विश्रुंखलन एवं मुस्लिम आक्रमण सर्वप्रमुख थे जिनके कारण आर्थिक विषमता एवं सांस्कृतिक विविधता के काल के रूप में परिलक्षित होता है जिसका प्रभाव तदयुगीन स्त्रियों के सामाजिक जीवन पर भी स्पष्ट दिखायी देता है। मुस्लिम आक्रमणों से आतंकित भारतीय समाज ने एक तरफ संयुक्त परिवार के अनुशासन को दृढ़ किया तो वहीं दूसरी तरफ पर्दा-प्रथा एवं सती-प्रथा जैसी कुरीतियों को अधिकाधिक बल मिला। साथ ही एक तरफ कन्याओं की कौमार्य रक्षा हेतु रूप में विवाह का प्रचलन बढ़ा तो दूसरी ओर स्त्रियों के रक्षण-पोषण हेतु उनके साम्प्रतिक अधिकारों में अभिवृद्धि हुई।

बीज शब्द— वैधव्य, सती-प्रथा, पर्दा-प्रथा, प्रोषितपतिका, वेश्यावृत्ति, देवदासी।

सामान्यतया प्राचीन भारतीय इतिहास के एक सुदीर्घ कालखण्ड 600-1200 ई० को अधिकांशतः इतिहासकारों ने 'पूर्व-मध्यकाल' की संज्ञा दी है, किन्तु प्रोफेसर रामशरण शर्मा जैसे इतिहासकार का मत है कि 600 ई० से 750 ई० का कालखण्ड 'संक्रमण काल' है। वे 750 ई० से 1200 ई० के बीच की अवधि को पूर्व-मध्यकाल मानने के पक्षधर हैं। इतना ही नहीं इसे भी वे दो उपखण्डों— पूर्व मध्यकाल जिसकी अवधि 750-1000 ई० तथा उत्तर पूर्वमध्यकाल 1000-1200 ई० के बीच विभक्त कर तदयुगीन प्रवृत्तियों के अध्ययन पर बल देते हैं।

यह काल राजनीतिक विकेन्द्रीकरण, सामन्तवाद का उदय, क्षेत्रीय संस्कृतियों के उभार और मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमणों का काल था जिसने भारत की सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को प्रभावित किया जिसका व्यापक प्रभाव स्त्रियों की सामाजिक स्थिति पर भी पड़ा। इस शोध के माध्यम से स्त्रियों की उस काल-विशेष में सामाजिक स्थिति का अध्ययन ही प्रतिपाद्य विषय है।

हिन्दू समाज में स्त्रियों का सम्मान प्राचीन काल से ही आदर्शात्मक रहा है। भारतीय परम्परा में नारी को पुरुष की पूरक शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है, जिसके अनुसार जब तक मनुष्य भार्या अर्थात् पत्नी की प्राप्ति नहीं कर लेता, वह अपूर्ण माना जाता है।¹ गृहस्थाश्रम में एक पत्नी के रूप में उसकी

प्रतिष्ठा सदैव अक्षुण्ण रही, जहाँ उसे धर्म, अर्थ और काम का मुख्य आधार माना गया। यद्यपि उसे गृह के आंतरिक कार्यों में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी, किंतु गृह के बाहर उसकी सामाजिक सक्रियता अपेक्षाकृत सीमित थी। परिवार और समाज में माता के रूप में नारी का पद विशेष रूप से आदरणीय एवं गौरवपूर्ण रहा है। इस संदर्भ में क्षेमेन्द्र का कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है कि माता का स्थान गुरु से भी उच्च है और किसी भी परिस्थिति में उसकी आज्ञा की अवहेलना नहीं की जानी चाहिए।¹²

पूर्व-मध्ययुग के उत्तरवर्ती चरण में भारतीय समाज व्यापक परिवर्तनों के दौर से गुजरा। यह काल राजनीतिक अशांति, भूमिदान की प्रथा, सामंतवाद का उदय, आर्थिक विषमता तथा वाममार्गी व तांत्रिक आंदोलनों के प्रभाव के कारण पहचाना जाता है। इन सामाजिक-सांस्कृतिक परिस्थितियों के परिणामस्वरूप स्त्रियों की दशा पूर्ववर्ती युगों की तुलना में सर्वाधिक संक्रमणशील हो गई थी। इस युग में जहाँ एक ओर रूढ़ियाँ बढ़ रही थीं, वहीं दूसरी ओर तत्कालीन साहित्य और अभिलेखों में प्रगतिशील दृष्टिकोण भी दिखाई देता है। उदाहरणस्वरूप, इस काल में पीड़ित कन्याओं का शुद्धीकरण कर उन्हें पुनः समाज में स्वीकारने तथा स्त्रियों को साम्प्रतिक अधिकार प्रदान किए जाने के स्पष्ट उल्लेख मिलते हैं, जो नारी के प्रति समाज के बदलते और उत्तरदायी दृष्टिकोण को दर्शाते हैं।

पूर्व-मध्यकालीन भारतीय समाज में सामंती प्रवृत्तियों के उदय और निरंतर होने वाले वाह्य मुस्लिम आक्रमणों ने सुरक्षा की एक गंभीर चुनौती उत्पन्न कर दी थी। वाह्य खतरों के इस वातावरण में स्त्रियों की रक्षा का प्रश्न अत्यंत जटिल हो गया, जिसके परिणामस्वरूप हिंदू समाज में सामाजिक प्रतिबंध कड़े होते चले गए। इसी असुरक्षा की भावना ने बाल-विवाह की कुप्रथा पर पूर्व की अपेक्षा अधिक बल दिया, जिससे कि कम आयु में ही कन्याओं का उत्तरदायित्व सुदृढ़ किया जा सकें। इस व्यवस्था का सर्वाधिक नकारात्मक प्रभाव स्त्रियों की शिक्षा पर पड़ा, जो विवाह के प्रारंभिक बोझ के कारण पूरी तरह बाधित हो गई। तत्कालीन सामाजिक मानसिकता का चित्रण करते हुए इतिहासकार अलबरूनी ने भी लिखा है कि उस समय समाज में कन्या की तुलना में पुत्र के जन्म को अधिक सौभाग्यशाली और प्रसन्नता का विषय माना जाता था।¹³ इससे स्पष्ट होता है कि इन विषम परिस्थितियों ने महिलाओं के सामाजिक स्तर और अधिकारों को सीमित करने में बड़ी भूमिका निभाई।

पूर्व-मध्ययुग के उत्तरवर्ती चरण में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में व्यापक गिरावट आई, जिसका सबसे क्रूर और शोचनीय पक्ष 'वैधव्य' अर्थात् विधवा-जीवन था। इस काल के धर्मशास्त्रकारों ने विधवाओं के लिए अत्यंत कठोर और अमानवीय नियम प्रतिपादित किए, जिससे वे अभिशप्त जीवन व्यतीत करने को बाध्य हुईं। ब्रह्मवैवर्त पुराण ने विधवाओं के सामने केवल दो ही विकल्प छोड़े या तो वे आजीवन कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करें या 'सती' होकर जीवन समाप्त कर लें।¹⁴ समाज में उन्हें 'अशुभ' और 'अभिशप्त' माना जाता था, जिसके कारण उन्हें हर मांगलिक कार्य से वंचित कर दिया गया और अक्सर सती होने के लिए प्रेरित भी किया जाता था।

विधवाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण और भी अधिक दयनीय तब हुआ जब उनके शारीरिक स्वरूप पर भी प्रहार किया गया। विवेच्य युग में 'मुण्डन' जैसी निन्दनीय प्रथा का आरोपण किया गया, जिसका उल्लेख स्कन्दपुराण में मिलता है।⁵ इतिहासकार अल्टेकर के अनुसार विधवाओं के मुण्डन की यह कुप्रथा विशेष रूप से 12वीं सदी के आस-पास अधिक प्रचलित हुई।⁶ प्रसिद्ध यात्री अलबरूनी भी समकालीन भारतीय समाज में विधवाओं की इस अत्यंत दयनीय और अपमानजनक स्थिति का स्पष्ट उल्लेख किया है, जो यह दर्शाता है कि उस काल में विधवाएँ क सम्मानित सदस्य के बजाय समाज की उपेक्षित और तिरस्कृत इकाई बनकर रह गई थी।

सती-प्रथा का विकास भारतीय इतिहास में 'आदर्श' से 'प्रथा' बनने की एक जटिल प्रक्रिया रही है। सती शब्द की व्युत्पत्ति 'सत्' धातु से हुई है जो मूलतः स्त्री के आंतरिक चारित्रिक गुणों और पतिव्रत धर्म के निष्ठावान पालन को रेखांकित करता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार, सती होने का अर्थ अनिवार्य रूप से आत्मदाह नहीं, बल्कि पवित्रता के साथ जीवन व्यतीत करना जिन्हें जीवित सती की संज्ञा दी जाती थी।⁷ इतिहासिक साक्ष्यों की दृष्टि से वैदिक युग में इस प्रथा का अस्तित्व संदेहास्पद है। ऋग्वेद और अथर्ववेद के मंत्र विधवा को चिता से उठाकर वापस अपने परिवार और समाज में लौटने का आह्वान करते हैं, जो उस समय के प्रगतिशीलता का प्रमाण है। यहाँ तक कि आश्वलायन गृह्यसूत्र में भी देवर या निकट संबंधी द्वारा विधवा को वापस घर ले जाने का विधान मिलता है। गुप्त काल में इस अवधारणा में व्यापक परिवर्तन दिखाई देता है। यद्यपि इस काल की स्मृतियाँ (जैसे याज्ञवल्क्य) और अन्य साहित्य विधवाओं को संपत्ति के अधिकार और पुनर्विवाह की अनुमति देते थे,¹⁰ फिर भी समाज में एक 'आदर्श पत्नी' की एक छवि गढ़ी जाने लगी जो पति की मृत्यु के बाद स्वयं को समाप्त कर ले। 510 ई. का भानुगुप्त का एक अभिलेख इस संक्रमण का सबसे बड़ा साक्ष्य है, जो इसे व्यक्तिगत वीरता और प्रेम से सम्बद्ध करता है। इतिहासकारों का मानना है कि ईसा पूर्व छठी शताब्दी के बाद जैसे-जैसे कृषि और लोहे के उपयोग से पितृसत्तात्मक सत्ता मजबूत हुई, स्त्रियों की स्वतंत्रता सीमित होती गई पूर्व-मध्यकाल तक आते-आते विदेशी आक्रमणों और सामाजिक असुरक्षा के वातावरण ने इस व्यक्तिगत चुनाव को एक संकुचित और कठोर सामाजिक कुप्रथा में बदल दिया जहाँ विधवा के साम्प्रतिक अधिकारों को समाप्त करने की मंशा भी एक अदृश्य कारक के रूप में कार्य करने लगी।

पूर्व-मध्यकालीन भारतीय समाज में सती-प्रथा का स्वरूप अत्यंत जटिल और व्यापक हो व्यापक गया था। इस काल में यह प्रथा केवल क्षत्रिय या राजपरिवारों तक सीमित न रहकर समाज के अन्य वर्गों में भी फैलने लगी थी। इसकी व्यापकता का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि जहाँ कुछ व्यवस्थाकारों ने इसे अनिवार्य घोषित किया, वहीं कुछ ने इसका कड़ा विरोध भी किया। तत्कालीन साहित्य, विशेषकर क्षेमेन्द्र की 'समयमातृका' में उच्च कुल की विधवाओं के लिए वैधव्य को 'महा-अमंगल' और 'अनर्थकारी' माना गया है, क्योंकि समाज में विधवा अवस्था में शीलभंग की आशंका सदैव बनी रहती थी।

इसी कारण कई स्थानों पर सती प्रथा को नारी का धर्म बताते हुए उसके आध्यात्मिक महत्त्व का प्रतिपादन किया गया और इसे स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग माना गया।

साहित्यिक साक्ष्यों के अतिरिक्त, ऐतिहासिक ग्रंथों और मुस्लिम इतिहासकारों के विवरण भी इस प्रथा की पुष्टि करते हैं। कल्हण की 'राजतरंगिणी' में न केवल रानियों के सती होने, बल्कि दासियों और अनुचरों द्वारा 'अन्वारोहण' (स्वामी के साथ प्राण त्यागना) के अनेक उदाहरण मिलते हैं।¹² यहाँ तक कि राजा कलश की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती न होने की समाज में निंदा की गई। वहीं, 'पृथ्वीराज रासो' में वर्णन है कि पृथ्वीराज के मंत्री की मृत्यु पर उनकी पत्नी सती हो गई ताकि वे स्वर्ग में पुनः मिल सकें।¹³ मुस्लिम यात्री सुलेमान ने इसे ऐच्छिक प्रथा बताया है और एक विशिष्ट परम्परा का उल्लेख किया है जिसमें राजा के साथी भी उसके साथ प्राणोत्सर्ग करते थे। इसके अतिरिक्त, विलादुरी ने दाहिर की रानी और उनका दासियों द्वारा किए गए 'जौहर' का विवरण दिया है, जो सती प्रथा का ही एक सामूहिक और भीषण रूप था।¹⁴

अभिलेखीय और धार्मिक साक्ष्य इस काल में सती प्रथा के संस्थागत स्वरूप को और स्पष्ट करते हैं। ग्यारहवीं और बारहवीं शताब्दी के कई अभिलेख, जैसे मंडोर प्रशस्ति¹⁵ (1156 ई.) और उन्मत्तरा देवली अभिलेख,¹⁶ राजाओं की मृत्यु पर उनकी रानियों के सती होने की आधिकारिक पुष्टि करते हैं। इस प्रथा के बढ़ते प्रसार के कारण धर्मशास्त्रकारों ने सती होने वाली स्त्रियों के लिए विशेष विधान और 'और्ध्वदैहिक कर्म' (अंतिम संस्कार संबंधी नियम) निर्धारित किए। 'गरुड़ पुराण' जैसे ग्रंथों में निर्देश दिया गया कि सती होने की इच्छुक नारी को चिता पर चढ़ने से पूर्व पूर्ण साज-सज्जा और आभूषणों से अलंकृत होना चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए और भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए।¹⁷ यद्यपि कहीं-कहीं प्रशासन द्वारा विधवाओं को सती होने से रोकने के आग्रह के संकेत भी मिलते हैं, किंतु सामाजिक और धार्मिक दबाव ने इसे एक सुदृढ़ परम्परा के रूप में स्थापित कर दिया था। पूर्व-मध्यकाल के उत्तरवर्ती चरण में भारतीय समाज में 'पर्दा प्रथा' के प्रारंभिक साक्ष्य मिलने लगते हैं, हालांकि इस काल में यह प्रथा सर्वव्यापी नहीं थी। इतिहासकार दशरथ शर्मा के माघ कृत 'शिशुपालवध' से ज्ञात होता है कि राजघरानों में मर्यादा इतनी कठोर थी कि रानियों के मुख की ओर देखना सेवकों के लिए दंडनीय अपराध माना जाता था।¹⁸ इसी प्रकार, स्मृतिकार शंख ने महिलाओं को बिना उत्तरीय के बाहर निकलने और पर-पुरुषों से वार्तालाप करने पर रोक के निर्देश दिए थे।¹⁹ इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि 13वीं शताब्दी से पूर्व पर्दा प्रथा मुख्य रूप से उच्च वर्गीय राजपरिवारों और संभ्रांत समाज तक ही सीमित था, जबकि जनसामान्य की स्त्रियाँ इससे मुक्त थीं। बिल्हण के विवरणों के अनुसार नगर की स्त्रियाँ सार्वजनिक रूप से झूला झूलती थीं और मुस्लिम यात्री अबुजैद के वृत्तांत बताते हैं कि रानियाँ राजदरबार में राजाओं के साथ बैठती थीं, जो पर्दा प्रथा की शिथिलता को दर्शाता है।

समाज में पर्दा-प्रथा के प्रसार का मुख्य कारण तत्कालीन बाह्य आक्रमण और सामाजिक विघटन की स्थितियाँ बनीं। पूर्व-मध्ययुग के अंतिम चरण में मुस्लिम आक्रमणों के परिणामस्वरूप नारी की सुरक्षा और उसकी गतिविधियों पर नियंत्रण बढ़ाना अनिवार्य समझा जाने लगा। चूँकि पर्दा-प्रथा तत्कालीन मुस्लिम सभ्यता का एक अभिन्न अंग थी, अतः उनके संपर्क और बढ़ते प्रभाव के कारण भारतीय समाज के उच्च वर्गों ने भी अपनी स्त्रियों की सुरक्षा और मान-मर्यादा की रक्षा हेतु इसका अनुकरण करना प्रारंभ कर दिया। धीरे-धीरे गिरती सामाजिक सुरक्षा और बाह्य आक्रमणों के भय ने इस प्रथा को समाज में गहराई से स्थापित कर दिया। इस प्रकार नियंत्रण प्रारंभिक दौर में केवल राजसी शिष्टाचार का हिस्सा था, वह कालांतर में मुस्लिम प्रभाव और तत्कालीन विषम परिस्थितियों के कारण एक अनिवार्य सामाजिक रूढ़ि में परिवर्तित हो गया।

विवेच्य काल में नारी की स्थिति को लेकर समाज में परम्परावादी और वाममार्गी विचारधाराओं के बीच स्पष्ट द्वंद्व दिखाई देता है। इस काल में पीड़ित या अपहृत स्त्रियों के प्रति धर्मशास्त्रकारों का दृष्टिकोण पूर्वकाल की अपेक्षा अधिक उदार था। अग्नि पुराण, देवी भागवत पुराण, देवल और अत्रि जैसे स्मृतिकारों ने म्लेच्छों या पर-पुरुषों द्वारा गर्भवती स्त्रियों के शुद्धिकरण का विधान प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार संतानोत्पत्ति या मासिक धर्म के पश्चात् स्त्री स्वर्ण की भाँति पुनः शुद्ध हो जाती है और उसे बहिष्कृत नहीं किया जाना चाहिए। इसके विपरीत, विदेशी यात्री अलबरूनी का मत था कि व्यभिचारिणी स्त्री को घर से निकाल दिया जाता था और समाज में उसकी वापसी संभव नहीं थी।²² आधुनिक इतिहासकारों में प्रो. हबीब अलबरूनी के मत का समर्थन करते हुए इस युग की जाति प्रथा को अत्यंत कठोर मानते हैं, जबकि बुद्ध प्रकाश ने स्मृतियों के आधार पर हबीब के मत का खंडन करते हुए स्त्रियों के समाज में पुनर्प्रवेश की संभावना को सिद्ध किया है।

सामान्यतः इस युग में बाल-विवाह के कारण स्त्रियों की शिक्षा बाधित हुई और उनका जीवन घर की चारदीवारी तक सीमित रह गया, जिससे प्रशासन में उनकी भूमिका नगण्य थी। हालाँकि, राजपरिवारों में इसके कुछ उल्लेखनीय अपवाद मिलते हैं। राजतरंगिणी में कश्मीर की रानी सुगन्धा (शंकर वर्मन की पत्नी) और रानी दिदा के शासन का वर्णन है। राजा जयसिंह के काल में 'डामरी' नामक नारी सामंत का भी उल्लेख मिलता है।²³ इसी प्रकार 'प्रबंधचिन्तामणि' में मूलराज-द्वितीय की माता नैका देवी तथा भोर स्टेट संग्रहालय (1079 ई.) के पत्र में चालुक्य सामंतों की दो स्त्री मंत्रियों श्रीदेवी और महलदेवी का वर्णन प्राप्त होता है।²⁴

नारी के धार्मिक अधिकारों के विषय में दो परस्पर विरोधी धारणाएँ प्रचलित थीं। एक ओर मेधातिथि और कुल्लूकभट्ट जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाकारों ने स्त्रियों को स्वतंत्र धार्मिक अधिकारों से वंचित कर दिया। 'स्मृति चन्द्रिका'²⁵ और 'कृत्यकल्पतः'²⁶ के अनुसार पति के जीवित रहते स्वतंत्र रूप से व्रत-उपवास करने वाली स्त्री नरकगामी होती है और पति की सेवा को ही उसकी सद्गति का एकमात्र साधन माना गया। इसके ठीक विपरीत, तन्त्रवाद से प्रभावित वाममार्गी शाखाओं ने स्त्रियों को धार्मिक दीक्षा लेने, संन्यास ग्रहण करने और कर्मकांड

करने की पूरी स्वतंत्रता दी। 'समयमातृका'²⁷ में वेश्या मृगवती का शाक्त मठ में प्रवेश, 'मालतीमाधव'²⁸ में कामन्दकी और अवलोकिता का बौद्ध भिक्षुणियों के रूप में वर्णन, 'कर्पूरमंजरी'²⁹ में भैरवानंद द्वारा विधवाओं व क्रूर स्त्रियों को तांत्रिक शिक्षा देना और 'कथासरित्सागर'³⁰ में कालरात्रि नामक पुजारिन का उल्लेख इस वाममार्गी स्वतंत्रता की पुष्टि करते हैं। देवी भागवत पुराण में भी स्त्रियों के लिए आजीवन कौमार्य व्रत का उल्लेख मिलता है।³¹

वाममार्गी विचारधारा के बढ़ते प्रभाव और समाज में व्याप्त नैतिक शिथिलता को देखते हुए परम्परावादी स्मृतिकारों ने स्त्रियों की स्वतंत्रता पर अत्यंत कड़े प्रतिबंध लगाए। मेधातिथि³² और कुल्लूकभट्ट³³ ने तर्क दिया कि पिता, पति या पुत्र के नियंत्रण से मुक्त स्त्री परिवार के पतन का कारण बनती है। विज्ञानेश्वर³⁴ और शंख ने स्त्रियों के लिए अत्यंत कठोर आचार संहिता निर्धारित की, जिसमें बिना आज्ञा व उत्तरीय के बाहर न जाना,³⁴ पर-पुरुषों से बात न करना और शरीर को पूरी तरह ढक कर रखना आदि सम्मिलित था। साथ ही, गृहस्थ स्त्रियों को संन्यासिनियों, भिक्षुणियों और गुप्त विद्या जानने वाली स्त्रियों से दूर रहने की सख्त हिदायत दी गई ताकि उनका चारित्रिक पतन न हो। बृहस्पति³⁶ और नारद³⁷ ने स्त्री पर पुरुष संरक्षण को अनिवार्य बताया यहाँ तक कि परिवार में पुरुष न होने पर राजा को उसकी रक्षा का दायित्व सौंपा गया। सोमदेव³⁸ और देवी भागवत पुराण³⁹ के अनुसार भी कन्या सर्वदा पराधीन है और उसे स्वतंत्र नहीं छोड़ा जा सकता। निष्कर्षतः जहाँ वाममार्गियों ने नारी स्वतंत्रता का प्रबल समर्थन किया, वहीं परम्परावादी व्यवस्थाकारों ने समाज में नैतिकता बनाए रखने के नाम पर उस पर कठोर नियंत्रण स्थापित किया।

इस युग में स्त्रियों के संपत्ति संबंधी अधिकारों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जहाँ अधिकांश धर्मशास्त्रकारों ने पुत्रहीन व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् उसकी विधवा को संपत्ति की मुख्य उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दी। यद्यपि शंख जैसे विचारकों ने उत्तराधिकार के क्रम में भाई और अभिभावक के बाद ज्येष्ठ पत्नी को स्थान दिया, फिर भी यह विधवा के वैधानिक अधिकार की दिशा में एक बड़ा कदम था। हालांकि, अधिकारों का यह मार्ग निष्कण्टक नहीं था। मनु,⁴⁰ नारद⁴¹ और हारीत⁴² जैसे परंपरावादी व्यवस्थाकारों ने विधवा के साम्प्रतिक अधिकारों का कड़ा विरोध किया। इसी क्रम में नारद ने विधवा के लिए केवल न्यूनतम भरण-पोषण का प्रावधान करते हुए उसे वर्ष में चौबीस आधुका और चालीस पण देने का सीमित विधान रखा, जिसका मेधातिथि ने भी समर्थन किया। वैचारिक मतभेदों के बावजूद, तत्कालीन अभिलेखीय साक्ष्य स्त्रियों के आर्थिक सशक्तीकरण का अधिक व्यवहारिक और सुदृढ़ विवरण प्रस्तुत करते हैं। 1178 ई० के संगोली (बीजापुर) अभिलेख⁴³ से यह स्पष्ट होता है कि पुत्रहीन विधवाओं को संपत्ति का अधिकार प्राप्त था। इसके अतिरिक्त, स्त्रियों के अधिकारों का विस्तार केवल विधवाओं तक सीमित नहीं था, बल्कि बारहवीं सदी के अभिलेखों में कन्याओं द्वारा भूमि-विक्रय के उदाहरण भी मिलते हैं जो यह स्पष्ट करता है कि इस काल में स्त्रियों ने केवल संपत्ति की उत्तराधिकारी बन रही थीं, बल्कि उन्हें अचल संपत्ति के क्रय-विक्रय जैसे स्वतंत्र निर्णय लेने का विधिक अधिकार भी प्राप्त हो रहा था।

पूर्व-मध्यकाल के उत्तरवर्ती चरण में राजनीतिक परिस्थितियों ने सामाजिक मूल्यों और नैतिकता को गहराई से प्रभावित किया। बिल्हण की 'विक्रमांकदेवचरित' जैसी कृतियों से स्पष्ट होता है कि तत्कालीन सामन्त वर्ग अत्यधिक विलासी हो चुका था।⁴⁴ ये सामन्त अपने भव्य महलों, उद्यानों और सरोवरों में सुंदरियों के साथ काम-क्रीड़ा में संलिप्त रहते थे। उनके आवासों की दीवारों, स्तंभों और चौखटों पर कामोद्दीपक शिल्प उत्कीर्ण थे, जो समाज में बढ़ती कामुकता के प्रतीक थे। विलासिता का स्तर इतना उच्च था कि सैन्य शिविरों में भी स्त्रियों की उच्च उपस्थिति अनिवार्य हो गई थी। मेरुतुंग की 'प्रबन्धचिन्तामणि' में राजा परमार्दिदेव के दरबार में नग्नप्राय स्त्रियों के नृत्य का उल्लेख तत्कालीन राजसी विलासिता की पराकाष्ठा को दर्शाता है।⁴⁵

इस काल में नारी पर आरोपित कठोर नियंत्रणों के समानान्तर समाज में एक गहरा नैतिक विरोधाभास दिखाई देता है। सामंतवाद के साथ-साथ 'तंत्रवाद' ने भी यौन सदाचार को शिथिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कल्हण की 'राजतरंगिणी' से भी यौन विकृतियों का वर्णन प्राप्त होता है।⁴⁶ इसमें तांत्रिक गुरु प्रमदकण्ठ द्वारा अपनी पुत्री के साथ और राजा कलश द्वारा अपनी बुआ व बहन के साथ अनैतिक संबंधों का उल्लेख मिलता है। 'प्रबोधचन्द्रोदय' में स्त्री-सम्भोग को ही मोक्ष या निर्वाण प्राप्ति का मार्ग बताया गया।⁴⁷ जिसने समाज में अनैतिकता को वैचारिक मान्यता प्रदान की।

तत्कालीन साहित्य समाज के इस गिरते चरित्र का जीवंत दर्पण है। 'शदशकुमारचरित' के अनुसार, राजा के विलासी स्वभाव का अनुकरण करते हुए संपूर्ण भूत्समुदाय दुर्व्यसनी और सुरा-सुंदरी का प्रेमी हो गया था। 'काव्यकल्पलता' से ज्ञात होता है कि गणिकाएं राजदरबारों की शोभा बन चुकी थीं। चौहान शासक हरिराज के पतन का मुख्य कारण भी एक गणिका के प्रति उनकी अत्यधिक आसक्ति को माना गया है। इसके अतिरिक्त, पानगोष्ठी, उरकसेवा महोत्सव और मदनोत्सव जैसे तत्कालीन उत्सवों ने सामाजिक नैतिकता और यौन सदाचार के ह्रास में और अधिक वृद्धि की। नैतिकता का यह संकट केवल सामाजिक जीवन तक सीमित नहीं था, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी प्रभावित कर रहा था। 'कथासरित्सागर' में ऐसे प्रसंग मिलते हैं जहाँ व्यापारिक लाभ के लिए स्त्रियों का उपयोग एक माध्यम के रूप में किया जाता था।⁴⁸ समाज में व्याप्त यह 'यौन सम्मोहन' केवल साहित्य तक सीमित न रहकर तत्कालीन वास्तुकला और स्थापत्य कला में भी स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है, जहाँ मंदिरों और भवनों पर श्रृंगारिक मूर्तियों की प्रधानता बढ़ने लगी थी।

पूर्व-मध्यकाल में वेश्यावृत्ति एक सुसंगठित संस्था का रूप ले चुकी थी। दामोदरगुप्त के 'कुट्टनीमतम्'⁴⁹ और क्षेमेन्द्र की 'समयमातृका'⁵⁰ जैसे ग्रन्थ पूर्णतः वेश्याओं के जीवन और उनकी कूटनीतियों पर आधारित हैं। इन ग्रंथों में व्यापारियों और धनिकों को वेश्याओं के वाह्याकर्षण और उनके षड्यंत्रों से बचने की चेतावनी दी गई है। सोमदेव ने अपने 'नीतिवाक्यामृतम्'⁵¹ में राजा को वेश्याओं से दूर रहने का परामर्श दिया है, क्योंकि वे राजनीतिक षड्यंत्रों का केंद्र बन चुकी थीं। कल्हण के अनुसार, राजा भिक्षाचर जैसे शासक वेश्याओं के दलालों और लफंगों के प्रभाव में थे, जो राज्य के पतन का मार्ग प्रशस्त कर रहे थे।

समाज में वेश्याओं का प्रभाव इतना अधिक था कि कुछ उच्च वर्ग की वेश्याओं का रहन-सहन सामन्तों के स्तर का था। नगर नियोजन में भी उनकी विशिष्ट स्थिति थी। 'अग्निपुराण' अनुसार, वेश्याओं और कलाकारों के निवास के लिए नगर की दक्षिण दिशा निर्धारित थी। धोयी के 'पवनदूतम्'⁵² में लक्ष्मणसेन की राजधानी विजयपुर का वर्णन मिलता है, जहाँ वेश्याओं की बड़ी आबादी होने की पुष्टि होती है जो यह प्रदर्शित करता है कि उस काल में वेश्यावृत्ति केवल एक सामाजिक बुराई नहीं, बल्कि एक स्वीकृत और विस्तृत व्यवस्था बन चुकी थी।

इस युग में देवदासी प्रथा का भी प्रचलन था। इस प्रथा के अंतर्गत स्त्रियाँ देव-मंदिरों में मुख्य रूप से नृत्य, गान और वाद्य यंत्र बजाने के कार्यों में सम्मिलित रहा करती थीं। प्राचीन भारतीय साहित्य एवं आरंभिक अभिलेखों में इस प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। प्रसिद्ध इतिहासकार ए. ए. ए. अल्टेकर के अनुसार, इसका प्रारंभ संभवतः छठीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। समय के साथ यह प्रथा मंदिरों का अभिन्न अंग बन गई और संभवतः 9वीं-10वीं शताब्दी में मंदिरों के भीतर नट-मंडपों का निर्माण प्रारंभ हो गया। भुवनेश्वर के राजधानी मंदिर, परशुरामेश्वर मंदिर और लिंगराज मंदिर के साथ-साथ खजुराहो तथा कोर्णाक के मंदिरों की दीवारों पर उत्कीर्ण नर्तकियों और वादकों की मूर्तियाँ इस प्रथा की स्पष्ट परिचायक हैं।

इस प्रथा का प्रभाव केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं रहा, बल्कि परवर्ती काल में अन्य धर्म और साहित्य भी इससे प्रभावित हुए। अनेक परवर्ती पुराणों में भी इसका संदर्भ मिलता है। 'भविष्य पुराण'⁵³ में उल्लिखित है कि सूर्य मंदिर में वेश्याओं को अर्पित करना सूर्यलोक की प्राप्ति का उत्तम मार्ग है। इसके अतिरिक्त 'पवनदूत' ग्रंथ में भी देवदासी को मंदिर में दान देने का उल्लेख मिलता है। हिंदू धर्म के अलावा, जैन और बौद्ध धर्म भी इससे अछूते नहीं रहे। 1030 ई० की हर्षनाथ प्रशस्ति जैसे अभिलेखीय साक्ष्यों में भी कई कन्याओं को मंदिरों में दान दिए जाने का स्पष्ट उल्लेख है। 1207 ई० के एक जैन अभिलेख के अनुसार एक कुमारी कन्या जैन मंदिर को दान में दी गई थी, और बौद्ध स्रोतों से भी उनके मठों में देवदासियों के निवास करने की पुष्टि होती है।

देशी साक्ष्यों के साथ-साथ विदेशी इतिहासकारों और यात्रियों ने भी भारत में प्रचलित इस प्रथा का विस्तृत वर्णन किया है। अरबी लेखक जकारिया अल कज़वीनी के अनुसार प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के द्वार पर 500 सुंदर युवतियाँ नृत्य एवं गान करती थीं। अबूजैद और अलबरूनी ने भी अपने यात्रा वृत्तांतों में इस प्रथा का उल्लेख किया है। अलबरूनी ने अपने ग्रंथ 'तहकीक-ए-हिंद' में इस प्रथा का वर्णन करते हुए इसके लिए तत्कालीन शासक वर्ग को उत्तरदायी माना है। उनके अनुसार, राजा आर्थिक कारणों से इन्हें अपने नगरों के आकर्षण और प्रजा के आमोद-प्रमोद का साधन बनाते थे। तत्कालीन अभिलेखों में वेश्याओं पर कर लगाए जाने का उल्लेख मिलता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि इससे राजा की आय में वृद्धि होती थी। अतः इस काल तक देवदासी प्रथा समाज में पूर्ण रूप से प्रचारित और स्थापित हो चुकी थी। जिसका तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक संरचना पर व्यापक प्रभाव पड़ा।

निष्कर्षतः पूर्वमध्यकाल के उत्तरवर्ती चरण में महिलाओं की स्थिति अत्यंत संक्रमणशील और विरोधाभासों से पूर्ण थी। राजनीतिक अस्थिरता, निरंतर होने वाले मुस्लिम आक्रमणों और कमजोर होती केंद्रीय सत्ता के परिणामस्वरूप उभरी सामंती व्यवस्था ने तत्कालीन समाज को गहरे असुरक्षा बोध से भर दिया। इसी असुरक्षा और सामंती प्रवृत्तियों के कारण समाज में बाल-विवाह और पर्दा-प्रथा जैसी रूढ़ियों का तेजी से विकास हुआ, जिसने स्त्रियों की शिक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को पूरी तरह से बाधित कर दिया। इतना ही नहीं, पितृसत्तात्मक मानसिकता और भौतिक लाभ के कारण स्त्रियों को उनके अधिकार से वंचित रखने के उद्देश्य से उन्हें सती होने के लिए प्रेरित किया और सती जैसी अमानवीय कुप्रथाओं ने भी इसी काल में जोर पकड़ा। इस युग में स्त्रियों की दशा में एक विचित्र विरोधाभास भी देखने को मिलता है। एक तरफ जहाँ सामाजिक स्तर पर उन पर नियंत्रण कड़े किए जा रहे थे, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक और सामाजिक सोच का प्रादुर्भाव हुआ जहाँ सामंती महत्वाकांक्षाओं और राजनीतिक वर्चस्व को साधने के लिए स्त्रियों का कूटनीतिक रूप में उपयोग किया जाने लगा। अतः स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि यह कालखंड स्त्रियों के लिए अधिकारों और दमन दोनों के समायोजन का एक ऐसा जटिल संक्रमण काल था, जिसने भारतीय समाज में महिलाओं की दोहरी स्थिति की एक गहरी और स्थायी नींव रखी।

संदर्भ ग्रंथ-सूची

1. वेदव्यासस्मृति, धर्मशास्त्र समूह, खण्ड-2, कलकत्ता, 1876, पृ. 321-42
2. किताबुल फुतुहल- बलदान: विहादुरी, हिती और मूगटिन का अंग्रेजी अनुवाद, पृ. 483.
3. किताबुल हिन्दु : अलबरुनी, सचाऊ का अंग्रेजी अनुवाद, बलदान, 1914, जि. 1. पृ. 181
4. ब्रह्मवैवतपुराण : वेकटेश्वर प्रेस मुम्बई, 7, पृ. 18-19
5. स्कन्दपुराण, वेकटेश्वर प्रेस मुम्बई, 7, पृ. 18-19
6. अल्टेकर, ए. ए. स. : पोजिसन ऑफ वीमेन इन हिन्दु सिविलाइजेशन, बनारस, 1556, पृ. 16
7. वही, सखाऊ, जिल्द 2, पृ. 155
8. ऋग्वेद संहिता : सम्पादन श्री राम शर्मा, ब्रह्मवर्चस, शान्तिकुन्ज हरिद्वार, उत्तराखण्ड 2001, पृ. 29
9. आश्वलायन गृहसूत्र : 2 vi, 2
10. याज्ञवल्क्य स्मृति : सम्पादन श्री राम शर्मा, द्वितीय खण्ड (विवाह प्रकर्णम वर्णनम्) संस्कृति संस्थान बरेली (UP) प्रथम संस्करण 1966, पृ. श्लोक 67.
11. समय मातृका : क्षेमेन्द्र, काव्यमाला, निर्णय सागर त्रेस, मुम्बई, 2.34
12. राजतरंगिणी : कल्हणकृत, कलकत्ता, 1835, 8.3115
13. पृथ्वीराज रासो: चन्दबरदायी, सम्पादक श्याम सुन्दर दास, वाराणसी, 1904, 55.60
14. किताबुल-फुतुहल-बलदान: बिलादुरी, हिती और मूगटिन का अंग्रेजी अनुवाद, पृ. 483.
15. एपेन्डिक्स, इन्सक्रिप्सन ऑफ नार्दन इण्डिया राजस्थान पृ. 89
16. वही, पृ. 99

17. गरुण पुराण; प्रेतकल्प, ए. स. बी.ए. च, सीरिज, V, श्लोक 35-40.
18. शिशुपाल : माध विचरित, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, 2009, 7.17 पृ. 350
19. मिताक्षरा : उद्धृत शंख, विज्ञानेश्वर (याज्ञवल्क्य स्मृति पर कास्य). मुम्बई 1909, 1. 87
20. विक्रमादेवचरित : विल्हण, मुम्बई, 1875, 7.11
21. वैधा : हिस्ट्री ऑफ मिडिवल हिन्दू इण्डिया, 2 जि, 2, पृ. 188
22. वही, सखाऊ जि. 2, पृ. 162-63
23. वही, राजतारगिणी पृ. 8, 1069
24. प्रबंधचिन्तामणि : मेरुतुंग, जिनविजय द्वारा सम्पादित, बम्बई, 1888, अध्याय 5, पृ. 186
25. स्मृति रामचन्द्रिका : देवणभट्ट सम्पादक ए. ल. श्री निवासाचार्य, मैसूर, 1914-1926, भाग-6 पृ.
26. कृन्ध कत्पतरु : लक्ष्मीधर, सम्पादन रंग स्वामी आयांगार बडौदा, 1941, पृ. 628
27. समयमातृका : क्षेमेन्द्र, काव्यमाला, निर्णय सागर प्रेस, मुम्बई, 2.43, व 58
28. मालतीमाधव : भवभूति, जगद्वर सम्पादित, ए. म. आर. तेलंग वम्बई, 1900, प्रथम अंक पृ. 18
29. कपूरमजरी : राजशेखर, सी.आर. मैन द्वारा अनुवादित, 1948 खण्ड 4, पृ. 47
30. कथासरित्सागर : सोमदेव सम्पादक केदारनाथ शर्मा की पटना, 1960 खण्ड 3 पृ. 989 तथा 991
31. देवीभागवतपुराण: सम्पादक हनुमान प्रसाद पोतदार, गीता प्रेस, गोरखपुर 2011, 5. 17, 15
32. मेधातिथि : मनुभाष्य (मनुस्मृति पर रीका) अनुवादित गंगा नाथ झा, मोती लाल बनारसी दास, 1920, 5.145
33. कुल्लूकभट्ट : मन्वर्थमुक्तावली (मनुस्मृति पर रीका), 5.147
34. विज्ञानेश्वर : मिताक्षरा याज्ञवल्क्य स्मृति पर भाष्य बम्बई 1909, 1.87
35. वही 1.87
36. वृहस्पतिस्मृति : गायकवाड़ ओरियन्टल सिरीज, बडौदा, 1941, पृ. 506-508
37. नारदपुराण: सम्पादक क्षेमराज कृष्ण दास, बम्बई, पृ. 24.40
38. सोमदेव : नीतिवाक्यम माणिकचन्द्र ग्रंथमाला सिरीज क्र.स. 22, 24.39
39. वही. देवी भागवत पुराण, 6.22.33
40. मनुस्मृति: बीए न माण्डलिक द्वारा सम्पादित बम्बई, 1886, पृ० 631
41. वही, नारदपुराण, पृ० 1068
42. हरित संहिता: बंगवासी प्रेस, कलकत्ता, वि०स० 1316, पृ० 640
43. फलीट, जे०ए फ० : कार्पस इण्डिकेरम इसिक्रिप्सन्स, कलकत्ता, 1888, जि. 5, पृ०-28
44. वही, विक्रमांकदेवचरित, 12.50 पृ० 78
45. वही, प्रबंधचिन्तामणि, अध्याय 5, पृ. 278
46. वही, राजतरंगिणी, अध्याय 7, पृ. 278
47. प्रबोधचन्द्रोदय, कृष्णमिश्र, त्रिवेन्दम, 1936, अंक 5
48. वही, कथासरित्सागर, खण्ड 2, पृ० 33-34, 521-311
49. कुट्टनीमतम: सोमदेव, सम्पादन अभिदेव विद्यालंकार, वाराणसी, 1961, श्लोक 1059
50. वही समय मातृका 5.63 पृ० 67
51. वही, कथासरित्सागर 24.9, पृ० 29-30

52. पवनदूतम् धोयी, मनमोहन चक्रवर्ती, कलकत्ता, 1926, 95.28

53. भविष्यपुराण, वैकटेश प्रेस मुम्बई, 1. 93.67



कोरबा के प्रमुख चित्रित शैलाश्रय सुअरलोट का पुरातात्विक विश्लेषण

डॉ. नितेश कुमार मिश्र

सह—प्राध्यापक, प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्त्व अध्ययनशाला, पं.
रविषंकर 'गुल्ल' विष्वविद्यालय, रायपुर, (छ.ग.)

डॉ. भाग्यश्री दीवान

पुरातत्त्ववेत्ता

डॉ. ढालसिंह देवांगन

अतिथी सहायक प्राध्यापक, मोहनलाल जैन 'ग'सकीय महाविद्यालय खुर्सीपार,
भिलाई, दुर्ग, (छ.ग.)

हरिसिंग क्षत्रिय

गाईड, जिला पुरातत्त्व संघ, कोरबा, (छ.ग.)

शोध संक्षेपिका

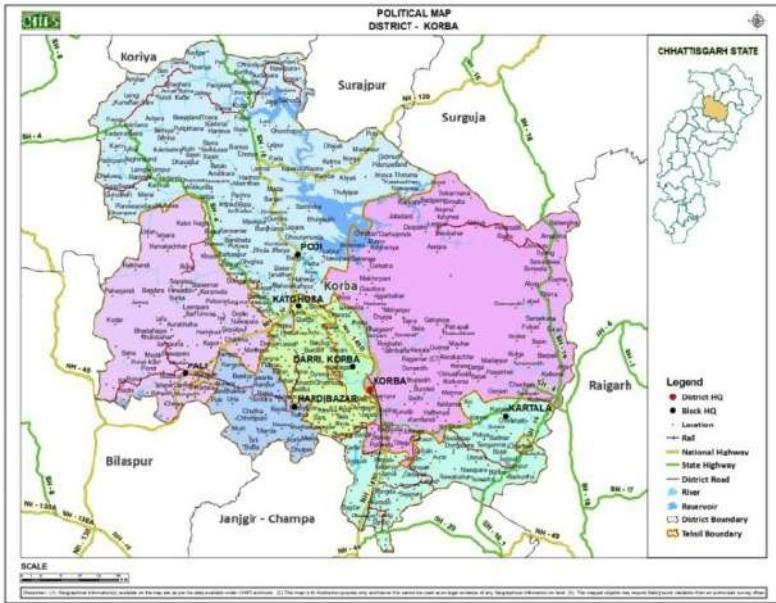
छत्तीसगढ़ का कोरबा जिला प्रागैतिहासिक शैलकला की दृष्टि से अपेक्षाकृत नवीन किन्तु अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। वर्ष 2012 में सुअरलोट ग्राम की दुल्हा-दुल्ही पहाड़ी पर चित्रित शैलाश्रयों की खोज के साथ कोरबा जिले का नाम छत्तीसगढ़ के शैलचित्र मानचित्र पर अंकित हुआ। यहाँ स्थित सीताचौकी तथा दुल्हा-दुल्ही शैलाश्रय न केवल प्रागैतिहासिक मानव की कलात्मक अभिव्यक्ति के उत्कृष्ट उदाहरण हैं, बल्कि इस क्षेत्र में मानव निवास, सांस्कृतिक गतिविधियों तथा संज्ञानात्मक विकास के भी महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुत अध्ययन में सुअरलोट के दोनों प्रमुख चित्रित शैलाश्रयों का भौगोलिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

शब्द कुंजी — सुअरलोट, कोरबा, शैलचित्र, दुल्हा-दुल्ही, सीताचौकी, प्रागैतिहासिक कला।

प्रस्तावना

कोरबा जिला को 25 मई सन 1998 में प्रभावी पूर्ण राजस्व जिले का दर्जा प्राप्त हुआ। जिसका मुख्यालय कोरबा शहर में है, यह जिला 22°01' से 23°01' उत्तरी अक्षांश और 82°07' से 83°07' पूर्वी देशांतर पर स्थित है, जो कि हसदेव और अहिरन नदी के संगम के किनारे स्थित है। कोरबा जिला बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आता है, जो छत्तीसगढ़ की ऊर्जाधानी के नाम से भी जाना जाता है। कोरबा जिला मुख्यालय राजधानी रायपुर से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कोरबा जिले की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 304.8

मीटर है। यह जिला राज्य के उत्तरी छोर पर स्थित है। यह सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर और जांजगीर चांपा तथा शक्ति जिलों से घिरा हुआ है। इस जिले की भूवैज्ञानिक संरचना आद्य महाकल्पीय है, जिले के उत्तरी और उत्तर पूर्वी भाग में तालचिर शेल, कोयले के साथ बराकर सैंडस्टोन और सुप्राबराकर प्रमुख चट्टान प्रकार है। जिले के पश्चिमी और दक्षिणी भाग पर बस्तर गनीस कब्जा करते हैं।¹ कोरबा क्षेत्र की अधिकांश भूमि मैकल पर्वतमाला से सतपुड़ा पहाड़ियों तक पठारी है, जो नीची, ऊंची और खुली है। खुली भूमि में सबसे बड़ा क्षेत्र पसान के पास फैला हुआ है। मैकल पर्वतमाला एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित यह पठारी क्षेत्र प्रागैतिहासिक मानव के निवास हेतु अनुकूल प्राकृतिक परिस्थितियाँ प्रदान करता था।



मैकल पर्वत श्रृंखला के दक्षिण-पूर्वी भाग के इस क्षेत्र में अनेक शैलाश्रय हैं। इसमें से दो शैलाश्रयों में शैलचित्रों की खोज हरिसिंह क्षत्री द्वारा किया गया है। प्राकृतिक रूप से निर्मित यह शैलाश्रय समुद्र तल से लगभग 2000 से 2200 फीट की ऊंचाई पर है। कोरबा क्षेत्र में सर्वप्रथम शैलचित्रों की खोज हरिसिंह क्षत्री द्वारा 8 नवंबर 2012 को कोरबा जिले के करतला विकासखंड अंतर्गत खुटाकूड़ा पंचायत के सुअरलोट ग्राम के दुल्हा-दुल्ही पहाड़ी पर किया गया।² हरिसिंह क्षत्री द्वारा इस क्षेत्र के शैलचित्रों की विस्तृत जानकारी कोसल के अंक 10 साल 2017 में न्यूज एंड नोट्स के खण्ड में प्रकाशित है। इस क्षेत्र के कुछ शैल चित्रों के विषय में मीनाक्षी दुबे पाठक एवं जीन क्लाट्स की कॉफी टेबल पुस्तक *पावरफुल इमेजेस : छत्तीसगढ़ रॉक आर्ट एंड ट्रायबल आर्ट, ब्लूमसबेरी पब्लिशिंग इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, दिल्ली, 2017* में लिखा है।

इस शोध का उद्देश्य कोरबा जिले के सुअरलोट क्षेत्र में स्थित चित्रित शैलाश्रयों का पुरातात्विक एवं कलात्मक अध्ययन करना है। जिसके अध्ययन से

सुअरलोट क्षेत्र के चित्रित शैलाश्रयों का भौगोलिक एवं पुरातात्विक परिचय प्रस्तुत करना तथा शैलाश्रयों में अंकित शैलचित्रों की विषयवस्तु, शैली एवं तकनीक के आधार पर विश्लेषण करना। शैलचित्रों में प्रयुक्त रंग, रूपांकन, प्रतीकों तथा चित्रण शैली का अध्ययन कर उनकी सांस्कृतिक एवं कालगत विशेषताओं का विवेचन करना एवं शैलाश्रयों से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों, विशेषकर माइक्रोलिथ्स एवं अन्य अवशेषों के आधार पर कोरबा जिले की प्रागैतिहासिक शैलकला परंपरा में सुअरलोट के योगदान का मूल्यांकन करना है।

शोध पद्धति

प्राथमिक स्रोतों के अंतर्गत सुअरलोट स्थित चित्रित शैलाश्रयों का क्षेत्रीय सर्वेक्षण, स्थल निरीक्षण, शैलचित्रों का प्रत्यक्ष अवलोकन, फोटोग्राफी, स्थल के भौगोलिक निर्देशांकों का अध्ययन तथा उपलब्ध पुरातात्विक साक्ष्यों का विश्लेषण किया गया है। द्वितीयक स्रोतों के रूप में प्रकाशित शोध-पत्रों, पुस्तकों, शोध-प्रबंधों, जिला पुरातत्व संग्रहालय के अभिलेखों तथा हरिसिंह क्षत्री, मीनाक्षी दुबे पाठक एवं जीन क्लॉट्स जैसे विद्वानों के प्रकाशित कार्यों का अध्ययन किया गया है। प्राप्त तथ्यों का तुलनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन कर शैलचित्रों की विषयवस्तु, शैली, तकनीक तथा सांस्कृतिक महत्व का विवेचन किया गया है।

सुअरलोट ग्राम कोरबा से उरगाहाटी मार्ग पर नोनविरों से रामपुर जाने वाले मार्ग पर, रामपुर से 8 किलोमीटर पहले पड़ता है। सुअरलोट ग्राम चांपा रेल्वे स्टेशन से लगभग 34 किलोमीटर एवं जिला मुख्यालय कोरबा से उरगाव माऊदहरा ऋषभतीर्थ से रैनखोल होते हुए लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित है।

1. सीताचौकी शैलाश्रय— सुअरलोट के शैलचित्र

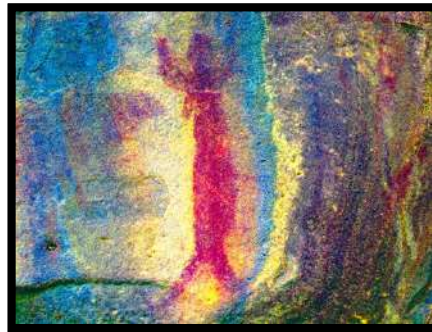
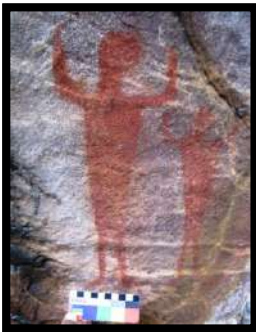
छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में करतला विकासखण्ड और तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत खुटाकुंडा के घवाई भांठा मोहल्ले में अवस्थित सुअरलोट ग्राम की पहाड़ी पर स्थित यह चित्रित शैलाश्रय सीताचौकी, लिखाटोपा, सीतालेखनी आदि नामों से जाना जाता है। पहाड़ी का आधा क्षेत्र जांजगीर-चांपा एवं आधा क्षेत्र कोरबा जिले में आता है। यह जिला मुख्यालय कोरबा से लगभग 45 किलोमीटर दूर $22^{\circ}10'17''$ उत्तरी अक्षांश $82^{\circ}54'29''$ पूर्वी देशांतर स्थित है। इस शैलाश्रय की लम्बाई लगभग 175 मी. तथा ऊँचाई 95 मी. है। चित्रांकन चट्टान के प्राकृतिक खोखले भाग की भीतरी सतह पर किया गया है। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि चित्रण से पूर्व चट्टान की सतह को समतल एवं चिकना बनाया गया, जो कलाकार की योजनाबद्ध कार्यप्रणाली तथा तकनीकी दक्षता का परिचायक है।

चित्र मुख्यतः गेरू (लाल) रंग से निर्मित हैं। इनमें आयताकार, वर्गाकार एवं अन्य ज्यामितीय आकृतियाँ प्रमुख हैं। वर्गाकार आकृति के भीतर समानांतर एवं क्रॉस रेखाओं का अंकन किया गया है। इन ज्यामितीय चित्रों के बाईं ओर गतिशील मुद्रा में दो हिरणों का अंकन किया गया है। पशु चित्रों का यह संयोजन संभवतः आखेट अथवा प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति का द्योतक है।



2. दुल्हा-दुल्ही चित्रित शैलाश्रय

करतला तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत खुटाकुड़ा के धवाईभांठा मोहल्ले में अवस्थित सुअरलोट ग्राम की पहाड़ी में दुल्हा-दुल्ही शैलाश्रय स्थित है। दुल्हा-दुल्ही शैलाश्रय ($22^{\circ}10'19''$ उत्तरी अक्षांश $82^{\circ}53'14''$ पूर्वी देशांतर) विशालकाय बलुए पत्थर के पहाड़ पर समुद्र तल से लगभग 2000 से 2200 फीट की ऊंचाई में अवस्थित है। इस शैलाश्रय में गेरु रंग से दो मानव आकृतियों का अंकन है, जिसमें प्रथम छवि की ऊंचाई द्वितीय छवि से बड़ी है। इनके दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठा हुआ दर्शाया गया है। संभवतः इसी आकृति के कारण ग्रामीण इस स्थल को दुल्हा-दुल्ही के नाम से पुकारते हैं। इसके समीप ही एक मानव आकृति एवं एक जानवर का चित्रण भी प्राप्त होता है। जो वर्तमान में अत्यधिक धूमिल हो चुका है। इस शैलाश्रय तक पहुंचने वाले मार्ग पर माइकोलिथ्स के अवशेष बिखरे मिले हैं। यह शैलाश्रय कोरबा जिले का प्रथम अधिकारिक शैलचित्रित पुरास्थल है। जिसकी अधिकारिक रिपोर्ट हरिसिंह क्षत्री गाईड, जिला पुरातत्व संग्रहालय द्वारा जिला प्रशासन एवं दैनिक समाचार पत्रों को दिया गया।³



(D-strech_lds)

विश्लेषण

सुअरलोट के दोनों शैलाश्रयों में लाल गेरु रंग का प्रयोग, ज्यामितीय आकृतियों व मानव-पशु चित्रण का संयोजन प्रागैतिहासिक शैलकला की विविध अभिव्यक्तियों को दर्शाता है। सीताचौकी में ज्यामितीय कला तथा दुल्हा-दुल्ही में मानव आकृतियों की प्रधानता से यह स्पष्ट होता है कि दोनों शैलाश्रयों का सांस्कृतिक उद्देश्य भिन्न हो सकता है। चित्रण से पूर्व चट्टान की सतह को समतल करना प्रागैतिहासिक कलाकारों की तकनीकी समझ व सौंदर्यबोध का परिचायक है। मार्ग में प्राप्त माइक्रोलिथ्स इस क्षेत्र में मध्यपाषाणकालीन मानव निवास की संभावना को सुदृढ़ करते हैं तथा शैलचित्रों व प्रागैतिहासिक उपकरणों के मध्य सांस्कृतिक संबंध स्थापित करते हैं।

निष्कर्ष

सुअरलोट के चित्रित शैलाश्रय कोरबा जिले की प्रागैतिहासिक सांस्कृतिक विरासत के अत्यंत महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। वर्ष 2012 में इनकी खोज ने यह प्रमाणित किया कि कोरबा जिला भी छत्तीसगढ़ के उन प्रमुख क्षेत्रों में सम्मिलित है जहाँ प्रागैतिहासिक मानव ने शैलकला के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक व वैचारिक अभिव्यक्तियों को अंकित किया। सीताचौकी तथा दुल्हा-दुल्ही शैलाश्रयों में प्राप्त चित्र न केवल कलात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे तत्कालीन मानव के सामाजिक जीवन, प्रतीकात्मक चिंतन, धार्मिक विश्वासों तथा पर्यावरण के साथ उसके संबंधों की भी जानकारी प्रदान करते हैं।

सीताचौकी शैलाश्रय में अंकित ज्यामितीय आकृतियाँ तथा उनके साथ अंकित पशु चित्र यह संकेत देते हैं कि प्रागैतिहासिक कलाकार केवल प्राकृतिक जगत का चित्रण ही नहीं कर रहे थे, बल्कि वे प्रतीकात्मक व अमूर्त अभिव्यक्ति से भी परिचित थे। दूसरी ओर दुल्हा-दुल्ही शैलाश्रय में अंकित मानव आकृतियाँ संभवतः किसी सामाजिक, अनुष्ठानिक अथवा सांस्कृतिक गतिविधि का प्रतिनिधित्व करती हैं। स्थानीय समुदाय द्वारा इन आकृतियों को "दुल्हा-दुल्ही" के रूप में पहचानना इस स्थल के साथ जुड़ी लोकपरंपराओं तथा सांस्कृतिक निरंतरता का भी संकेतक है।

इन शैलाश्रयों तक जाने वाले मार्ग पर प्राप्त माइक्रोलिथ्स इस क्षेत्र में मध्यपाषाणकालीन मानव की उपस्थिति को पुष्ट करते हैं तथा यह संभावना व्यक्त करते हैं कि यह सम्पूर्ण क्षेत्र प्रागैतिहासिक मानव की गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केन्द्र रहा होगा। यद्यपि वर्तमान में प्राकृतिक अपक्षय, जल रिसाव, जैविक वृद्धि तथा मानवीय हस्तक्षेप के कारण अनेक चित्र धूमिल होते जा रहे हैं, इसलिए इन शैलाश्रयों का वैज्ञानिक प्रलेखन, डिजिटल अभिलेखीकरण, संरक्षण व नियमित निगरानी अत्यंत आवश्यक है। साथ ही सुअरलोट क्षेत्र का व्यापक पुरातात्विक सर्वेक्षण भविष्य में नवीन शैलाश्रयों तथा प्रागैतिहासिक सांस्कृतिक साक्ष्यों की खोज की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

अतः यह कहा जा सकता है कि सुअरलोट के चित्रित शैलाश्रय केवल कोरबा जिले की ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ की प्रागैतिहासिक शैलकला परंपरा की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इनका विस्तृत अध्ययन मध्य भारत की प्रागैतिहासिक कला, मानव जीवन, सांस्कृतिक विकास तथा शैलचित्र परंपरा के

क्षेत्रीय स्वरूप को समझने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। साथ ही, ये स्थल भविष्य के अनुसंधानों के लिए नवीन संभावनाएँ प्रस्तुत करते हैं तथा भारतीय शैलकला के अध्ययन में कोरबा जिले की विशिष्ट पहचान स्थापित करते हैं।

संदर्भ—

1. केंद्रीय भूमि जल बोर्ड, भूजल सर्वेक्षण मंडल जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर 2022 पृ. 41
2. क्षत्री, हरिसिंह, हसदेव घाटी की पुरातात्विक संपदा, प्रथम सोपान, वाकणकर शोध संस्थान, उज्जैन म.प्र., 2023, पृ-17
3. क्षत्री, हरिसिंह, हसदेव घाटी की पुरातात्विक संपदा, प्रथम सोपान, वाकणकर शोध संस्थान, उज्जैन म.प्र., 2023, पृ-49
4. पाठक मिनाक्षी दुबे वं जीन क्लॉट, पावरफुल इमेजेस : छत्तीसगढ़ रॉक आर्ट एण्ड ट्रायबल आर्ट, ब्लूम्सबेरी पब्लिशिंग इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, दिल्ली, 2017
5. मिश्रा डॉ. नितेश कुमार, ए थनोआर्कियोलॉजिकल स्टडी ऑफ रॉक आर्ट इन छत्तीसगढ़ रीजन, मेजर रीसर्च प्रोजेक्ट, आई. सी.ए. सं.एस. आर., 2023.
6. दीवान डॉ. भाग्यश्री, उत्तरी छत्तीसगढ़ क्षेत्र की शैलचित्रकला का अध्ययन, अप्रकाशित शोध प्रबंध, 2026.

